छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 06, शक सम्वत् 1940)

[अंक 17]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनॉक 25 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 6, शक सम्वत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला सरगुजा में पी.डी.एस. दुकानों का निरीक्षण

1. (*क्र. 755) डॉ. प्रीतम राम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक सरगुजा जिले में कितनी पी.डी.एस. दुकानों का निरीक्षण किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : प्रश्नांकित अवधि के दौरान सरगुजा जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के कुल 2101 निरीक्षण किये गये, जिसमें से अंबिकापुर विकासखण्ड में 396, लखनपुर विकासखण्ड में 387, उदयपुर विकासखण्ड में 290, लुण्ड्रा विकासखण्ड में 352, बतौली विकासखण्ड में 241, सीतापुर विकासखण्ड में 198 तथा मैनपाट विकासखण्ड में 237 निरीक्षण किये गये.

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला सरगुजा में पी.डी.एस. की दुकानों के निरीक्षण के संबंध में प्रश्न किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि महिला स्वसहायता समूह के द्वारा पी.डी.एस. की कितनी दुकानों का संचालन किया जा रहा है ? इनमें से कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया और कितनी दुकानों का निरीक्षण नहीं किया गया? यदि निरीक्षण नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला स्वसहायता समूह के द्वारा वर्ष 2015-2016 में 253 दुकान संचालित, वर्ष 2016-2017 में 254 दुकान संचालित, वर्ष 2017-2018 में 254 दुकान संचालित, वर्ष 2018-2019 में 445 दुकान संचालित हैं।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय,....।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। अभी तो उत्तर पूरा नहीं आया। आपका पूरा उत्तर आ गया? उनका उत्तर आ रहा है, आप बैठिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बता रहा हूँ।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैं माननीय महोदय जी से यह जानना चाहता हूँ कि...।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले इनका पूरा उत्तर तो सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निरीक्षण के बारे में भी पूछा है। अंबिकापुर वर्ष 2015-2016 में, अंबिकापुर में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 124 और कुल निरीक्षण संख्या 115, लखनपुर निरीक्षण संख्या 96, उदयपुर 70, लुण्ड्रा 84, बतौली 56, सीतापुर 50, मैनपाट 55 ऐसे तीनों साल के हैं। आपको इसमें कोई और जानकारी चाहिए तो बता देंगे।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उचित मूल्य की दुकानों को संचालित करने वाले सभी महिला स्वसहायता समूह कहां से, किन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं ? ये महिला स्वसहायता समूह दुकान संचालित करने के लिए विधिवत पात्रता रखते हैं या नहीं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उचित मूल्य की दुकानें किन-किन संस्थाओं को आवंटित किया जा सकता है। उचित मूल्य की दुकानों का आंवटन वृत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि एवं साख समिति, वन सुरक्षा समिति, महिला स्वसहायता समूह, ग्राम पंचायत, अन्य उपभोक्ता सहकारी समिति, नगरीय निकाय को आवंटित किया जा सकता है। यही नियमों में प्रावधान है।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें से अधिकांश महिला स्वसहायता समूहों का रजिस्ट्रेशन सहकारिता समिति से नहीं किया गया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इन सभी का सहकारिता समूह से पंजीकृत करके, विधिवत् इनका संचालन करायेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला स्वसहायता समूहों को सहकारी समिति से पंजीयन आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी और जनपद के माध्यम से भी उसका पंजीयन किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या :- 02 XX XX

प्रश्न संख्या :- 03 XX XX

प्रश्न संख्या :- 04 XX XX

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुख्यमंत्री स्काई योजना के तहत मोबाईल क्रय

5. (*क्र. 1276) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में मुख्यमंत्री स्काई योजना कब से लागू की गई ? योजना अंतर्गत कितने मोबाईल, किस दर पर एवं किस कंपनी का क्रय किया गया ? हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ देने का प्रावधान है ? योजना अंतर्गत कितने मोबाईल, किस दर पर एवं किस कंपनी का क्रय किया गया ? इसके लिये वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है ? (ख) मुख्यमंत्री स्काई योजना अंतर्गत कितने हितग्राहियों को मोबाईल वितरण किया गया है ? कितना शेष है ? जिलेवार जानकारी देवें ? जो शेष है, उन्हें कब तक वितरण किया जावेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य शासन ने स्काई योजना लागू करने हेतु दिनांक 31 अगस्त, 2017 को अधिसूचित किया गया था. इस योजना के अंतर्गत 36,65,695 मोबाईल क्रय किया गया है, जिस की दर एवं मात्रा निम्नानुसार है :—

लाईन आइटम	मात्रा	निविदा में प्राप्त दर
कैटेगरी-01	32,38,991	2509.92
कैटेगरी-02	4,26,704	4142.88
कुल मोबाईल	36,65,695	

उक्त मोबाईल मेसर्स जियो इन्फोकॉम एवं माईक्रोमैक्स के कंसोर्टियम से क्रय किया गया है. हितग्राहियों को लाभ देने का प्रावधान :—

- निःशुल्क स्मार्टफोन.
- निःशुल्क 01 जीबी डेटा प्रतिमाह 6 माह के लिये.
- निःशुल्क 100 मिनट टॉक-टाईम प्रतिमाह 6 माह के लिये.

इसके लिये वर्ष 2017-18 हेतु 200.00 करोड़ राशि एवं वर्ष 2018-2019 हेतु 1086.79 करोड़ राशि का बजट प्रावधान किया गया है. (ख) जानकारी ‡[1] संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 02 एवं कॉलम 03 में जिलेवार

[1] परिशिष्ट “चार”

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दर्शाई गई है. योजना की राज्य स्तर पर समीक्षा की जा रही है. समीक्षा उपरांत प्रश्नांश (ख) के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाएगा.

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने क्या बात है, कहा है। माने जरूर गंभीर बात है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में मुख्यमंत्री स्काई योजना कब से लागू की गई ? योजना अंतर्गत कितने मोबाईल, किस दर पर एवं किस कंपनी का क्रय किया गया ? हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ देने का प्रावधान है.. ?

अध्यक्ष महोदय :- ये तो आपका प्रश्न है, जिसका उत्तर छप चुका है। आप उत्तर पढ़कर प्रश्न पूछिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब सभी क्षेत्रों में आवश्यक नेटवर्क नहीं है तो मोबाईल का क्या उपयोग है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, केबिनेट में दिनांक 23 अगस्त 2017 को प्रदेश में संचार क्रांति योजना स्काई आरंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ संचार योजना 31-08-2017 को अधिसूचित की गई। योजना का उद्देश्य मोबाईल कनेक्टीविटी, आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना, जेन्डर सशक्तिकरण, डिजीटल भुगतान, ऑनलाईन सेवा आदि रखा गया। 28-11-2017 को केबिनेट में 14वें वित्त आयोग की राशि नवीन मोबाईल टॉवर खड़ा करने का या पूर्व में स्थित मोबाईल टॉवर की क्षमता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 610 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पंचायत को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत दी जाने वाले 610 करोड़ रुपये की राशि चिप्स को दे दी गई। दिनांक 15-02-2018 को केबिनेट में इस निर्णय को निरस्त किया गया। जब सब लोग विरोध किये, पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ कि 14वें वित्त आयोग के पैसे को कैसे राज्य सरकार किसी दूसरे मद में खर्च कर सकती है। जब जाकर 15-02-2018 को केबिनेट ने निरस्त करने का निर्णय लिया। स्काई योजना के कुल 55.6 लाख मोबाईल बांटने का निर्धारित किया गया। 6 अक्टूबर 2018 को 36.65 लाख फोन के कार्यादेश जारी किये गये और तय तिथि में 29 लाख 14 हजार मोबाईल वितरित किये गये। राज्य शासन को आरंभिक 1220 करोड़ एवं तत्पश्चात पुनरीक्षित 1467 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत की गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्काई योजना में लगता है कि यह प्रश्न के उत्तर की जगह में शासन का वक्तव्य आ रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- आपने जो किया, मैं उसको बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महत्वपूर्ण सवाल है। पूरे प्रदेश के पैसे का किस प्रकार से बंदरबाट किया गया है और लोगों के इस धन का कैसे अपव्यय किया गया है, उसका उदाहरण दे रहा हूं। कांट्रेक्टर का 1055 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी किया गया जिसमें से 844 करोड़ रुपये का बिल प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी सरकार ने केवल अभी तक के 189 करोड़ 56 लाख..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी सरकार नहीं, हमारी सरकार बोलिये न। सरकार तो सबकी थी, उस समय आपकी भी सरकार थी।

श्री भूपेश बघेल :- हॉ, मैं आगे बताता हूं न किस प्रकार से आपकी सरकार थी, आप सुनते जो जाईए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हमारी सरकार नहीं हैं, आप हमारी सरकार में नहीं हैं या हम आपको अपनी सरकार नहीं कह सकते ?

श्री भूपेश बघेल :- चलिये कहिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप माननीय मुख्यमंत्री है आप तो पुराने पद को स्वीकार रहे थे, इनकी सरकार कह रहे थे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुधार लेता हूं। जब ये सरकार में थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- हॉ ये चलेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये सरकार में थे तब उन्होंने 844 करोड़ 47 लाख रुपये का बिल 1055 करोड़ रुपये के विरूद्ध में प्रस्तुत किया और 189.56 करोड़ का भुगतान किया गया। 844 करोड़ के विरूद्ध में केवल 189 करोड़ का भुगतान किया गया, बचत हम लोगों के लिए छोड़ दिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी बहुत सौभाग्यशाली हैं, बिना प्रश्न के पूरे विस्तार से हर बात की जानकारी मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- वह नये सदस्य हैं, प्रश्न ठीक से कर नहीं पा रही हैं, इसलिए पूरे विस्तार से उत्तर दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्रांति ला रहे थे न संचार क्रांति तो क्रांति का पूरा विस्तृत विवरण आ रहा है और ये सरकार, वो सरकार का क्या चक्कर है ? आप तत्कालीन सरकार बोलिये, सब समझ जायेंगे कि इनकी सरकार ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा प्रदेश जानना चाहता है । आप पूरे विस्तार से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बताईये ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय जोगी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजीत जोगी :- चूंकि यह बहुत ही हानिकारक योजना है, कोई उतना लंबा पैदल चलकर नहीं जायेगा, यह पूरा अपव्यय हुआ है । कमीशनबाजी की शिकायत हुई है, आप विस्तार से बता रहे हैं, कृपया बताईये ।

श्री भूपेश बघेल :- जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन आप जोगी जी को हर बात में धन्यवाद दीजियेगा जैसे अभी स्काई में दिया वैसे ही । (हंसी) आप बाद में उनसे असहमत मत होईएगा।

श्री भूपेश बघेल :- जैसे आप अभी इतने अच्छे से बोल रहे हैं तो मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं । माननीय शिवरतन जी बोले तो मैंने तुरंत सुधार दिया और माननीय जोगी जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में बहुत विस्तार से उत्तर आ रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मोबाईल में एक एप भी देने का निर्णय लिया गया। समिति बनायी गयी, सर्विस डिलीवरी के लिये डीजी लॉकर, भीम-उमंग भारत सरकार का एप्रूव किया गया लेकिन इसके साथ-साथ बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी के निजी एप नमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी एप रमन को भी शामिल किया गया मतलब पार्टी का प्रचार करने के लिये इसको डाला गया । सरकारी योजनाओं के लिये डालते तो डालते लेकिन निजी एप को भी इसमें डाला गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम निविदा, चूंकि एक बार डाले तो कुछ आया नहीं, दूसरी बार में एक आया फिर तीसरी बार डाले तो दो आये और जो निर्णय लिया गया प्रतिमाह एक जीबी डाटा, 100 मिनट कॉलिंग 6 माह के लिये मुफ्त दिया गया और इसी अवधि में जिस कंपनी को दिया गया यह कंपनी है रिलायंस जियो एण्ड माइक्रोमेक्स, माइक्रोमेक्स मोबाईल का नाम तो सुनते रहे लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये रिलायंस जियो है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांगों की चर्चा बाकी है । यह सारा विषय जब अनुदान मांगों पर बोलेंगे तब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न आया है इसलिये वे उत्तर दे रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो प्रश्नकाल में जो प्रश्न का उत्तर है वही आ जाये न ।

श्री भूपेश बघेल :- देखिये, आपके सहयोगी दल के माननीय सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने कहा कि पूरा विस्तार से बताईये । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, तो अनुदान मांग में आ जायेगा न । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अब बस थोड़ा सा बचा है । आप सुनिये तो । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान मांग में सारी चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री इस विषय पर बोल लें । प्रश्नकाल में प्रश्नकाल की तरह चलायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी :- ये सहयोगी दल नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- नहीं हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बार-बार काहे को जोगी फोबिया से पीड़ित हैं ? आप कह रहे हैं कि सहयोगी दल हैं, काहे का सहयोगी दल हैं? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि कांग्रेस सहयोगी दल है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- हमने भाजपा को हराया है, आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराया है तब तो यहां आये हैं । (व्यवधान) आप लोग चुनाव जीत गये तो एकदम अहंकार में बात नहीं करनी चाहिए न । (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी :- हमने आपकी जमानत जब्त करायी है । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- हम किस पार्टी के हैं, क्या हैं उसको छोड़िए । इस बात को बोलकर आपकी उस साईड से कितने दिनों तक दुकान चलेगी ? रहने दीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा स्ट्रेटिजिकल है कि आगे के प्रश्नों के शायद लोग उत्तर नहीं दे पायेंगे, जो आगे प्रश्न आयेंगे इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी जानबूझकर इतना लंबा उत्तर दे रहे हैं, असली में यह विषय है । बाकी लोग उत्तर नहीं दे पायें, जो पीछे आ रहे हैं तो हाऊस में बहुत स्ट्रेटिजिकली और समय काट रहे हैं । सदन में बिना प्रश्न के इतना लंबा उत्तर आज तक नहीं आया ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- ये जुमलाबाजी को थोड़ा बता देना।

श्री भूपेश बघेल :- पूरा सदन इसको जानना चाहता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं केवल जोगी जी ही भर पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- पूरा सदन जानना चाहता है ।

श्री अजीत जोगी :- पूरा प्रदेश जानना चाहता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन यह जानना चाहता है कि जोगी जी का माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या समझौता हुआ है ? एक और बी टीम का आरोप हमारे ऊपर लगता था

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लेकिन आज ए और बी आप लोग दिख रहे हैं, आपके बीच क्या समझौता हुआ है यह पूरा सदन जानना चाहता है ।

श्री अजीत जोगी :- देखिये, हम पूरे प्रदेश के हित में हर मुद्दा उठायेंगे । जिस दिन यह योजना चालू हुई उसी दिन हमने विरोध किया । इस सदन में मेरी पत्नी विधायक थी उन्होंने विस्तार से मंत्री को पत्र लिखा कि कृपया इसको तत्काल बंद करिये, विश्व में 4-5 जगह यह होगा । रायपुर में रखने लायक नहीं है, कोई इतना लंबा पैदल चलकर नहीं जायेगा, चारे-उचक्के वहां छिपे रहेंगे, लूटपाट की घटनायें होंगी और वहां जो.... (हंसी) (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल में जो प्रश्न का उत्तर आना चाहिए ।

श्री अजीत जोगी :- बिल्कुल गलत बात ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वृतांत है तो आप जो निर्देशित करते हैं कि मंत्री जी के कक्ष में सदस्य को बता देंगे तो मुख्यमंत्री जी के कक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री जोगी को बता देंगे और प्रश्नकाल को आप आगे बढ़ाईये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, जोगी जी के ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी को कक्ष में बता देंगे, आप कक्ष में जाकर बता देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह ज्यादा उचित होगा । ये पूरा बताएंगे तो एक घंटा तो पूरा वृतान्त में चलेगा । अच्छा, केवल जोगी जी इंट्रेस्टेड हैं और कोई इंट्रेस्टेड नहीं है तो जोगी जी को पूरा डॉक्यूमेंट के साथ उपलब्ध करवा दें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, इस सदन में हर सदस्य को जानने का अधिकार है । जोगी जी के बारे में यहां पर कोई व्यवस्था नहीं दे सकता, आप दे सकते हैं कि इनको, इनके कक्ष में जाकर सुनना है या यहां सुनना है । सरकार इगर कोई वक्तव्य दे रही है तो हमें उसको सुनने का अधिकार है और अगर आप उस वक्तव्य को नहीं देना चाहते तो आपको बोलने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम तो मांग कर रहे हैं, हम इस योजना के अच्छे बुरे कामों के बारे में जानना चाहते हैं । तो सरकार अगर बता रही है तो हम सुनना चाहते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता और हम कौन सी टीम के हैं, ए के हैं, बी के हैं इससे कोई मतलब नहीं है । अध्यक्ष महोदय, हम भी 15 प्रतिशत का जनाधार लेकर यहां पर आए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता अभिनन्दनीय है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- हम किसी की कृपा से यहां पर नहीं आए हैं । किसी की दया से नहीं आए हैं । हमने चुनाव लड़ा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी उदारता के प्रति हम लोग अनुगृहीत है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महादेय :- थैंक यू ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम चुनाव लड़कर यहां आए हैं इसलिए हमारे बारे में हल्की टिप्पणी करना बंद करिये ।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत भाई, प्लीज, प्लीज बैठिये । जोगी जी इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं । यदि उन्होंने कोई पूरक प्रश्न किया है जिसका उत्तर विस्तार से दिया जाना, वर्तमान मुख्यमंत्री को जरूरी है तो वे दे रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने प्रश्न नहीं किया है । उन्होंने कहा कि विस्तार से बताएं ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने पूरक प्रश्न किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जोगी जी ने स्कायवॉक के बारे में कहा कि वहां लम्बे रास्ते में चोर लुटेरे लम्बे रास्ते में लूंटेंगे । उन्होंने स्कायवॉक के बारे में कहा है, आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आज आपकी उदारता अभिनंदनीय है, चलने दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों मुख्यमंत्रियों को निपटने दो ना, आप काहे परेशान हो?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य शासन का बहुत सारा पैसा लगा है इसलिए पूरे सदन को जानने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप और कोई प्रश्न पूछ रही हैं क्या ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं यह पूछ रही हूं कि मात्र 100 मिनट टॉक टाइम एवं 1 जीबी डेटा प्रतिदिन, 6 माह तक के लिए, जो कि बहुत कम था । रिचार्ज की दर 6 रूपया प्रतिदिन जिसमें 0.5 जीबी डेटा की सुविधा जियो कंपनी को प्रतिवर्ष सैकड़ों, करोड़ों का लाभ दिलाने का खेल चल रहा था । इस पर विचार विमर्श होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्या है ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इसकी जांच होनी चाहिए । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मोबाइल की गुणवत्ता बहुत खराब थी । वह गर्म भी हो रहा था और बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज हो रही थी । मेरी जानकारी है कि हमारे सिहावा क्षेत्र में फट भी गया था । लोगों का हाथ भी जल गया ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको भी मिला था क्या मोबाइल ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- नहीं मिला । हमारे क्षेत्र में नेटवर्क ही नहीं है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जनक्रुति के आधार पर प्रश्न है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने पूछा है कि केवल 1 जीबी डाटा और 100 मिनट कॉलिंग 6 महीने के लिए मुफ्त दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, इसी अवधि में जियो की आम जनता के लिए जो प्लॉन था, 399 रूपए में 1 जीबी डाटा प्रतिदिन, अनलिमिटेड कॉलिंग, मुफ्त 84 दिनों के लिए था । यानी आपने केवल लूट मचा रखी थी । आपने किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के फैसले लिए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रश्नकाल है और प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए । मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं । लेकिन प्रश्नकाल में यह कहना कि लूट मचा रखी थी । न तो कोई जांच हुई, न कोई पड़ताल हुई और यह वक्तव्य मुख्यमंत्री जी के स्तर का नहीं है कि लूट मचा रखी है । जब तक उसकी कोई फाइंडिंग्स सामने नहीं आई हैं, तब तक । फाइंडिंग्स सामने आती हैं तो आपको जो करना है वह करिये । हमको कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन अभी आपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि प्रक्रियाधीन है । अभी कैसे साबित हो गया कि उसमें लूट मचा रहे थे, लूटमार हो रही थी या क्या हो रहा था । इसलिए जो उत्तर है या चर्चा प्रश्नकाल की परिधि से बाहर जा रही है । जब ऐसी बातें आएंगी तो प्रश्नकाल में जो हमको नहीं कहना चाहिए, हमको भी वह कहना पड़ेगा, यह अच्छी बात नहीं होगी ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से जानना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 36,65,695 मोबाइल बांटने का तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था। मुझे मुख्यमंत्री जी से जानना है कि नेटवर्क के लिए कितना था? जिन गांवों में नेटवर्क भी नहीं था, उन गांवों में भी आपने मोबाइल वितरण किया जबकि आपने 9 लाख 20 हजार 518 मोबाइल अभी तक नहीं बांटे हैं। जो मोबाइल नहीं बांटे गये हैं, क्या उनका भी भुगतान कर दिया गया है? और नेटवर्क के लिए कितना था जो आपने 36 लाख मोबाइल बांटने का निर्णय लिया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग संभाग में टावर लॉग कनेक्टिविटी के लिए टावर लगाने का आदेश दिया गया है। बिलासपुर संभाग में जो लक्ष्य था, 137 लगाये गये, 148 रायपुर में 109 लगाये गये 98, दुर्ग में 108 लगाये गये 49 टावर, सरगुजा में 277 टावर का लक्ष्य था और लगे केवल 88। बस्तर में 269 टावर लगने थे। केवल 51 लगे और जो वितरण किया गया, उसका मैं आंकड़ा देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो वितरित किये गये, उन मोबाइलों की संख्या 29 लाख 14 हजार 845 और जो अवितरित किये गये वह 9 लाख 20 हजार 518, ये अभी बचे हुए हैं और 29 लाख 14 हजार 845 वितरित किये गये और माननीय सदस्य ने जैसा पूछा कि वहां

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कनेक्टिविटी नहीं थी, फिर भी मोबाइल बांट दिये गये तो निश्चित रूप से टावर लगाने का जो लक्ष्य था, वह पूरा नहीं हुआ। चाहे बस्तर में हो या सरगुजा में हो। तो यदि वहां टावर नहीं लगे हैं और जो मोबाइल बांटे गये हैं तो निश्चित रूप से वहां कनेक्टिविटी नहीं रही होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, एक मिनट। एक प्रश्न।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारा तो यही कहना है कि जब नेटवर्क नहीं था और आपने मोबाइल वितरण कर दिया तो सरकारी धन का दुरूपयोग हुआ है तो क्या इसकी जांच कराएंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) इस पूरे प्रकरण के, इस योजना के लागू होने से लेकर टेंडर होने तक के, टावर लगाने तक के और मोबाइल खरीदने तक की जांच होगी और हम इसकी सी.ए.जी. से जांच कराएंगे ताकि पूरे विस्तार से इसकी जांच हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी....।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि.....।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत हो गया इसका। धर्मजीत जी पूछिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मोबाइल की जो जियो कंपनी है, वह मुकेश अंबानी की कंपनी है क्या एक ? दूसरा, जो मोबाइल बचे हुए हैं, जो नहीं बंटा है, वह सुरक्षित जगह में रखा गया है कि नहीं। उसको वापस करेंगे या उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या उसका क्या उपयोग करने का सोचे हैं ? जरा कृपा करके बतायें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कंपनी को दिया गया है, वह रिलायंस जियो माइक्रोमैक्स को दिया गया है। अब उसके नाम की मुझे भी जानकारी नहीं है। मैं पता करके आपको दे दूंगा और जहां तक जो मोबाइल बचे हैं, 9 लाख से अधिक जो मोबाइल बचे हैं, उन्हें बांटने की हमारी कोई योजना नहीं है। इसे वापस करने के लिए हम लोग कंपनी से बात करेंगे और उसे वापस करने की प्रक्रिया करेंगे और पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अरूण वोरा।

<u>बस्तर संभाग अंतर्गत उद्योगों द्वारा ली गई वन भूमि</u>

6. (*क्र. 1395) श्री अरूण वोरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के कितने वन मंडल अंतर्गत वन विभाग की कुल कितनी-कितनी भूमि उद्योगवार ली गई ? (ख) क्या वन भूमि के बदले वन विभाग को औद्योगिक ईकाईयों द्वारा भूमि व पेड़

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कटाई की क्षतिपूर्ति दी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में किन-किन स्थानों पर उद्योगों द्वारा भूमि प्रदाय की गई एवं कितनी मात्रा में पेड़ लगाए गए हैं ? (ग) जिन औद्योगिक ईकाईयों द्वारा वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति जमीन नहीं दी गई है एवं पेड़ नहीं लगाए गए हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नावधि में बस्तर संभाग के वन मंडल अंतर्गत उद्योग (लौ अयस्क खनन कार्य एवं इन्टीग्रेटेड इस्पात संयत्र हेतु पानी की पाईप लाईन बिछाने) हेतु वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कुल रकबा 512.742 हे. वन भूमि स्वीकृत हुआ है. जानकारी †[2] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी हां. वन भूमि के बदले दी गई क्षतिपूर्ति की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. उद्योगों के द्वारा भूमि प्रदाय नहीं की गयी है. उद्योगों के द्वारा पौधा रोपण का कार्य भी नहीं किया गया है. वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग के द्वारा कराया गया है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की गाईड लाईन के अध्याय-3 के नियम 3.2 (i) के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि की समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा. इसी प्रकार नियम 3.2 (iv) के अनुसार वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में व्यपवर्तित की जाने वाली वन भूमि की दुगनी वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जावेगा. चूंकि इन नियमों के अनुपालन में आवेदक संस्थानों द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि तथा उसमें खड़े वृक्षों के एवज में प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही., की कुल राशि रु. 44,31,30,960/- तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र कुल 1009.925 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल राशि रु. 51,81,45,916/-जमा की गई है अतः किसी भी औद्योगिक इकाई के विरूद्घ वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति जमीन नहीं दिये जाने एवं पेड़ नहीं लगाए जाने के कारण उनके विरूद्घ कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. उक्त राशि से, चयनित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र 1009.925 हे. में से 217.200 हे. में रोपण कार्य हो गया है जिसमें रोपित पौधे की संख्या 238920 है. तथा शेष 792.725 हे. क्षेत्र में रोपण कार्य किया जाना है. जानकारी †[2] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने प्रश्न (क) के जवाब में जानना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण के लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी? यदि की गई थी तो इसकी क्या समय-सीमा रखी गई थी?

श्री मोहम्मद अकबर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वृक्षारोपण एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में किसी भी औद्योगिक इकाई के द्वारा वृक्षारोपण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अब तक कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---

[2] † परिशिष्ट "पांच"

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा दूसरा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बस्तर संभाग में वर्ष 2018-19 में कैम्पा मद, जो आपके वन विभाग का है, से कुल कितने वृक्षारोपण कार्यों की स्वीकृति दी गई है ?

श्री मोहम्मद अकबर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, कैम्पा मद के द्वारा वृक्षारोपण कार्य की कोई भी स्वीकृति नहीं दी गई है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आपने कहा कि कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन उद्योगों के द्वारा वृक्षारोपण नहीं किए जाने के कारण पर्यावरण विभाग, जो आपके पास भी विभाग है, पर्यावरण विभाग के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई की गई है क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी औद्योगिक इकाई के द्वारा वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने एवं पेड़ नहीं लगाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न इसलिए उपस्थित नहीं होता क्योंकि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

<u>छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा प्रदेश के बाहर बेची गई विद्युत</u>

7. (*क्र. 1326) श्री धनेन्द्र साहू : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में 01 जनवरी, 2019 तक छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा प्रदेश के बाहर किस-किस प्रदेश में कितनी-कितनी मात्रा एवं मूल्यों पर विद्युत बेची गई है ? (ख) वर्णित अवधि में बेची गई विद्युत की राशि में से कितनी राशि की वसूली की गई है ? कितनी-कितनी राशि की वसूली बकाया है ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न राज्यों को बेची गई बिजली की मात्रा एवं विक्रय मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :—

स.क्र.	राज्य का नाम जिसे बिजली बेची गई	वर्ष 2016-17 में बेची गई बिजली		वर्ष 2017-18 में बेची गई बिजली		वर्ष 2018-19 में 01 जनवरी 2019 बेची गई बिजली	
		मात्रा मिलियन यूनिट में	मूल्य रुपये करोड़ में	मात्रा मिलियन यूनिट में	मूल्य रुपये करोड़ में	मात्रा मिलियन यूनिट में	मूल्य रुपये करोड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

1.	केरल	2093.25	892.01	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	तेलंगाना	निरंक	निरंक	5421.16	2238.10	4626.30	1921.98

(ख) उत्तरांश-ख के तालिका में दर्शित राज्यों को बेची गई बिजली के लिये प्राप्त राशि एवं बकाया राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

स.क्र.	राज्य का नाम जिसे बिजली बेची गई	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19 में 01 जनवरी 2019 तक	
		प्राप्त राशि रुपये करोड़ में	बकाया राशि रुपये करोड़ में	प्राप्त राशि रुपये करोड़ में	बकाया राशि रुपये करोड़ में	प्राप्त राशि रुपये करोड़ में	बकाया राशि रुपये करोड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	केरल	812.69	20.43	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	तेलंगाना	निरंक	निरंक	2170.94	67.16	निरंक	1921.98

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्क्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ दो प्रान्तों तेलंगाना और केरल को बिजली बेचने का उल्लेख किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने कितने प्रदेशों को बिजली बेचने का एम0ओ0यू0 किया है और कितनी मात्रा में प्रतिवर्ष कितना विद्युत बेचने का एम0ओ0यू0 किया था ? किस-किस अवधि तक के लिए तथा कौन-कौन सी और प्रमुख शर्तें थीं ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसकी जानकारी दे दी गई है। कितने एम0ओ0यू0 हुए हैं और कितना दिया गया है, तो कितना दिया गया है, उसका उत्तर है। लेकिन एम0ओ0यू0 की जानकारी अलग से दे दूंगा। लेकिन केरल को बिजली देने के लिए वर्ष 2016-17 में शार्ट टर्म के लिए एग्रीमेंट था और 2016-17 में उसको बिजली दी गई है। तेलंगाना राज्य के 12 वर्ष के लिए एग्रीमेंट है और उसे 17-18 से बिजली बेचना शुरू किया गया है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्क्ष महोदय, चूंकि यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बहुत सारी ट्रांसमिशन लाईन बिछाई गई है। तो किन-किन प्रदेशों के लिए ये लाईनें डाली गई है। अभी आप रायपुर से सिमगा ही चले जाईये, आप देखेंगे कि कम से कम 50 ट्रांसमिशन लाईन क्रास करती है। हमारी पूरी जमीनें बर्बाद होती जा रही है। तो कितने प्रान्तों को, किस-किस प्रान्त को बिजली देने के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए लाईनें बिछाई गई हैं और उसमे कितना खर्चा आया है ? बिजली बेचने के नाम पर कितनी लाईनें बिछाई गई हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से उद्भुत नहीं होता है। आप अलग से जानकारी लेना चाहे तो मैं अलग से जानकारी दे दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्क्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिजली बेचने से ही संबंधित प्रश्न था। बिजली बेचने के लिए, बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाईनें बिछाई गई हैं। ठीक है, आप भले बाद में जवाब दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- उसकी अलग से जानकारी ले लीजियेगा। प्रश्न संख्या-8 श्री प्रकाश शक्राजीत नायक।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी इसको जनना चाहते हैं। माननीय सदन, हमारा पक्ष जानना चाहता है। इसकी भी जानकारी विस्तार से आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, जो ट्रांसमिशन लाईन के बारे में पूछ हैं, उसकी जानकारी दे दी जाये। हम लोग भी उसको जान लेते हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्क्ष महोदय, अभी वर्तमान में जो जानकारी दी गई है। इसी वर्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में 01 जनवरी, 2019 तक लगभग 4,626 मिलियन यूनिट बिजली बेची गई है और अभी किसानों को बिजली नहीं मिल रहा है। 6-6 घण्टे बिजली कटौती हो रही है। तो अभी वर्तमान में बिजली का कितना उत्पादन हो रहा है और हम कितनी बिजली बेच रहे हैं और सभी सेक्टर से जितना भी उत्पादन हो रहा है चाहे वह स्टेट सेक्टर से, सेन्ट्रल सेक्टर से, अन्य और भी जितने भी सोलर पावर प्लांट है...।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से आपका प्रश्न विस्तृत है और इससे उद्भूत नहीं होता ।

श्री धनेन्द्र साहू :- कितनी विद्युत पैदा हो रही है और हमारी कितनी मांग है । वर्तमान में प्रति माह हमारी आवश्यकता कितनी है और अभी प्रति माह कितना बेच रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रकाश नायक ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हमारे प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है और हम दूसरे प्रदेश को बिजली बेच रहे हैं, आज हमारी मांग कितनी है, इसलिए उत्तर आ जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न पूरी तरह से ठीक है, मगर बहुत विस्तृत प्रश्न है, लंबा है, उसका उत्तर बाद में ले लीजिएगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा उत्तर आ जाए। अभी वर्तमान में कितनी डिमांड है, हमारा आशय है कि जो बिजली कटौतियां हो रही हैं, किसानों के पम्पों के लिए जो बिजली कटौती हो रही है, शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे रात तक बिजली नहीं मिल रही है, इस प्रकार की कटौती बंद कर देंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको लिखित उत्तर भेज दीजिएगा। श्रीमती रश्मि आशिष सिंह ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मूल आशय वही था ।

प्रश्न संख्या : 8 XX XX

<u>तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में नलकूपों का खनन</u>

9. (*क्र. 1408) श्रीमती रश्मि आशिष सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में 2018-19 में जनवरी, 2019 तक कितने नलकूप खनन किये गये हैं ? (ख) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल खनित नलकूपों में से कितने जनवरी, 2019 की स्थिति में चालू हैं और कितने बंद पड़े हैं ? (ग) जो नलकूप बंद हैं, उनके बंद होने के क्या कारण हैं ? बंद नलकूपों को पुनः कब तक चालू कराया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में जनवरी 2019 तक 45 नग नलकूप खनित किये गये हैं. (ख) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में खनित नलकूपों में स्थापित किये गये 1719 हैण्डपंपों में से जनवरी 2019 की स्थिति में 1612 हैण्डपम्प चालू है और 107 हैण्डपंप बंद है. (ग) भू-जल स्तर गिरने के कारण हैण्डपंप बंद है, हैण्डपंप सामान्य खराबी के कारण बंद नहीं है. अतः बंद हैण्डपंपों को चालू करने के लिए निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय पीएचई मंत्री जी से था, प्रश्न के उत्तर में मुझे जानकारी दी गई है कि 107 हैण्डपंप भू जल स्तर गिरे होने के कारण बंद है । मेरा आग्रह है कि जो भू-जल स्तर है, वह तखतपुर में मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि जैसे ही मार्च का महीना आता है, वैसे ही भू जल स्तर गिर जाने के कारण वहां पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, जिसके कारण केकराड़ में 12 बोर अभी से ही बंद हो गए हैं, गुलसरी में भी बोर सूख गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मुझे लिखित में मिल गया है, मैं उस प्रश्न से संबंधित कहना चाहती हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में जो भू जल स्तर गिर जाता है, ये हर वर्ष की समस्या है और पानी की क्वालिटी भी खराब है तो वहां पानी के लिए बेहतर व्यवस्था किये जाने का मेरा आग्रह है ?

अध्यक्ष महोदय :- आग्रह को प्रश्न के रूप में बदल दीजिए ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसपास के गांव से वहां पर अगर एक-दो किलोमीटर से पानी की कोई व्यवस्था की जा सकती होगी तो यह व्यवस्था की जाये क्योंकि हर वर्ष वहां भू जल स्तर गिर जाता है और बोर बंद हो जाते है, उत्तर में लिखा है कि अभी समयावधि बताना संभव नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, उसको प्रश्न में आप ही बदल दीजिए न । वे चाहती हैं कि भू जल स्तर कैसे बढ़े तो इस आग्रह को प्रश्न में आप तब्दील कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे तखतपुर विधान सभा में तखतपुर शहर में बरेला, खपरी और निगारबन से पानी लाया जाता है तो मेरा आग्रह है कि वहां पानी की बड़ी टंकी लगा दी जाये, जिससे वहां पानी की सप्लाई होती रही । इसी तरह भू जल स्तर के विषय में मेरे पूरे चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने केवल पानी की व्यवस्था के बारे में ही आग्रह किया है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पानी की अतिशीघ्र व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें कि विकल्प चुनें और उसका आप निर्देश दें ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जब से हमने से मंत्रालय सम्हाला है, तब से शुरू से ही हमने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि इस प्रकार की जो समस्या आती है, वह सिर्फ इनके विधान सभा क्षेत्र की समस्या नहीं है, लगभग सभी विधान सभा क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में भू जल स्तर गिर जाता है । कोई ऐसी योजना बनाई जाए, जिसके तहत आने वाले समय में इस प्रकार की समस्या न हो और आप निश्चिंत रहें, इसके लिए आगे कुछ न कुछ किया जायेगा ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देशित करेंगे तो दो-तीन विकल्प मेरे पास हैं, मैं उनसे चर्चा कर लूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चर्चा कर लीजिएगा । प्रमोद कुमार शर्मा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बलौदाबाजार जिले में स्वीकृत रेत खदान तथा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण

10. (*क्र. 893) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार जिले में वर्ष 2014 में दिनांक 30 दिसंबर, 2018 की स्थिति में कौन-कौन सी रेत खदानें किनको-किनको रेत उत्खनन हेतु कब-कब कितनी-कितनी अवधि हेतु लीज में दी गई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" की अवधि में अवैध खनन एवं परिवहन के कुल कितने प्रकरण किसके-किसके विरूद्घ दर्ज किये गये हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बलौदाबाजार जिले में वर्ष 2014 से दिनांक 30 दिसंबर 2018 तक कुल 38 रेत खदान घोषित की गई है. रेत खदान संचालन एवं अवधि की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर दर्शित है. (ख) बलौदाबाजार जिले में प्रश्नाधीन अवधि में रेत के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर दर्शित है.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बलौदाबाजार जिले में अवैध रूप से हो रहे रेत उत्खनन के संबंध में था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की है कि अब सीएमडीसी के द्वारा समस्त रेत का संचालन किया जायेगा, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । अब आगे कोई प्रश्न नहीं रहा, बस इतना ही बता देते कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर लेंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी ?

भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अवैध रेत उत्खनन के बारे में प्रश्न पूछा था और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, इस कारण हमने फैसला किया कि इसे सीएमडीसी से कराएंगे, पर सीएमडीसी के पास उतने स्टाफ नहीं है तो सीधा कलेक्टर के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी कराएंगे और ये भी रेत चोरी न हो, इसके लिए रेत खदानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगाएंगे, ताकि भविष्य में कोई चोरी न कर सके और पूरी रायल्टी का पैसा सरकार के पास जमा हो और साथ ही उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर रेल मिल सके ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पंचायतों को भी नुकसान मत हो, इस बात का भी ध्यान रखेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल । मैंने पहले ही दिन घोषणा कर दी थी कि जितनी रायल्टी मिल रही थी, उससे 25 प्रतिशत बढ़ाकर उनको राशि दी जायेगी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, रेत का तो आपने बहुत अच्छा कर दिया ।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने पहले ही दिन घोषणा कर दी थी कि जितनी रायल्टी मिल रही थी, उससे 25 प्रतिशत बढ़ाकर वह राशि दी जायेगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- रेत का आप तो बहुत अच्छा कर दिये, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन जो भी है, यहां रेत माफिया बहुत तगड़ा है। अभी आपने योजना बनाई नहीं है, रेत माफिया अपना-अपना घाट छांट के बैठे हुये हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, गैंगवार भी होता है । आपसे निवेदन है कि बिल्कुल पारदर्शी रहे और जहां पर कोई गैंगवार करे, तत्काल वहीं कुचल देने का भी इंतजाम करिये । कुछ नदियां ऐसी है, जैसे अरपा नदी । उसको इतना नोच लिये हैं, वहां तो जमीन दिखने लगी है । उस पर रोक भी लगाने का विचार कर दीजिएगा । कृपा करके अरपा के बारे में देखने के लिए आप खुद गये हैं । अरपा में ज्यादा दोहन-शोषण न हो, लिमिटेड जगह में खुदाई हो, इसका भी इंतजाम करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब की चिन्ता पर्यावरण से है । आज हमारे पास सेटेलाईट भी है, वर्षवार जानकारी ले सकते हैं कि खदान में कितना खुदाई हुआ, और कहां-कहां गड़बड़ियां हो रही है, इसलिए हमने कहा कि सी.सी. कैमरा भी लगायेंगे, वहां जिले से और प्रदेश से मानिटरिंग भी होगी कि कहां-कहां गड़बडी हो रही है । मेजर मिनरल्स में लगाये जाते हैं, उसी प्रकार से यहां भी लगाये जायेंगे और जैसे कि आपने अरपा का उदाहरण दिया है या फिर खारून बनी है, वहां पर आपका सुझाव बहुत स्वागतयोग्य है, इसका बराबर ध्यान रखा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय:- आपका प्रश्न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सी.एम.डी.सी. से रेत खदान चलाने का निर्णय लिया है । मैं स्वयं भी सी.एम.डी.सी. का चेयरमेन रहा हूँ और मैंने अपने पीरियड में सरकार को प्रस्ताव दिया था कि सी.एम.डी.सी. को रेत खदान देनी चाहिये । तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जैसे ही सी.एम.डी.सी. को रेत खदान देंगे, रेतों के रेट में अनाप-शनाब वृद्धि होगी । जैसे ही सरकार ने निर्णय किया है, सारे समाचार पत्रों में छपा कि 1500 से 2000 ट्रक के पीछे रेत का रेट बढ़ गया । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप सी.एम.डी.सी.को दे रहे हैं, अच्छी बात है । रेत का कोई रेट फिक्स करेंगे क्या कि पर क्यूबिक मीटर इस रेट में देने की बाध्यता होगी, ताकि लोगों को महंगी रेत न मिले । ऐसा कोई निर्णय लेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि लोडिंग में रिवर्स बिडिंग की जायेगी, ताकि रेट न बढ़े । वाजिब दर पर ही उपभोक्ताओं को रेत मिले । हम यह सुनिश्चित करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- धनेन्द्र साहू जी ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेंरा माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था । अभी पूरी तरह से पर्यावरण नियमों में है कि मशीनों के द्वारा भराई नहीं करनी है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मानवीय श्रम से ही भराई करनी है । सुर्यास्त से लेकर सुर्योदय तक नहीं करनी है । अभी पर्यावरण द्वारा जितनी अनुमति दी जा रही है, वह सेमी मेकेनाइज्ड है । सेमी मेकेनाईज्ड कौन सी परिभाषा है, यह क्या होता है ? या तो मशीन है, जितनी पोकलेन चल रही है, जितने जे.सी.बी. चल रहे हैं, सारे के सारे मशीन है । सेमी मेकेनाइज्ड क्या है ? उसके आड़ में जितनी मशीने चल रही है, मैं इस पर माननीय...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्ष 2015 का गाइडलाईन है और जो पर्यावरण विभाग की अनुमति है, उसमें सेमीमेकेनाइज्ड लिखा हुआ है । इसीलिए उसका पालन किया जा रहा है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि सेमीमेकेनाइज्ड क्या होता है ? मशीन, मशीन है, स्पष्ट लिखें कि मशीन है । सेमीमेकेनाइज्ड का क्या अर्थ होता है ?

श्री भूपेश बघेल :- सेमीमेकेनाइज्ड जो टेक्नीकल वर्ड है, उसका मैंने प्रयोग किया है । जो अनुमति ली है, उसी को मैं बता रहा हूॅ ।

श्री धनेन्द्र साहू :- बाकी मशीनें जो सेमीमेकेनाइज्ड नहीं है, सारे पोकलेन मशीने थी । जे.सी.बी. मशीने हैं । सेमीमेकेनाइज्ड क्या है, यह अभी तक कोई परिभाषित है ?

श्री भूपेश बघेल :- इसके अलग-अलग नार्म्स है । उसमें जहां 6 मीटर से अधिक मोटाई है, वहां सेमीमेकेनाइज्ड प्रयोग किया जाता है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- मशीन से ही हुआ है ।

<u>जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड में विद्युत सब स्टेशन निर्माण की स्वीकृति</u>

11. (*क्र. 343) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में बलौदा विकासखण्ड में 132 के. वी. का विद्युत सब स्टेशन निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी ? (ख) निर्माण कब और किस एजेंसी द्वारा किया जावेगा?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर चांपा जिले में बलौदा विकासखण्ड में132 के.वी. के विद्युत सब स्टेशन निर्माण का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत नहीं है. (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बलौदा विकासखंड में 132 के. व्ही. का विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कब और किस एजेंसी द्वारा किया जायेगा, का प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में आया है कि उपरोक्त सब स्टेशन स्वीकृत नहीं है । नीचे से मांग आई है तो हम लोगों को ऐसा लगा कि स्वीकृति होगी । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपापूर्वक जनहित में स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न दोहराईये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में जैसा स्पष्ट हो गया है कि अभी इसकी स्वीकृति नहीं हुई है और जब लोड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सब स्टेशन की स्थापना कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य ने कृपापूर्वक स्वीकृति देने की बात की है, इसे कृपापूर्वक देखेंगे क्या?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कृपापूर्वक नहीं होता ना। जहां डिमांड होगी वहां सब स्टेशन बनेगा।

श्री सौरभ सिंह :- ठीक है, जब आपके पास लोड आ जायेगा तो उसकी विभागीय प्रक्रिया हो जायेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि पूरे बिलासपुर संभाग में करीब 52, 33/11 केव्हीए के सब स्टेशन स्थापित हैं। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोई फेडरल लाइट कंपनी ने इस छोटे 33/11 केव्हीए के सब स्टेशन का ठेका लिया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पंतोरा है और बिलासपुर संभाग में इस कंपनी ने ठेका लिया है और ये कंपनी काम नहीं कर रही है और अधूरा काम छोड़कर भाग गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसका काम पूरा हो जाए जिससे जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ठेकेदार यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे काम लेंगे और नहीं होगा तो फिर दूसरी प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

प्रश्न संख्या : 12 XX XX

प्रश्न संख्या : 13 XX XX

<u>छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन एवं खपत</u>

14. (*क्र. 248) श्री अजीत जोगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में कितनी बिजली का उत्पादन हुआ और कितनी खपत रही है ? (ख) छत्तीसगढ़ द्वारा किन राज्यों को किस दर पर कितनी बिजली बेची जा रही है? (ग) क्या विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों का ऑडिट किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) विगत 03 वर्षों में छत्तीसगढ़ में स्टेट सेक्टर, सेन्ट्रल सेक्टर, निजी केप्टिव पॉवर प्लांट, निजी विद्युत उत्पादक, निजी बायोमॉस पॉवर प्लांट, निजी जल विद्युत संयंत्र एंव निजी सोलर पॉवर प्लांट से उत्पादित कुल बिजली की मात्रा 8,69,315.26 मिलियन यूनिट्स है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिसकी प्लांटवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्टेट सेक्टर के पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली के साथ-साथ सेन्ट्रल सेक्टर के एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. लिमिटेड एवं एटामिक एनर्जी कमिशन के पॉवर प्लांट्स, से राज्य को आवंटित बिजली, राज्य के बायोमॉस पावर प्लांट्स सोलर पॉवर प्लांट्स एवं निजी विद्युत उत्पादकों तथा पॉवर एक्सचेंज से क्रय की गई बिजली को सम्मिलित कर, राज्य के उपभोक्ताओं को, 74,648.85 मिलियन यूनिट बिजली की सप्लाई की गई, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं की खपत है. (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विगत 03 वर्षों में अन्य राज्यों को बेची गई बिजली की वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. (ग) जी हां. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा आडिट किया जाता है.

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के उत्तर से यह अच्छी सूचना प्राप्त हुई है कि अब हमारे प्रदेश में बहुत सरप्लस बिजली है और तदनुसार वह बेची भी जा रही है। मैं अभी दो दिन गांव का दौरा करके आया। जब राज्य में इतनी सरप्लस बिजली है तो गांव में और यहां तक कि कस्बों में पेंड्रा और गौरेला बड़े कस्बे हैं, मैं वहां भी था, वहां इतनी ज्यादा कटौती क्यों की जा रही है? जब हमारे पास सरप्लस बिजली है जो कि आपके उत्तर से स्पष्ट है तो क्या आप यहीं और इसी वक्त ये घोषणा करेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में गांव में, शहर में कहीं भी पहले अपने को देखिए ना, बाहर तब बेचें जब हमारी पूरी पूर्ति हो जाए, हमारे यहां क्यों घोषित और अघोषित कटौती की जा रही है? क्या आप इस पर विचार करके तत्काल गांव और शहर में जो भी कटौती है उसे बंद करेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की स्थिति जितनी है वह उत्तर में आ गया है। माननीय धनेन्द्र साहू जी ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने बताया कि केवल एक ही प्रदेश तेलंगाना को बेचा जा रहा है, उसके बाद मड़वा का जो एग्रीमेंट हुआ था, वहीं भर बिजली जा रही है, बाकी बचत बिजली कहीं नहीं बेची जा रही है। दूसरी बात जो विद्युत आपूर्ति की बात है जहां इस प्रकार से लोड शेडिंग के कारण से कहीं कोई बिजली कटौती होती है वह पीक अवर में बिजली की कटौती होती है, अन्यथा बिजली कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तब क्यों हो रही है? मैं वहां खुद दो दिन था छः-छः, सात-सात बार कटौती हो रही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है तो मैं उसका परीक्षण करवा लेता हूं और ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति हो यह सुनिश्चित करायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहती हूं कि जूनापारा में पांच साल से बिजली के खंभे लगे हुए हैं और उनमें बिजली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 16 ।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछना चाहते हैं, मैंने सोचा कि आप मुख्यमंत्री जी से संतुष्ट हो गये हैं।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, संतुष्ट कहां हुआ हूं।

श्री अजय चनद्राकर - संतुष्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। न प्रश्न में, न अंदर, न बाहर।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप पूछिए।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से आपके समय का नहीं बल्कि पहले के समय का पूछना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति थी कि तीन वर्ष में भी कि इसी राज्य में कभी बिजली बेची जाती थी और कभी बिजली खरीदी जाती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि यद्यपि ये आपके पहले के शासनकाल की बात है, ये आरोप हमेशा लगता रहा कि जब बिजली बेची गई तो 3 रूपये, 4 रूपये में बेची गई और जब बिजली खरीदी गई तो 8 और 9 रूपये में खरीदी गई। इस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगता था। क्या कृपया आप इस पूरे समय की जो बिजली बेची गई और जो बिजली खरीदी गई, उसमें जो इतना अंतर है कि तीन रूपये में बेचा और 9 रूपये में खरीदो इस भ्रष्टाचार की जांच करायेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली खरीदने और बेचने के अलग अलग समय में अलग अलग दर रहते हैं। 15-15 मिनट का स्लाट रहता है, उसमें कब आपके पास सरप्लस होगा।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपके समय का नहीं है, मैं पहले का बोल रहा हूं। उसकी तो जांच करा लो।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपके पास कोई तथ्य हो तो दे दीजिए, हम उसकी जांच करायेंगे लेकिन बिना तथ्य के कैसे जांच करायेंगे।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

प्रश्न संख्या 15 :   XX   XX

<u>बिलासपुर एवं मुंगेली जिले में संचालित ग्रामीण नल जल योजना</u>

16. (*क्र. 1435) श्री धरमलाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर व मुंगेली जिले में कौन-कौन से गांव में खारे पानी की समस्या

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है ? इन ग्रामों में खारे पानी की समस्या से निपटने हेतु क्या उपाय किए गये हैं ? (ख) मुंगेली व बिलासपुर जिले के अंतर्गत कितने ग्रामों में नल-जल योजना स्वीकृत व संचालित हैं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) बिलासपुर व मुंगेली जिले में खारे पानी की समस्या वाले ग्रामों तथा इन ग्रामों में खारे पानी की समस्या से निपटने हेतु किये गये उपाय की जानकारी ††[3] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. (ख) जिला मुंगेली के अंतर्गत 114 ग्रामों में नलजल योजना स्वीकृत है व 91 ग्रामों में नलजल योजना संचालित है. जिला बिलासपुर के अंतर्गत 269 ग्रामों में नलजल योजना स्वीकृत है व 223 ग्रामों में नलजल योजना संचालित है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुंगेली बिलासपुर जिले में खारे पानी को ले करके एक बड़ी समस्या है। उसमें गांव का नाम भी आपने बताया है। इसके कारण पेयजल की व्यवस्था को ले करके गांव वाले स्वाभाविक रूप से चिंतित रहते हैं। उसमें आपने ये कहा है कि हमने आरो प्लांट लगा दिया है लेकिन आरो प्लांट उसका स्थाई निदान नहीं है। क्योंकि गांव की जो आबादी है कहीं पर 3 हजार, 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार है। एक दो आरो प्लांट लगा देंगे तो उससे गांव के लोगों को पानी मिले और लंबे समय तक के लिए स्थाई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि वहां पर शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी में बारह मासी जल वहां पर भरा हुआ है। आपने बताया पूरे गांव एक साथ है, सारे गांव एक सरकिल में हैं, तो शिवनाथ नदी में संयंत्र लगा करके आने वाले समय में इन गांवों को पानी उपलब्ध करायेंगे क्या ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि नेता जी ने जानना चाहता था, वहां पर आरो प्लांट लगा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो निश्चित तौर पर जो अच्छी से अच्छी स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था होगी, वह हम करायेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो संकट सामने है वह स्पष्ट दिखाई दे रही है, उसका आप सर्वे करा लीजिए। सर्वे कराने के बाद में उसका अनुमानित खर्चा क्या है, उससे गांव वालों को कितना लाभ मिलेगा। यदि आप सर्वे कराने के निर्देश अधिकारियों को दे देंगे। एनीकट भी बना हुआ है, पानी भी वहां पर ठीक है। सर्वे करा करके आप उसको अभी से दिखवा लें, आने वाले समय में वह बजट में भी आ जायेगा। उसका स्थाई हल मिल जायेगा, पानी मिल जायेगा। आप सर्वे कराने के लिए आदेश करेंगे क्या ? निर्देशित करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---

[3] परिशिष्ट “आठ”

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर सर्वे करवा लेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नल जल योजना संचालित है, उसमें अभी बहुत सारे बंद हैं। गर्मी के समय में स्वाभाविक रूप से गांव वालों को दिक्कत आयेगी। ऐसे नल जल योजना जो बंद है और छोटे छोटे कारण से बंद हैं। कहीं पर उसका पैनल खराब है, कहीं पर एकात पाईप की आवश्यकता है या पंप की आवश्यकता है। उसको एक बार जो किरना गांव है और आस पास के भी गांव हैं। पूरे प्रदेश का भी है। आप उसको एक बार परीक्षण करवा लीजिए। जो नल जल योजना बंद है उसको यदि गर्मी आने के पहले ही मार्च में उसमें सुधार जो जाये और सारी योजना प्रारंभ हो जाये तो जो पेयजल की समस्या है और गांव की एक बड़ी समस्या है उससे निजात मिलेगी। क्या आप ये परीक्षण करायेंगे ? परीक्षण कराने के बाद जो बंद है उसको चालू करवायेंगे।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बंद होने के कई सारे कारण होते हैं। एक दो उसमें से आपने गिनाया है। टूटफूट हो जाने के कारण, कहीं पर जल स्त्रोत कम होने के कारण होता है। निश्चित रूप से हम दिखवायेंगे। हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं हमारी सरकार श्री भूपेश बघेल जी की सरकार और जब से मंत्री बने हैं। हमारी चिंता है कि हर स्तर पर, सिर्फ आपके ही जिले में नहीं, आपने दो जिले के बारे में बोले, आपने पूरे प्रदेश का बोला, मैंने सुना उस चीज को...।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, हर गांव में नल जल योजना खड़ी हुई है। उसमें जो पाईप लगाया गया है वह बहुत ही घटिया किस्म का पाईप लगा हुआ था। जैसे ही अगर नल जल पानी का शुरू करते हैं, पूरा पाईप ब्लास्ट हो जाता है और तितर बितर हो जाता है। उसके बाद वह सिर्फ शोभा के लिए पानी का टंकी लगा हुआ है। अगर आप थोड़ी सी मदद करें। अगर आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें। एक छोटा मोटा पैसा लगेगा, जो ग्राम पंचायतों के पास नहीं है। आप बोलेंगे ग्राम पंचायत बनाये तो कहां से बनायेंगे। इसलिए विभागीय रूप से पेयजल की समस्या से चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में, जहां भी नल जल योजना बंद पड़ी है। उसे शुरू कराने के लिए आप पहल करेंगे तो लोगों को पानी भी मिलेगा और उसकी मरम्मत भी हो जाएगी और इतनी लाखों रूपयों की राशि से बनी हुई चीज काम में आ जाएगी। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के लिए एक जनरल सर्क्युलर निकालिए कि जहां-जहां पानी टंकी बंद है, उसको कैसे शुरू किया जा सकता है, वह करेंगे क्या ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी वह तो मैं दिखवा लेता हूँ। अगर आपके पास पर्टीकूलर कुछ गांव का नाम आप उपलब्ध करवायेंगे तो वहां पर जांच बैठाकर, उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही...। आप मेरी बात सुन लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं जांच की मांग नहीं कर रहा हूँ।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय मंत्री जी आप सुनिए। एक मिनट। मैं यहां जांच-वांच की मांग करने नहीं आया हूँ। कई सालों पहले पानी टंकी बनी है, वह तो मर गया होगा, आप जिसके खिलाफ जांच करायेंगे। आप जिंदा लोगों की जांच चलने दीजिए, वही ठीक है। आपसे मेरा आग्रह ये है कि पानी टंकी जैसी बड़ी चीज बन चुकी है अगर थोड़े से पाईप वाईप लाईन बनाने से अच्छे से पेयजल मिले तो क्या तकलीफ है, आप वह कराईये ? मैं किसी के खिलाफ जांच-वांच की मांग करने नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप जो बिगड़ा है, उसे बनवा दीजिए। हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं, हमें अच्छा भी नहीं लगता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पूरे प्रदेश में जहां-जहां टंकी है, अपने विभाग से उसकी एक समीक्षात्मक रिपोर्ट मंगवा लीजिए।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी और साथ में ग्राम पंचायतों को 15 हजार रूपये मैनटेनेंस के लिए दिया जाता है। उसके अलावा अभी कई सारी जगहों में जैसे-जैसे टूट-फूट का सर्वे आया है तो वहां पर भी राशि उपलब्ध कराई गई है। आप उसके लिए निश्चिंत रहें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 17 । डॉ. विनय जायसवाल।

प्रश्न संख्या : 17 XX XX

<u>कांकेर वन वृत्त में नीलगिरी पौधों का क्रय</u>

18. (*क्र. 1002) श्री मोहन मरकाम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 460) दिनांक 03 अगस्त 2017 के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा विधानसभा में प्रकरण के परीक्षण किए जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त संबंध में परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई ? यदि हां, तो परीक्षण में कौन से तथ्य आए ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हां. उक्त संबंध में मुख्य वन संरक्षक कांकेर वन वृत्त के द्वारा परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है. परीक्षण में यह पाया गया है कि कांकेर वन वृत्त में वित्तीय वर्ष 2015-16 में सापरा इंटरनेशनल वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक लिमिटेड (महाराष्ट्र) फर्म से रुपये 732/- प्रति पौधा की दर से क्लोनल नीलगिरी पौधे का क्रय नहीं किया गया है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कांकेर वन वृत्त में क्लोनल नीलगिरी पौधे का क्रय से संबंधित प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। मैं आपके माध्यम से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खाद्य माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2015-2016 में कितनी क्लोनल नीलगिरी पौधे खरीदे गये और किस दर पर?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-2016 में कांकेर वन वृत्त वन मण्डल का नाम कांकेर पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव, नारायणपुर। पौधे खरीदी की दर है 5 रूपये, 20 पैसे, 6 रूपये, 86 पैसे, 6 रूपये, 85 पैसे, 5 रूपये, 30 पैसे, 4 रूपये, 30 पैसे और 6 रूपये, 80 पैसे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या टेण्डर प्रक्रियाओं का पालन किया गया? क्योंकि क्लोनल नीलगिरी पौधों के संबंध में जो आरोप लगे थे कि 732 रूपये में, जो महाराष्ट्र की फर्म से खरीदा गया था। आपने उत्तर में कहा है कि यह नहीं खरीदा गया है। क्या उसमें टेण्डर प्रक्रियाओं का पालन किया गया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टेण्डर का प्रकाशन दैनिक भास्कर 7.2.2015, उसके बाद अलग-अलग समाचार पत्रों के नाम है। 8.5.2015, 10.06.2015 ऐसे पूरे नाम हैं। टाईम्स ऑफ इण्डिया नई दिल्ली 10.06.2015, पत्रिका रायपुर 07.05.2015, टेण्डर प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया। मैं खुलने का दिनांक भी बता देता हूँ टेक्निकल पीट, फाईनेंशियल पीट, 29.05.2015 से अलग-अलग 15.06.2015, फाईनेंशियल पीट, 30.05.2015 से 16.06.2015।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर में ये जानकारी नहीं दी है कि कितने नग खरीदा गया? कितने नग क्लोनल नीलगिरी पौधे खरीदे गये? आपने अपने उत्तर में वह जानकारी नहीं दी है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन वृत्त का नाम कांकेर, क्लोनल 83.50 रोपित पौधों की संख्या, प्रति पौधा मान्य व्यय पौधे की टेण्डर दर, अंतर।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह नहीं पूछा। कितने नग क्लोनल नीलगिरी पौधे खरीदे गये? आपने दर तो बता दिया कि 4 रूपये, कुछ पैसे। मतलब कितने नग क्लोनल नीलगिरी पौधे खरीदे गये? वह आप नहीं बता पा रहे हैं।

अध्यक्षमहोदय :- चलिये, श्री शैलेष पाण्डे।

<u>अरपा साडा परियोजना बिलासपुर हेतु व्यय राशि</u>

19. (*क्र. 1166) श्री शैलेश पाण्डे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अरपा साडा परियोजना बिलासपुर में 25-01-2019 तक कितनी राशि खर्च की गई है ? (ख) क्या

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अरपा में पानी का संग्रहण प्रवाह निश्चित रखने बैराज और एनीकट निर्माण प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से अब तक कुल राशि रुपये 47113203.00 (चार करोड़ इकहत्तर लाख तेरह हजार दो सौ तीन रुपये) व्यय की गई है. (ख) अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रारूप पी.पी.पी. योजना में अरपा नदी में पानी संग्रहण प्रवाह निश्चित करने बैराज एवं एनिकट निर्माण शामिल किया गया है जिसकी अनुमानित लागत रुपये 142.40 करोड़ (एक सौ बयालीस करोड़ चालीस लाख) आंकी गई है.

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 9 सालों में 4 करोड़ इकहत्तर लाख से अधिक खर्च किये गये। ये किन चीजों में खर्च किये गये और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप 9 वर्षों में आज तक जो एनिकट और बैराज का डिमाण्ड था, वह क्यों नहीं पूरा किया गया। वह क्यों नहीं बनाया गया, ये मेरे दो प्रश्न हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- अ और ब। प्रश्न एक पूछिए अ और ब करके।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अ और ब।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2011-2012, वर्ष 2012-2013, वर्ष 2013-2014 और वर्ष 2014-2015 में अलग-अलग जो मद में खर्च किये गये हैं उसमें बैंक चार्जेस, अमानत राशि, वेतन पर खर्च, फर्नीचर क्रय, कंसलटेन्ट को भुगतान, विज्ञापन पर व्यय, आकस्मिक व्यय, स्टेशनरी व्यय, अमानत वापसी, कम्पयूटर क्रय ये इनके मद हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरपा साडा द्वारा नदी में पानी के संगम प्रवाह को रोकने हेतु दौ बैराज क्रमश: राशि 140 करोड़ एवं एनीकट 2.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो निर्मित हुए हैं, उसका विवरण- प्रथम बैराज सिंचाई विभाग पूर्ण में देवरीखुर्द में निर्माण किया जा चुका है जिसमें 1.50 मीटर गहराई तक पानी अपोलो ब्रिज तक संग्रहित रहेगा। धीती बैराज अपोलो ब्रिज के 500 मीटर आगे प्रस्तावित है जिसमें 1.50 मीटर गहराई तक पानी इन्द्रसेतु तक संग्रहित रहेगा। तृतीय बैराज इन्द्रसेतु के 500 मीटर आगे प्रस्तावित है जिसमें 1.50 मीटर गहराई तक पानी बिलासा ताल तक संग्रहित रहेगा।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। प्रश्न क्रमांक- 20 श्री नारायण चंदेल।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>जांजगीर चांपा जिले के विकासखण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों में संचालित जल आवर्धन योजना</u>

20. (*क्र. 789) श्री नारायण चंदेल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के किस-किस विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जल आवर्धन योजना संचालित हैं ? (ख) जिले में संचालित नल-जल योजना कहां-कहां बंद एवं किन-किन स्थानों पर चालू हालत में संचालित हैं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के विकासखंड बम्हनीडीह, अकलतरा एवं पामगढ़ के 12 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं जिले के 02 नगर पालिका परिषद में एवं 09 नगर पंचायतों सहित कुल 23 जल आवर्धन योजना संचालित है. योजनावार जानकारी †[4] संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित अनुसार है. (ख) जिले में संचालित नलजल योजना के चालू एवं बंद होने की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित अनुसार है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिले में इतनी नलजल योजना चालू है और बंद है। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा पूछना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय जांजगीर नैला की नल जल योजना वर्षों से बंद है और पूरी गर्मी में वहां भीषण पानी की किल्लत होती है। ग्राम सेमरा, पौना, साकर, खटोला, बिरगहनी, पिपरसत्ती, मुड़पार, जिला मुख्यालय जांजगीर नैला, पेण्ड्री, जांजगीर, सिंवनी नैला इन सब गावों में नलजल योजना बंद है। एक तो नलजल योजना क्यों बंद है और उसको कब तक आप प्रारंभ करा देंगे?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे तरीके से बंद नहीं है, कुछ-कुछ वार्ड में पाईपलाईन फूट जाने के कारण मरम्मत कार्य चल रहे हैं तो वह जल्द से जल्द शुरू हो जायेगा तो आपको पानी मिल जायेगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर पानी टंकी बन गई है तो पाईपलाईन नहीं बिछी है, कहीं पाईपलाईन बिछ गई है तो पानी की टंकी नहीं बनी है और कहीं दोनों हो गया है तो विद्युत का कनेक्शन नहीं है। इसलिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। नलजल योजना का आशय यह होता है कि लोगों को पानी मिले। मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि लोगों को पानी कब तक मिल जायेगा ?

श्री गुरू रूद्रकुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां अधूरे कार्य बचे हैं, उनको पूर्ण करके आपको 4 महीने में मिल जायेगा।

प्रश्न संख्या : 21 XX XX

[4] परिशिष्ट "दस"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रायपुर जिलांतर्गत ध्वनि प्रदूषण की प्राप्त शिकायतें

22. (*क्र. 1173) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले के अंतर्गत दिसम्बर, 2016 से माह जनवरी, 2019 तक ध्वनि प्रदूषण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : रायपुर जिले के अंतर्गत दिसम्बर, 2016 से माह जनवरी 2019 तक की अवधि में 19 शिकायतें प्राप्त हुई है. प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न[5] है.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता, अब क्या पूछें, बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 23 श्री लखेश्वर बघेल।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की संवेदना सत्तू भैया के साथ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वैसे आयेंगे कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल को आज तक देखो नहीं हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैया, पूरे सदन की संवेदना आपके साथ है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- सब कुछ आपके कार्यकाल का पूछा जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूरे 25 प्रश्न तक ले जा सकते हैं, लेकिन आज जो ले गये हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 21, 22 में पहुंच गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-23 चल रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- प्रश्न 23 तक पहुंच गये हैं और प्रश्न जल्दी करें तो आप आगे बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी धन्यवाद दे दीजिए।

---

[5] † परिशिष्ट -"गयारह"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बस्तर जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण

23. (*क्र. 504) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2015 से जनवरी, 19 के मध्य अवैध खनिज उत्खनन के कितने प्रकरण दर्ज किए गये हैं ? (ख) प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या अवैध खनिज सहित परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों की भी जप्ती की गई है ? यदि हां, तो कितने प्ररकणों में ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बस्तर जिले में वर्ष 2015 से जनवरी, 2019 तक अवैध उत्खनन के कुल 51 प्रकरण दर्ज किये गये है. (ख) उपरोक्त अवधि में अवैध उत्खनन के दर्ज 51 प्रकरणों में से 40 प्रकरणों में कुल 26 लाख 27 हजार 194 रुपये समझौता राशि वसूल की गई है तथा शेष 11 प्रकरण में अर्थदण्ड राशि की वसूली प्रक्रियाधीन है. (ग) जी हां. उपरोक्त अवधि में अवैध खनिज परिवहन के दर्ज 719 प्रकरणों में प्रयुक्त वाहनों को खनिज सहित जप्त किया गया.

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि शेष 11 प्रकरण में अर्थदण्ड राशि की वसूली प्रक्रियाधीन है, वह तक वसूली हो जायेगी, उसकी तारीख बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- वह प्रक्रियाधीन है और जल्दी वसूली करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 नंबर प्रश्न पर भी पहुंचे तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो, उसको 25 ही माना जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

समय :

12:00 बजे

जन्मदिवस की बधाई

श्रीमती अनिला भेडिया, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री

अध्यक्ष महोदय :- आज श्रीमती अनिला भेडिया जी का जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं । उनके सुखमय, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी तरफ से पार्टी भी होनी चाहिए । वे मंत्री भी बन गयी हैं, उनका जन्मदिन भी है, आज पूरे सदन को आपकी ओर से पार्टी होनी चाहिए ।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **वर्ष 2018-19 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2018-19 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री, श्री कवासी लखमा जी के अनुरोध पर उनके द्वारा आज की कार्यसूची में पद क्रमांक-2 में उल्लेखित प्रतिवेदन को सदन में पटल पर रखे जाने हेतु मैंने श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री जी को अनुमति प्रदान की है । माननीय अकबर जी ।

(2) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पृच्छा

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23 फरवरी को आरंग में एक रेस्ट हाऊस का उद्घाटन कार्यक्रम था, वहां के तत्कालीन विधायक, पूर्व विधायक श्री नवीन मारकण्डेय जी ने वहां के जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में मंत्री हैं उनको बताने की कोशिश की कि इसका उद्घाटन हो चुका है और वास्तव में उद्घाटन हो चुका था, कुछ अधिकारी चापलूसी के कारण उसका फिर से उद्घाटन करने का कार्यक्रम बनाये और उन्होंने केवल वस्तुस्थिति बताने की कोशिश की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वे इस सदन के पूर्व सदस्य था उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बिना किसी कारणों से 5 घंटे बिठाकर रखा गया और संपर्क करने की कोशिश की गयी तो संपर्क नहीं करने दिया गया, दुर्व्यवहार किया गया । आज भी उन्होंने इस संबंध में धरना-प्रदर्शन जब आयोजित किया है तो आज भी उनको धमकी-चमकी दी जा रही है, हमने जो पहले दिन स्थगन रखा था कि लोगों के ऊपर इस तरह के अत्याचार की घटनायें बढ़ रही हैं, इसमें निरंतरता आ रही है । हमने आपको ध्यानाकर्षण, स्थगन की सूचना दी है और वे जनप्रतिनिधि रहे हैं, इस घटना की जांच की चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए और इस तरह के कृत्यों पर कि सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने की जो तौर-तरीके अपनाकर और जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने की जो कोशिश हो रही है उस पर लगाम लगाया जाना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमने ध्यानाकर्षण-स्थगन दिया है उस पर तत्काल आप स्वीकृति देकर चर्चा करवाने का कष्ट करें।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल की सूचना पर बोल रहा हूं । एक-तरफ माननीय मंत्री जी जिस रेस्ट हाऊस का उद्घाटन हो चुका है, उसका उद्घाटन करने में लगे हैं वहीं दूसरी ओर उनके स्वयं के विधानसभा क्षेत्र के चोरभट्टी गांव के 47 मजदूरों को उत्तर प्रदेश में बंधक बना लिया गया है और उनके बंधक बनाये जाने की सूचना ग्राम चोरभट्ठी के सरपंच ने जनपद पंचायत के सी.ओ. को, जिले के कलेक्टर को 21 तारीख को दी है । 47 मजदूर बंधक हैं, आज तक उनको छुड़ाने की कोई कार्यवाही नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से उसके लिये कोई पहल नहीं की गयी । उस 47 में 17 नाबालिग बच्चे हैं और यह शर्म की बात है कि मंत्री जी जिस भवन का उद्घाटन हो चुका है उस भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और अपने क्षेत्र के लोग जिनको बंधक बनाया गया है उसके लिये मंत्री जी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इस पर हमने ध्यानाकर्षण दिया है, ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आज का ध्यानाकर्षण पढ़िए ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश के लिये गंभीर विषय है कि जिन-जिन भवनों का उद्घाटन पहले हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- इस बात को तो कह दिया है, आप उसी बात को फिर से क्यों कह रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर हम सब लोगों ने ध्यानाकर्षण-स्थगन दिया है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मारपीट तो न करें । आप उद्‍घाटन करने के लिये चल दें लेकिन मारपीट तो न करें । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- लेकिन दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उन्होंने कह दिया है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- पुलिस द्‍वारा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं भूमिपूजन, उद्‍घाटन करने का शौक है तो नया काम कीजिये न और नये काम का भूमिपूजन और उद्‍घाटन करिये । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कोई जनप्रतिनिधि, वे वहां के सम्मानित विधायक हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजनीति गलत दिशा में जा रही है । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, यदि कोई जनप्रतिनिधि, जो कि वहां के सम्मानित विधायक रहे हैं । विधायक रहे हैं, नवीन मारकंडेय जी ।

श्री नारायण चंदेल :- राजनीति गलत दिशा में जा रही है अध्यक्ष महोदय ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उनको लगा कि शायद मंत्री जी को मालूम नहीं है, अधिकारियों ने बता दिया होगा इसलिए उद्‍घाटन करने जा रहे हैं । क्या जो जनप्रतिनिधि रहा है उसे सम्मानित मंत्री को बताने का अधिकार नहीं है । यदि वे बताने जाएं तो पुलिस के द्‍वारा उन पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए, उन्हें बात करने का अवसर न दिया जाए । इस प्रकार की जो परम्परा डाल रहे हैं वह ठीक नहीं है । ये जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की कार्रवाई करना सरकार के लिए ठीक नहीं है । अपने क्षेत्र का मामला है, वे भी सम्मानित विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में उद्‍घाटन हुआ है यदि वह बताने के लिए गए तो उन्होंने कौन सा गुनाह किया जिसके लिए उन्हें 6 घंटे बैठाकर रखा गया । इस विषय पर स्थगन दिया गया है । आप सारी कार्यवाही रोककर उस पर चर्चा करवाइए । हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, हम इस पर सारे तथ्यों को रखेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- ये गलत परिपाटी है, नहीं बननी चाहिए, इस पर चर्चा करा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी ध्यानाकर्षण पढ़ेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:06 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) **नांदघाट (लिमतरा) से भाटापारा बलौदाबाजार मार्ग के निर्माण में अनियमितता.**

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा), श्री नारायण चंदेल, श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदचय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- नांदघाट(लिमतरा) से भाटापारा बलौदाबाजार मार्ग (राजकीय राजमार्ग क्रमांक 10) का निर्माण एडीबी द्वारा कराया गया है । कार्य लगभग 3 से 4 माह पूर्व पूर्ण हो चुका है, किंतु कार्य में गुणवत्ता की स्थिति ऐसी है कि भाटापारा से बलौदाबाजार के मध्य ग्राम खपराडीह से खैरी लगभग 2 किलोमीटर, ग्राम खम्हरिया के पास लगभग 1.5 किलोमीटर, ग्राम रवान से बलौदाबाजार तक लगभग 3 किलोमीटर इस प्रकार लगभग 6 से 7 किलोमीटर सड़क पर जहां गाड़ियों का टायर चलता है, वह स्थान धस गया है । जहां एक ओर सड़क धस रही है, वहीं रोड के समीप निर्मित नाली के ऊपर गुणवत्ताविहीन कव्हर्ड (सीमेंट स्लैब) किया गया है । मुख्य मार्ग में जहां नाली क्रॉस कर गाड़ियां दूसरे रोड में जाती हैं, वहां कव्हर्ड टूट रहा है । उक्त मुख्य मार्ग से जो अन्य सड़कें आकर जुड़ी हैं, वहां बहुत सी सड़कों से आने-जाने के लिये रैंप नहीं बनाया गया है तथा उक्त सड़कों में पानी के निकास की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके कारण ऊंचाई कम होने से पानी भरा रहता है । भाटापारा शहर के मुख्य तिराहे (तहसील चौक तिराहा) में नाली का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । अधूरे और गुणवत्ताहीन कार्य से लोगों को परेशानी हो रही है । इससे शासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि नांदघाट भाटापारा बलौदाबाजार मार्ग का निर्माण एडीबी योजना अंतर्गत कराया गया है । यह कार्य पूर्ण हो चुका है ।

यह सही है कि इस मार्ग के मध्य ग्राम खपराडीह से खैरी एवं ग्राम खम्हरिया के पास तथा ग्राम रवान से बलौदाबाजार के मध्य मार्ग के बांयी ओर लेन एवं दाहिनी ओर लेन मिलाककर लगभग 9 किलोमीटर लम्बाई पर जहां पर गाड़ी का पहिया चलता है वहां पर सड़क सिंकिंग परिलक्षित हुई है ।

सड़क सिंकिंग की जानकारी पहली बार जून 2017 में हुई थी, इसकी जांच निर्माण एवं पर्यवेक्षण सलाहकार के इंजीनियरों एवं विभागीय इंजीनियरों द्वारा की गई । जांच में निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता, सड़क निर्माण की मोटाई एवं काम्पेक्शन सभी गुणवत्तायुक्त पाई गई । तत्समय सड़क सिंकिंग से क्षतिग्रस्त लंबाई का सुधार कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्ष 2018 में पुन: गाड़ी के पहिये के स्थान पर अलग-अलग हिस्सों में सड़क पर सिंकिंग परिलक्षित हुई । दोबारा ऐसा होने पर मार्ग के लिए नियुक्त निर्माण एवं पर्यवेक्षण सलाहकार की सलाह पर इसके कारणों का तकनीकी विश्लेषण किये जाने एवं सुधार हेतु आवश्यक उपाय बताने के लिए विशेषज्ञ संस्थान द्वारा परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है । यह कार्यवाही की जा रही है ।

निर्मित नाली के ऊपर कव्हर स्लैब सभी स्थानों पर सुरक्षित है, केवल 1 स्थान, भाटापारा लिंक रोड से दाहिनी ओर बीडीओ ऑफिस पहुंच मार्ग की तरफ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था । जिसे निर्माण एजेंसी द्वारा सुधार किया जा चुका है। मुख्य सड़क से जुड़ने वाले मार्गों पर आवश्यकतानुसार सुविधाजनक रैम्प का निर्माण किया गया है ।

भाटापारा शहर के मुख्य तिराहे (तहसील चौक तिराहा) में लिंक रोड के दोनों तरफ नाली का निर्माण किया गया है । आगे की निकासी कच्ची नाली द्वारा पूर्व से ही प्रावधानित है ।

मार्ग के पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य पूर्ण होने के उपरांत जन सामान्य को आवागमन में सुविधा हुई है तथा शासन के प्रति कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

समय :
12:10 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि लगभग 9 किलोमीटर में सिंकिंग हुई है। मैंने अपने ध्यानाकर्षण को जो मूल कॉपी में जमा किया था, उसमें मैंने छत्तीसगढ़ी शब्द का उपयोग किया था कि खोलदावन की स्थिति हो गई है। सिंकिंग और खुलदावन में बड़ा अंतर होता है। माने जिस स्थान पर आपका टायर पड़ता है, वह जो सड़क धस रही है, वह 9 इंच से 12 इंच तक धस चुकी है एक फीट तक और आपने इसे स्वीकार किया है मतलब कहीं न कहीं गुणवत्ता में कमी है, इसके चलते ही 9 किलोमीटर की सड़क खराब हो रही है। दूसरा, आपने स्वयं के उत्तर में स्वीकार किया है कि बी.डी.ओ. ऑफिस जाने वाला रास्ता टूटा है और उसको निर्माण एजेंसी ने निर्माण कराया है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पहला प्रश्न यह करना चाहता हूं कि इस रोड पर जो जंक्शन है और जंक्शन के ऊपर जो स्लेब डालना था, उस स्लेब का मापदंड क्या होना चाहिए था और वर्तमान में किस मापदंड में डाला गया था? यह आप बता दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- कौन से स्लेब के विषय में आप जानकारी चाह रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- जहां आपने कवर्ड किया है। जहां रोड क्रॉस होती है। जंक्शन जो है वहां से हेवी वाहन चलते हैं। तो वहां जो स्लेब डलना था नाली के ऊपर, वह किस मापदंड का डलना था और वर्तमान में किस मापदंड का डला है?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति जी, नाली के ऊपर स्लेब ढालने का प्रश्न तो माननीय सदस्य ने किया ही नहीं है। नाली के ऊपर कवर के स्लेब का प्रश्न किया है, जिसकी जानकारी मैंने दी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं वही तो पूछ रहा हूं। नाली कवर्ड की गई। गाड़ियां आती हैं। वह कवर्ड बार-बार टूटता है। मेरा प्रश्न यही है कि आपने जो कवर्ड किया है। मापदंड के हिसाब से जो स्लेब उस नाली के ऊपर डाला गया, जंक्शन के स्थान पर, उसका क्या प्रावधान होना चाहिए था और अभी जो डाला गया है, वह किस प्रकार का है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति जी, नाली के ऊपर जो गाड़ी आना-जाना होता है, उसके स्लेब पर कोई प्रश्न नहीं था। नाली के ऊपर जो स्लेब कवर किया गया है, स्लेब उसका था। पर माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 15 सेंटीमीटर मोटा स्लेब होना चाहिए मापदंड और वही डला हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई प्रश्न नहीं था। मैं अपना जो ध्यानाकर्षण का विषय है, आपके सामने फिर से पढ़ देता हूं। जहां एक ओर सड़क धस रही है वहीं रोड के समीप निर्मित नाली के ऊपर गुणवत्ताविहीन कवर्ड किया गया है। मुख्य मांर्ग में जहां नाली क्रास कर गाड़ियां दूसरे रोड में जाती हैं, वहां कवर्ड टूट रहा है। मेरे ध्यानाकर्षण में बहुत स्पष्ट है कि जहां से गाड़ियां क्रॉस करती हैं, वह कवर्ड टूट रहा है। आपने कहा कि 15 इंच का 15 सेंटीमीटर का डाला जाना चाहिए। एक बार इसको चेक करवाएंगे। आप चेक करवा लीजिए। यह गुणवत्ताविहीन नहीं है। दूसरा माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 9 किलोमीटर की सड़क धस रही है और इनने 2018 में सड़क धसने का स्वीकार किया और विशेषज्ञ संस्थान द्वारा परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यह विशेषज्ञ संस्थान द्वारा परीक्षण कराये जाने का निर्णय आपने कब लिया है ? कौन विशेषज्ञ संस्थान आयेगा? कौन-कौन आयेंगे और कब तक करा लेंगे यह बता दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि 2017 में जब परिलक्षित हुई तो उसको अपने यहां के जो कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं, उसके द्वारा उसको बताया गया और ठेकेदार के खर्चे से कराया गया और जब पुन: दिखाई दिया तो सलाहकारों से सलाह लिया गया कि इसको उच्च केन्द्र जो दिल्ली से होता है। वहां जो तकनीकी सलाहकार होते हैं, उनसे हम जांच कराएंगे और उसको पत्र भेज दिया गया है। उनको जो जानकारी या राशि देनी होती है, वह भी आ गया है और उसके बाद वह संभावित मार्च के महीने में मैं आपको बता दूं, निर्माण एवं पर्यवेक्षण सलाहकार तथा विभागीय अभियंताओं की जांच के दौरान मार्ग की मोटाई काम्प्रेक्शन सही पाया गया था। जैसा मैंने पहले कहा फिर भी मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसलिए कंसलटेंट की अनुशंसा पर तकनीकी मार्गदर्शन देने एवं सुधार हेतु उपाय प्रस्तावित करने हेतु, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संस्थान, नई दिल्ली को दिनांक 26.11.2018 को पत्र लिखा गया है। हमारे पत्र लिखने के बाद उनका पत्र आया है, उनके द्वारा आने सहमति दे दी गई है। उनके द्वारा डिमाण्ड नोट दिया गया है, हम लोगों ने 34 लाख 80 हजार रूपये उनका जो फीस लगेगा, वह जमा कर दिया गया है। संभावित तिथि, मार्च महीने में आयेंगे। वे निगरानी करेंगे, देखेंगे। माननीय सभापति जी, जैसा कि सदस्य की चिंता है, उनके निरीक्षण करने के बाद, वे जैसी जानकारी देंगे, हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय नारायण चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी,...।

सभापति महोदय :- आप काफी प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, दो ही प्रश्न हुए हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है। 122 करोड़ रूपये का काम है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य को अधिक से अधिक तीन प्रश्न पूछने चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक अंतिम प्रश्न। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातें लिखी हैं। भाटापारा शहार के मुख्य तिहारे से तहसील चौक तिराहा और लिंक रोड के दोनों तरफ नाली का निर्माण कर दिया गया है। वहीं आपने लिखा है कि निर्माण एजेंसी द्वारा मुख्य मार्ग से जुड़ने वाले मार्गों की आवश्यकतानुसार, सुविधानुसार रैम्प का निर्माण कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपको चुनौती नहीं दे रहा हूँ। आपने अधिकारियों के कहने से उत्तर में लिख दिया कि तहसील तिहारे के नाली का निर्माण हो गया है। आज आप किसी को भी भेज दीजिये और चेक करवा लीजिये कि तहसील तिहारे की नाली का निर्माण हुआ है क्या ? एक बात। दूसरी बात, आपने लिख दिया कि सारे मुख्य मार्गों का रैम्प तैयार कर दिया गया है। तरेंगा के रोड पर रैम्प तैयार नहीं हुआ है। हाऊसिंग बोर्ड कालोनी पर रैम्प तैयार नहीं हुआ है। ऐसे कई स्थान हैं, जहां रैम्प बनना था, वहां रैम्प नहीं बना है। मैंने स्वयं आपके विभाग के अधिकारी ई0ई0 को ले जाकर छ:महीने घुमाया है, उसके बाद भी काम नहीं हुआ है। मैं आपको जो स्थान बता रहा हूँ , इसकी जांच कराकर के जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति जी, मेरी किसी भी अधिकारी को बचाने की मंशा नहीं है। मैं भी चाहता हूं, आपकी जो चिंता है कि सरकार के पैसे का सदुपयोग हो, काम ठीक हो, गुणवत्ता पूर्ण हो, कहीं पर कोई गलती न हो, हमारी भी मंशा है। इसलिए आप जहां-जहां कह रहे हैं कि रैम्प नहीं बना है या नाली नहीं बना है, बात सदन में आ गयी है, मैं इसको ले लेता हूँ और उसको तत्काल दिखवा लेता हूँ। अगर गलत जानकारी देना पाया गया तो कार्रवाई भी निश्चित की जायेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, जो मैंने बताया, बाकी निर्माण कार्य तो करायेंगे न ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, जो हमारे प्रावधान में होगा और वह नहीं हुआ होगा तो निश्चित कराया जायेगा। जो प्रावधान में नहीं होगा, अगर माननीय सदस्य की चिंता है, जनता की आवश्यकता है, वह बतायेंगे तो प्रावधान में होगा तो करायेंगे। अगर नहीं होगा तो दूसरे मद से लेंगे। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय सभापति महोदय, यह घटिया निर्माण का मामला है। इसमें नाली का निर्माण किया गया है। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नाली का जो निर्माण होता है, वह ढाल किधर रहेगा, उस हिसाब से होता है। कई बार नाली का निर्माण ऐसा कर देते हैं कि उसमें ढाल का पता नहीं रहता है इसलिए पानी का रिसाव होता है। तो इस मार्ग पर जो नाली का निर्माण किया गया है, वह क्या टोपो सीट के आधार पर किया गया है ?, प्रश्न क्रमांक-1। माननीय सभापति जी, प्रश्न क्रमांक-2 कि इस कार्य का जो इस्टीमेट है, जो प्राक्कलन है, उसके अनुसार कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जांच स्थानीय विधायक की उपस्थिति में करायेंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति जी, नाली के निर्माण में टोपो सीट वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। गांव में जो लोग रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि पानी का बहाव किधर है। जब वह कार्य होता है तो बराबर हमारे ठेकेदार और उनके जो लेबर होते हैं, वे मिलाकर देखते हैं कि ढलान किधर है। ढलान के हिसाब से पानी का निर्माण होता है। उसमें कहीं कोई खराबी या कमी नहीं की गई है। दूसरा जो माननीय सदस्य जी ने कहा है, आपका दूसरा प्रश्न क्या है ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, जो प्राक्कलन उस कार्य का है...।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, प्राक्कलन के हिसाब से काम का दूसरा प्रश्न है..।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, नहीं । काम का नहीं, जो प्राक्कलन इस्टीमेट में है कि यह काम 122 करोड़ का है, निर्माण कार्य घटिया हुआ है, टेण्डर के मानक के अनुसार नहीं हुआ है तो क्या स्थानीय विधायक की उपस्थिति में इसकी सम्पूर्ण जांच कराएंगे क्या ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि निर्माण घटिया हुआ है, ऐसा नहीं है । वह किस कारण से टूट रहा है, तकनीकी सलाहकार से हम उसकी जानकारी लेंगे, हम बुला रहे हैं, वे दिल्ली से आएंगे, फिर उसके बाद उसको ठीक किया जायेगा । जब कारण का पता चल जायेगा तो मैं जानकारी भी दे दूंगा । अब निरीक्षण का सवाल रहा तो ऐसी कोई बात आएगी तो जरूर करवा लेंगे, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है कि विधायक या समिति के द्वारा निरीक्षण कराई जाए। पहले तकनीकी जानकार से निरीक्षण करा लेते हैं, फिर बाकी काम कर लेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदय, आपने उत्तर में दो जगह यह स्वीकार किया है कि सिंकिंग की जानकारी हुई । आपने लिखा है कि जांच पर्यवेक्षण सलाहकार एवं विभागीय इंजीनियरों के द्वारा 2017 में जांच की गई, फिर 2018 में जांच की गई । आपके पर्यवेक्षण सलाहकार ने 2017 में सिंकिंग के क्या-क्या कारण बताएं और विभागीय इंजीनियरों ने दोनों जगहों पर सिंकिंग होने के क्या-क्या कारण बताए ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, जब पहली बार 2017 में जांच में आया, तब हमारे यहां के मार्ग के लिए जो निर्माण एवं पर्यवेक्षण सलाहकार और इंजीनियर नियुक्त थे, उन लोगों ने जांच में उसका कोई कारण नहीं बता पाये, लेकिन जो काम्पेक्शन था, जो सामग्री थी, उसको सही पाया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जब कोई कारण नहीं बता पाये तो फिर आपने किस आधार पर, कौन सी रिपोर्ट में, कौन से कारण से भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान् को निर्देशित किया, जब आपके विभाग को यह नहीं मालूम तो आपने क्या बिन्दु तय किये, जब आपके जांचकर्ताओं को कोई कारण नहीं मिल रहा है तो वे किस बिन्दु पर जांच करेंगे, आपने किन बिन्दुओं पर भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान् को कार्यवाही करने के लिए या जांच करने के लिए कहा है ? ये मेरा पहला ही प्रश्न है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, चन्द्राकर जी, विद्वान सदस्य हैं, पहली बार तो उन सबको मुझे बधाई देना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप हमेशा बधाई लीजिए और कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप-प्रत्यारोप पर बधाई देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए । पहली बार तो ध्यानाकर्षण में मंत्री जी लिखकर बोल रहे हैं कि यह सही है । अन्य ध्यानाकर्षण में यह सही नहीं है, करके उत्तर शुरू करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपको उसके लिए बधाई ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, जब 2017 में पहली बार सिंकिंग का पता चला तो सारी सामग्री की गुणवत्ता, मोटाई, काम्पेक्शन सब सही पाया गया तो ये कारण माना गया कि चूंकि रायपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन है और राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिकांश गाड़िया इस मार्ग में डायवर्ट हो गई हैं, इसका उपयोग किया जा रहा है और ओव्हरलोडेड गाड़ियां जो चल रही हैं..।

(माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा के खड़ा होने पर)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आपने कितने प्रश्न पूछ लिये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, मंत्री जी, आप गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि रायगढ़ की गाड़ी बलौदाबाजार-भाटापारा मार्ग में कभी भी डायवर्ट नहीं होती ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, हो सकता है कि कुछ गाड़ियां उधर गई हों, इधर बिल्कुल नहीं आई हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो उसके कारण ये माना गया कि उस कारण से हो सकता है, लेकिन जब दोबारा हुआ, जैसा कि आपकी चिन्ता है इसीलिए उस पर विश्वास नहीं करके दिल्ली से कंसलटेंट और अधिकारियों को बुलाने का निर्णय हम लोगों ने लिया और इसी कारण से निर्णय लिया गया कि उच्च स्तरीय अधिकारीगण आयें, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान् के अधिकारी आएं और उसकी जांच करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा है कि आपने किस-किस विषय पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान् से आपने जांच की मांग की है, आपने क्या पत्र भेजा है, जिसके लिए आप 34 लाख रूपया पटाएंगे ? वह बिन्दु बताईए, यह मैंने आपसे कहा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, सिंकिंग एक शब्द है..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि आपके अधिकारी सिंकिंग का पता नहीं लगा पाये तो आपने उसको लिखा तो किस-किस मुद्दे पर जांच के लिए उनसे आग्रह किया, मैं ये पूछ रहा हूं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सिंकिंग ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सिंकिंग के कारण क्या थे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, सिंकिंग में जितने आ जाएं, मटेरियल खराब है, मोटाई कम है, मिट्टी खराब है, सिंकिंग क्यों हुआ? वे बताएंगे न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने एक ही प्रश्न किया है, आपसे संरक्षण चाहूंगा...।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, सिंकिंग क्यों हुआ, उसकी जांच करके वे बताएंगे इसलिए बुला रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या उस सड़क के जो 122 करोड़ के एडीबी के मापदण्ड थे, वे निर्माण कार्य पूरे हो गए, पूरे निर्माण कार्य करा लिए गए या उसमें कोई निर्माण कार्य बाकी हैं और यदि बाकी हैं तो कौन-कौन से बाकी हैं, इतना बता दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति जी, प्रश्न है सिंकिंग का, और निर्माण कार्य पूरा हुआ, कौन सा बचा, इसका है नहीं । माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । हस्तान्तरण हो चुका है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ..।

श्री ताम्रध्वज साहू :- पहले मेरी बात तो सुन लीजिए आप ।

सभापति महोदय :- पहले बात सुनिये । माननीय शर्मा जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जरा सुनिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- चलिये, बोल लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैंने अपने ध्यानाकर्षण में स्पष्ट लिखा है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न चल रहा था । आप उत्तर दे दीजिए । आपने कहा, माननीय क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि इसकी कांस्टिटयूऐंसी की यह सड़क है, उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा, चुनौतीपूर्वक नहीं कहा कि रैम्प और नाली, जो उल्लिखित है, वह नहीं बना है और आपने कहा कि उसको दिखवा लूंगा । आप कह रहे हैं, उसी का उत्तर देने मैंने कहा तो आपने कहा उदभूत नहीं हो रहा है । इसके पहले आपने उत्तर दिया था, मैंने कहा कि सही कौन सा है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्मानीय सभापति जी, कार्य पूरा होने के बाद हस्तान्तरण हुआ है, उसमें जो टर्म्स और कंडीशन रहता है, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि जो काम बचा होगा, उसको वह पूरा करेगा । यह उसमें स्पष्ट लिखा रहता है । इसलिए अगर कोई छूटा हो तो माननीय सदस्य बतायेंगे...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अगर कोई छूटा हो बोल रहे हैं तो क्या बतायेंगे, माननीय सभापति महोदय । चलिये, आगे बढ़ते हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय डॉ. प्रीतम राम । बृहस्पत सिंह जी । माननीय पारसनाथ राजवाड़े ।

(2) <u>जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अम्बिकापुर के निर्वाचित अध्यक्ष को हटाया जाना ।</u>

श्री पारसनाथ राजवाड़े (भटगांव) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है-

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अम्बिकापुर के निर्वाचित अध्यक्ष को बहुमत की तथा विधि-विधान की घोर उपेक्षा कर दिनांक 3 मई, 2018 को हटा दिया गया, ऐसे अवैधानिक कार्य करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के बजाय विभाग द्वारा उसे पदोन्नत करके मुख्यालय में पदस्थ कर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिया गया है । संयुक्त पंजीयक, सहकारिता सरगुजा ने अपने ही आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2018 के पालन में बुलवाई गई संचालक मंडल, सहकारिता बैंक की बैठक को एक दिन पहले कराकर स्वयं उस बैठक में उपस्थित रहकर कोरम के बिना ही अध्यक्ष को पद से हटाने का निर्णय कराया, जो अपने आप में एक अद्‌वितीय घटना है । उक्त घटना ने पूरे राज्य के सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को झक झोर कर रख दिया है । ऐसे अधिकारी के विरूद्‌ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये । अवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही न किए जाने से आम जनता में असंतोष व्याप्त है ।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- सभापति महोदय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के संबंध में तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा के पत्र दिनांक 02.04.2018 के अनुसार बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्‌वारा संचालक मंडल की बैठक दिनांक 04.05.2018 को आहूत की गई थी, परंतु संचालक मंडल की बैठक दिनांक 03.05.2018 को आयोजित की गई । इस बैठक में संचालक मंडल द्‌वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 53-ख 1 के तहत श्री रामदेव राम को अध्यक्ष पद से तीन वर्ष के लिए निरर्हित करने का निर्णय पारित किया गया । संचालक मंडल की उक्त बैठक में तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सरगुजा एक सदस्य के रूप में उपस्थित थे । तत्पश्चात बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्‌वारा अधिनियम की धारा 53-ख 1 के तहत श्री रामदेव राम को अध्यक्ष पद से तीन वर्ष के लिए निरर्हित करने का आदेश दिनांक 03.05.2018 को जारी किया गया । बैंक का मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचालक मंडल का पदेन सचिव होता है तथा उनका दायित्व संचालक मंडल की बैठक आयोजित करना, पारित निर्णय को लिपिबद्‌ध करना तथा उसे कार्यान्वित करना होता है ।

बैंक का उक्त प्रकरण न्यायालय अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.2019 द्‌वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 03.05.2018 के प्रभाव को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिससे पुन: श्री रामदेव राम अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। इस प्रकार प्रकरण से वे व्यथित नहीं हैं।

विभागीय पदोन्नति समिति के द्‌वारा वरिष्ठता एवं निर्धारित मापदंड में पात्र पाये जाने पर तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा की पदोन्न्ति अपर पंजीयक के पद पर पदस्थापना मुख्यालय में रिक्त पद पर की गई है। अतएव आम जनता में किसी प्रकार का असंतोष व्याप्त नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय सभापति महोदय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अंबिकापुर के संयुक्त पंजीयक के द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(ख) के तहत इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, बैठक बुलाने का अधिकार तो वहां के सी.ई.ओ. का होता है और उन्होंने बैठक बुलाई। और जिस धारा का मैंने उल्लेख किया है धारा 53 (ख) (1) के तहत संयुक्त पंजीयक या आपके जिले में जो भी होते हैं उनको इस बात का अधिकार है कि बैंक में क्या गड़बड़ी हो रही है उसके लिए उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार है।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय सभापति महोदय, इसमें अधिनियम 53(ख) के तहत जो संयुक्त पंजीयक हैं उनको इस तरह का कोई अधिकार ही नहीं है और इस तरह से यह प्रथम दृष्टया ही गलत है। उस नियम के तहत जो मीटिंग आहूत की गई जिसमें निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या महज 4 है जबकि वहां पर निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 11 होती है। उसमें दो तिहाई बहुमत के लिए कम से कम 8 सदस्य होने चाहिए। संयुक्त पंजीयक के द्वारा मीटिंग के लिए जो नोटिस भेजा गया था वह 04 तारीख का था और इन्होंने 3-4-2018 को ही मीटिंग कराकर इस तरह से उनको अपदस्थ किए। यह बिल्कुल नियम विपरीत है और लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात है इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, संपूर्ण प्रकरण की समीक्षा के लिए अपर पंजीयक के पास मामला लंबित है और अपर पंजीयक पूरे मामले को देख रहे हैं, यह उनके कोर्ट में है। जैसे ही उनका निर्णय होता है हम संपूर्ण प्रकरण को देखकर जो भी कठोर से कठोर कार्यवाही हो सकती है हम उसमें करेंगे।

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि इस संबंध में घोषणा करें कि उन्होंने विधि के विरूद्ध एवं गलत कार्य किया है और उनके खिलाफ समय सीमा में सख्त से सख्त कार्रवाई करें?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जब अध्यक्ष जी को निकाला गया था तो उनको प्रापर फोरम में आना था। वे हाईकोर्ट गये और हाईकोर्ट के डायरेक्सन के मुताबिक अपर पंजीयक के न्यायालय में वह अभी प्रचलन में है। जैसे ही अपर पंजीयक के न्यायालय में फैसला होता है, वह उसी बात की जांच कर रही है कि किसको अधिकार था, किसको नहीं था और जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

समय :
12:34 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पदेन सचिव जब तक एजेंडा अध्यक्ष से अनुमोदित नहीं कराते हैं तथा बैठक की सूचना भी अध्यक्ष के अनुमोदन से ही जारी होती है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, संयुक्त पंजीयक कैसे अपने आप ही स्वयं संज्ञान में ले करके नोटिस जारी किये और बैठक के लिए सभी सदस्यों को विधिवत बुलाया गया। उसमें से महज 4 ही सदस्य उपस्थित थे। वैसे भी उनका कोरम कम्पलिट नहीं हो रहा था। इसके बावजूद भी इस तरह से कार्यवाही की गई। जो बहुत ही निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से आश्वस्त होना चाहता हूं कि सदन में घोषणा करें कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि संपूर्ण प्रकरण की कैसे निकाला गया, कोरम था कि नहीं था, किसको अधिकार था। इन सारे प्रकरणों को देखेंगे चूंकि ये पंजीयक के यहां लंबित है। सारे प्रकरणों की समीक्षा करके, जांच करके संपूर्ण कार्यवाही करके जो भी दोषी होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रीतम राम :- अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सूचना जारी करने के लिए पदेन सचिव को नहीं बोलते हैं, उनको आदेश नहीं देते हैं, उनको इस तरह के अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही गंभीर मामला है, जो कि माननीय मंत्री जी उन दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निर्देश हों कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, किसी को बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो भी मामला चल रहा है उसमें संपूर्ण प्रकरण की जांच करके जितनी कठोर से कठोर कार्यवाही हो सकती है वो हम करेंगे। मैं आश्वस्त ले रहा हूं।

समय :
12:36 बजे

<u>नियम - 267 "क" के अंतर्गत विषय</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री सौरभ सिंह
2. श्री लालजीत राठिया
3. श्री यू.डी.मिंज
4. श्री भीमा मंडावी
5. श्री रामकुमार
6. श्री रामपुकार ठाकुर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:37 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग

श्री गुरू रूद्र कुमार (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये - छः सौ तैंतीस करोड़, चौवालीस लाख, अठहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिये - एक सौ सत्रह करोड़, एक लाख, अठ्ठारह हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 20
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

1. श्री धरमलाल कौशिक	5
2. श्री शिवरतन शर्मा	2
3. श्री केशव प्रसाद चंद्रा	1
4. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 56

ग्रामोद्योग

1. श्री पुन्नूलाल मोहले 1
2. श्री अजय चंद्राकर 1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री के विभागों के मांग संख्या 20, 56 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले बता देता हूं कि आज मुझे 3 मांगों पर चर्चा करानी है। आपकी पार्टी को 30 मिनट का समय है। आप अकेले उपयोग करें 10 को दें, 2 को दें, आप जाने।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, कोशिश करते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी उदारता दिखायेंगे तब तो काम चलेगा। ये ठीक है 30 मिनट का, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी अपना विषय रखेंगे। वैसे भी हम नाम कम दे रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से बात रखना चाहता हूं। आप छत्तीसगढ़ के लगभग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था बनाने की दृष्टि से आप एक प्रतिशत बजट का उपयोग कर रहे हैं। आप इस एक प्रतिशत बजट, टोटल बजट में से उपयोग कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अब पूरे ग्रामीण और क्षेत्रीय व्यवस्था को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना ये आपकी जिम्मेदारी में है। पर आप देखेंगे कि आपने कोई ऐसी योजना, कार्यक्रम नहीं बनाया, जिसमें शहरी और ग्रामीण अंचल की जो शुद्ध पेयजल व्यवस्था की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सके। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है। आपने ग्रामीण अंचलों में हैण्डपम्प खोदने का कितना लक्ष्य बनाया है? आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार ने हैण्डपम्प खोदने के लिए जैसा लक्ष्य बनाया था लगभग 2 लाख, 72 हजार, 439 ऐसा लक्ष्य अभी तक हुए, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में आपने हैण्डपम्प के संधारण के लिए, हैण्डपम्प खुदाई के लिए लक्ष्य क्या निर्धारित किया है?

समय :
12:42 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, यहां तक उनकी खुदाई करनी है। यदि हैण्डपम्प की खुदाई करनी है तो आप जिले में खुदाई करने के लिए कितने मशीन लगाये हैं ? और ये कब से प्रांरभ होगा ? अगर आप देखेंगे तो दो मशीने हैं या तीन मशीने हैं। एक मशीन कितने दिन में खोदता है ? लगभग 2 या 3 दिन में एक बोर ये खोदेंगे। माननीय मंत्री जी, अब उस जिले का पूरा रिक्वायरमेंट आप कर नहीं पायेंगे और लोगों को आने वाले समय में आपकी तैयारी नहीं दिख रही है आपके विभाग की तैयारी नहीं दिख रही है, जो ग्रामीणों, लोगों को पानी पिला सके। क्योंकि आपका जिले में कैसा जाएगा, वह खुदाई करने वाले किस तरीके से खोदगें ? दो दिन में एक बोर खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद आपका विभाग ये तो आपने लक्ष्य बनाया है और पूर्ववर्ती इतने बिगड़े हैण्डपम्प हैं कि उसको संधारने करने के लिए भी आपके पास कहीं वॉटर लेवल गिर रहा है तो एक्ट्रा पाईप की जरूरत पड़ेगी। आपका विभाग के पास एक्सट्रा पाईप के लिए पाईप नहीं है, बोल्ट नहीं है। ग्रामीण छोटे-छोटे कारणों से परेशान रहते हैं और पेयजल की व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी, आप अभी से, हैण्डपम्पों के मामलों पर आप देख लीजिए और हैण्डपम्पों को सुधारने के लिए कार्य करियेगा और आपके जितने हैण्डपम्पों असफल हैं उसके कोई आंकड़े नहीं है अब हम उनका कैसे संधारण करेंगे?

माननीय मंत्री जी, यहां तक कि जो हैण्डपम्प मैकेनिक हैं, यही हैण्डपम्पों को बनाने और सुधारने वाले हैं। आपने विभाग में जानकारी दी है कि इतने पद स्वीकृत हैं। लगभग 876 पद स्वीकृत हैं ऐसा आपने हैण्डपम्प मैकेनिक की जानकारी दी है। अब इतने हैण्डपम्प मैकेनिक के पद जो स्वीकृत हैं, अब वह जानकारी नहीं है कि कितने कार्यरत हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब हैण्डपम्प मैकेनिक नहीं होने के कारण, ग्रामीण अंचल के लोग उसको बनाने के लिए परेशान रहते हैं, आवेदन करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास हैण्डपम्प मैकेनिक नहीं है। माननीय मंत्री जी, हैण्डपम्प मैकेनिक की कमी के कारण परेशान होते हैं और इसलिए हैण्डपम्प मैकेनिक की नियुक्ति या जैसा भी हो या फिर ग्रामीण अंचल में आप जो भी व्यवस्था बना सकते हैं। आप बिना व्यवस्था बनाये सफल नहीं हो सकते हैं। आप किसी न किसी तरीके से चाहे संविदा नियुक्ति से बनायें या रेग्युलर नियुक्ति करे, आप जैसे भी नियुक्ति करें। लेकिन अभी आने वाले सीजन के लिए गर्मी में पानी के लिए हाहाकार होने वाला है। उसकी आपकी तैयारी नहीं दिख रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो स्वीकृत पद हैं, कितने कार्यरत हैं, आप उसको भी दिखवा लीजिएगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने उच्च टंकी के लिए नलजल प्रदाय योजना बनायी। आपने तो आंकड़े दे दिये, कि इस वर्ष तक इतने हैण्डपम्प स्वीकृत हैं। 4 हजार स्वीकृत हैं और लगभग इस 4 हजार में 3 हजार, 487 पूर्ण हो गये। माननीय मंत्री जी, आपने कभी इसमें नलजल योजना के आंकड़े देखे हैं कि कितनों नलों का संधारण करने के बाद पानी प्रदाय नहीं हो रहा है और वहां पानी नहीं प्रदाय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होने के कारण, कहीं बोले कि पाईप फट गया, वह प्रेशर नहीं सह पा रहे हैं, वह आपकी टंकी योजना को फेल किये बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि नलजल प्रदाय योजना के एक समस्या और आ रही है, आपने नल जल योजना की टंकी बनाने का संकल्प लिया है, उनमें छोटी-छोटी समस्याओं के कारण असफल है, लोगों का उसका लाभ नहीं मिल रहा है। बिजली की कमी आ रही है, यह बात फंस जा रही है कि बिजली का बिल कौन पटायेगा? पंचायत या विभाग पटायेगा? उसके संधारण की जो बात आ रही है, उसमें पंचायत और आपके विभाग के बीच में समस्या खड़ी हुई है, कई जगह इन्हीं कारणों से उसके संधारण की बात नहीं हो पा रही है। आपने टंकी बना दिया, लेकिन वाटर लेबल कम होने के कारण करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई वह टंकियॉं असफल पड़ी हुई हैं। मेरे क्षेत्र में देवरीखुर्द, महमंद में आज भी वह समस्या बनी हुई है। माननीय मंत्री जी से हम करीब 150 करोड़ रुपये स्वीकृत करा कर ले गये थे, आज भी उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाया है और देवरीखुर्द बहुत बड़ी कालोनी है। देवरीखुर्द 23-24 हजार की जनसंख्या वाली बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, उसकी साडा की बहुत बड़ी पानी की समस्या है। पैसा देने के बावजूद और जल व्यवस्था बनाने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आने वाले समय में आपका विभाग सतर्क रहे, जवाबदेही रहे, नहीं तो हमें हर बार धरना-प्रदर्शन कलेक्टर साहब के साथ करना पड़ता है, हर बार बातचीत करते चले आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इन बातों को ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपकी एक योजना है, जहां पर जलस्त्रोत कम हैं, गुणवत्ता नहीं हैं, उनके लिए आपने नलजल प्रदाय योजना बनाई है। माननीय मंत्री जी, ऐसा बसाहटों, ग्राम पंचायतों के लिए आपका जो लक्ष्य का निर्धारण है, जिस ग्राम पंचायत में समस्या है, इन लोगों को पानी की अत्यन्त जरूरत है। ऐसी बसाहट जहां पर वाटर लेबल या गुणवत्ता के कारण कम है और हम उनको जल प्रदाय कर रहे हैं, क्या आपने ऐसी बसाहटों का सर्वे किया? क्या कोई लक्ष्य का निर्धारण किया? जब आपका सर्वे, लक्ष्य नहीं हैं, ऐसे गांव, बसाहट के रहवासी परेशान होकर चल रहे हैं। मैंने कई बार आग्रह किया कि ऐसी पंचायत हैं, जैसे विकासखंड मस्तूरी में लोढ़ाबोर, पतईडीह, सेमराडीह, भुरकुंडा गांव हैं, इन गावों में एक जमानें में बैलगाड़ी से पानी भर के पीने के पानी की व्यवस्था होती थी, ऐसे दुरस्थ अंचल के गावों के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि ग्राम लोढ़ाबोर एक स्थान है जिसमें पानी की अत्यन्त आवश्यकता है और इन्हीं श्रेणी में आता है। आपका विभाग उसमें काम कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा आपका विभाग कोशिश कर रहा है कि सोलर सिस्टम से संधारित करके मिनीजल प्रदाय योजना के माध्यम से जल प्रदाय करने का काम करें। आपने बजट भी रखा है कि सोलर पंप के माध्यम से इन बसाहटों में पानी की व्यवस्था करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विभाग आवंटित प्रावधान राशि का भी उपयोग नहीं कर पा रहा है। पिछले साल भी इस पैसे का उपयोग नहीं कर पाये हैं। जब बजट में प्रावधान हो चुका है और 50 प्रतिशत भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इस माध्यम से पानी प्रदान के करने के लिए आपका विभाग कैसे सफल हो पायेगा? आप यह भी देख लीजिए आपने जितनी भी जल प्रदाय योजना की स्कीम बनाई है, यदि सोलर सिस्टम एक बार फेल हो रहा है तो उसको बनाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, आप आंकड़ें लगा लीजिए कि आपके कितने सोलर पैनल सही सलामत चल रहे हैं और कितने बिगड़ गये हैं? उनकी शिकायतें कब से प्राप्त हैं और उसको ठीक होने में अब तक क्या प्रयास हुए हैं? माननीय मंत्री जी देखियेगा आपके सोलर सिस्टम में रिपेयर करना बहुत चुनौती का काम बना हुआ है। इस तरीके से यह जो सोलर आधारित सिस्टम फेल है। कई ग्राम पंचायते ऐसी हैं, अभी प्रश्न के दौरान भी गुणवत्ता युक्त पानी की व्यवस्था की बात आई कि कहीं-कहीं पर आयरन है, फ्लोराईड है, कहीं पर नमक-पानी का है, कहीं पर नाईट्रेट का है । ऐसे बसाहटों का जो चिन्हित तो हैं लेकिन क्या आपने उसके लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाये हैं ? यदि आपने इन बसाहटों के लिये जब तक विशेष कार्यक्रम की कल्पना और योजना नहीं करेंगे तो यह कागजों में बना रह जायेगा और ऐसे गांव जहां नाईट्रेट, फ्लोराईड, पानी में नमकीन ज्यादा है ऐसे को हमको ठीक करना केवल कागजों में रह जायेगा, हम इसको ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पायेंगे इसलिये आपकी इस योजना के लिये, इसका स्थायी निदान करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम और विशेष योजना बनाने की आपको जरूरत है जो आपके बजट में दिख नहीं रहा है इसलिये मैं इन चीजों के लिये कह रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, आप नगरीय निकाय में भी जल प्रदाय करते हैं । आपका विभाग शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय का काम कर रहा है । मंत्री जी, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी नगरीय निकाय क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की व्यवस्था हो रही है, क्या आप कोई कल्पना कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको हम पूर्णत: पानी उपलब्ध करा सकें । कई तो ऐसे हो गये हैं, सब तरफ से परेशान हो गये हैं । माननीय मंत्री जी, आप कल्पना करियेगा, सोचियेगा कि लोग किसी प्राईवेट संस्था को आर.ओ. पानी का ठेका देकर के कि हमको इतने लीटर पानी पीने के लिये दे देना यह सब चल रहा है । यह पब्लिक के द्वारा बनायी गयी एक व्यवस्था है, लेकिन हमारा विभाग इस काम पर मौन है इसलिये माननीय मंत्री जी आप देखेंगे कि कई जगह शिकायत आती है । आपके बिलासपुर के विधायक पाण्डे जी भी एक दिन हमारे बिलासपुर में पानी लेकर पहुंच गये थे । पुराने जमाने के आपके शहरों में नल हैं, जो नल, नाली से होकर के जा रहे हैं । कई नल 20-30-40 वर्षों पुराने हैं, जब सक्शन प्रेशर कम होता है तो नाली का पानी वहां चला जाता है ।

सभापति महोदय :- बांधी जी, समाप्त करें । आपके दल का समय मात्र 30 मिनट है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि जो 20 साल, 25 साल से हैं तो आप कम से कम एक-बार तो जानकारी लीजिये । कम से कम उन शहरों के लिये, नगरीय निकाय के शुद्ध पेयजल के लिये आप प्लान करके पुराने पुराने नलों के, पुराने पाईप लाईनों के विस्तारों की एक-बार जांच करा लीजिये। इसके बगैर हम शहरों में शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करा पायेंगे । दूसरा हम जितना पानी का उपयोग करते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी हमारी कार्ययोजना बनती है कि हम उस वॉटर लेवल को भूजल के संवर्धन के कार्यक्रम के लिये क्या योजना बनायें वह बहुत जरूरी है । आप देखेंगे कि आपका विभाग इस भूजल का जो संवर्धन के लिये जो बजटेट एलॉट है उसका भी उपयोग करने में सक्षम नहीं है । उनका इंटरेस्ट इस दिशा में नहीं जा रहा है, इस दिशा में उनका कोई लगाव नहीं है कि यह जो वॉटर लेवल है, बिगड़े हुए हैंडपंप हैं हम उसका भी उपयोग वॉटर रिचार्जिंग में कैसे करें । माननीय मंत्री जी, आपको विचार करके योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वह एकदम डॉयरेक्ट लेवल पर जायेगा 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट तक के गड्ढे खोदे हैं और किन्हीं कारणों से हैंण्डपंप असफल हैं हम उन हैंडपंपों का ऐसा थोड़ा इस्तेमाल करें कि वॉटर रिचार्ज पर हम कैसे उपयोग कर सकते हैं इस पर आपको देखने की जरूरत है । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है । आपने इस बजट का कोई उपयोग नहीं किया, स्कूलों में भी आपके द्वारा प्रावधान किया गया है । आप देखियेगा कितने स्कूलों के हैंण्डपंपों से पीने योग्य पानी आता है, क्या उसका उपयोग हो रहा है ? एक-बार विकासखंड स्तर पर रिपोर्ट तो मंगवाईये कि कितने स्कूलों में पानी की व्यवस्था बच्चों के लिये उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है इसलिये माननीय मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मामलों में ध्यान दीजियेगा ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी एक छोटी सी बात रख लेता हूं । माननीय मंत्री जी, जो पम्प जल रहे हैं, उन पम्पों का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है और उनका रिप्लेसमेंट नहीं होने के कारण पूरी गर्मी निकलने के बाद पम्प बनकर आता है । उनके द्वारा कहा जाता है कि अभी बनने गया है, अभी बनकर आएगा और गर्मी निकलने के बाद पम्प बनकर आता है । रिप्लेसमेंट का प्रावधान करिये । आपके विभाग में देखेंगे कि कितनी मशीने हैं, कितने पम्प हैं तो यही जवाब आता है कि पम्प नहीं हैं । अगर वाटर लेवल गिर गया तो कहते हैं कि हमारे पास रिचार्ज के लिए नहीं है । ऐसी समस्या आ रही है । दूसरी चीज, माननीय मंत्री जी आपने जितनी नलजल योजनाएं बनाई हैं । पता नहीं, कैसी हैं । वे प्रेशर को सह ही नहीं पाते । अब आप थोड़ी निगरानी करिये कि आपकी देखरेख में वह प्रेशर सह जाए, यांत्रिकी विभाग उस पर ऐसा काम करे । सभापति महोदय, मैं हाथकरघा पर भी अपनी बात रखना चाहूंगा । हाथकरघा विभाग निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का कला एवं संस्कृति की पहचान है । छत्तीसगढ़ अपनी परम्पराओं को लेकर जिस तरह से कला का प्रदर्शन हो रहा है, यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विभाग उसकी मार्केटिंग करने का बहुत बड़ा माध्यम है । खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ऐसा सेक्टर है, जिसमें स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दे सकते हैं । रोजगार के अवसर उपलबध करा सकते हैं लेकिन आपका विभाग, यदि रेशम उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो जो बजट है उसका भी उपयोग नहीं हो पाता । रेशम उत्पादन के लिए कोई प्रयास नहीं दिखता । जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में रेशम उत्पादन के बहुत अच्छे अच्छे सेंटर हैं । लेकिन विभाग इनका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और हम पहचान बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं । हमारी मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है । माननीय मंत्री जी, अभी यह पूछा जाएगा कि इसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं । यह भी एक चुनौती है । माननीय सभापति महोदय, आपने माटीकला बोर्ड बनाया, यह बहुत बढ़िया योजना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चन्द्रशेखर पांडे जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने, जो कि बसना के हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जो माटीकला बोर्ड है उसमें कम से कम हर ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव हो और उस प्रस्ताव के अनुसार जो इस मिट्टी को आकार देने में लगे रहते हैं, उन प्रजापतियों को हमें अवसर देना चाहिए । कितनी ग्राम पंचायतों ने इस माटीकला बोर्ड के अनुसार भूमि आवंटन किया । कितने ग्राम पंचायतों द्वारा इसके माध्यम से रोजगार सुनिश्चित हो रहा है । छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा माध्यम है, यह फेल खाया हुआ बैठा है, माननीय मंत्री जी कभी इस पर विचार करके देखिएगा । यह बहुत बढ़िया योजना है । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है । भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा की ओर से माननीय सदस्यों के लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सभापति महोदय :- माननीय अमरजीत भगत ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, आदरणीय कवासी लखमा जी की ओर से कुछ विशेष व्यवस्था है या ऐसे ही खाली खाली है साहब ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उनके अनुरूप व्यवस्था होगी ।

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, आजकल कवासी लखमा जी ने दूध पीना चालू कर दिया है ।

सभापति महोदय :- रात में मिल लीजिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पहले नहीं पीते थे कया ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपको भ्रम होगा, शाम को मिलकर देखिएगा भ्रम दूर हो जाएगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पहले नहीं पीते थे क्या वोरा जी ।

सभापति महोदय :- वोरा जी का कहना है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन है ।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर):- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री के विभाग से संबंधित डिमांग मांग में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मांग संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिसमें पेयजल से संबंधित मांग से संबंधित डिमांड में बोलने के लिए मैं अपनी बात को रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार की जवाबदारी प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की रहती है और वर्तमान सरकार माननीय रूद्र कुमार गुरू जी इस विभाग के मंत्री हैं, जो इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। विभाग के द्वारा पेयजल के संचालन के लिए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल जल पेयजल योजना स्थल प्रदाय योजना, सोलर पंप आधारित जल प्रदाय योजना के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद के कुल 3886 ग्रामों में कुल 49337 हैंड पंप एवं 871 नल जल योजना....।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या अमरजीत जी। आप क्या पढ़ रहे हो?

श्री अमरजीत भगत :- मैं आंकड़ा दे रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- किस चीज का ?

श्री अमरजीत भगत :- मैं नल जल योजना...।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो इसमें है आंकड़ा।

श्री अमरजीत भगत :- और क्या चाहते हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसा बोलते हो वैसा बोलो। गुन गाने से, सहमत होने से मंत्री नहीं बनने वाले। ज्यादा से ज्यादा उपाध्यक्ष बन जाओगे।

श्री अमरजीत भगत :- आप थोड़ा सा बैठिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- ज्यादा से ज्यादा उपाध्यक्ष तक। इसलिए स्टेम्पोर। जैसा बोलते थे और नहीं तो फिर सहमत हूं। प्रशंसा करता हूं। योगदान का आप मुझे आश्वासन दे दो , ऐसा बोलकर बैठ जाओ।

श्री अमरजीत भगत :- 871 नल जल योजना। 611 स्थल प्रदाय जल योजना और 1046..।

श्री अजय चन्द्राकर :-देखो न पढ़ रहे हैं वे पूरा।

सभापति महोदय :- वे आंकड़े पढ़ रहे हैं। भई, आंकड़े पढ़ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, भगत जी के भाषण का जो मौलिक स्वरूप रहा है, वह उधर जाने के बाद परिवर्तित हो गया।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, आंकड़े पढ़ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं- नहीं, मौलिक जरूरी परिवर्तित हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो भी आंकड़े हैं, सभी तो विपरीत हैं। सब जो आंकड़े पढ़ रहे हैं। सरकार में और कुछ जोड़ घटा दिये होंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है सभापति जी...।

सभापति महोदय :- देखए, माननीय सदस्य का स्वयं का विवेक है कि वे क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं। ये कहां से लाता है? आप लोग भी आंकड़े बता बताते हैं। कोई नई बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय सभापति महोदय, वही आपत्ति है। वे स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है सभापति जी, पंचम विधान सभा में हमारे दो वरिष्ठ सदस्यों के जो प्रस्तुतीकरण हैं, उनकी मौलिकता में अंतर आ गया है। उसमें एक माननीय अमरजीत जी हैं और एक माननीय वहां बैठते हैं, वे हैं। दोनों का जो मौलिक स्वरूप है, वह बदल गया है। मौलिक स्वरूप में बोलो जैसा पहले बोलते थे वैसा। स्तुति गान करने से कुछ नहीं मिलने वाला है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय मैंने संसदीय शब्द कहा है स्तुति गान, जिसके नीचे (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बस हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, पता नहीं जब मैं बोलने लगता हूं तो इन लोगों को मिर्ची लगने लगती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, अब शुरू हुए। हां, अब शुरू करो।

श्री अमरजीत भगत :- अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया है। भूमिका तो बांधेंगे न। मैं यह बोल रहा था कि पूरे प्रदेश में जहां सवा दो करोड़ लोग निवासरत रहते हैं, उनके पेयजल की संपूर्ण जवाबदारी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश सरकार की है और यह सरकार नल जल योजना से स्पॉट जल योजना से एवं सोलर पंप के माध्यम से इसकी पूर्ति कर रही है। जहां पर इस प्रदेश में 70 परशेंट आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवासी करती है, उन क्षेत्रों में जहां पर पानी की दिक्कत है, जहां पर आयरन युक्त पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां पर क्लोराइड युक्त पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उन क्षेत्रों में आयरन रिमूवल प्लांट लगाकर उन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रिमूवल प्लांट भी उन क्षेत्रों में जहां क्लोराइड युक्त पानी वे पी रहे हैं, वहां पर करने की व्यवस्था है। स्कूल, शाला, अस्पताल, पंचायत जहां पर भी पेयजल की समस्या है, वहां के लिए विभाग के द्वारा कार्ययोजना बनाकर उसकी आपूर्ति करने की योजना है। सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय में हमने देखा है कि आज तक ऐसा नहीं होता था कि केन्द्रीय आबंटन इन क्षेत्रों में पेयजल के लिए आता था। सेंट्रल पुल का पैसा ही आना बंद हो गया। उन क्षेत्रों में जहां पर पहाड़ी एरिया है, जहां पर आदिवासी लोग पहुंचविहीन क्षेत्र में रहते हैं, जहां कोरिया, पंडवा, मांझी, मझवार वर्ग के लोग रहते हैं, जहां मलेरिया और डायरिया से बड़े पैमाने में लोग बीमार पड़ते है, उसके समाधान के लिए सरकार की तरफ से योजना बनाकर पीने के लिए साफ पानी उनको उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाकर पानी की आपूर्ति की व्यवस्था बनाई गई है।

सभापति महोदय, हम लोगों ने पिछली सरकार में देखा है तथा बार-बार मांग करने के बाद भी पूरे वर्ष भर तक विभाग में काम नहीं होता था। पहले क्या होता था कि सभी विकासखण्ड में आवंटन रहता था। सभी विकासखण्ड के लिए एक टारगेट दिया जाता था कि जहां पर पेयजल की समस्या है तो कहीं पर सौ, कहीं पर डेढ़ सौ हेण्ड-पम्प स्वीकृत किए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से यह योजना ही बंद कर दी गई थी। सरकार ने उसके लिए भी योजना बनाकर आवंटन जारी किया है और उन क्षेत्रों में साफ पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हम लोगों ने पिछले समय देखा कि इनके जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हैं, वहां पर बहुत सारी जगहों में मांग आती थी कि मशीन नहीं है। जो बजट में आवंटन देना होता था, वह व्यवस्था नहीं की जाती थी। इस कारण कंडम मशीनों से बोरिंग करना, पाईप लाईन बिछाना और पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। जैसे-जैसे गर्मी के दिन आते है, प्रेशर बढ़ता है और मांग बढ़ती है। पिछले समय सरकार के पास समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग दूर-दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता था। लोग कहीं नाले का पानी पीते थे, कहीं डभरा का पानी, ढ़ोरी का पानी पीने के लिए मजबूर होते थे। लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जहां-जहां पेयजल की दिक्कत है, वहां पर कार्ययोजना बनाकर हैण्ड-पम्प के माध्यम से, कहीं पर सोलर पंप के माध्यम से तो कहीं पर नल-जल योजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बनाई गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं आकड़ें बता रहा था, जब मैं आकड़ा पढ़ना शुरू किया तो मेरे उस पार के मित्रों को आपत्ति होने लगी। मैं कुछ आकड़ें बताना चाहता हूँ कि कहां-कहां पर क्या-क्या व्यवस्था की गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जितने आकड़ें बतायेंगे, वह 2018-18 और 2018-19 के बतायेंगे। आप 2019-20 के आकड़ें अगले साल पढ़ना। आप हमारी क्यों प्रशंसा कर रहे हो। हमको आपसे प्रशंसा नहीं चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- हम, आपकी प्रशंसा कहां कर रहे हैं ? हम तो आप जो काम किए हो, उसको बता रहे हैं। आप अच्छा काम किए हो तो वह भी दिखेगा और खराब काम किए हो, तो वह भी दिखेगा। हम तो बता रहे हैं कि पिछले समय भू-जल का उपयोग हैण्ड-पम्प और बोरिंग करके करते थे, वहां पर आप लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया था। सरगुजा जिले के तत्कालीन कलेक्टर ने उस समय प्रतिबंध लगा दिया था। जिसको हैण्ड-पम्प या नलकूप खनन करवाना हो, उसके लिए आफिस का चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई है कि जहां-जहां पर पानी की दिक्कत है, जहां पर फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन कर रहे हैं, आयरन युक्त पानी का सेवन कर रहे हैं, वहां पर फिल्टर प्लाण्ट लगाया जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- भगत जी, अभी आपकी पार्टी की विधायक जी का ही प्रश्न था कि किन संकटों से जूझ रही हैं। माननीय तखतपुर की विधायक जी बैठी हैं, उनका भी प्रश्न था।

श्री अमरजीत भगत :- मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पिछले समय आप लोगों ने कछ नहीं किया। अगर आप लोगों ने कुछ किया तो केवल कटआऊट लगवाने, बोर्ड लगवाने, प्रचार-प्रसार करने का काम किया है। जितने का बाबू नहीं उतने का झुनझुना था।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कुछ मत करो, खाली गुरू जी का आशीर्वाद ले लो।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, टोका-टाकी न करे। यह उचित नहीं है। आप ही को दिक्कत होगी। आप टोका-टाकी करेंगे, वह जवाब देंगे, कोई मतलब नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- आज हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। मैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगी, विभाग के मंत्री भाई रूद्र कुमार गुरू जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने रायपुर संभाग में 165 आयरन रिमूवल प्लाण्ट, 40 फ्लोराइड रिमूवल प्लाण्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। 2018-19 के माह जनवरी 2019 तक 1,008 बसाहटों एवं 266 शालाओं में तथा 54 नगरीय निकायों में नलकूप खनन कर पेयजल उपलब्ध कराने का निणर्य लिया है। माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर संभाग के बिलासपुर जिला, मुंगेली, कोरबा जांजगीर-चाम्पा एवं रायगढ़ के कु 4,744 ग्रामों में 59,864 हैण्ड-पम्प, 939

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नलजल प्रयाद योजना एवं 585 स्थल जल प्रदाय योजना, 654 नग सोलर आधारित जल प्रदाय योजना के माध्यम से पेय जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । बिलासपुर संभाग में पेय जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभाग द्वारा 972 आयरन रिमूवल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, वहीं पर 50 फ्लोराईड रिमूवल प्लांट एवं 15 आर.ओ. स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी, 2019 तक 734 बसाहटों एवं 171 शालाओं एवं 30 नगरीय निकायों में नलकूप खनित जल कर पेय जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । सरगुजा संभाग के जिला जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर एवं कोरिया के कुल 3197 ग्रामों में कुल 64097 हैण्ड पम्प, 326 नल-जल प्रदाय योजना, 285 स्थल प्रदाय योजना, 2087 सोलर पम्प आधारित जल प्रदाय योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । सरगुजा संभाग में पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों के विभाग द्वारा 786 आयरन रिमूवल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, वहीं पर 289 फ्लोराईड रिमूवल प्लांट स्थापित किया जा रहा है । 2018-19 में 1298 बसाहटों एवं 198 शालाओं में एवं 23 नगरीय निकाय में नलकूप खनन करके पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । सूरजपुर जिले के 18 ग्रामों की हर्रा टिकरा समूह जल प्रदाय योजना जिसकी लागत 3026.43 लाख की क्रियान्वित की जा रही है, जिसका कार्य प्रगति पर है । योजना पूर्ण होने के पश्चात् 78,00,990 जनसंख्या लाभान्वित होंगे ।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार दुर्ग संभाग में दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव एवं कबीरधाम के कुल 4453 ग्रामों के कुल 45648 हैण्ड पम्प स्थापित किये गए हैं । 913 नलजल प्रदाय योजना, 898 स्थल प्रदाय योजना, 1106 नग सोलर पम्प आधारित जल प्रदाय योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । दुर्ग संभाग में पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभाग द्वारा 501 आयरन रिमूवल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, 32 फ्लोराईड रिमूवल प्लांट तथा 101 नग आर.ओ. स्थापित कर जल प्रदाय योजना यहां पर लगाई गई है । राजनांदगांव जिले में आर्सेनिक से प्रभावित चौकी क्षेत्र के 20 ग्रामों के लिए 33.85 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है । योजना से 46855 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है । बेमेतरा जिला के विकासखण्ड साजा, बेमेतरा एवं नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित 152 ग्रामों के लिए 189.54 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है । योजना से 1,68,736 जनसंख्या लाभान्वित होंगी । इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी, 2019 तक 939 बसाहट एवं 145 शालाओं तथा नगरीय निकायों में 39 नलकूप खनित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार सरकार की जो कार्य योजना है, वह पूरे प्रदेश की नगरीय एवं ग्रामीण बसाहट को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है । इस कार्य के लिए मैं सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसको आप पारित करें ।

सभापति महोदय :- माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20 और मांग संख्या 56 का विरोध करते हुये और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहता हूँ कि प्रदेश में जल स्तर का लेवल नीचे हो चुका है । जल स्तर का लेवल नीचे होने के कारण पम्प नहीं चल रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज इनको ममा नहीं बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय :- वहां बोलेंगे, यहां नहीं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब तक मंत्री पद पर थे, आप ममा बोलते थे । अब आप इनको बोलना भूल गये ?

सभापति महोदय:- वहां से बोलूंगा, यहां से नहीं । वैसे मैंने पीएलएम भी नहीं बोला है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय बृजमोहन भईया, वह ममा नहीं, अब बबा हो गये हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तोर बबा हई हंव । माननीय सभापति महोदय, जल स्तर नीचे होने के कारण पम्प नहीं चल रहे हैं । उन परिस्थितियों में पम्पों का संधारण करना आवश्यक है, क्योंकि कहीं पर 100 फीट में, कहीं पर 120 फीट में, कहीं पर जल स्तर सही है, वहां पम्प बढ़ाये जाये और जहां पर पम्प नहीं लगने की गुंजाईश है, वहां पर नये पॉवर पम्प लगाने की आवश्यकता है । मुंगेली के ऐसे बहुत से गांव है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, माननीय पुन्नूलाल जी का प्रमुख विषय है, पम्पों का संधारण । पूरे प्रदेश में पम्प काम नहीं कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- इनका हैंण्डपंप आज भी काम कर रहा है । जहां अल्प वर्षा हुई है, अल्प वर्षा होने के कारण भी वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है । दूर से पानी लाते हैं । इसके अंतर्गत वृष्टि छाया, अल्पवृष्टि योजना के अंतर्गत समूह योजना बनाये गये हैं । समूह योजना के अंतर्गत एक जगह पॉवर पम्प हो, एक बड़ा पम्प हो, गांव के लोगों को वहां पाईप लाईन के द्वारा पानी दिया जाये । माननीय सभापति महोदय, कई गांव ऐसे हैं, जहां खारा पानी है । पीने योग्य नहीं है । गंदा पानी है, ऐसे गांवों में बहुत समस्या है, बहुत दूर तक जाते हैं । न तो तालाब का पानी पीते हैं, न नदी का पानी पीते हैं, उदाहरण क्षेत्र के लिए मुंगेली क्षेत्र की बात करूं, सोनपुरी । सोनपुरी है, ममा-भांचा है, धनगांव है और पीथमपुर है । ऐसे गांवों में आर.ओ.कार्यक्रम के अंन्तर्गत योजना लागू किया जाये । आर.ओ.कार्यक्रम में पूर्व से पानी लाकर शुद्ध जल दिया जा सकता है । कुछ गांव में आर.ओ. लगे हैं । आर.ओ.महीना-पन्द्रह दिनों में खराब हो जाते हैं । उनके सुधार के लिए और संधारण के लिएराशि की आवश्यकता है या राशि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं है । समय में राशि न मिलने के कारण वहां के लोगों को पीने के पानी से वंचित होना पड़ता है । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वहां कुछ व्यवस्था के लिए राशि उपलबध करायी जाये, क्योंकि बजट में कम राशि है । उसी को बढ़ाने की भी आवश्यकता है । अगर हम कहे कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में 25 परशेंट से ज्यादा आबादी वाले गांवों को अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के नाम से नल-जल योजना लागू की जाती है । हजार की जनसंख्या पर जल प्रदाय योजना भी दी जाती है । ऐसे गांवों को भी प्राथमिकता दी जाये । निश्चित रूप से बहुत से ऐसे गांव है, पारे-टोले में भी इसकी आवश्यकता है । प्रदेश में या जिले में बहुत से ऐसे गांव हैं, जो गांवों को छोड़कर शहर की ओर आ गये हैं या शहर को छोड़कर गांव में जा रहे हैं । पारे-टोले, मोहल्ले बस गये हैं । उस पारे-टोले, मोहल्ले के लिए पीने का पानी नहीं है । उसके लिए सर्वे भी हो चुका है। सर्वे होने के बाद वहां संख्या के अनुपात में नलकूप लगाना आवश्यक है । ऐसे गांव है, जहां बिजली नहीं है, बिजली से दूर होने के कारण पॉवर पम्प भी नहीं लगता है । ऐसे गांवों में सोलर उर्जा आवश्यक है । सौर उर्जा होने से बहुत से गांवों में इसकी पूर्ति हो सकती है । मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इन बातों को भी याद रखे और नल-जल समूह योजना लागू करे । ऐसे गांव जहां का पानी गंदा है, पीने योग्य भी नहीं है, 300 फीट, 400 फीट में पानी नहीं निकलता । 500 फीट, 700 फीट मशीन में आपके पास आया है । ऐसे 500, 700 फीट वाले मशीन वहां भेजा जाये, जिससे उस गांव में पीने के पानी की व्यवस्था उपलबध हो । पॉवर पम्प दिया जाये, जिससे उस गांवों को जलप्रदाय योजना से जोड़ा जाये ताकि पूरे गांव को पानी मिल सके । सभापति महोदय, मैं ग्रामोद्योग विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि विगत कार्यकाल में आप सबके सहयोग से मंत्री पद मिला था, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपका विभाग है, ग्रामोद्योग पांच क्लस्टर में बना हुआ है । एक ग्रामोंद्योग नीति बनाई गई थी । ग्रामोद्योग नीति में जो बुनकर समूह है या अन्य काम करने वाले हैं या मजदूर वर्ग हैं वह स्वत: का अपना रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए चाहे कंप्यूटर हो, मार्केटिंग हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, सिलाई हो, बुनाई हो, कताई हो, पंप लगाने की योजना हो, ताना-बाना बुनने की योजना हो, चरखा की योजना हो, चाक मिट्टी की योजना हो, जितनी योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं में सब अलग-अलग कार्य करते हैं। इसमें लगभग 1 लाख लोग कार्यरत हैं। उन कार्यरत बुनकरों और मजदूरों को समय पर राशि नहीं मिल पाती। इनके लिए ग्रामोद्योग नीति में 3 लाख रूपये पर कर्ज देने की योजना बनाई गई थी, जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान देने की योजना थी। उस नीति को आप जरूर लागू करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा होगा और कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मुद्रा बैंकिंग योजना का कार्यक्रम है। उस मुद्रा बैंकिंग योजना में 10 लाख रूपये तक की राशि बिना ब्याज के दी जाती है। इस योजना में भी इसे लागू किया जा सकता है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसमें भी हमने जोड़ने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से कौशल उन्नयन योजना है, बहुत से लोग कौशल उन्नयन करना चाहते हैं। पढ़े-लिखे लड़के हैं या पढ़ लिखकर छोड़ दिये हैं या उससे उन्हें गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है तो इन्हें भी इसके रोजगार से जोड़कर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है जिससे वह ट्रेनिंग कर सकें और अपने जीवन को सुधार सकें और ऋण लेकर अपने पैर पर खड़ा हो सकें। इसलिए इन योजनाओं को लागू करेंगे।

इसी प्रकार रायपुर में हाट बाजार योजना है। मूर्तिकला है, अन्य कला है, साड़ी है, रेशम साड़ी है, सिल्क साड़ी है, मूर्ति बताने की कला है, मिट्टी की योजना है, लोहे से बर्तन बनाने की योजना है। एक माटी कला बोर्ड है, माटी कला बोर्ड में भी एक यूनिट फुलझर बसना में भी है जो मिट्टी से खिलौने से लेकर, चाकमिट्टी, बर्तन यहां तक कि चाय बनाने का कप, प्याला, तवा, खाने बनाने का आदि अनेक हैं। उन्हें चिकनाई के लिए डिजाईनिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन डिजाईनिंग ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए और मिट्टी के बरतन बनाने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अन्य जिले में भी यूनिट बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक ही जिले बसना तरफ है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और गांव में मिट्टी का काम करने वाले जो कुम्हार हैं उनको पांच एकड़, तीन एकड़ तक जमीन देने की भी योजना थी। इन योजनाओं को लागू किया जाए जिससे वहां के लोग अपना स्वत: रोजगार प्राप्त कर सकें। अगर बस्तर क्षेत्र की बात करें तो आर्ट बनाने की कला है, कौड़ी है, घोंघी बनाते हैं, बरतन भी पीतल, तांबा और जस्ता का बनाते हैं, अन्य प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं देवी-देवता और हनुमान एवं अन्य की मूर्ति बनाते हैं। हाट बाजार रायपुर में है और वहां इन सबकी प्रदर्शनी लगाई जाती है और हाट बाजार में सब उद्योग धंधा करने वालों को वहां जगह दिया जाता है, जिससे वह ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। हाट बाजार के माध्यम से एक राष्ट्रीय योजना भी लागू है जिसमें प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। अन्य राज्य के जितने बुनकर हैं वह अपने नये-नये कपड़े, नए-नए डिजाईन लेकर आते हैं और डिजाईन से भी कपड़ा तैयार कर बेचते हैं। उससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है और पूरे प्रदेश के अनेक लोग उनसे खरीदने आते हैं और अपनी मनपसंद खरीदी करते हैं। इन योजनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्रामोद्योग में मात्र 1 करोड़ 17 लाख का बजट है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना के बजट को बढ़ाया जाए। पिछले समय इसका बजट 2 करोड़ रूपये था। इस योजना में शिक्षा विभाग के लिए भी ड्रेस दिया जाता है, पुलिस विभाग के लिए भी ड्रेस दिया जाता है यहां तक कि आंगनबाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में भी दिया जाता है। कंबल प्रोसेसिंग यूनिट राजनांदगांव में भी है। उस राजनांदगांव में यूनिट के माध्यम से ठंड में छात्रों के लिए भी कंबल की आवश्यकता होती है तो वहां का उत्पादन नगण्य है। वहां और ज्यादा बनाया जाए क्योंकि नया एक साल से लागू है। मैं माननीय सभापति महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना को लागू करने से लोगों को और लाभ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मिलेगा। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। विदेश में कोसा का साड़ी बेचने की योजना है। पिछले समय हमने एक यूनिट भेजा था। वह वहां से जाकर एम.ओ.यू. करने की योजना है। उससे यहां जो साड़ी पांच हजार-दस हजार रूपये में बिकती है वह वहां 30 हजार रूपये तक में बिकती है। लोहे के खिलौने वगैरह हैं, नंदी है, बैल है, अन्य है ये सब बाहर में बिकते हैं। यहां तक कि बुनकरों के द्वारा जितने भी सामान बनाये गये हैं उन्हें एयरपोर्ट में भी सब सामान रखने की योजना है, क्योंकि एयरपोर्ट में लोग लेने ज्यादा आते हैं, खरीदी होती है, लोगों को रोजगार मिलता है । अपने आप स्वत: उनकी मजदूरी बढ़ती है। आज ये हमको सोचने की आवश्यकता है। सभी एयरपोर्ट में भी लागू किया जाये । बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे पुरी, गिरौधपुरी, जगन्नाथ, बाम्बे अन्य महाराष्ट्र जहां बड़े बड़े स्थल हैं । उन धार्मिक स्थलों में भी इन योजनाओं को लागू किया जाये जिससे वहां लोग जायेंगे, समान की बिक्री होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग स्वत: अपने पैर में खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरी मांगों को जरूर समर्थन करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेष पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं। आज पी.एच.ई विभाग का बहुत ही अच्छा विषय है । मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की लिए बहुत जरूरी है और सदन के लिए भी बहुत जरूरी है। आदरणीय श्री अमरजीत भगत जी ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो पेयजल का लक्ष्य प्रति व्यक्ति के लिए रखा गया है जो शहरी क्षेत्र में 70 लीटर प्रति व्यक्ति रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्र में 40 लीटर प्रति व्यक्ति रखा गया है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें व्यक्ति को पीने के लिए पानी प्रतिदिन वैसे नहीं लगता है लेकिन उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतनी पानी की जरूरत पड़ती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बहुत संकट आ चुका है। शहरी क्षेत्र में तो हम सब जानते हैं क्या स्थिति है, लगातार प्रश्न सदन में पूछे जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जनता जागरूक हो चुकी है। पहले के जमाने में आज से 15, 20 साल पहले ये बातें नहीं होती थी, लोग कुंए से पानी निकालते थे 20, 25 साल पहले और उसकी पानी से नहाते भी थे और उसी पानी को पी भी लेते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज लोग ये चाहते हैं कि उनको साफ सुथरा पेयजल मिले, जागरूकता भी है और ये सही भी है। शासन के लिए और चुनौतीपूर्ण दायित्व हो जाता है कि हम लोगों के घरों में जो पानी देते हैं, वह पानी उनके पीने के लिए शुद्ध ये हमारी जरूरत है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षो से पेयजल को ले करके ऐसी ठोस नीति क्यों नहीं बनाई गई। आज मैं अपने बिलासपुर का ही उदाहरण देता हूं कि आज से 12, 14 साल पहले 500 बोर करा दिये गये थे। 500 बोर करा दिये गये थे तो शासन ने सोचा जनता को पानी पिलाने से हमको छुट्टी मिल गई। लेकिन 50 बोर कराना उस वक्त

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तात्कालिक व्यवस्था थी, क्या बोर से केवल हम लोगों को पानी पिलाना चाहते हैं। हमारे पास दूसरी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज 12 साल में लगातार कितने बोर खराब हो गये, पूरे प्रदेश में बोर का संकट है। चाहे कोई सी विधानसभा ले लीजिए, मुंगेली, तखतपुर का ले लीजिए। जैसा कि आपने बताया लेकिन ऐसी योजना हम आज से 15 साल पहले यो 10, 12 साल पहले क्यों नहीं बनाई ? जिसमें हमको कम से कम बोर कराने पड़ते और हम कोई बड़ी पानी की योजना लाते जिसमें लोगों की पानी पीने की समस्या का समाधान करते। इसलिए आज बिना सोचे समझे पिछले 10, 12 सालों में इस प्रकार की योजनाएं बनी कि हम केवल बोर के माध्यम से जनता को निर्भर करते रहे। आज देश में, प्रदेश में जल संकट की स्थिति आ चुकी है। हर बार हम गर्मी के पहले पानी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ग्रामीण लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है। शहर के लोगों में झगड़ा होता है। मैं स्वयं पिछले वर्ष कई बार नगर निगम के सामने धरने में जा के बैठा। पानी की समस्या को लेकर धरने में बैठा। मैं जनता को वहां पर लेकर गया। मेरा पास वहां पर धरना देने के सिवाय कोई आप्सन नहीं रहता था। मेरे को सरकार से जवाब आत था कि हमारे पास फंड नहीं है, फाईल कलेक्टर साहब के सामने रखी हुई है। हमारे पास दो ही हैंड पंप का फंड है और हम आपको इतना ही दे सकते हैं। उनसे कस्में खिलवाने के बाद लिख के देते थे कि तीन दिन में समस्या का समाधान कर देंगे। पानी के टंकरों से लोगों की समस्या का समाधान करना पड़ता था। पानी के लिए जो पाईप लाईन डली हुई है, वह पाईप लाईन इतनी पुरानी है कि इसमें जंग लग चुका है। न जाने कितने लोग इस प्रदेश में जिनको बहुत सारी बिमारियों का सामना करना पड़ता है। पीलिया जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। इस प्रदूषित पानी के कारण न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और इस प्रदेश में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, ऐसी नहीं है और हमेशा हमारा आपदा प्रबंधन जो है, हमारा प्रबंधन ठीक नहीं था और हमारा आपदा प्रबंधन जो था, वह भी ठीक नहीं था और इसके कारण लोगों, जनता को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, आप सत्ता पक्ष के हैं और विपक्ष की तरह बोल रहे हैं।

श्री शैलेष पांडे :- मैं पिछली सरकार की बात कर रहा था।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप उपलब्धियों का उल्लेख करिये।

श्री शैलेष पांडे :- मैं कर रहा हूँ। आज हमारे सामने...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ये विपक्ष की तरह इसलिए बोलेंगे क्योंकि वे मुख्यालय के विधायक थे, उनको झण्डा फहराने नहीं दिया गया। बाहर के विधायक को बिलासपुर में झण्डा फहराने दिया गया तो क्यों नहीं बोलेंगे, वे सही बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं। माननीय सभापति महोदय, वे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों। जनता की तकलीफ को व्यक्त करने का इससे अच्छा अवसर नहीं है और वे कह रहे है तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बिलासपुर में तकलीफ है, उसमें क्या सत्ता और क्या विपक्ष ? तकलीफ है तो उसको दूर करिये। ये कह रहे हैं। आप आगे बढ़िए।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, पिछले 15 सालों के कल-कारनामों को बताना होगा।

श्री शैलेष पांडे :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूँ। मुझे इस बात को रखना पड़ा। क्योंकि ये बात रखना जरूरी है और मैं अपनी सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जो हमने योजनाएं बनायी हैं। उन योजनाओं में हमको आने वाले समय में ऐसा लाभ मिलेगा, जैसे जल आवर्धन योजना है। माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि जल आवर्धन योजना पिछली सरकार में बिलासपुर के लिए लायी गई थी।

समय :
1:31 बजे

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, आज तक वह हैण्ड ओव्हर, टेक ओव्हर नहीं हुई और करोड़ो रूपये लगाकर खड़े कर दिये गये। वह सिर्फ विभाग, विभाग की लडाई में और इस प्रकार से हमारी सरकार ने जो काम किया है। जिस प्रकार से बहुत सारी जल आवर्धन योजना के अंतर्गत बहुत सारे शहरों को पानी देने की जिम्मेदारी उठायी गई है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और जो योजनाओं की पुरानी विसंगतियां हैं, उनको भी दूर करने के लिए मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ, जिससे जनता को बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़े और आने वाले समय में हम अच्छे से अच्छा पानी और हम सुविधा लोगों को दे पायें।

माननीय सभापति महोदय, वैसा मेरा विषय ग्रामोंद्योग था। इसलिए मैं एक्स्ट्रा थोड़ा पहले अपनी बात पी.एच. ई. विभाग में रख दिया। पुन्नूलाल मोहले जी ने जिस प्रकार से से पूर्व ग्रामोद्योग मंत्री थे, आज उन्होंने जो समस्याएं रखी हैं जो बातें रखी है आज हमारे लिए ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। और ये खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने बहुत सारे जो ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग हैं छोटे-छोटे उद्योग हैं, जिसमें आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है, अपना जीवन यापन करने के लिए। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी प्रतिभाएं होती हैं कि जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकते हैं थोडा अर्निंग कर सकते हैं। हम बहुत सारे ग्रामीण लोगों को ऐसी शिक्षा ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी स्किलिंग कर सकते हैं, जिससे कि वह वहां पर अपना जीवन स्तर बेहतर बना सकते हैं। इसको लेकर जो हथकरघा क्षेत्र है, इसमें ग्रामीण अंचल में बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जो विपणन, जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने शासकीय कार्यालयों और शासकीय शिक्षण संस्थाओं में वस्त्रों का बुनकरों के माध्यम से जो उत्पादन किया गया है, वितरण किया गया है, ये बहुत ही प्रशसंनीय है मैं अपनी सरकार ये उम्मीद करता हूँ कि अकेले इस हथकरघा वाले काम से हमको लाखों स्वरोजगार निर्मित भी कर सकते हैं और लोगों का जीवन स्तर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। इसमें बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्र महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा गणवेश बनाये जाते हैं और स्कूल के बच्चों को वही चीजें दी जाती हैं, जिससे कि शासन के ऊपर कम व्यय आता है और दूसरा है कि बुनकरों को उचित मूल्य भी मिल जाता है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। वर्ष 2017-2018 में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया था और वर्ष 2018-2019 में 26 करोड़ 17 लाख रूपये के गणवेश सिलाई का वितरण किया गया है ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे प्रदेश में वस्त्र सिलाई के लिए 725 महिला स्व सहायता समूह को लगभग 8 हजार, 700 महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। ये भी बहुत खुशी की बात है। हमारी सरकार नि:संदेह गरीबों की सरकार है, हमारी सरकार किसानों गरीबों की सरकार है, इसको एक साकार रूप देने के लिए हमारे माननीय मंत्री गुरू रूद्रकुमार जी ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, मैं उसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और उनकी जो मांगे हैं, मैं यह मानता हूं कि यह बहुत ही जन उपयोगी सिद्ध होंगी और माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए भी विनती करता हूं कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पर जरूर ध्यान दीजियेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समया दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- खासकर जो 20 साल से जंग लगी हुई पाईप है, उस पर ध्यान देंगे।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांगों का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। निरंतर भू-जल पाताल में जा रहा है, लगातार भू-जल स्तर गिरते जा रहा है, इसलिए किसी एक एरिये में नहीं, पूरे प्रदेश में जल का संकट पैदा हो जा रहा है और गंभीर स्थिति पैदा होती जा रही है। आज ही के प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने हमारे जिले के बारे में बताया था कि इतने स्थानों पर नलजल योजना चालू है, बंद है। कई लाख रुपये एक-एक गांव में नल जल योजना, जल आवर्धन योजना के लिए लग जाता है। जल आवर्धन का मुख्य हेतु है लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। लेकिन उसके बाद भी कहीं पर पानी टंकी का निर्माण हुआ है तो पाईपलाईन नहीं बिछी है, कहीं पाईपलाईन बिछ गई है तो टंकी नहीं बनी है और कहीं टंकी और पाईपलाईन दोनों कार्य हो गया है तो विद्युत का कनेक्शन नहीं है। कई वर्षों से, दो, तीन, चार साल से वह दोनों चीजें खड़ी हैं लेकिन उसके बाद भी वहां पर पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी, इस पर गंभीरता से ध्यान दें, पूरे प्रदेश में इसकी पूरी समीक्षा करें कि कहां पर ऐसी स्थिति है और लोगों को सारे काम होने के बाद में क्यों पानी नहीं मिल पा रहा है और उस पर तत्परता से कार्यवाही करें। मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय मंत्री जी को मेरे क्षेत्र का कुछ बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय जांजगीर में नलजल योजना करीब 4-5 वर्षों से बंद है और पूरी गर्मी में गंभीर संकट पैदा होता है। टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है, 2-3 किलोमीटर से लोग पानी लाते हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव सेमरा है, पौना, सांकर, खटोला, बिरगहनी-च, पिपरसत्ती, मुड़पार, सिवनी, पेन्ड्री, नवागढ़ ब्लाक के ऐसे कुछ गांव हैं जहां पर नलजल योजना बंद पड़ी हुई है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) :- माननीय सभापति जी, अभी जो आपने आपके यहां का बताया कि 4 सालों से बंद है, किस कारण से बंद हैं, क्या खामियां हैं, इसका भी जरा उल्लेख करे दें।

श्री नारायण चंदेल :- वहां पर 7-8 साल पहले नलजल योजना 3 करोड़ कुछ लागत की बनाई गई थी और जो उसका फिल्टर प्लाण्ट है, वह हंसदेव नदी से गलत स्थान पर फिल्टर प्लाण्ट बन गया था, अब वहां पर पानी ही नहीं आता है इसलिए वह नलजल योजना तकनीकी मामलों के कारण बंद हो गई। दूसरा 9 किलोमीटर दूर से पानी आता है तो पाईपलाईन का जो स्तर है, वह निम्नकोटि का था। पाईपलाईन कई जगह से फुट गई थी, इसलिए वह नलजल योजना 4-5 साल से ठप्प पड़ी है। आप उसको दिखवा लेंगे। शायद उसकी नई नलजल योजना की स्वीकृति पिछली सरकार में हुई है, लेकिन उसका काम जल्दी शुरू हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र कोसा का क्षेत्र है। चांपा का कोसा प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में वहां पर बुनकर हैं। चांपा में बुनकरों की करीब 4 से 5 हजार की आबादी अकेले शहर में है। बुनकरों की जो समस्या है, यहां पर अधिकारी भी हैं और आप भी हैं, अभी वर्तमान में बुनकरों को धागा नहीं मिल पा रहा है। उनका धागा मंहगा हो गया है। वह लोग जो कपड़े का मेहनत करके प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, उसका रेट नहीं मिल पा रहा है। बुनकर समिति को पिछली सरकार में 20 दिनों में उनका भुगतान हो जाता था, जब से नई सरकार बनी है करीब डेढ़ महीने से ऊपर हो गये हैं बुनकरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है । (शेम-शेम की आवाज) बुनकरों की यह मांग है कि बुनकरों को भी खुला मार्केट मिलना चाहिए ताकि वे अपने माल का उचित रेट प्राप्त कर सकें । कपड़ों के मापदण्ड के हिसाब से निर्धारित दर उनको प्राप्त होना चाहिए यह मूल रूप से हमारे क्षेत्र के बुनकरों की समस्या है । वहां पर एकमात्र कॉलेज हैं, वहां पर भी आप जाकर देखिये जहां पर बुनकरों से संबंधित, कोसा कपड़े से संबंधित उनको तकनीकी शिक्षा दी जाती है तो वहां पर उस कॉलेज में भी भारी अव्यवस्था है ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय चंदेल जी, वे जो कोसा वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे, क्या वे आपके साथ चुनाव लड़ते हैं ? आपको यह कैसे पता चला ? वे तो अच्छे हैं, वे आपके साथ चुनाव लड़े । वही तो बुनकर के प्रदेश अध्यक्ष हैं न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- वे बुनकर के प्रदेश अध्यक्ष हैं । वे खुद महाजन हैं, वे बुनकर थोड़ी है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या है कि उन्होंने पहले इनका सहयोग किया और अब ये उनका सहयोग करेंगे ।

श्री कवासी लखमा :- दोनों का अदला-बदली होता है क्या ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सहयोग का आदान-प्रदान है ।

श्री कवासी लखमा :- दोनों की अंदर-अंदर दोस्ती है ।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय सदस्य को पूरा करने दीजिये ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यह जो कुछ बातें बतायी हैं उन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और विभाग को थोड़ा टाईट करिये क्योंकि इसमें गरीब आदमी जुड़े हुए हैं । आप किसी बुनकर के यहां जाईये, वह कितनी मेहनत करता है, आप वहां प्रत्यक्ष रूप से जाकर के देखिये । मैं आपको आमंत्रित करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के पीएचई एवं ग्रामोद्योग मंत्री के वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांग संख्या- 20 एवं 56 के अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । चूंकि जल ही जीवन है । चाहे मनुष्य के लिये हो, चाहे पशु-पक्षी के लिये हो या जीव-जंतुओं के लिये हो । जल का संरक्षण, जल के संवर्धन के साथ-साथ हर व्यक्ति को जल उपलब्ध कैसे हो उसकी व्यवस्था हमारे पीएचई मंत्री के माध्यम से पीएचई विभाग के माध्यम से होता है । इस विभाग के लिये जो मांग की गयी है 637 करोड़ 44 लाख 78 हजार और ग्रामोद्योग के लिये 117 करोड़ जो मांग की गयी है इसका मैं समर्थन करता हूं । आज जो बातें पानी की होती हैं, पानी पिलाना पुण्य का काम है और वह पुण्य का काम हमारे श्री रूद्र गुरू जी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता उनको आशीर्वाद दे रही है ।

माननीय सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो तय किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है उसके लिये 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं का निष्पेक्ष पद से 6 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें बेमेतरा जिले के विकासखंड, बेमेतरा, साजा, बेमेतरा के नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित 152 ग्रामों के लिये 189 करोड़ 54 लाख का प्रावधान इसमें किया गया है जिसमें 1 लाख 68,736 जनसंख्या इसमें लाभांवित होंगे। बस्तर जिले की बात हो रही है, बस्तर जिले में गुणवत्ता से प्रभावित 33 ग्रामों के लिये 49 करोड़ 68 लाख कोसा टेडा समूह योजनांतर्गत 29 ग्रामों में योजना का कार्य पूर्ण कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है जिसमें 60 हजार से अधिक जनसंख्या इसमें लाभांवित होगी । बस्तर संभाग में जो फ्लोराईडयुक्त ग्राम हैं, कोंडागांव

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

जिले में 30 ग्राम, कांकेर जिले में 13 ग्राम, बीजापुर जिले में 8 ग्राम और बस्तर जिले में 56 ग्राम, 107 ग्राम ऐसे हैं जो फ्लोराईडयुक्त हैं । इससे कहीं न कहीं आज सतही जल जो हम निकालते हैं तो उसमें फ्लोराईड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिये सतही जल के माध्यम से माननीय मंत्री जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सतही जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके किया जा सकता है । कोंडागांव शहर जिला मुख्यालय है, लगभग 30 हजार से ज्यादा जनसंख्या है उसमें कोसा टेडा से जो जल आवर्धन योजना के तहत् वहां देना प्रस्तावित है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कोंडागांव शहर को जल आवर्धन योजना के तहत जल्दी से जल्दी पानी मिले । क्योंकि वहां गर्मियों में पानी की बहुत समस्या होती है । वहां के लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते हैं । मैं चाहूंगा कि उस योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करके कोंडागांव शहर के लोगों को जल प्रदाय किया जाए । सभापति जी, ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण एवं जांच पड़ताल योजना, 13 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत 400 एकल ग्रामीण नलजल योजना के तहत 2019-20 में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है । ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली पानी की समस्या दूर हो सके । राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना, 1300 बसाहटों को हैंडपम्पों एवं अन्य माध्यमों से लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है उसके तहत 2019-20 में 180 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें 600 से अधिक आयरन एवं फ्लोराइडयुक्त समस्या से ग्रसित ।

सभापति महोदय :- इसको थोड़ा संक्षिप्त करेंगे । अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ मांग हो तो उसको रख लीजिए आप ।

श्री मोहन मरकाम :- मैं 5 मिनट में अपने बात कहना चाहता हूं । राज्य मद में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत, इसके लिए भी 138 करोड़ का प्रावधान किया है । जिसमें 6500 समस्याग्रस्त बसाहटों के साथ साथ 300 नलजल योजनाओं के लिए 27500 से अधिक हैंडपम्पों के संधारण के लिए और 6500 नलजल स्पॉट सोर्स के माध्यम से इन योजनाओं को संचालित किया जाएगा । सभापति जी, शहरी नगरीय निकाय क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना, अभी हमारे आदरणीय साथी कह रहे थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, सभापति महोदय, जब आप आसंदी पर बैठते हैं तो आपके चेहरे की प्रसन्नता झलकती है, चेहरे में निखार आता है । उसके पीछे क्या कारण थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नूर झलकता है, सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- अंदर की बात आप लोग कैसे जानते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नूर वूर नहीं झलकता । वहां से वे बैठकर इधर देखते रहते हैं कि सभापति तालिका वाला दूसरा सदस्य कब आए तो उसको बुलवाउं । क्योंकि उनको वहां मजा नहीं आता । उनको

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप लोगों से बिना प्रेम किये मजा ही नहीं आ रहा हूं । इसलिए मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं । मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आपकी पीड़ा ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना, इससे वर्तमान राज्य में नगर निगम में 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, नगर पालिका क्षेत्र में 115 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगर पंचायतों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन देने का प्रावधान है, इसके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था कैसे हो इसके लिए सरकार विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रावधान किया है, इसके लिए 18 नगर पालिका परिषदों में एवं 38 नगर पंचायतों के लिए 2019-20 के बजट में 146 करोड़ का प्रावधान किया है । सभापति जी, हमने देखा है कि पिछले 5 सालों से लगातार शालाओं में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग मांग करते रहे हैं । वर्तमान सरकार ने शासकीय शालाओं में पेयजल उपलबध कराने के लिए 700 पावर पम्प एवं टंकी के माध्यम से शालाओं में पेयजल के लिए 2019-20 के बजट में 12 करोड़ का प्रावधान किया है ।

सभापति महोदय :- मोहन जी संक्षिप्त करें, आपके क्षेत्र की कोई डिमांड हो तो रख लें ।

श्री मोहन मरकाम :- सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के तहत, 1200 सौर ऊर्जा पम्पों के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पानी की व्यवस्था करने के लिए 16 करोड़, 50 लाख का प्रावधान किया गया है । सभापति जी, आज हम देखते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 73716 बसाहटें हैं, उनमें से लगभग 3858 में आयरन और फ्लोराइडयुक्त पानी है । यह कहीं न कहीं चिंता का विषय है । मैं विभागीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यहां लोगों को शुद्ध पानी मिले, यह हम सबकी प्राथमिकता है । छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है कि लोगों को शुद्ध पानी मिले । मैं चाहता हूं कि इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य करें । पानी के लिए बजट देने में तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी ना नहीं करेंगे । लोगों को शुद्ध पानी मिलना चाहिए । हम सभी जनप्रतिनिधियों की यही मांग रहती है इसलिए मैं चाहूंगा । सभापति महोदय, मैं पुन: दोहराना चाहता हूं कि माकड़ी, जोबा, बनउसरी में आज भी फ्लोराइडयुक्त पानी है । हम पिछले 5 सालों से सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं हैं क्योंकि यहां फ्लोराइड युक्त पानी बहुत ज्यादा है। वहां जो भी नल खोदते हैं, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जोबा माकड़ी से लेकर इन ग्रामों में बड़े-बड़े 3-3 हजार लोगों की जनसंख्या है। उन गांवों में विशेष कार्ययोजना बनाकर पानी की व्यवस्था हो और साथ ही साथ सबसे बड़ी मांग मैंने रखी है कोंडागांव शहर के लिए। कोसा ट्रेडा जल आवर्धन योजना, उसको तत्काल लागू करेंगे। इन्हीं मांगों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। माननीय सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री डमरूधर पुजारी।

अशाेधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं आज पी.एस.ई. मंत्री के अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। मांग संख्या 20, मांग संख्या 56। माननीय सभापति जी, जल ही जीवन है और जल से जीवन है, यह मेरे क्षेत्र में छोटी सी कहावत है लेकिन हम लोग जल से मर रहे हैं। एक सूपेबेड़ा में हमारी माननीय प्रभारी मंत्री भी हैं और पी.एच.ई. मंत्री भी हैं। हाल में हमारे दोनों मंत्री सूपेबेड़ा गये थे तो जल से जीवन है और हम लोग मर रहे हैं। अगले समय हमारे मुख्यमंत्री गये थे कि हम 10 लाख रूपया प्रति किडनी बीमार से ग्रसित व्यक्ति को दिलाएंगे और एक परिवार को एक नौकरी दिलाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यह बोलकर आये थे। जल से आदमी अच्छा होना चाहिए। मनुष्य अच्छा होना चाहिए मगर जल से किडनी की बीमारी से हमारी मृत्यु हो रही है। हमारे पी.एच.ई. मंत्री अभी 2 करोड़ रूपये का बजट लाये हैं मगर 2 करोड़ में नहीं होता। माननीय मंत्री जी उसमें हॉस्पिटल भी होना चाहिए। आप तो प्रभारी मंत्री जी हैं। अभी हमारे क्षेत्र गये हैं और देखकर भी आये हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी गये थे तो हमको पेयजल के साथ-साथ स्वस्थ अस्पताल भी होना चाहिए। तब हम जल पीकर भी बच सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। सभापति जी, मेरे क्षेत्र में इतने पुराने-पुराने हैण्ड पंप है और अभी जल स्तर भी कम है। महोदय जी, मेरे क्षेत्र की जनता ने बहुत मांग की है तो उसके लिए तत्काल स्वीकृति करवाएं और ग्राम पंचायत में बड़े-बड़े टंकी खोद दिये हैं, वह लाइट की कमी से या कुछ तकनीकी कारणों से पूरा पेडिंग पड़ी है, उसको तत्काल चालू किया जाए क्योंकि अभी गर्मी का समय आने वाला है। गर्मी में जनता में हाहाकार मचेगा और महोदय जी, हमारे क्षेत्र की एक और समस्या है और मेरे घर की बात है कि मेरे गांव में पानी नहीं मिलता है और हम जल मटिया से लाते हैं और जल की कमी से हमारे गांव वाले तड़पते हैं। एक छोटा सा नाला है तिलनदी। उस तिलनदी नाला में हम लोग झरनिया पानी पीते हैं और जीवन बचा रहे हैं। ये हमारे अधिकारी लोग हमें हाय हैलो करते हैं हाय हैलो करने से भी ...।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, नोट करिए विधायक जी के गांव में पानी की की समस्या है।

श्री डमरूधर पुजारी :- महोदय जी, मेरा गांव है और पानी वहां मटिया से जाता है। कभी लो वोल्टेज में पानी भी नहीं मिलता है। मैं तो रहता हूं और मेरा परिवार भी रहता है। हम लोग पानी के लिए इतना तड़पते हैं। उसको भी ठीक ठाक करा लीजिए।

सभापति महोदय :- गंभीर बात है। बोल दिया।

श्री डमरूधर पुजारी :- और मेरा दो तीन जगह है। उरमाल में भी पानी टंकी है। उरमाल, झरगांव, सेनापाली, कोयबा, अमलीपदर, निष्ठीगुड़ा, गिरसूल में इन्होंने बड़ी-बड़ी टंकी तो बना दिये हैं, मगर टंकी संचालित नहीं है और उसमें गांव वाले पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो इन बड़ी-बड़ी टंकियों को थोड़ा दिखा लें और पानी की व्यवस्था कर लें और हमारे दोनों माननीय मंत्री जी गये थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- टंकी बनाये हैं।

श्री डमरूधर पुजारी :- जी, दादी आप तो मेरे क्षेत्र में गये हो। देखे भी हैं है न। कैसा है? आप तो पूरा नस-नस में जानते हो।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आपके पक्ष में बोल रहे हैं।

श्री डमरूधर पुजारी :-जी-जी, तो हमारे प्रभारी मंत्री जी भी हैं। अभी गये थे मगर हमको 2 करोड़ देने से नहीं होता। मगर वहां हॉस्पिटल देने का है। हमारे दोनों प्रभारी मंत्री जी पी.एच.ई. मंत्री गये थे और स्वास्थ्य मंत्री गये थे मगर जनता को लुभाने के लिए मोबाइल नंबर देकर आये और कुछ देकर नहीं आये थे और हमारे सुपेबेड़ा की जनता पानी के लिए तरस रही है और किडनी की मौत के लिए। यह हमारे क्षेत्र की बड़ी विडंबना है और जहां-जहां पुराने हैण्ड पंप हैं, उसमें जंग लगा है।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ मांग है तो उसको रख लीजिए। अपने क्षेत्र से और कहीं कुछ मांग हो तो उसको रख लीजिए।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में एक महरा जाति है, जो बुनकर का काम करते हैं, कपड़ा बुनते हैं। उनके लिए भवन चाहिए। उनका रोजी-रोटी भी ठीक होना चाहिए। क्योंकि हम लोग महरा जाति वाले हर जगह हैं। महुझर में हैं, सरीवड़ा में हैं, सालुनभाड़ी में हैं। तो हमारे महरा जाति समाज, बुनकर बंधुओं के लिए भी भवन चाहिए। तो मेरा माननीय मंत्री जी आग्रह और निवेदन है क्योंकि वे हमारे प्रभारी मंत्री भी है। इसलिए हमारी जो भी समस्या है, उनका समाधान करवाये। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज अनुदान मांग संख्या 20 और 56 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होने मेरे विधान सभा क्षेत्र तखतपुर और नगर पंचायत सकरी को जल आवर्द्धन योजना में अपने बजट प्रस्ताव में शामिल किया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि बिलासपुर जिले में केवल 210 नलकूप खनन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि काफी कम है। मैं उसमें आपसे वृद्धि का आग्रह करती हूँ। पिछले वर्ष जब गर्मी पड़ी थी, जैसा मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया है कि मेरे विधानसभा के केकराड़ में 12 बोर सूख गए थे। गुलसरी में भी बोर सूख गए हैं। तखतपुर विधानसभा के नगर पालिका में पेयजल बरेला, खपरी और निगारबंद से सप्लाई होता है। क्योंकि वहां के पानी का स्वाद अच्छा नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि तखतपुर में एक बड़ी पानी टंकी का निर्माण जल आवर्द्धन योजना के माध्यम से स्वीकृत करके अतिशीघ्र शुरू कराने का कष्ट करे। क्योंकि योजनाएं तो बन जाती हैं, लेकिन उनका अमल और पानी की जो व्यवस्था है, वह शीघ्र नहीं होती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जब मैं सन् 1994 में बिलासपुर नगर निगम में पार्षद थी तो 11 करोड़ रूपये की जल आवर्द्धन योजना शुरू की गई थी, जिससे लगभग 20-22 वर्षों तक कोई पानी की आपूर्ति नहीं होती थी। तो कृपया ऐसा न हो, ऐसा मेरा आग्रह है और आप विशेष ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सैदा के तिवारीपारा में पीने के पानी की बारहो महीने किल्लत रहती है। तो मेरा आग्रह है कि दो-चार किलोमीटर दूर कोपरा जलाशय है। यदि कोपरा जलाशय से पानी लाने के लिए पाईप लाईन की व्यवस्था कर दी जायेगी तो ग्राम सैदा के तिवारी पारा के लोग लाभान्वित होंगे। इसी तरह से खम्हरिया में भी बोर फेल हो जा रहे हैं। अगर यहां जोरा और पेण्ड्री से पानी लाने की व्यवस्था हो जायेगी, तो खम्हरिया के बोर फेल होने के कारण जो पानी की किल्लत है, उससे बचा जा सकेगा। अत:तखतपुर के भी कई गांव में पेयजल की समस्या है। तो वहां नलजल योजना से पानी की व्यवस्था कराये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सकरी में हाल ही में एक वाटर ए0टी0एम0 की शुरूआत हुई है। उस वाटर ए0टी0एम0 में लोगों को एक रूपये में पांच लीटर आर0ओ0 वाटर मिलता है। इस योजना का और प्रचार-प्रसार करें यदि और अधिक जगह वाटर ए0टी0एम0 लगता है तो उससे ग्रामीण अंचल की जनता को लाभ होगा। जिस तरह से सुपेबेड़ा की घटना हुई, उस तरह की जहां भी समस्या है, वहां वाटर ए0टी0एम0 के स्थापित कर सतही स्त्रोत का प्रबंधन किया जायेगा तो बहुत सारी जगह बीमारी के होने वाले व्यय से बचा जा सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बुनकर परिवार बहुत ज्यादा संख्या में हैं। वहां उनका व्यवसाय मृत प्राय हो गया है। वे लोग अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर किन्हीं दुकानों या दूसरी जगहों, बिलासपुर शहर में आकर दुकानों में नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि अगर आप, आपका विभाग तारणहार बनकर उन्हें आर्थिक मदद दिलाते हैं तो वे अपने पैतृक व्यवसाय को फिर जिन्दा कर सकेंगे। इससे उनके पारिवारिक व्यवसाय में जो उनका हुनर है, वे उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। जिस तरह से अभी उल्लेख हुआ कि चांपा के एक कालेज में व्यवसायिक शिक्षा का विषय है। तो मेरा आग्रह है कि आप माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करें कि तखतपुर में भी व्यवसायिक शिक्षा में हथकरघा को शामिल किया जाए तो मैं आपका बहुत ऋणी रहूंगी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी।

माननीय सभापति महोदय, तखतपुर विधान सभा, बिलासपुर से लगा हुआ है। यदि वहां पीने के पानी की किल्लत होती है तो टैंकर से व्यवस्था करायेंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है। बुनकरों के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में जन जागरण शिविर इस तरह का लगाकर उन्हें बतायेंगे तो निश्चित तौर पर वे लाभान्वित होंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :
2:00 बजे

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री गुरू रूद्र कुमार जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री जी के विभाग की अनुदान मांग पर मैं चर्चा करने के लिए खड़ा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, 2018-19 की प्रशासकीय प्रतिवेदन में 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाईप लाईन से जल प्रदाय की बात कही गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है ? छत्तीसगढ़ प्रदेश में 19708 गांव हैं और उसमें करीब 75 हजार बसाहट है और आज नलजल योजना 3485 गांव में है । 90 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना लंबा समय लगेगा, न उसके लिए कोई व्यापक बजट है, न कोई योजना है । आज भी लोग पारम्परिक जो स्त्रोत है, नदी-तालाब के ऊपर आज भी ग्रामीण अंचल के लोग पेयजल के लिए निर्भर हैं । छत्तीसगढ़ में जल की गुणवत्ता से प्रभावित बहुत सारे गांव हैं और इन गांवों में शुद्ध पेयजल देने की योजना भी बनी हैं। समूह बनाकर इनको ट्रीटमेंट के माध्यम से शुद्ध पेयजल दें, लेकिन 12 योजना में 316 गांव को सम्मिलित किया गया है, उसमें केवल 5 प्रारंभ हुआ है, अभी भी 7 समूह नलजल योजना प्रारंभ नहीं हो पायी है, पूरा नहीं हो पाया है । इनके अलावा और बहुत सारे गांव हैं । आज जितने फ्लोराईड से प्रभावित हैं, वहां पूरे प्रदेश में जितने मशीन लगाएं हैं, वह लगभग सब बंद है। कहीं-कहीं गिने-चुने जगह पर संचालित हो रहे हैं । अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नलजल योजना और स्थल जल प्रदाय योजना को उनके मरम्मत के लिए, रख-रखाव के लिए ग्राम पंचायत को 15 हजार और 5 हजार रूपये प्रति साल देते हैं, लेकिन आपके विभाग की निगरानी सही नहीं है, जो बंद है, उसको चालू बता रहे हैं । आप 15 हजार और 5 हजार रूपये ग्राम पंचायत को दे रहे हैं, जो खाली बंदरबांट के लिए है और जो चालू हैं, वहां आप दे रहे हैं तो ग्राम पंचायत एक रूपये भी आपकी उस राशि का उपयोग नहीं कर रहा है । मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो आप ग्राम पंचायत को राशि देते हैं, उसको आप अपने विभाग के पास रखें और उनका संधारण, उनकी मरम्मत आप अपने विभाग से करवाए तो मैं समझता हूं कि उस राशि का सही सदुपयोग होगा ।

माननीय सभापति महोदय, आज माननीय चंदेल जी के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 249 नलजल योजना जांजगीर-चांपा में है, उसमें सिर्फ 16 चालू हैं, ये भी आपके विभाग की सही जानकारी नहीं है, कम से कम 25 प्रतिशत बंद है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- सभापति महोदय, ये 15 साल से बंद है, अभी तो दो ही महीना हुआ है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बिल्कुल दादी । मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी, 15 सालों से बंद हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको चालू करवाएं। जो अधिकारी पहले भी गलत जानकारी देते थे, आज भी वे गलत जानकारी दे रहे हैं । इस ओर थोड़ा ध्यान दें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, कई वर्षों से हैण्डपम्प बंद है, उसको चालू करना कठिन है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, चंद्रा जी, दादी चालू करने की बात कर रहे हैं । इस दो महीने में आपने बस्तर में क्या-क्या चालू किया, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और आजकल आपका जो बयान आया है, वह छत्तीसगढ़ का पूरा मीडिया देख रहा है ।

श्री अरूण वोरा :- शर्मा जी, लोहण्डीगुड़ा की जमीन वापस करवाई, वह आप नहीं देख रहे हैं । हमारी सरकार ने कितना बड़ा काम किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जब बात शुरू हो गई तो ये बताओ कि उसकी अंग्रेजी-देशी वाली नीति में सहमत हो । अंग्रेजी सरकार के पास है और देशी ठेके में है, इससे आप सहमत हो ?

श्री कवासी लखमा :- उसको क्या पता, दूध पीने वाले आदमी को पूछोगे तो क्या पता ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उसको कुछ नहीं पता, अभी भी दूध पीता है । काहे की ? बकरी की ।

श्री अरूण वोरा :- कक्ष में आईए, मैं आपको बता दूंगा । सभापति महोदय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, घोड़े का दूध ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके सामने और और आपके बाजू वाला क्या पी रहे हैं, ये आप स्पष्ट कर दो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, बाकी कोई कुछ भी पीये, लेकिन पानी जरूरी है । बिना पानी के जीवन अधूरा है।

सभापति महोदय :- जल्दी अपने क्षेत्र की मांग रखिये ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- चार मिनट तो यही लोग ले लिये । आप मेरे को चार मिनट का समय दें । थोड़ा सा कृपा करें । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हर साल हैण्ड पंप की खुदाई का लक्ष्य निर्धारित करते हैं । उसके माध्यम से पेयजल के लिए व्यवस्था भी करते हैं । आज आपका स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में भी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हुआ है । स्कूलों में भी अभी पेयजल की समस्या है, आंगनबाड़ी में भी आपकी समस्या है, आप उनको पूरा करें । उसके बाद जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसमें आपसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है, उन पर भी आप विचार करें । वह अनुशंसा आपके क्राइटेरिया में आता है, कृपया उनको पहले प्राथमिकता दें । सभी विधायक गांव-गांव घूमते हैं, उनके पास भी आवेदन आते हैं, शिकायत आती है, समस्याओं से अवगत होते हैं, कहां हैण्डपम्प बंद है, कहां खराब है, यह लोगों की आम जरूरत की चीज है, पहली प्राथमिकता लोग ऐसे ही चीजों की चाहते हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जनप्रतिनिधि के जो पत्र हैं, उनको आप प्राथमिकता देते हुये अपने लक्ष्य को पूरा करने का काम करें । माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज ही मेरा प्रश्न लगा था । वर्ष 2014-2015 के वित्तीय वर्ष में मेसर्स ए.डी.सी.सी. इफको केन्द्र लिमिटेड, नागपुर को आपने 18 करोड़ 32 लाख रूपये का स्वीकृति दिया । इसका तकनीकी स्वीकृति हुआ, लेकिन विभाग का शासकीय स्वीकृति नहीं हुआ । उसमें आप जो है, 23-3-2016 से लेकर 25-8-2018 तक 18 करोड़ 22 लाख रूपये भुगतान भी कर दिये । कहीं नमूना नहीं लिये, कहीं जांच नहीं किये, मतलब पूर्णरूपेण कागजों पर काम हुआ । आपके विभाग को 12 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है । इसी प्रकार कोरबा जिले के विकासखंड करतला में आप वहां फलोराईडयुक्त पानी के लिए शुद्ध पानी देने के लिए करतला में, छिन्दई नाला आधारित ग्रामीण समूह नल-जल योजना, वर्ष 2008 में 10 करोड़ 88 लाख रूपये स्वीकृत किये । यह बजट राशि थी, प्रशासकीय स्वीकृति भी हुआ, बाद में विभाग के द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया, वहां पर स्थल पर स्त्रोत नहीं है, उसके कारण उस काम को नहीं किया गया । काम नहीं किया गया है, वह ठीक है । जल का स्त्रोत नहीं मिला, वह भी ठीक है । प्रशासकीय स्वीकृति मिला, लेकिन वह राशि कहां गया ? बजट की राशि 10 करोड़ 88 लाख रूपये कहां गये ? आपके विभाग के लोग उसमें कम्प्यूटर की रिपयेरिंग कराये, फोटो कापी कराये, कम्प्यूटर खरीदे, विज्ञापन दिये, 10 करोड़ 88 लाख रूपये को खर्च कर दिये । आज 13 गांव के लोग फलोराईडयुक्त पानी को पी रहे हैं । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यह आपके कार्यकाल का नहीं है । आप कृपया दोनों कार्यों की जांच करायें । निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आयेगा ।

सभापति महोदय :- और कितना समय लेंगे ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- दो मिनट । माननीय सभापति महोदय, जांजगीर-चांपा जिला जो है, बुनकर के क्षेत्र में, खासकर कोसा के व्यवसाय में, विश्व में प्रसिद्ध है । पूरे विश्व में चांपा से कोसा का कपड़ा भेजा जाता है । माननीय चंदेल जी बता रहे थे कि वहां पाठयक्रम भी संचालित है] बुनकर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बुनकरों का बहुत ज्यादा शोषण है । माननीय मंत्री जी, वे इतने मेंहनत करते हैं, मैं बुनकर के घर में ही रहकर पढ़ा हूँ । सब लोग या तो दो हाथ से काम करते हैं, या दो पैर से काम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करते हैं, लेकिन बुनकर ऐसे हैं जो दोनों हाथ और दोनों पैर से एक साथ काम करते हैं और कपड़े को बुनते हैं, लेकिन उनको उनका प्रतिफल नहीं मिलता है । बड़े-बड़े सेठ, साहूकारों से धागा लेकर जाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, मात्र पारिश्रमिक के रूप में मीटर के हिसाब से थोड़ी-बहुत राशि दी जाती है । अगर इनके हित मेंकोई काम करे, तो निश्चित रूप से मेंहनत करके वे उसक्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को सम्मान दिला रहे हैं, उनको सम्मान मिल जायेगा । पुरानी परम्परा में कुम्हार लोग बर्तन बनाते थे, माटी कला बोर्ड का गठन हुआ, सरकार ने निर्णय भी लिये, जहां-जहां कुम्हार है, उनके लिए चार एकड़ जमीन उनके लिए आरक्षित किया जायेगा। लेकिन ये लागू नहीं हुआ और चार एकड़ मिला नहीं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बम्हनीडीह विकासखंड है जहां अधिकांश लोग उस वर्ग के हैं और आज भी उस काम को करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया यदि उन्हें बम्हनीडीह में चार एकड़ जमीन उपलब्ध करा दें, और आपकी योजना से किसी न किसी माध्यम से ऋण पर यदि चाक उपलब्ध करा दें तो निश्चित ही उनका व्यवसाय बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, आप सभी लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जल के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को जन-जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विभिन्न योजनाओं के द्वारा 97.79 प्रतिशत बसाहटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है जो कि राष्ट्रीय औसत 80.73 प्रतिशत है। पेयजल की व्यवस्था के लिए हमारी सरकार नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जन तक पहुंचाए इसके लिए योजनाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सभी संभागों में प्रयोगशाला स्थापित की गई है और इसके लिए 11 करोड़ रूपये का प्रावधान है। प्रयोगशाला स्थपित करना बहुत जरूरी है क्योंकि पर्यावरण का असंतुलन है और शहरों में नालियों की अधिकता के कारण पाईप लाईन भी दूषित हो गया है। इसलिए पानी का परीक्षण जरूरी है और प्रयोगशाला का होना भी जरूरी है ताकि परीक्षण करके उस पानी का प्रयोग करें ताकि बीमारियां दूर हों। नवीन नगरीय जल प्रदाय योजना के लिए 78 करोड़ 40 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है क्योंकि दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सभी को पानी उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। इसलिए इसमें 78 करोड़ 40 लाख रूपये का जो प्रावधान है उसका मैं समर्थन करती हूं। नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिए 50 करोड़ 94 लाख रूपये का प्रावधान है इसका भी मैं समर्थन करती हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल के लिए अभी राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम तैयार किए गए हैं उसके लिए 180 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है और पाईप लाईन बिछाने के लिए 185 करोड़ रूपये का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी बता चुकी हूं कि मेरो क्षेत्र बांधों से घिरा हुआ है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लेकिन जो अधिकांश एरिया है उसमें शुद्ध पेयजल का अभाव है और बड़ी टंकी का अभाव है क्योंकि जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां बड़ी टंकी का होना आवश्यक है। यदि माननीय मंत्री जी, इसे पूर्ण कर देते हैं और संपूर्ण क्षेत्र में पाईपलाईन बिछा देते हैं तो बहुत ही सुविधा होगी। इससे मलेरिया से बचाव होगा और विभिन्न और बीमारियां जो पानी से होती हैं उससे भी बचाव होगा क्योंकि वहां दूरस्थ इलाकों में शुद्ध पेयजल न मिलने के कारण पानी से संबंधित बीमारियां बहुत होती हैं और अधिकांश लोगों को अपनी जान खोना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि पानी की व्यवस्था पाईप लाईन के माध्यम से सभी गांवों में मिले ऐसी मैं आशा करती हूं। हमारी सरकार के द्वारा इसके लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं और बी.पी.एल. के लिए मिनीमाता अमृत नल-जल योजना जिसके लिए 30 हजार करोड़ घरेलू कनेक्शन और उसके लिए 10 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसका भी मैं समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय :- एक मिनट में अपने क्षेत्र की डिमांड रखिए और उसके बाद समाप्त करिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामोद्योग के बारे में कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में सभी इलाकों में एक नगरीय सिहावा है जहां कस्बा जैसा है। बाकी पूरी जगह जंगलों से आच्छादित है। मुझे सभी क्षेत्रों में पानी चाहिए, जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए चाहे बोरिंग हो, चाहे पाईप लाईन हो। मैं खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में कहना चाहती हूं कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित हैं, मुख्यमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम और कारीगर प्रशिक्षण योजना इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है लेकिन बैंक में जो सुविधाएं हैं, उसमें बैंक जनता को बहुत परेशान करती है। बैंक जनता को बिना परेशान किये आशानी से लोन दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी। उससे कार्यक्रम बहुत अच्छा चलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, पी.एच.ई डिपार्टमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जिसका सीधा रिस्ता आम गांवों के और शहर के गरीब लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि हर बजट सत्र में प्रतिवेदन में आंकड़ें दिये जाते हैं उसे हम पढ़ते हैं और आंकड़ों पर चर्चा करके, मैं समय भी व्यर्थ नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 19 हजार गांव में नल तो खुदी है, आज नहीं तो 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले खुदा होगा। मैं माननीय मंत्री जी को नेट सलाह देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले आप अपने अधिकारियों से एक कार्य योजना बना दीजिये, जिस जिस गांव में हैंडपैंप बिगड़ा है उसे तत्काल प्राथमिकता के आधार पर, एक हफ्ते के भीतर पूरे छत्तीसगढ़ के बिगड़े हैंडपैंपों को बना दीजिए। कई हैंडपैंप का प्लेटफार्म नहीं है जिसके कारण दूषित जल पीने के लिए मजबूर होते हैं उसको प्लेटफार्म बनवा के और कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी सड़क बन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गई है वह गड्ढे में डाऊन में चला गया है तो उसको पाईप लगा के थोड़ा ऊपर करके प्लेटफार्म बनवा दीजिए। तीसरी बात आप मैकेनिक की संख्या बढाईये, अधिकारी से मतलब नहीं है, वे तो बैठे रहते हैं। जो फिल्ड में जाता है वह है मैकेनिक, उसको समान की सप्लाई पूरा होना चाहिए। कहीं वायसर खराब है, कहीं चैन टूटा है, कहीं उसका पेचकस जो भी उसकी मशीनरी है वो लगा देने से आपका अमला फिल्ड में सक्रिय रहेगा। अब अधिकारियों से कितनी उम्मीद करें, श्री देवव्रत जी बता रहे थे राजनांदगांव में 10 साल से एक ही अधिकारी बैठे हैं। वहां टेंडर नहीं होता, वहीं बैठ के 20 लाख तक के टेंडर का प्रावधान नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। सही और गलत तो आप बतायेंगे। ये सब हटाईये, अंगद के पैर को थोड़ा सा हटाने की भी कोशिश करिये। क्योंकि वो एक जगह रहेंगे तो यही सब समस्या रहेगी। मैंने आपका प्रतिवेदन पढ़ा उसमें लिखा था कि मुंगेली जिले में दो उपखंड हैं। मुंगेली और पथरिया, मुंगेली से आधे से ज्यादा बड़ा क्षेत्र लोरमी में है। आधी आबादी एक तरफ और आधी आबादी लोरमी है वहां उपखंड क्यों नहीं है? तत्काल खोलिये, आप नया जिला बनाये हैं, तो लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए वहां सब डिविजन ऑफिस होना बहुत जरूरी है। तीसरी सलाह ये है कि आप स्कूल को प्राथमिकता में खुदाई कराईये। हम हर स्कूलों में जाते हैं कई स्कूलों में नल है, कई जगह बच्चे लोग मांग करते हैं कि पीने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी नल आप 25,10,5,2,1 जो भी मंजूर करें उसमें प्राथमिकता से बच्चों के स्कूल को पहले प्राथमिकता दीजिये, दूसरे नंबर में ट्रायवल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के गांवों में दीजिये। फिर तीसरे में आप नीचे उतरिये। क्योंकि ट्रायवल एरिया में पीने की बहुत समस्या है। मैं कल ही गया था इतना कागज मिला उसमें आधे से ज्यादे तो हैंडपंप के हैं या तो बिगड़ा है या तो खोदते नहीं हैं। आपके अधिकारियों की एक और समस्या है कि ट्रायवल एरिया में जून में गाड़ी भेजेंगे बोलते हैं, जब पानी गिर गया तो इतना बड़ा मशीन कैसे जायेगा। दिसंबर जनवरी में वहां खोदों, मैदान में जून में भेजों तो एक बार चलेगा। प्राथमिकता में जंगलों में बसे हुए गांवों को नलकूलप खोदने के लिए, आप आदेश करेंगे। मेरा अपना अनुभव है कि आपका जो नल जल योजना है, वह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये पंचायत को दे दिये, ये लिखने, पढ़ने, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर फील्ड में ये बिल्कुल फेलियर है। नल की बड़ी-बड़ी पानी टंकी बनी हैं। बनने के टाईम में उसका जो पाईप लाईन बिछता है वही कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के भेंट पहले चढ़ चुका होता है। जैसे ही उसका पम्प शुरू करते हैं प्रेशर में पूरा पाईप फट जाता है और उसके बाद वह दुबारा बनता नहीं है तो इसमें आप कोई ऐसी कार्ययोजना बनाईये, जिसमें आपके अधिकारी कोई इसको निरीक्षण करें। हाई क्वालिटी का लगायें, बढ़िया बनायें और जो भी, आप भले दो बनाईये लेकिन जो बनाईये, वह सफलतापूर्वक बनाईये। वहां पर उसको ताजिया सरीखे खड़ा कर दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह करोड़ो रूपये खर्च करके जनता के फायदे के लिए बनाया गया है तो उसे एक कागजी रूप देने की की जरूरत नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिलासपुर और रायपुर ये दोनों शहर में पिछले वर्षों में पानी के कारण बहुत सी मौतें हुई हैं। मैं आपसे बोलूंगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये नगरीय निकाय का मामला है। नगरीय निकाय के मंत्री जी से बोलेंगे तो वे बोल सकते हैं कि ये आपका मामला है। ये मामला आप दोनों का है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो पानी दे रहे हैं उसकी सप्लाई नाली के अंदर के पाईप से नहीं होनी चाहिए। गरीब, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग मरते हैं तो आप एक कार्ययोजना बनाईये, कुछ करोड़ रूपये भले बजट लगे, लेकिन ये जो बड़े-बड़े शहर रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, यहां पर पानी के नीचे से जाने वाली पाईप लाईन को तत्काल प्राथमिकता से बदलने का काम, आप कराईये क्योंकि अभी तो आपके पास जवाब है कि ये पिछली सरकार का है। बात-बात में मंत्री खड़े होते हैं कि ये पिछली सरकार का है, ये बहाना बहुत दिन नहीं चलेगा। क्योंकि ये बजट सत्र खत्म होते ही फिर पिछली सरकार नहीं, आपकी सरकार करके, हम प्रश्न पूछेंगे। इसलिए गंदे पानी के कारण, आगे जो भी मौतें होंगी, पीलिया होगा, डायरिया होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की होगी। आपकी होगी इसलिए कार्ययोजना बनाईये ताकि गांव और शहर में पीने के पानी के अभाव में या गंदे पानी के कारण मौत न हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नल जल योजना से जो स्थल योजना है जो छोटी-छोटी पानी टंकी रखते हैं वह कम खर्चे में ज्यादा कारगर होती हैं। आपसे निवेदन है कि आप उस नल जल योजना के बजाए स्थल योजना पर ज्यादा जोर दीजिए। आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हैण्ड पम्प के बिगड़ने के कारण जब पानी नहीं मिलता तो अभी सोलर डिपार्टमेंट में बहुत सी स्किम आयी है, आप सोलर डिपार्टमेंट के मंत्री जी, मुख्यमंत्री हैं। आप मंत्री हैं आप दोनों बात कर लीजिए। जहां पर भी जल स्त्रोत अच्छा है वहां पर सोलर लाईट लगवाकर, सोलर पम्प लगवाकर, पानी की टंकी रखवा दीजिए। वहां दिन भर पानी मिलता रहेगा। अगर पानी ओव्हर फ्लो होगा तो तालाब में चला जाएगा तो सोलर का उपयोग करिये। जंगलों में बिजली नहीं है, वहां इसका उपयोग करिये, तो ये सब है।

माननीय सभापति महोदय, मुंगेली जिले में पी.एच.ई. की हालत बहुत अच्छी नहीं है।वहां मशीन है या नहीं है। कब खोदते हैं नहीं खोदते हैं, मैं थक गया हूँ। मैं किसी अधिकारी को हटाने या जांच कराने की बात नहीं कह रहा हूँ। आपसे कृपा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने महान अधिकरियों को जरा बोलिए कि जब हम गरीब लोगों की कुछ बात कहते हैं तो उसको सुन लें और उसको दूर करने की कोशिश करें। मुंगेली जिले में बहुत बड़ा एरिया आदिवासी और सतनामी समाज के भाईयों और बहनों का है और अगर उनके गांव में हम पानी भी नहीं दे तो फिर वे बड़े-बड़े आंकड़ों को क्या करेंगे? गांव का आदमी इन आंकड़ों को पढ़कर कहां से पानी पायेगा ? जब आप पानी देंगे तब वह पानी पाएगा। हमारी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माताएं बहनें दूर से पानी लाने जाएं, तो हमारा सिर शर्म से झुकता है इसलिए जहां जरूरत है उसको आप प्राथमिकता में कराने की कृपा करें। मैं 100 नाम रखा हुआ हूँ। पर मैं जानता हूँ कि इसको पढ़ भी दूंगा तो कुछ होना नहीं है। कृपा करके आप इसे पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी की जयंती में बैगाकापा गांव गया था। बैगाकापा गांव में मुझसे मांग की गई, उस दिन तक आप मंत्री नहीं बने थे। मैंने वहां बाबा जी की जयंती में कहा था कि जब भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बोलने का अवसर मिलेगा तो लोरमी विधानसभा क्षेत्र के गांव में सबसे पहली मांग करूंगा कि बैगाकापा में पानी टंकी बनवा दी जाये। संयोग से आप भी मंत्री बन गये, जयंती का अवसर भी था, मुझे नहीं मालूम था कि आप मंत्री बनने वाले हैं, मैं विधानसभा में बोल रहा हूं, मैं अपने वायदे को पूरा कर रहा हूं। आपसे भी आग्रह है कि बैगाकापा गांव में एक पानी की टंकी की स्वीकृति प्रदान करेंगे, ताकि हमारे गांव वाले आपको याद रख सकें। क्योंकि माननीय मंत्री जी ये अवसर ऐसा है कि आप यहां कुछ देंगे तो आपका ही नाम होगा, गरीबों को सेवा, सुविधा मिलेगी। हम चाहते हैं कि हम कोशिश करके सीमित संसाधन में भी ऐसी व्यवस्था करें, मेनेजमेन्ट इतना तकड़ा रखिये, छोटे-छोटे काम से हमारा मेनेजमेन्ट ठीक हो सकता है, बहुत बड़े आंकड़ें से मतलब नहीं है। आज तक कोई तगमा किसी को नहीं मिला है कि मैंने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया और उसमें विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ। तगमा इसमें मिलेगा कि आपके रहते लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, लोग आपको याद रखेंगे, उस दिशा में कोशिश करिये। राजनांदगांव में जो टेन्डर पद्धति है उसको ठीक करा दीजिए। और थोड़ा-थोड़ा जो कई वर्षों से बैठे हैं, उनको अदल-बदल कर दीजिए। क्योंकि पौधा भी पैदा नहीं होता, अगर रोपा लगायेंगे तभी वह पैदा होगा, थरहा बोने से धान नहीं होता, इसलिए थोड़ा इधर-उधर सिस्टम बदलिये। किसको लाना है या नहीं लाना है, यह आपका विवेक है, लेकिन अच्छे अधिकारी को रखिये। हमारा काम सुने, गरीबों की बात को सुने, ये निर्देश भी दे दीजिए। कहीं राजनीतिक चश्मे से मत देखे, इसका भी आप ख्याल रखना। आप पढ़े-लिखे यंग डायनेमिक मिनिस्टर हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विभाग को सख्त करेंगे और लोगों तक पानी पहुंचायेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इंदु बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं मेरे पामगढ़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी की समस्या होती है और पामगढ़ क्षेत्र के बहुत से गांवों में हेण्डपंप पंप खराब हो चुके हैं और जो पाईपलाईन बिछी रहती है वह जंग लगने के कारण फट चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं समुचित पानी की व्यवस्था को सरल करने के लिए रिपेयरिंग कराकर उनको बनवायें ताकि मेरे क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को जल मिले। मेरे पामगढ़ क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों में पानी टंकी नहीं है, मैं सभी ग्राम पंचायतों में पानी टंकी की मांग करती हूं। प्रमुख रूप से भुईगांव, पचरी, उदयपाठा, हिर्री, सिर्री, गंगाजल, तुस्मा, ढाबाडीह, जोरेला, इन सभी गावों में पानी टंकी की मांग करती हूं क्योकि यह बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले आबादी गांव हैं, इन गावों में पानी टंकी की मांग करती हूं। पामगढ़ क्षेत्र में पामगढ़ कोसा, कोनारगढ़ और कटौद इन सब जगहों में पानी टंकी का निर्माण है, लेकिन निर्माण होने के बावजूद वह टंकी टूट चुकी हैं जिससे पानी का बहाव होता है और गांव के लोगों को पानी प्राप्त नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि फूटी हुई पानी टंकी की रिपेयरिंग करा कर उसकी जांच करायें। उसकी जांच कराकर रिपेयरिंग करायें जिससे गांव के लोगों को पानी मिले। अभी गर्मी की शुरूआत होने वाली है और सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं क्षेत्रों में होती है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन टंकियों की रिपेयरिंग करा कर उनको बनवा कर गांव को लाभान्वित करें। मेरे क्षेत्र के कोसीर में भी पाईपलाईन विस्तार है लेकिन इसका लाभ गांव वालों को नहीं मिल पाता है मैं जहां निवास करती हूं भिलौनी..।

सभापति महोदय :- आप अपने क्षेत्र की मांग का रख करके समाप्त करिये।

श्रीमती इंदु बंजारे :- भिलौनी और जुरैला में पाईपलाईन विस्तार करें ताकि लोगों का उसका लाभ मिल सके। हमारे क्षेत्र में जो बुनकर हैं, पकरिया, रहौद, खरौद, शिवनरीनारायण, यहां के बुनकरों को उनका उचित मूल्य मिल सके, क्योकि बहुत ज्यादा जनसंख्या में मेरे तीनों नगर पंचायत ग्राम में बुनकरों की आबादी है। आपसे निवेदन है कि इन सभी को उचित मूल्य मिल सके और जल्द से जल्द मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी, 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कोशिश करता हूं कि मैं 2 मिनट में अपनी बोल लूं । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है छत्तीसगढ राज्य को बने लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं । ग्रामोद्योग विभाग में हमने एक टॉस्क फोर्स बनायी कि कुटीर उद्योग कौन-कौन से हैं ? कुटीर उद्योग की पॉलिसी क्या हो ? कुटीर उद्योग को कच्चे माल हम कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं और परंपरागत उद्योगों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं ? और उसको स्टेट गारंटी से लेकर उसका वित्त पोषण कैसे कर सकते हैं ? सरकार जो बातें कर रही है कि हमने इसमें कदम बढ़ाया लेकिन कहीं पर भी वह बात परिलक्षित नहीं हो रही है कि हम कुटीर उद्योग या ग्रामोद्योग को संरक्षण देने के लिये, स्टेट गांरटी देने के लिये उसके कच्चे माल, उसकी मार्केटिंग, उसके विपणन सबके लिये इंतजाम करेंगे, एक बात । दूसरी बात जो बुनकर संघ है, लगभग सभी माननीय विधायकों ने अपनी बात कही । बुनकर संघ यदि दूसरी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समितियां बनाता है जिन गांवों में बुनकर रहते हैं । एक बुनकर संघ का कार्य क्षेत्र कितना है ? उसकी सदस्यता कितनी होती है?उसका निर्वाचन कब होगा ? नयी समितियां बनाती हैं तो उसके लिये अंशपूंजी चूंकि बुनकर गरीब हैं तो क्या अंशपूंजी शासन देगा ? जितने भी सहकारी उद्योग हैं वह जगह की जगह में खड़े हैं उसके लिये इस तरह की नीति नहीं बनायी गयी उसमें सारी बातें हैं। माननीय हाथी छाप महोदय ने एक बात कही कि कुम्हारों के लिये जमीन आवंटन करने का एक बहुत अच्छा फैसला हुआ लेकिन आज किसी भी कुम्हार को उसमें अधिकार, खोदने का अधिकार और वहां तक समुचित व्यवस्था आज तक नहीं हुई कि यह शत-प्रतिशत हमने जहां-जहां कुम्हारों ने मांग की, जिला कलेक्टरों ने अनुशंसा भेजी वह आरक्षित हो गयी और उसमें वह कब्जा मिल गया ।

समय :

2:32 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नवाचार हमने माटी कला बोर्ड के बाद शुरू किया । जो हिंदुस्तान में 4-5 सिरेमिक ऑर्ट के कलाकार हैं । उसमें से एक सिरेमिक ऑर्ट का कलाकार कुरूद में भी है, पिछले समय उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हुई । 25 लाख रूपये से कुछ और अधिक राशि सिरेमिक ऑर्ट बनाने के लिये एक मंदरौद गांव में राशि कलेक्टर को दे दी गयी । आज तक आपको शिलान्यास करने के लिये आमंत्रित कर देता हूं, कुछ मंत्री इधर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उद्घाटन करने जा रहे हैं । दोबारा-तीबारा कर रहे हैं, आपको मैं फ्रेश काम के उद्घाटन के लिये, आपका प्रभार जिला है, आप आईये, करिये और उसको शुरू कराईये । जो कुम्हार काम करते हैं सिरेमिक ऑर्ट या सिरेमिक वह छोटा सा पार्क जब शुरू होगा तो उस काम का वेल्यूएडीशन होगा और जो चीजें दो रूपये की हैं वह 200 रूपये में दिल्ली-बंबई में जायेंगी । मुझे यह समझ में नहीं आता कि आपके विभाग वालों ने उसमें रूचि क्यों नहीं ली ? कलेक्टर के पास वह पैसे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वह क्षेत्र खुद भी पूरी दुनिया में कुटीर-कॉटेज इंडस्ट्री के कारण ही पहचान बनाये हैं और अब इस नौजवान मंत्री जी से यह अपेक्षा है कि कम से कम उनके लिये सरकारी वित्त पोषण, विपणन से लेकर, उत्पादन से लेकर प्रशिक्षण वेल्यू एडीशन तक का काम आप समयावधि करेंगे ऐसा मैं समझता हूं, अगली बार मुलाकात होगी तो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त कर देता हूं । मैं पेयजल पर एक लाईन बोल देता हूं, मैंने अभी कुटीर में बोला । यह माना जाता है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में सब जगह पीने योग्य पानी की कमी हो रही है । जलवायु परिवर्तन में हमने उस दिन बात

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की, इनकी कोई नीति नई है, ये समझने लायक तैयार नहीं हैं, अभी इनका केवल एक ही काम है कि फर्जी कर्जा माफी वाला । छत्तीसगढ़ शासन में सरफेस वॉटर के उपयोग के लिये, पानी सरफेस वॉटर के उपयोग से पेयजल योजनाएं भी संचालित होंगी और रिचार्ज भी होगा। सरफेस वॉटर के उपयोग के लिये इनकी कोई पॉलिसी नहीं बनी है जहां पर बांधो से एग्रीमेंट हुआ या एनीकट से एग्रीमेंट हुआ, इरीगेशन डिपार्टमेंट से कि हम पेयजल के लिये पानी देंगे । दुर्भाग्य का विषय है कि एग्रीमेंट होने के बाद भी उतना पानी साल भर में आपूर्ति हो इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो यह जो इंटर डिपार्टमेंट क्वार्डिनेशन है, अभी अगर मैं पूछूंगा तो बोल देंगे कि इतना पानी दिखाया जा रहा है । मैं आपको साथ लेकर चल सकता हूं कि जिस एनीकट या जिस जगह से एग्रीमेंट हुआ है वहां पानी दिया ही नहीं जा रहा है, अभी पानी नहीं है । ये बड़ी चीजें है जिसे सरकार नहीं कर रही है । चौथी और आखिरी बात, पेयजल के विषय में सरकार ने माना है कि पेयजल के मामले में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की जा रही है । लेकिन गर्मी लग गई, आप पेपरों में पढ़ेंगे कि दो दिनों में 36 डिग्री से ऊपर चला गया । मौसम विभाग रोज बोल रहा है कि बारिश की संभावना है । लेकिन कोई भी कार्ययोजना, कोई भी बात, आज के प्रश्नोत्तर के दिन यह बात प्रस्तुत नहीं की गई कि हम इतने दिनों में, बिलासपुर का प्रश्न था मैंने प्रतिप्रश्न के लिए हाथ उठाया था कि सरकार के पास कोई कार्ययोजना नहीं है । सरकार की ओर से एक फॉर्मल उत्तर आता है कि इसको देख लेंगे, इसको दिखा लेंगे । आज की तारीख में इस वर्ष आप देख लीजिएगा जो चेतावनी है, आप इंटरनेट पर मौसम की जानकारी देखेंगे तो जानकारी आती है कि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा पेयजल के संकट का सामना करने वाला है । उसके अनुपात में सरकार की तैयारी और जो प्रचलित परियोजनाएं जो जल्दी पूरी हो सकती हैं, उनके लिए भी आपने कोई अवधि तय नहीं की है । अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लाईन में कहना है कि यह सरकार पेयजल योजनाओं को पूरा करने में, पेयजल संकट से निपटने में और उसको सम्पादित करने में गंभीरता दिखाए ।

अध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योग छत्तीसगढ़ की एक बड़ी सम्पत्ति है, एक बड़ी विरासत है, परम्परागत उद्योग है, उसके संरक्षण उसके वित्त पोषण के लिए कोई अधिकृत नीति घोषित करे । इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री विकास उपाध्याय :- अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अगले वाले में बोलिएगा । माननीय मंत्री जी ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सभी सम्माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में अच्छी-अच्छी बातें आईं । अच्छी जानकारियां और अच्छे सुझाव मिले, जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं । डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, अमरजीत भगत जी, पुन्नूलाल मोहले जी, शैलेश पांडे जी, नारायण चंदेल जी, मोहन मरकाम जी, डमरूधर पुजारी जी, श्रीमती

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रश्मि आशिश सिंह जी, केशव प्रसाद चंद्रा जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, सम्माननीय धर्मजीत सिंह जी, श्रीमती इंदू बंजारे जी, अजय चन्द्राकर जी । मैंने उम्मीद की थी कि अजय जी प्रथम वक्ता होंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- समापन में धन्यवाद देना चाहिए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं । जिन्होंने बीच-बीच में उचक-उचक कर बोला उन्हें भी धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- जो बैठे रहे, उनको भी दे दीजिए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- विशेष तौर पर, आसंदी की बात मानी जाएगी । माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन का आधार है । हमें प्रकृति की ओर से जल के रूप में बहुमूल्य उपहार मिला है । जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए । मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जन समस्या की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े विभागों के दायित्वों का निवर्हन करने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे सौंपी गई है ।

माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकांश आबादी पेयजल के लिए मुख्य रूप से भू-गर्भीय स्रोत पर निर्भर है । पिछले कुछ वर्षों से अनियमित एवं अपर्याप्त वर्षा तथा भूजल के अत्यधिक दोहन से जहां पेयजल की उपलब्धता में कमी आई है, वहीं जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए । यह प्रयास किया जा रहा है कि वर्षा के जल के संरक्षण एवं भूजल संवर्धन की योजनाओं के साथ ही जल स्रोतों का उपयोग प्राथमिकता से किया जावे । भविष्य में भी राज्य में उपलब्ध समुचित संसाधनों का उपयोग करते हुए आप सभी के सहयोग एवं भागीदारी से आने वाली पीढ़ी को शुद्ध एवं पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु हम दृढ़संकल्पित हैं । माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा । ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम, राष्ट्रीय मापदंड अनुसार 40 व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में जल प्रदाय के कार्य पूर्ण किये जा रहे हैं। ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत हैण्ड पंप योजना, नल जल योजना एवं सोलन आधारित हैण्ड पंप योजना के माध्यम से ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हैण्ड पंप योजना के अंतर्गत प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण आबादी को लगभग 2 लाख 72 हजार 493 हैण्ड पंपों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। हैण्ड पंपों के माध्यम से बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में रूपये 64 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य में नलकूप खनन हेतु 45 रिंग मशीनों से नलकूप खनन का कार्य कराया जा रहा है। मतलब हमारे विभाग के पास खुद की 45 मशीनें हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से लगातार नये हैण्ड पंप लगाये जा रहे हैं। इस तरह हैण्ड पंपों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पंपों के ऊपर निर्भर रहने के कारण हैण्ड पंप संधारण के कार्य दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिगड़े हैण्ड पंपों के सुधार कार्य त्वरित गति से करने के लिए विभाग के पास अनुभवी अमले के साथ ही साथ 66 संधारण वाहन उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा गर्मियों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की निरंतरता बनाये रखने में सफल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में हैण्ड पंप संधारण हेतु बजट में रूपये 33 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल से संबंधित शिकायतों की त्वरित सूचना के अवगत कराये जाने के उद्देश्य से स्थापित टोल फ्री नंबर 18002330008 की व्यवस्था है, जिस पर विभाग के द्वारा त्वरित निराकरण किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट। यह जो हैण्ड पंप की संख्या के संदर्भ में मंत्री जी बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि हैण्ड पंप आपका ड्राय हो गया या पेड़ आने के बाद में आपका हैण्ड पंप खराब हो गया। उसकी एवज में उसको रिप्लेस करने के लिए खुदाई करना। एक तो यह सुनिश्चित करना चाहिए। हम कितना नये खोदेंगे, वह अलग है लेकिन हमारे जो पुराने हैण्ड पंप खराब हो गये तो उसके स्थान पर नये हैण्ड पंप और मैं दूसरा बात यह बोल रहा हूं कि अभी गर्मी के समय मतलब अप्रैल जैसे ही आयेगा तो 12 पाइप लगाते हैं। 12 पाइप लगाने के बाद में 13 पाइप लगाने की स्थिति में दो लोग जब हैण्डल मारते हैं तो भी पानी निकलना मुश्किल है और आपके पास एक भी पंप नहीं है। जहां भी आप बात करेंगे तो बात यह आती है कि साहब हम बोर खोदकर दे देंगे। पंप की व्यवस्था आप करिए। तो 12 पाइप के बाद में पानी नीचे उतर गया, डेढ़ सौ फीट चला गया, दो सौ फीट चला गया तो फिर उस स्थिति में जब तक आप उसमें पंप नहीं लगाएंगे तब तक उस हैण्ड पंप में पानी नहीं आयेगा और आप पंप देंगे नहीं । यह दिक्कत आ रही है तो इसे आप सुनिश्चित करेंगे कि जब पानी उतर जाए और हैण्ड पंप काम न करें तो उसमें हम पंप लगा दें और पंप के माध्यम से उसको पानी दे दें तो यह आप सुनिश्चित करें।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- जी, निश्चित तौर पर जहां पर पंप सुख जाता है या खराब हो जाता है तो वहां पर आवश्यकतानुसार उसको बदला भी जाता है साथ ही साथ जहां पर वाटर लेवल कुछ ज्यादा नीचे चले जाता है तो वहां पर मोटर पंप लगाया जाता है ताकि पानी मिल सके। यह व्यवस्था वर्तमान में है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- विभाग में अभी पंप है नहीं। अभी नहीं, विगत लंबे समय से नहीं है।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का गला खराब है, उनको जल्दी समाप्त करना है।

श्री गुरू रूद्रकुमार :- इस वित्तीय वर्ष में 21 फरवरी, 2019 तक टोल फ्री के माध्यम से बंद रहे हैण्ड पंपों में सुधार संबंधी एक हजार चालीस शिकायतों के विरूद्ध 814 शिकायतों का निराकरण किया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया है। ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की यह एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में 4 हजार 97 नल जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 3,485 योजनाएं पूर्ण किए गए हैं। जिसे संबंधित ग्राम पंचायतों को संचालन हेतु सौंपा गया है। 305 प्रगतिरत एवं 307 निविदा प्रक्रियाधीन हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना के माध्यम से लगभग 2,876 घरेलू कनेक्शन प्रदय किए गए हैं। ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में 61 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में नलजल योजना के क्रियान्वयन हेतु जनसंख्या की सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है एवं सभी छोटे-बड़े गांवों में नलजल योजना का कार्य आवश्यकतानुसार संपादित किया जा रहा है। यानि आप सदस्यगण अपनी जो बात रख रहे थे। उनमें से अधिकांश सदस्यों की यही बात आ रही थी कि बड़ी आबादी वाले गांव हैं, यहां नलजल योजना के तहत कार्य करवाकर पानी दिया जाए। तो मैं यह बताना चाहूंगा और यह आपके लिए खुशी की बात है कि जो 2 हजार आबादी की सीमा थी, उसे हमारे विभाग ने समाप्त कर दिया है। छोटे-छोटे गांव में जहां आवश्यकता होगी, वहां पर नलजल योजना के द्वारा पानी प्रदाय किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) अजय जी, आप ही बजा दीजिये। फायदा आपको भी होगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- नहीं, मैं बजाया हूँ। यह अच्छा निर्णय है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आपने बजाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैंने तो यह कहा कि आपको अवसर मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रतिदिन यह बोलता हूँ कि बजट देखकर उत्साह का ही वातावरण नहीं है। आप ही हैं एक आशा की किरण। मैं नारायण चंदेल जी को बोला हूँ कि याचिका लगायें। मैं भी आपके पास सत्र के पहले याचिका लगाऊंगा।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समूह जल प्रदाय योजना, ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था मुख्यतः नलकूपों पर आधारित है। भूजल के अत्यधिक दोहन, पर्यावरण में परिवर्तन इत्यादि कारणों से भूजल में गिरावट के साथ ही साथ भूजल स्त्रोतों की क्षमता में भी कमी परिलक्षित हुई है। इसी के साथ ही भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा राज्य मद से 12 समूह जल प्रदाय योजनाओं एवं निरपेक्ष मद से 6 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला बेमेतरा के विकासखण्ड नवागढ़, बेमेतरा, साजा एवं जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड चौकी तथा जिला बस्तर के विकासखण्ड किकोसाद और टेडा समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण हो चुकी है। नवीन एवं प्रगतिरत समूह जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में रूपये 112 करोड़ 85 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्य में 7 समूह जल प्रदाय योजना निर्माणाधीन है। जिसमें दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार, राजनांदगांव जिले के धीरी एवं मोहारा, बालोद जिले में देवरी 'द' और कबीरधाम जिले में पोड़ी, सरगुजा जिले में हर्राटिकरा एवं बीजापुर जिले में भोपालपटट्नम, रालापल्ली समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शालाओं में पेयजल व्यवस्था, 50,622 हैण्ड पम्पों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं में पेयजल व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं में पेयजल व्यवस्था पूर्ण होने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेयजल व्यवस्था हेतु 12 करोड़ रूपये बजट में प्रावधान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्कूलों में, शालाओं में हमारी प्राथमिकता है कि जो छोटे-छोटे बच्चें हैं, वहां पर जो पढ़ते हैं, अध्ययनरत हैं, उनको किसी भी प्रकार से शुद्ध पेयजल की समस्या न हो, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना न करना पड़े। तो हमारे विभाग की तरफ से उसमें प्रयास जारी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सोलर आधारित पेयजल योजना, विभाग ने एक अभिनव प्रयोग किया है। जिसके अन्तर्गत सोलर पैनल पर आधारित पावर पम्प एवं हैण्ड पम्प एक साथ कार्य करते हैं। यह योजना उन बसाहटों एवं शालाओं के लिए बहुत उपयोगी है, जहां विद्यत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की बसाहटों में सोलर आधारित मिनी नलजल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2027 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 1785 योजनाओं को पूर्ण किया गया है एवं 242 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की बसाहटों में 5134 सोलर आधारित ड्योल आपरेटेड पम्प स्वीकृत है, जिसमें से 4837 पम्प स्थापित किए गए हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सोलर पम्प पर आप टंकी बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक पम्प पर टंकी का प्रावधान आपके विभाग में नहीं है क्या ? खासकर पारा-टोला के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन वहां बिजली उपलब्ध है, आपके पम्प भी हैं तो उसमें आप सोलर पम्प पर टंकी बनाकर देते हैं वैसे ही विद्युत पम्प पर भी टंकी बनाकर दे दें ।

श्री रूद्र गुरू कुमार :- उसमें विचार करते हैं । अध्यक्ष महोदय, राज्य के अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से सुदूर वनांचन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं के लिए नाबार्ड पोषित योजना के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस कार्य हेतु वर्ष 2019-20 के लिए बजट में रूपये 15 करोड़, 50 लाख का प्रावधान किया गया है । राज्य में अब तक 6622 सोलर पम्पों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल प्रदाय योजना-1 अप्रैल, 2009 से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में पूर्व में प्रचलित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम में पेयजल आपूर्ति की ईकाई बसाहट के स्थान पर घर-परिवार रखा गया है एवं ग्रामीणों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है । भारत सरकार की नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के लिए वित्तीय वर्ष 19-20 में 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा तो कुछ होनी नहीं है, विधायकों को संबोधित करना नहीं है । पढ़ना है तो फिर टेबल में रखने की एक नई व्यवस्था दे दीजिए कि भाषण टेबल में रखा जाएगा, फिर हम लोग देख लेंगे ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय विधायक जी, पहले मैं आपको जानकारी दे दूं । मैंने नोट करके रखा हुआ है, बाद में सबको मिल जायेगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय चन्द्राकर जी, पानी पिलाना पुण्य का काम है, हमारे मंत्री जी विस्तार से बता रहे हैं, सुनिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं, कल हम लोगों की एक बैठक है । हम लोग माननीय अध्यक्ष जी को 2000 याचिकाएं लगाने वाले हैं।

श्री मोहन मरकाम :- आपका स्वागत है । याचिका लगाना आपका अधिकार है, वह आप लगा सकते हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्रिगण हैं, उनके भाषण में आपके पक्ष के लिए भी एक भी घोषणा नहीं हुई, हमारी तो छोड़ दो, आप लोग बोलते हैं कि आश्वासन दे दीजिए और कभी बजट भाषण निकालकर सुनिए, आप तो और कभी सुन लीजिए कि कितनी घोषणाएं सदन के अंदर हुई है ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- ठीक है अजय जी, मैं उसमें भी बाद में आ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप विचलित मत होईए, आप चलिए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रदाय कार्यक्रम-1 अप्रैल, 2009 से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में कुल प्रचलित कार्यक्रम में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम में पेयजल आपूर्ति की ईकाई बसाहट के स्थान पर घर-घर परिवार कार्यक्रम रखा गया है एवं ग्रामीणों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है । भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र परिवर्तित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के लिए बीते वर्ष 2019-20 में 90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । केन्द्र परिवर्तित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए विभिन्न घोषणाएं और कवरेज, जल गुणवत्ता तथा सहायक गतिविधियों हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन मदों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न कार्य शामिल हैं । हमारी सरकार द्वारा अभिनव प्रयोग करते हुए आगामी वर्ष में तीन नवीन योजनाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया है । सबसे पहले मिनी माता अमृतधारा योजना । माननीय अध्यक्ष जी, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों को मुफत नल कनेक्शन प्रदाय करने हेतु मिनी माता अमृतधारा नल योजना के रूप में नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है । इसमें वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 10 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत 1 लाख 96 हजार जनसंख्या के लिए 39.9 प्रतिशत लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा । 78 लाख जनसंख्या या 33 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं । इन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा । माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक क्या होता आया है कि नल-जल योजना के तहत ग्रामों में, शहरों में, पानी सप्लाई किया जाता था, जिसमें घर के सामने से पाईप लाईन को ले जाया जाता था । जो सक्षम व्यक्ति रहते थे, ए.पी.एल. परिवार के जो व्यक्ति रहते थे, जो भी उसका एक निर्धारित शुल्क रहता था, उसे पटाकर पाईप लाईन का कनेक्शन ले आते थे । लेकिन जो गरीब परिवार है, जो बी.पी.एल. परिवार है, वह इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, उनको सुविधा नहीं मिलती थी । हमारी सरकार ने जो बी.पी.एल.धारक है, उसके अंतर्गत जो आते हैं, उनको घर के अंदर तक मुफत में पाईप लाईन बिछा कर दिया जायेगा । ताकि उन्हें इस योजना का पूर्णत: लाभ मिल सके । माननीय अध्यक्ष जी, हमारी दूसरी नवीन योजना राजीव गांधी सर्व जल योजना के रूप में दूसरी नवीन योजना का शुभारंभ अगले वित्तीय वर्ष में किया जा रहाहै । इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दुर्ग संभाग के साजा, समूह जल प्रदाय योजना में पहले प्रोजेक्ट के रूप में वॉटर फिल्टर प्लांट स्थापित कर पेकेज्ड कराये जाने की नई योजना बनाई गई है । इसकी अनुमानित लागत तीन करोड़ रूपये है । उक्त कार्य हेतु विभाग वर्ष 2019-2020 के बजट में रूपये 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस योजना में विभाग द्वारा संचालित वॉटर फिल्टर प्लाण्ट में उपलब्ध जल को परिसर में ही स्वचालित मशीनों के माध्यम से विभिन्न क्षमता के पैकेज्ड में आम जनता की आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के शासकीय योजनाओं के लिए पेयजल का संकट एवं जल गुणवत्ताविहीन से प्रभावित ग्रामों में प्रदाय किया जायेगा । विभाग के वित्तीय भार कम करने के उद्येश्य से यह योजना लागू की जा रही है । माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना, इसमें प्राकृतिक आपदा जैसी बाढ़ की स्थिति में अल्प वर्षा,अवर्षा की स्थिति में, पेयजल संकट उत्पन्न होने पर तथा जलजनित बीमारी, जैसे पीलिया, डायरिया फैलने की स्थिति में शुद्ध पेयजल प्रदाय करने विभाग का दायित्व है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अत: हमारी सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर संभाग में मोबाईल वॉटर प्यूरीफायर संयंत्र के माध्यम से शुद्ध पेयजल के लिए 5 करोड़ का बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए किया गया है । माननीय अध्यक्ष जी, हमारे एक सदस्य सुपेबेड़ा को लेकर भी चिंतित थे । यह आपके विधानसभा में आता है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं और टी.एल.बाबाजी गये थे, हमने घोषणा भी किया था, उसके तहत एक नई योजना सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना हम शुरू कर रहे हैं । इसके तहत ग्राम सुपेबेड़ा में वर्तमान में गंभीर संकट दूर करने के उद्येश्य से जिला गरियाबंद विकासखंड देवभोग के अंतर्गत तेल नदी से पानी लाकर ग्राम सुपेबेड़ा में जल प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष में योजना प्रारंभ की जायेगी, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 10 करोड़ है । इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में इस राशि का प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार गिरौदपुरी धाम समूह जल प्रदाय योजना भी हमारी सरकार ला रही है । इसके अंतर्गत जिला बलौदाबाजार विकासखंड कसडोल के अंतर्गत गिरौदपुरी समूह जल प्रदाय योजना, प्रारंभ की जायेगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 90 करोड़ है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इससे इसके आसपास के गांवों के लगभग 40 से 50 हजार की जनसंख्या को लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़िया, आपने सब नये मदों की जानकारी दे दी है। अब इनसे मांग करिये कि इसे स्वीकृत करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मेरे विधानसभा क्षेत्र में देवरीखुर्द करीब-करीब 25 हजार की जनसंख्या वाला ग्राम पंचायत है जबकि उसे नगर पंचायत बन जाना चाहिए। इसी प्रकार महमंद है बहुत बड़ा गांव है, वहां पेयजल का बहुत भीषण संकट है। देवरीखुर्द और महमंद में भीषण संकट है। आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसे थोड़ा देख लीजिएगा।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- बांधी जी, मुझको लिखकर दे दीजिएगा, मैं दिखवा लूंगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मंत्री जी, धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- 15 साल आपकी सरकार ने नहीं किया तो हमारे मंत्री जी जरूर करेंगे, आप निश्चिंत रहिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मेरे क्षेत्र में बहुत से जगहों पर हैंडपंप नहीं है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- उसे बजट में ले लिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामोद्योग का संबंध रेशम, हथकरघा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रभाग, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में हितग्राही उत्थान मूलक योजना संचालित किये जा रहे हैं। इस वर्ष ग्रामोद्योग के माध्यम से 3 लाख 67 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2019-20 में लगभग 3 लाख 97 हजार लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2018-19 में ग्रामोद्योग का कुल बजट मांग संख्या- 56, 41, 64 एवं 80 में 155 करोड़ 96 लाख रूपये है। ग्रामोद्योग के विकास को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल बजट में राशि रूपये 167 करोड़ 19 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार आगामी वर्ष के बजट में राशि रूपये 11 करोड़ 23 लाख अधिक है। इस प्रकार 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेशम गतिविधियों के विकास हेतु इस वर्ष 94 करोड़ 48 लाख बजट प्रावधान, आगामी वर्ष के लिए बजट प्रावधान 101 करोड़ 87 लाख रखा गया है। इस प्रकार 7.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष 16 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है। आगामी वर्ष के लिए बजट 17 करोड़ 66 लाख रखा गया है। इस प्रकार 10.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड में प्रदेश के हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष 13 करोड़ 38 लाख का बजट प्रावधान है। आगामी बजट के लिए बजट प्रावधान में 15 करोड़ 70 लाख का प्रावधान रखा गया है, इस प्रकार 17.98 प्रतिशत की वृद्धि है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड में प्रदेश के माटी शिल्पियों के विकास हेतु इस वर्ष 3 करोड़ 75 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। आगामी वर्ष के बजट प्रावधान में 4 करोड़ 75 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है इस प्रकार 26.67 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार हतकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु आगामी वर्ष के बजट में 23 करोड़ 14 लाख का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ कोसा उत्पादन एवं कोसा वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट टसर उत्पादक राज्य का पुरस्कार केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार के मुख्य आतिथ्य में प्रदान किया गया है। वर्ष 2019-29 के बजट के बजट अनुमान में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम तथा पालित प्रजाति के कृमि पालकों को टसर स्वास्थ्य डिंब समूह योजना अंतर्गत राशि रूपये 36 करोड़ 38 लाख बजट प्रावधान है जिसमें 11 करोड़ 50 लाख नग कोसा उत्पादन एवं 31 हजार लोगों को रोजगार से जोड़े जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2019-20 हेतु नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन योजनांतर्गत राशि 7 करोड़ 96 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है। टसर कृमि पालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान मद में आगामी वर्ष के लिये राशि रूपये 1 करोड़ 12 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें 1400 हितग्राहियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। रेशम उत्पीड़न एवं विकास कार्यक्रम अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में मिट्टी से रेशम परियोजना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्राप्त केन्द्रांश राशि के परिप्रेक्ष्य में राज्यांश राशि रूपये 84 लाख का प्रावधान किया गया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। उक्त राशि से जांजगीर चापा जिले में परिवर्तन परियोजना अंतर्गत 2500 हेक्टेयर में नवीन पौधारोपण अंतर्गत हितग्राहियों को चौकी, कृमिपालन, बुनियादी मशीन एवं उपकरण हेतु सहायता राशि प्रदान की जायेगी। प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के ....।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हो गया आप अब रख दीजिए। फुर्सत करिये आगे बढ़ाईये। सब मान लिये हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामोद्योग का तो है, पी.एच.ई का आप बढ़िया बोल दिये। हम लोग जो मांग किये हैं उसको भी स्वीकार कर लेना।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, मैं नोट कर लिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बस हो गया, ग्रामोद्योग तो हम लोग 20 साल से देखते आ रहे हैं कहीं दिखता नहीं है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बैगा कांपा की मांग की है उसको मैं स्वीकृति देता हूं। यहीं से स्वीकृति देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामोद्योग से बहुत ज्यादा मांग नहीं है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री डमरूधर पुजारी जी, आपके खुद की गांव की बात है, विधायक के गांव में पानी की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। मैं आपको भी स्वीकृति देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, क्या है, गुरू जी ने जो कहा वो सही जो नहीं कहा वो भी सही।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, गुरू जी ने जो कहा वही सही नहीं कहा वो भी सही और जो कहा सब सही। वो इसलिए कि आप अपनी ऊर्जा को कमजोर टाईप जगह में मत लगाओ, बढ़िया अभी बोले तो कितना अच्छा लग रहा है। (हंसी) आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आप अमिताभ बच्चन हो, अपनी ताकत को पहचानो।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, श्री धर्मजीत भैय्या अब तो गया आप लोगों की मांग इधर भी और उधर भी। अब तो सर्व सम्मति से पास होना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब अच्छा है। पारित मान लिया जाये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मे हा तो सगा हरव गा, मोरो तो ध्यान रख गा।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी से यही आग्रह है कि सर्व सम्मति से हमारे विभाग के दोनों बजट को पारित कराने की कृपा करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मंजूरी के लिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 20 एवं 56 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाये।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त् राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये- छैः सौ तैतीस करोड़, चौवालीस लाख, अठहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिये - एक सौ स9ह करोड़ एक लाख, अठ्ठारह हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) **मांग संख्या - 9** **राजस्व विभाग**

मांग संख्या - 8 **भू - राजस्व तथा जिला प्रशासन**

मांग संख्या - 35 **पुनर्वास**

मांग संख्या - 58 **प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय**

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदया, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिये - बाईस करोड़, बारह लाख, साठ हजार रूपये

मांग संख्या - 8 भू - राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये - नौ सो तिरानबे करोड़, पैतीस लाख, पचपन हजार रूपये

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिये - दो करोड, पैतीस लाख, चौरासी हजार रूपये

मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये - छः सौ छत्तीस करोड़, बीस लाख, उन्चास हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 9

राजस्व

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	6
2.	श्री अजय चंद्राकर	1
3.	श्री नारायण चंदेल	1
4.	श्री शिवरतन शर्मा	2
5.	श्री धर्मजीत सिंह	5
6.	श्री देवव्रत सिंह	1
7.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1

मांग संख्या - 8

भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

1.	श्री अजय चंद्राकर	2

मांग संख्या - 35

पुनर्वास

1.	श्री अजय चंद्राकर	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 58

प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

1.	श्री अजय चंद्राकर	2
2.	श्री नारायण चंदेल	1
3.	श्री धर्मजीत सिंह	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जयसिंह अग्रवाल जी राजस्व मंत्री बने हैं। मैं उनको इसलिए बधाई दूंगा क्योंकि मैं पिछले विधान सभा से उनको बोलता था कि इस प्रदेश के आप किसान नेता हैं। पर इनके प्रतिवेदन को पढ़ने और बजट को देखने से ये लगता है मैं पहले दिन से जिस डिमाण्ड मांग में बोलना शुरू किया हूँ, उस दिन से बोलता हूँ कि बजट में कटौती कितनी हुई? राजस्व विभाग के हेड वाईस बजट में कटौती को पढ़ दूंगा। लेकिन अब मैं उसको पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए कि जहां पर भी पत्ता खोलेंगे, बजट में कटौती ही दिखती है। वह बढ़ने का तो सवाल ही नहीं दिखता। अब किसानों से जुड़ा हुआ मामला है कि हम किसानों को सशक्त करेंगे, हम सुविधा देंगे तो उसका एक मात्र उपाए ऋण माफी है। यदि हम राजस्व विभाग के नियम, राजस्व विभाग के कानून, जो किसान सबसे ज्यादा गवर्न होता है उसकी दैनिक दिनचर्या, दैनिक के काम यदि किसी विभाग से सबसे ज्यादा होते हैं तो वह विभाग है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में काम करना तो दूर अब राजनीति शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि में छत्तीसगढ़ में जो लघु सीमान्त कृषकों की संख्या लगभग 30 लाख के आसपास है। जो कार्यक्रम घोषित हुए थे, इस तारीख से फार्म भरना है इस तारीख को दावा आपत्ति बुलाना है इस तारीख से उसको ऑन लाईन करना है जो मेरी जानकारी है चूंकि ऑन लाईन है कि 1 लाख, 30 हजार के आसपास फार्म ऑन लाईन हुए हैं 33 लाख में। ये कहते हैं मैं जिस जिले से आता हूँ। लगभग 1 लाख, 25 हजार लघु सीमांत किसान होंगे, केन्द्र सरकार ने जो सर्क्युलर जारी किया है आज की तारीख तक यदि कहें तो 8 हजार किसान ऑन लाईन हुए हैं। मैं राजनीति कर रहे हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ । आज कृषि मंत्री जी का बयान है...।

अध्यक्ष महोदय :- ये किस मांग के अंतर्गत आता है ? आप जो पढ़ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सम्मान निधि में।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। इसमें है क्या ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह राजस्व विभाग का ही काम है। राजस्व विभाग नोडल डिपार्टमेंट है।

नेता प्रतिपक्ष(श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नोडल अधिकारी यही हैं रिपोर्ट इन्हीं को भेजनी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग उसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है। उन लोगों ने नोडल अधिकारी तय किया है। अब आज कृषि मंत्री जी का पेपर में बयान आया है कि हम इससे अच्छी योजना लाएंगे। हमने आपनी 2-3 अच्छी योजना सुनी है यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाईन, हम शराबबंदी करेंगे। हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम 12 वीं तक की शिक्षा फ्री देंगे। साहब, इन हवा हवाई चीजों में किसान के नाम पर राजनीति मत कीजिए। उनको जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, उनको जाने दीजिए। इनकी योजनाएं ...।

श्री दीपक बैज :- माननीय अजय भईया, अभी केवल 2 महीने हुए हैं बहुत सारे वादे पूरे हुए हैं और अभी बचा हुआ है। अभी आप कुछ दिन और इंतजार करिये। आपके पास 5 सालों में कुछ बोलने के लिए नहीं बचेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आता हूँ।

श्री दीपक बैज :- माननीय अजय भईया, आप लोग 15 साल रहे, कुछ नहीं हुआ। 5 सालों में आपके बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय दीपक जी, ऐसा है कि चार महीने बाद तो हमारे पास सिर्फ बोलने के लिए रहेगा। अभी जो आरोप लगा रहे हैं वह चार महीने में खत्म हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समय कम है, माननीय चन्द्राकर जी, आप शुरू करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात बता रहा हूँ।

श्री दीपक बैज :- माननीय शिवरतन भईया, हम लोगों ने आपका 3-3 संकल्प पत्र देखा है। हम लोग हमारा केवल एक ही संकल्प पत्र देख रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- मगर आज आपका भाषण जम नहीं रहा है। मतलब क्या हो गया?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसको बधाई दिया हूं, आप देखियेगा मैं आरोप नहीं लगाता हूं पर जो बोलूंगा उसका उत्तर आ जाये, वही बहुत है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, कल मैं अपने विधानसभा में खड़गवां में उसके शुभारंभ के अवसर पर था। लोकसभा का चुनाव दो महीने बाद होने वाला है और 600 रुपये महीने का सम्मान दे रहे हैं और वह भी 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है, ऐसे किसानों को दे रहे हैं। हमारे जो दिलेर, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उन्होंने 11 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया है। इस बात को आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कहा कि मद क्रमांक - 7770 है, आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करना, जब सुनामी आई, भूकंप आये, उड़ीसा का चक्रवात आया, तब यह बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इस प्रदेश में भी डिजास्टर मैनेजमेन्ट होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेन्ट, राजस्व विभाग में आपदा प्रबंधन विभाग भी जोड़ा गया। डिजास्टर मैनेजमेन्ट को अध्ययन करना है। अब कितने अधिकतम संपत्ति की, जीवन की रक्षा कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ कौन-कौन सी आपदाओं से प्रभावित है, अब तो मैं यह कहूंगा कि जो गरीब लोग, वंचित लोग, जो सबसे ज्यादा इन आपदाओं में प्रभावित होते हैं, उनके रक्षण के लिए हम कार्ययोजना कैसे तैयार करें, कैसे अध्ययन करें, उसके लिए जीरो राशि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह बताईये कि इनकी सरकार आने के बाद जिस दिन यह महत्वपूर्ण काम करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, विधानसभा आते हैं, उस दिन तो पानी गिरता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे छत्तीसगढ़ को कैसे करके रखे हैं, इसलिए शुद्ध करने के लिए पानी गिरता है, शुद्धिकरण है।

श्री दीपक बैज :- अजय भैया, वैसे पानी गिरना शुभ है, किसानों के लिए लाभदायक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जहां से आप सांसद रहे, चिरमिरी, मरवाही इलाके में दो दिन पहले भूकंप आया, छत्तीसगढ़ में कितनी तीव्रता थी, समाचार पत्रों में छपा। दुर्भाग्य यह है कि उनके लिए योजना तैयार करने के लिए, अध्ययन के लिए जो मद थे उसको जीरो कर दिया, छत्तीसगढ़ में आपदा प्रबंधन की तैयारी शून्य कर दी गई। बहुत-बहुत बधाई, आप स्वीकार करें। आपका विभाग, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ को अगले चरण में ले जाने के लिए गरीब, वंचित जो आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनको आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, इसके लिए आप बधाई स्वीकार करें।

श्री दीपक बैज :- अजय भैया, सुनामी से आप लोग भी पीड़ित हो, उस सुनामी में सिर्फ आप 15 लोग बच गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत अच्छे।

श्री मोहन मरकाम :- उस सुनामी का कितना असर होता है, आपको पता चल गया होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप विचलित मत होईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको एक सुझाव दे देता हूं, आप आपदा प्रबंधन के लिए कुछ नहीं कर सकते, बजट ही नहीं तो क्या करेंगे ? आप चाहेंगे तो नहीं कर सकते, विरोध कर नहीं सकते।

श्री अमरजीत भगत:- चन्द्राकर जी, यह भूकंप मरवाही और कोटा क्षेत्र में ही क्यों आया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है, जितने तूफान आते हैं या बड़ी आपदाएं आती हैं, उसका नाम रखा जाता है। लैला, कटरीना, उसकी एक परंपरा है, कोई अपनी प्रेमिका के नाम पर, कोई अपने दुश्मन के नाम पर रख देता है। हुदहुद, सुनामी ये सब किसी न किसी के नाम पर रखे गये हैं। यहां जो भूकंप आया है न, आप अपने अच्छे दुश्मन या दोस्त के नाम से रख दो, बस इतना ही काम कर दो, नामकरण कर दो, हुदहुद आयेगा तो नाम होगा। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, बजट यह बता रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी जो बात है भाजपा शासन या पिछली सरकार की बात है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अमरजीत जी से पूछ लो कि उनका दुश्मन कौन है, उनको मंत्री बनने से कौन रोक रहा है ? उसी के नाम पर कर दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस विभाग का महत्वूपर्ण काम प्रशासन का विकेन्द्रीकरण है। इस बजट में एक पटवारी हल्के, एक तहसील, एक जिला के निर्माण की भी घोषणा नहीं हुई, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का काम किया, दो नये संभाग बनाने का, जिला बनाने का, तीन ग्राम पंचायतों के बाद दो ग्राम पंचायतों तक पटवारी हल्के बनाने का काम, शहरी क्षेत्र में तीन पटवारी हल्के में सर्किल बनाने का यदि काम किया तो पिछली सरकार ने किया। विकेन्द्रीकरण के बारे में आपने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की ताकि गरीब, वंचित, शोषित या छोटे-छोटे किसान कम दूर चलें, इसके लिए आपकी कोई दृष्टि इस बजट में नहीं झलकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बंधक भूमि जिसके बारे में बोल रहा हूं । इनकी एक योजना है बंधक भूमि उसके बारे में इसलिये बोल रहा हूं कि एन.आई.सी. की लाईन में दिखती है कमर्शियल बैंक में और सहकारी बैंक में कितनी बंधक भूमि है ? बहुत चालाकी से बंधक भूमि की साईट को इन्होंने जनता के लिये उपलब्ध नहीं करवाया है । आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि 9 लाख से ज्यादा लोगों की कृषि भूमि बंधक है और इसका कहने का मतलब यह है कि इसकी ऋण माफी आज की तारीख तक फर्जी है । आप देख लीजिये एन.आई.सी. की लाईन खोलवाकर कि बंधक भूमि उस लाईन में कितनी दिख रही है ?

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- 15 साल में कृषि भूमि को बंधक रखने का काम आप लोग ही किये न । क्या हम लोगों ने अभी 2 महीने में बंधक रखा ? किसान आज कर्जा माफी को देख रहा है, किसान का कितना कर्जा माफ हुआ उसको देखकर वह खुश हो रहा है, मोटरसाईकिल ले रहा है, सोना ले रहा है उनका आप अपमान कर रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे क्या कह रहे हैं वह जानें । मैं आपको प्रमाण के साथ यह बात कह रहा हूं कि एन.आई.सी. की लाईन में बंधक किसान, बंधक भूमि कितनी है यह देख लिया जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसेवा गारंटी अधिनियम, सबसे ज्यादा लोक सेवा गारंटी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिनियम इसी विभाग में कार्यशील है । जाति प्रमाण पत्र बनाने का, आय प्रमाण पत्र बनाने का कोई भी चीजें हों, फौती का, नामांतरण का, अविवादित बंटवारा का आज भी एक भी कार्यवाही 2 महीने में लोकसेवा गारंटी अधिनियम में नहीं किये हैं, मैं आपको उदाहरण बता दूंगा कि यहां पर समयावधि का राजस्व विभाग भर में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन नहीं होता और इसीलिये मैंने कहा कि ये किसान की सेवा नहीं कर रहे हैं, किसान की सेवा का अर्थ क्या सिर्फ ऋण माफी होता है वह भी आधी-अधूरी फर्जी ऋण माफी होता है ? मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा कि राजस्व न्यायालय है, राजस्व मंडल, किसानों के लगभग 2 लाख 35 हजार मुकदमें पेंडिंग हैं । अब कितने साल लगेंगे और कितना खर्चा आता है और इसके लिये क्या योजना है, क्या ये योजना लायेंगे, क्या ये सरकार में नीति प्रस्तुत करेंगे कि हम कोई फॉस्टट्रेक लायेंगे और फॉस्टट्रेक में मुकदमे को हम किसानों की सेवा करेंगे, इतनी अवधि में फॉस्टट्रेक कोर्ट लाकर हम उसको निपटायेंगे, कुछ नहीं है । केवल 4 लाईन लिख दिया, कोई संकल्प शक्ति इस बजट में उसके लिये नहीं दिखती । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इनके पास एक चीज प्रिंटिंग प्रेस है । प्रिंटिंग प्रेस ऐसा है कि बड़ी योजनाओं में ऋण पुस्तिका का अभाव सदा बना रहेगा और उसकी क्वालिटी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप सरकार में घोषणा तो करवा नहीं सकते, भाषण पढ़कर दिलवाते हैं । डिमांड मांग में भाषण पढ़कर दिलवाते हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आंकड़े तो पढना पड़ेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं सब लोग पढ़ते हैं, आपको छोड़कर ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो पढना ही पड़ेगा न और आप जो बोले जा रहे हैं । अभी माननीय कवासी जी ने दो बातें बोलीं तो या तो आप श्री कवासी जी की बात को समझे नहीं या उत्तर आप देना नहीं चाहते थे, आप जो दोनों बातें बोल रहे थे प्राकृतिक आपदा के लिये भी और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिये तो आपकी जानकारी दोनों में सही नहीं है, मैंने स्टेटमेंट दिया है, मैं उसमें चर्चा कराउंगा, आपने स्थगन दिया है, मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी कर लेंगे, आसंदी अनुमति दे तो उसमें भी चर्चा करेंगे लेकिन आप यह जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश ने नहीं भेजा है, ऐसा हो गया है, यह सारी जानकारी सत्य नहीं है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 रूपये कहने की बात कही थी । अभी तो 1 एकड़ से लेकर 100 एकड़ का कर्जा माफ हुआ है । देश के नेता 5 एकड़ से नीचे वाले को 6 हजार देंगे, वह भी 2000 खत्म करने के बाद फिर 2000 तो उसको भी ठीक कर दो ।

श्री दीपक बैज :- दादी, वह भी हमारी सरकार से सीखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह भी नहीं हो रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- दादी, यह कर्जा माफी नहीं है । यह 6000 रूपये हर साल मिलना है इतनी जानकारी होनी चाहिए । आपने कर्जा माफी में पूरे देश के किसानों को धोखा दिया है अगर कर्जा माफी ही करना है तो दीर्घकालीन और मध्यमकालीन भी करो । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- श्री शिवरतन भैया, आप सभी किसानों के लिये बोलिये न । आपने उसमें क्यों सीमा बांध दी है ? आप सबके लिये बोलिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तो एक-बार देने के बाद भूल जाओगे, यह तो हर साल किसान मिलना है । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- आपने छोटे-बड़े किसानों को तो बांट दिया, सबके लिये बोलिये । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- श्री कवासी जी, यह तो हर साल मिलेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस बात को संबोधित करते हुए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहा । दो जगह प्रिंटिंग प्रेस हो गई । राजनांदगांव के बाद अब अटल नगर में भी हो गई । ऋण पुस्तिका का अभाव सदैव रहता है । भले ही 10 रूपए के बजाय 50 रूपए ले लें लेकिन उसकी क्वालिटी तो सुधारें । उस ऋण पुस्तिका में इतने सील ठप्पे लगते हैं, आधे पृष्ठों के बाद उसकी क्वालिटी देखने लायक रहती है । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ई-धरती, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम । दो विषय को छोड़कर बाकी सबमें बजट कम कर दिया गया । वे जरूर बताएंगे कि ई-धरती में कौन-कौन से कम्पोनेंट हैं और उसको कैसे-कैसे करें । अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चीजें बोलना चाहता था । आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि कोटवार कभी रिटायर नहीं होता । यदि राजस्व न्यायालयों में सबसे ज्यादा मुकदमे लंबित हैं तो वो कोटवार नियुक्ति के ही हैं । इनके प्रतिवेदन में हैं, चलिए हमारे प्रतिवेदन कह देता हूं । 14 हजार गांवों में कोटवार काम कर रहे हैं । हमारे यहां गांवों की संख्या साढ़े 19 हजार से ऊपर हैं । बाकी पांच हजार गांवों में कोटवार क्या विवादित हैं या खाली हैं, क्या हैं, रिटायर हो गए हैं । भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, वह व्यवस्था का सबसे अंतिम आदमी है ।

श्री कवासी लखमा :- 2-2 गांव में, 3-3 गांव में एक कोटवार होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपदा प्रबंधन के विषय में बात की । आपदा प्रबंधन के लिए जो टास्क फोर्स बने हैं, आपदा प्रबंधन के लिए जो प्रशिक्षण हैं, आपदा प्रबंधन के लिए जो विशेषज्ञों की नियुक्ति है, उस पर मेरा एक प्रश्न है । जिस दिन वह आएगा उस दिन उस पर चर्चा करूंगा । लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें यह सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है । भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 में, जब हमारे पुरखे थे कल्याण साय जी, वे छत्तीसगढ़ के भूमि पुत्र हैं, अध्यक्ष महोदय, आप भी बिलासपुर संभाग के हैं, यदि आप गजेटियर पढ़ेंगे तो भूमि बंदोबस्त छत्तीसगढ़ से हुआ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जो जहांगीर के दरबार में छत्तीसगढ़ के कल्याण साय जी ने, यह बात गजेटियर में है । उस समय से गोठान के लिए भूमि आरक्षित होती है । यह कौन सा नया काम कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, गोठान की भूमि कैसे खत्म हो रही है उस पर आगे बात करेंगे । उसमें है, घुरूवा उसमें ऑलरेडी है, गड्ढा करके उसको सुरक्षित रखा जाता है । अध्यक्ष महोदय चरनोई की भूमि 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किसने की ? 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत किसने की ? आपने कम की, कांग्रेस सरकार ने कम की, आपने गांव को सुविधाओं से वंचित किया और कागजों में गोठान इसी कारण से है कि आपने चरनोई भूमि की सीमा को 2 प्रतिशत कम कर दिया । किसानों की जमीन को उल्टा-पुल्टा बांटा और आज आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की चिन्हारी बचाएंगे । छत्तीसगढ़ की चिन्हारी को खत्म करने वाली कोई पार्टी है तो आप हैं, ये सारी घटनाएं 2000 के पहले की हैं । आज नरवा, गरवा, घुरवा, बारी की क्या-क्या बात कर रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- साहब, 15 साल तक तो आपने कुछ नहीं किया, बचाना था तो उस समय बचा लेना था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तो पहाड़ा बना लो 15 गुणित 15 बराबर 225 ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है, ये 15 साल, 15 साल मेरे ऊपर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है । यदि आप इससे प्रसन्न होंगे तो दिन भर बोलो ।

श्री दीपक बैज :- अजय भइया, आपके कर्मों का ही फल बता रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बोल रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक काम करो, एक बार अपनी सरकार से कहो कि 15 सालों का एक श्वेत पत्र जारी करे ताकि बार बार 15 सालों से मुक्ति पाओ ।

श्री दीपक बैज :- बड़ी मुश्किल से 15 आए हो, अब श्वेत पत्र जारी करने से क्या फायदा है, कोई फायदा नही है ।

अध्यक्ष महोदय :- ये सब्जेक्ट आपके लायक नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप बहुत जिम्मेदार हैं, हम सब लोगों के संरक्षक हैं । 10 परसेंट से 5 परसेंट और 5 परसेंट से 2 परसेंट किसी ने किया तो इनकी सरकार ने किया । दूसरी बात, बंदोबस्त के दौरान जो वाजिब-उल-अर्ज है उसको खत्म कर दिया । गांव में क्या-क्या चीजें होतीं थीं, धरसा कौन सा है, मसान घाट कौन सा है, ये सब दर्ज होते थे । आज उस वाजिब-उज-अर्ज को खत्म करने के बाद गांव में विवाद की स्थिति है । विकृत शहरीकरण बढ़ने के बाद, किसानों के सामने की जमीन खरीद ली गई, पीछे के किसानों के पास रास्ता नहीं है उसे लोग औने-पौने दामों पर खरीद रहे हैं । पूरे प्रदेश में गांव में विवाद है । हमारी सरकार ने कहा कि 1959 की धारा 128 में चांदा, मुनारा का नियमित मरम्मत होना चाहिए । आपने उस मद को हटा दिया साहब । विवाद को आपने और आगे बढ़ा दिया । एक बात होती है कि अतिक्रमण हटाने का अधिकार किसके पास है ग्रामीण क्षेत्र में और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शहरी क्षेत्र में। ये हमेशा कहते हैं कि पंचायत को है। पंचायत को भू राजस्व संहिता में पंचायत संस्तुति करेगी तो तहसीलदार हटायेगा या तहसीलदार के समकक्ष कोई हटाएगा। आज तक राजस्व विभाग ने अवैध कब्जा हटाने में कभी मदद नहीं किया। शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की एजेंसी कौन है? मैं चाहता हूं कि मंत्री अपने जवाब में बताएंगे कि नजूल भूमि पर यदि कब्जा है या दूसरे प्रकार की जमीन पर कोई कब्जा है तो शहरी क्षेत्र में उसको हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है या कलेक्टर की है या नजूल विभाग की है कि नगर-निगम या कोई शहरी क्षेत्र की है। यह जरूर बताएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे फैसले हैं। चलिए, अब कोरबा जिला चलते हैं। प्लॉटर मशीन आपने सब जगह दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी-जल्दी पढ़ रहा हूं। आपने प्लॉटर मशीन दी है। हम लोगों ने दी है। नक्शा तुरंत सुधरकर मिल जायेगा। पूरे प्रदेश में सब के सब बंद पड़ी हैं। उसका कारण कोई नियत नहीं है। उसका कारण यह है कि जिस एजेंसी को इन्होंने तय किया था कि चलाएंगे, प्रशिक्षण देंगे, मेंटेन करेंगे उसको कोई देखने वाला नहीं है। बंद पड़े हैं। किसान एक बड़ी सुविधा से वंचित हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसानों के कर्ज की बात होती है । किसान की जमीन यदि बंधक रख ली गई, जिसकी मैं बात कर रहा था बंधक भूमि की, उसका साफ्टवेयर बंद है। आप देख लीजिएगा। किसी भी विधायक जी को आप बोल दीजिए। न फौती उठेगी, न नामांतरण होगा, न नक्शा मिलेगा, न खसरा मिलेगा, न कुछ मिलेगा और दुर्भाग्य यह है कि उसकी जमीन की सीमा, अधिकतम सीमा यदि सहकारी बैंक से लेंगे तो 5 लाख है साठ चालीस है। पर उसकी 10 एकड़ जमीन की लागत 10 लाख भी है, 20 लाख भी है, 25 लाख भी है आजकल तो 5-7 लाख एकड़ कहीं पर भी है तो वे पूरे का पूरा बंधक रख देते हैं। इसमें आप क्या बोलेंगे, मुझे जरूर बताएंगे कि कर्जे के दौरान भी जो साफ्वेयर बंद हो सकता है। उन्होंने कर्जा लिया है, कोई पाप नहीं किया है। आप किसान की बड़ी बात कर रहे हैं तो उनको नक्शा, खसरा देंगे कि नहीं देंगे। उस दौरान उस किसान के काम होंगे कि नहीं होंगे, यह बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोक सेवा गारंटी की मैं बात कर रहा था 6-6 महीने तक अविवादित बंटवारा के भी प्रकरण लंबित हैं। छोटे-छोटे काम लंबित हैं। मैं जय सिंह के ऊपर बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं पर सर्वे यही है कि यदि छत्तीसगढ़ में कुछ विभागों की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा यदि लोगों को चक्कर लगानी पड़ती है किन्हीं भी कारणों से तो वह राजस्व विभाग है और कानूनों का क्रियान्वयन खासकर लोक सेवा गारंटी, जिसके लिए जिन किसानों, जिन गरीबों, जिन मजलूमों के लिए बनाई गई, उसका क्रियान्वयन यदि सबसे धीमे है तो राजस्व विभाग में है। नहीं-नहीं खत्म कैसे हो जाएगा। अब माननीय अध्यक्ष ने जल्दी खत्म करने के लिए कहा न। जो भूइयां है । भूइयां में एक जगह आएंगे पैसा खर्च होता है। सभी के पास कम्प्यूटर नहीं है। कहीं इंटरनेट नहीं है। तो भूइयां कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए पटवारी है। पटवारी नाम की संस्था को मजबूत बनाना जरूरी है और कुल मिलाकर जो बातें मैं कहना चाहता था कि यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विभाग किसानों की संपत्ति, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक भू प्रबंधन और भविष्य की जो तैयारी है और जो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है। नये पटवारी प्रमोशन सेट जो है प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण में सस्ता न्याय दिलाने में पूरी तरह असफल रही और मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह 15 सालों वालों को चलिए साहब, मैंने 15 सालों में नहीं किया, हमने नहीं किया। मैं आज आपके सामने इस सरकार से यह मांग करता हूं हि बस्तर में राजस्व न्यायालय का राजस्व मंडल का लिंक कोर्ट शुरू करेंगे क्या। ऐसे ही शुरू करेंगे क्या कि बस्तर के आदिवासी इसे पायें। यह इसमें मत गिनाएं कि उसमें प्रकरण संख्या कितनी है ? कितनी क्या है, कितनी क्या है? यदि ईमानदारी से करनी है तो मैं देखूंगा कि वे क्या बात करते है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। आज किसान नक्शा खसरा जैसी छोटी चीज के लिए छोटे-छोटे काम नहीं होने से विवाद में हैं। उनको ऋण पुस्तिका नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें दर्ज हैं और खासतौर पर आपदा प्रबंधन में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से असफल साबित हो रहा है। उसके बजट खत्म कर दिये गये और उससे बढ़कर जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उसके बजट को पूरी तरह से काट दिया गया। मैं हेड वाइस पढ़ सकता था पर चूंकि आपने निर्देश दिया मैंने पढ़ा नहीं। मैं चाहता हूं कि इस विभाग को माननीय मंत्री जी को एक ताकत दें और नहीं तो फिर वही रहेगा जो मैं बोला लैला, कैटरीना और सुनामी वाला भर एक नाम रख देंगे। इतना ही रहेगा और कुछ नहीं होगा इसके आगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। मोहन मरकाम जी। 10 मिनट तक बोलिए।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान मांग संख्या-8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए नौ अरब तिरानबे करोड़ पैंतीस लाख, पचपन हजार रूपये, मांग संख्या-9 राजस्व विभाग के लिए बाईस करोड़ बारह लाख रूपये साठ हजार रूपये, मांग संख्या-35 पुनर्वास के लिए- दो करोड़, पैंतीस लाख, चौरासी हजार रूपये तथा मांग संख्या-58 राहत कार्य के लिए छः अरब छत्तीस करोड़ बीस लाख उनचास हजार, सभी अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। चाहे राज हो, रंक हो या आम आदमी हो, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदन को सूचना

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर" का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी तथा होम्योपैथी डिस्पेंसरी में दिनांक 26 से 28 फरवरी, 2019 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर" आयोजित है तथा स्वाईन फ्लू के वेक्सीन लगाने की व्यवस्था भी की गई है।

कृपया माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 के मध्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं वेक्सीनेशन की सुविधा का लाभ लेवें।

समय :
3:36 बजे

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)

वित्तीय वर्ष 2019 - 2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग महत्वपूर्ण विभाग होता है। वह चाहे राजा हो, रंक हो या आम जनता हो, आम जनता को कैसे सुविधाएं मिले, उनको कैसे लाभ मिले, हमारी सरकार विशेष कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है।

माननीय सभापति जी, ई-कोर्ट, हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि ई-कोर्ट के माध्यम से वहां के कार्यों में पारदर्शिता एवं त्वरित गति से संपादित करने की दृष्टि से जहां एक ओर भूमि संबंधी अभिलेखों को आनलाईन किया है, वहीं दूसरी ओर भूमि सम्बन्धी विभिन्न विवादों के निराकरण के लिए ई-कोर्ट की व्यवस्था की है। ई-कोर्ट के अन्तर्गत परिवर्तित राजस्व न्यायालयों में प्राप्त आवेदनों का आनलाईन पंजीयन एवं आवेदकों को पावती देने का प्रावधान है। पंजीयन उपरान्त ईश्तहार, प्रकाशन हेतु पक्षकारों को नोटिस जारी करने सहित सभी न्यायालयीन प्रक्रियाओं का आनलाईन निष्पादन किया जा रहा है। माननीय सभापति जी, हितबद्ध पक्षकारों को एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना प्रदान की जायेगी। संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया आनलाईन अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगा। ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित भूमियों की जानकारी आनलाईन उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक न्यायालय में ई-कोर्ट व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु सभी राजस्व न्यायालयों को नवीन कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर प्रदान किए गए हैं। न्यायालय के सुगम संचालन हेतु इंटरनेट की व्यवस्था हेतु पृथक से आवंटन सभी जिला कलेक्टरों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

माननीय सभापति जी, माननीय साथी हमारे वरिष्ठ सदस्य चन्द्राकर जी कह रहे थे कि लगभग 2 लाख राजस्व प्रकरण आज भी पेण्डिग हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ इन कामों को

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया है कि लोक सेवा गारन्टी योजना का अक्षरश: पालन हो, जो भी उसमें समय-सीमा है, 15 या 20 दिन में नक्शा, खसरा से लेकर जो भी समयाधीन है, लोक सेवा गारन्टी योजना के तहत सख्त निर्देश सभी 27 जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है। उसके अनुसार लोक सेवा गारन्टी योजना के तहत सभी काम लगातार हो रहे हैं। इस कारण लगातार शासन-प्रशासन में पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में इसका वृहद लाभ मिलेगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति जी, मासाहती एवं असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, इसके तहत 1252 ग्रामों का चयन सर्वेक्षण हेतु किया गया है। जिसमें 1,013 ग्रामों के नक्शा तैयार कर सत्यापन हेतु जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराया गया है। अबूझमाड़ के 32 ग्राम , माननीय सभापति जी, अभी तक अबूझमाड़ नान सर्वे एरिया रहा है। उन ग्रामों को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता के साथ सर्वे करने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में जो अबुझमाड़ में बसे हमारे ग्रामीण भाई हैं, उनको कहीं न कहीं इसका लाभ मिलेगा । अगर उनको नक्शा-खसरा उपलब्ध होंगे तो शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा और साथ-साथ ही राजस्व अभिलेखों में उनका नाम भी दर्ज होगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में कोण्डागांव जिले की बात लाना चाहता हूं । वहां 1924-25 से आज तक नजूल सर्वे नहीं हुआ है, पिछली सरकार हमें लगातार 5 सालों तक आश्वासन देती रही कि हम 5 सालों से रूढ़की से सर्वे करा रहे हैं, मगर उसका आज भी सर्वे नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोण्डागांव शहर जो आज जिला मुख्यालय है, अगर जिला मुख्यालय का 1924 सर्वे नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं गंभीर विषय है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो पिछली सरकार सिर्फ पांच साल आश्वासन देकर निकाल दी, अभी मैं चाहता हूं कि वहां का सर्वे हो और वहां के लोगों को लाभ मिले । जिस ढंग से आपने अबुझमाड़ का निर्णय लिया है, वह स्वागतयोग्य है। उससे सचमुच में हमारे बस्तरवासियों को, हमारे अबुझमाड़ के लोगों को कहीं न कहीं उसका लाभ मिलेगा ।

माननीय सभापति महोदय, 612 ग्रामों के नक्शे तथा प्रथम चरण का सत्यापन, द्वितीय चरण में 590 ग्रामों का सत्यापन तथा तृतीय चरण में 71 ग्रामों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । हमारी सरकार ने एक छोटे भूखण्डों के क्रय-विक्रय का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है । पिछली सरकार में हम लोग लगातार मांग करते रहे, मगर वह मांग पूरी नहीं हुई, मगर गरीबों का, आम जनता का, मध्यम वर्गों की चिंतन करने वाली सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय राजस्व मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसका कहीं न कहीं लाभ छत्तीसगढ़ के आम गरीब लोगों को मिल रहा है । पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 1:4000 के पैमाने पर तैयार नक्शों का

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

5 डिसमिल से छोटे भूखण्डों का आंकलन नहीं होने के कारण बिना नक्शा के पंजीयन तथा नामांतरण के कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, हमारी सरकार के गठन होते ही हमने नगरीय क्षेत्रों के 1:4000 के नक्शों को 1:500 के पैमाने पर परिवर्तित करने की योजना हाथ में ली है । कहीं न कहीं अक्सर शिकायत होती थी और बोलते थे कि कम्प्यूटर नील है तो हमारी सरकार ने उसमें काम करना शुरू कर दिया है और उसमें जो पांच डिसमिल से कम जिनकी जमीन जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग का है, हर किसी का सपना होता है कि घर बने, हर कोई का सपना होता है कि अपनी खुद की जमीन हो, वह सपना पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है । इस कार्य हेतु 2019-20 के बजट में 13 करोड़, 20 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । जो बातें लगातार आई हैं, उन कार्यों को भी हम कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, ई धरती योजना के तहत राजस्व अभिलेखों को आम जनता तक सुलभ रूप से कैसे पहुंचाएं, उस योजना को पिछली सरकार ने शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2019-20 में 79 करोड़, 69 लाख, 50 हजार रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है जिससे आम जनता को जो भी राजस्व के अभिलेख हैं, उसको सुलभ उपलब्ध हो सके, मगर इसमें कुछ टेक्निकल बातें आ रही हैं । सभापति जी, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कभी ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की सुविधा नहीं होती, नेट सुविधा नहीं हो तो उसकी मैनुअल व्यवस्था भी हो, ताकि जो भी शासन की योजनाओं का लाभ लेना चाहें तो समय पर उपलब्ध हो सके । अक्सर हम देखते हैं कि 5-6 दिन तक किसान आदमी तहसील कार्यालय, पटवारी कार्योलयों के चक्कर लगाते हैं, उनको समय पर नक्शा-खसरा-बी 1 नहीं मिल पाता । इसीलिए मैं चाहता हूं कि वह व्यवस्था मैनुअल भी हो, ताकि आम जनता को इसका सुलभ लाभ मिल सके ।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, मैं पहला वक्ता हूं तो पहले वक्ता होने के नाते मैं पूरी बात कहने दीजिए । राष्ट्रीय भू अभिलेख का आधुनिकीकरण एनआरएनपी भू पंजीयनों का कम्प्यूटरीकरण सर्वेक्षण राज्य के 18 स्वीकृत जिलों का कम्प्यूटरीकरण के लिए पिछली सरकार ने बजट में पर्याप्त प्रावधान किया था, मैं देख रहा था कि 2015-16 49 करोड़, 2016-17 में 69 करोड़, 2017-18 में 17 करोड़ का प्रावधान किया गया था । फिर भी आजकल अधिकतर गांवों के नक्शा-खसरा से लेकर बी-1 अपडेट नहीं है । कहीं न कहीं आम जनता को इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है । पिछली सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, इतना बजट में प्रावधान करने के बाद भी अप टू डेट नहीं है तो माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार जो अपडेट नहीं है, कोई भी गांव के हो, पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 19 हजार गांव के नक्शा-खसरा अपडेट हो ताकि आम जनता को उसका लाभ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मिल सके । माननीय सभापति जी, कृषि संरचना । इस बजट में 2 करोड़ 48 लाख का प्रावधान किया गया है । इसमें कृषि के आधुनिक एवं पारम्परिक साधनों के उपयोग की जानकारी प्राप्त करना, कृषि जोत की संरचना तथा क्षेत्रफल, भू-राजस्व के आधार पर जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल बताना, माननीय सभापति जी, जो हम लोग आधुनिक खेती करना चाहते हैं, इसमें जो किसानों को लाभ मिलना चाहिये, उसका लाभ मिले । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी 4 करोड़, 25 लाख का इसमें प्रावधान किया गया है । लघु सिंचाई योजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य, लघु साधनों का बेहतर उपयोग कैसे हो, कृषि क्षेत्रफल की वृद्धि कैसे हो, उसके लिए सरकार ने वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में 4 करोड़ का प्रावधान किया है । माननीय सभापति जी, नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास योजना, इसके लिए भी इस योजना में 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, पूर्व मंत्री आदरणीय चन्द्राकर साहब कह रहे थे, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । जबकि सरकार ने आपदा एवं पुनर्वास के लिए 636 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया है । जब आप अन्य बात कर रहे थे, उसके लिए भी आपदाओं में 636 करोड का इस बजट में प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति जी, किसान सम्मान निधि, पांच साल तक तो आपकी सरकार, केन्द्र की सरकार सोई थी । आपने किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिया, आपने अभी लॉली पॉप 2000 रूपये देने का प्रयास किया है जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है । आज प्रदेश के किसानों ने जो जनादेश दिया है, चा वह राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्यप्रदेश हो, आज केन्द्र की सरकार की नींद खुल गई है । इसलिए पूरे किसान चाहे वह छत्तीसगढ़ के हो, पूरे देश के किसान, जागे हैं । इसलिए केन्द्र की मोदी सरकार को पलटने का प्रयास कर रहे हैं । इसलिए इन्होंने अनाप-शनाप में, जब दो महीना चुनाव बचा है, प्रतिदिन 15 रूपया किसान सम्मान निधि देने का प्रयास किया है । माननीय सभापति महोदय, जहां तक पटवारी हल्के की बात है, हर पंचायत में एक पटवारी हल्का है । हमारे जितने भी पंचायत हैं, उसमें एक पटवारी हल्का है, उसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा । रही बात बंधक भूमि की, जो 9 लाख लोगों की आपने चर्चा की है, आपकी सरकार ने 15 साल तक राज किया है तो 9 लाख बंधक आपने ही बनाया है ना ? हमने तो नहीं बनाये हैं । माननीय सभापति जी, हमारी सरकार को तो जुम्मा-जुम्मा दो महीना हुये हैं । आज दो महीना में हमारी सरकार की बहुत सी योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, लोकसेवा गारण्टी योजना के तहत समयसीमा में जो नक्शा खसरा से लेकर जो भी बी-1 देने का निर्णय लिया है, कहीं न कहीं लाभ हमारी जनता को मिलेगा । माननीय सभापति जी, हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो 13 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं, 85 विकासखंड आदिवासी उप योजना में आते हैं । उसके बाद भी पिछली सरकार ने भू-राजस्व संहिता की धारा 165 2 में संशोधन करने का प्रयास किया था, मगर मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने आदिवासियों की जमीन को लूटकर बड़े-बड़े उद्योगपतियोंको देना चाह रही थी, हमने लगातार इस सदन में विरोध किया, आज भी संख्या बल के बदौलत भू-राजस्व संहिता की धारा में संशोधन करने का प्रयास किया था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मोहन मरकाम जी ने जो आदिवासियों की जमीन लूटकर उद्योगपतियों को देने की बात की, लूट शब्द आपत्तिजनक है । कभी भी किसानोंकी जमीन की जबरदस्ती रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती । इसलूट शब्द को विलोपित करायें, यह निवेदन करता हूँ ।

श्री मोहन मरकाम :- आज जब मैं कुछ कहता हूं तो मिर्ची लगती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- कहीं किसी को मिर्ची नहीं लगती। बस्तर में ही 289 हेक्टेयर जमीन 2001 में ली गई और आज तक उसका उपयोग नहीं हुआ और किसान वंचित हो गये।

श्री दीपक बैज :- सभापति महोदय, लूट शब्द कहां से असंसदीय हो गया?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हम भाषण जरूर दे सकते हैं, देना भी चाहिए। मरकाम साहब बढ़िया बोलते हैं इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। पर हम शब्दों की शालीनता, भाषा की शालीनता का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो तकलीफ नहीं होती है। अब मिर्ची लग गई, ये बाजार की भाषा है, सदन की भाषा नहीं है। ये लूट, खसोट, डकैती इस प्रकार की भाषा किसी राजनीतिक दल या सरकार के खिलाफ करना भी उचित नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन सब चीजों को विलोपित कीजिए। आप बोलिए ना, आप तो ठीक बोल रहे हैं। 15 साल में ये हुआ, वो हुआ, बोलते रहिए, हम उसको सुन रहे हैं। कहीं गुंजाईश हो, एक सीट बचा है तो आप रोज बोलो, आप तो रोज 15 साल बोल ही रहे हो। पर सभापति महोदय, लूट-खसोट, मिर्ची ये सब सदन की भाषा नहीं है यह आपसे निवेदन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मोहन मरकाम जी शिक्षा से जुड़े रहे हैं। एक माधुर्य गुण होता है- शब्दों का माधुर्य। आलोचना भी हम अच्छे शब्दों में कर सकते हैं। आपको हमारी अनुपलब्धियों पर बोलने का अधिकार है। लेकिन आप अनऔचित्यपूर्ण शब्द और असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करके कहीं से दमदारी नहीं दिखाते बल्कि हाऊस का स्तर गिराते हैं। हम सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हाऊस की गरिमा बढ़े। आलोचना हाऊस का मुख्य विषय है वह आप करिये लेकिन शब्दों का जो इस्तेमाल है वह गरिमापूर्ण हो जिसके लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा जानी जाती है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, लूट तो पूरे राजस्व विभाग में मचा है उस लूट को समाप्त करें, अब तो नई सरकार आ गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, संख्या बल के आधार पर इनहोंने भू-राजस्व संहिता की धारा 165(2) में संशोधन करने का प्रयास किया था। हमने लगातार सरकार से निवेदन किया था कि आप सलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, विशेषज्ञों से राय लीजिए, उसके बाद इस नियम को लागू कीजिए मगर इन्हें तो हड़बड़ी थी क्योंकि इन्हें तो चंद उद्योगपति मित्रों को देना था। बस्तर जैसी जगह इनको खाली करके देना था इसलिए आज 15 की संख्या आने के पीछे भी यह एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि आम जनता की भावना का इन्होंने ख्याल नहीं रखा इसीलिए आम जनता इनके विरूद्ध चली गई और ये जो 65 प्लस की बात करते थे आज 15 में आकर लटक गए।

माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार लोहंडीगुड़ा को स्विटजरलैंड से भी खूबसूरत बनाने की बात करती थी, किन्तु हमारे 1707 किसानों का 4000 एकड़ से अधिक जमीन इन्होंने कब्जा कर लिया था और उसे उद्योगपति मित्रों को दिया था। उसके बाद हमारी सरकार ने आते ही देश में पहला ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि 4000 से अधिक एकड़ जमीन वहां के 1700 से अधिक किसानों को वापस किया है। यह दो महीने की सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। हमारा नगरनार स्टील प्लांट जो भारत सरकार के उपक्रम की कंपनी है उसमें 2007 में 1032 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई। तत्कालीन पिछली सरकार कहती थी कि हमारी जो पालिसी है बहुत अच्छी है उसमें हम उन्हें जमीन के बदले जमीन देंगे, उनको नौकरी देंगे। आज भी 1032 किसान जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है उनको भी आज नौकरी नहीं दी गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज हमारी सरकार लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इन दो माह में आपने जो चार-पांच निर्णय लिये हैं यह ऐतिहासिक निर्णय हैं। इसमें सबसे बड़ा निर्णय 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री का है जिसमें लाखों लोग स्वागत कर रहे हैं और उसका लाभ भी आने वाले समय में मिलेगा । माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी के जो अनुदान मांग हैं उसका सर्व सम्मति से समर्थन करते हुए मांग का समर्थन करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंदा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग की अनुदान मांग है और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलते हुए मैं थोड़े से व्यावहारिक चीजों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीधे सीधे गरीब और किसानों से जुड़ी हुई बात है। कोई भी गरीब और किसान का काम इस विभाग के बिना नहीं होता है। अगर हमको पेंशन का प्रमाण पत्र लेना है तब भी राजस्व विभाग के प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। जमीन बेचना है तब भी राजस्व विभाग की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आवश्यकता है, फौती कटवाना है तो इस विभाग की आवश्यकता है। नामांतरण करवाना है तो इस विभाग की आवश्यकता है, किसान सीधा सीधा इस विभाग से जुड़ा हुआ है। इस विभाग के कारण सभी लोग परेशान भी हैं। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो इसी राजस्व विभाग में है। बिना लेन देन के कहीं कुछ काम नहीं होना है। लोग किसके पास शिकायत करें, पटवारी की शिकायत तहसीलदार से करेंगे, एस.डी.एस से करेंगे, कलेक्टर से करेंगे। एक गांव को आदमी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और सचिव के पास तो नहीं आयेगा लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। किसी जगह सुनवाई नहीं है, पूरा लूट मचा हुआ है। मैं प्रतिवेदन पढ़ रहा था। प्रतिवेदन में तो ज्यादा पटवारी की कमी नहीं है लेकिन क्या कारण है कि जांजगीर चांपा जिले में एक एक पटवारी को पांच पांच पटवारी हल्का नंबर दिया गया है। आज पटवारी लोग अपने अधीनस्थ एजेंट बना के रखे हैं हर गांव में एक एक आदमी को बैठा दिये हैं, अपने रिकार्ड को दे करके। किसान उनके पास जायेगा, मोल भाव करेगा, एजेंट उसका काम करेगा। पटवारी मुख्यालय में बैठ करके वहां से खाली निर्देश देने का काम करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तमाम रिकार्ड को आन लाईन करवा दीजिये, लेकिन किसी भी किसान को आसानी से नक्शा खसरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोक सेवा केन्द्र जायेंगे, पंजीयन करायेंगे, फिराक्त विभाग में जा करके पुन: रसीद कटवायेंगे और रसीद कटवाने के बाद उनको समय दिया जायेगा। फिर बाद में पता चलेगा उस समय पर आपका रिकार्ड तो आनलाईन दर्ज नहीं हुआ है। फिर वह चार महीने, छ: महीने घूमेगा तब कहीं जा करके उसका रिकार्ड आनलाईन होगा तब उसको नक्सा खसरा बीमा मिलेगा। इसी विभाग से हमको जमीन बेचना है तो नंबर छांट लेने है उसके बिना पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री नहीं होगा। उसके लिये मारी मारी, कई जगहों पर तो नियम से अलग हटकर नायब तहसीलदार लोग नियम बना लिये हैं। इश्तिहार प्रकाशित करेंगे, किसी को दावा आपत्ति थोड़ी है। मेरी जमीन पर किसी को क्या दावा आपत्ति है? कोई गलत आदमी दावा आपत्ति भी करता है तो उससे क्या आशय है? मतलब जबर्दस्ती किसानों को परेशान करना, इस विभाग का उद्देश्य हो गया है। फौती तत्काल कटना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनके वारिस के नाम पर तत्काल फौती कट के उनके नाम पर जमीन आ जानी चाहिए। मैं अभी माननीय मंत्री जी के प्रश्नकाल का समय था, मैंने प्रश्न लगाया था। फौती का 168 प्रकरण एक अकेले मेरे तहसील में लंबित है। 168 प्रकरण, मतलब 168 किसान आपके धान बेचने से वंचित हो गये। क्योंकि फौती नहीं कटा तो उसका पंजीयन नहीं हुआ और वे धान नहीं बेच पाये। नामांतरण बंटवारा का तो हालत ही खराब है। नामांतरण के लिए घूम रहे हैं, बंटवारे के लिए घूम रहे हैं। ये तमाम प्रकरण पंचायत स्तर पर हो जाना चाहिए। आज आदमी लाचार और बेबश हो करके, न्यायालय की शरण में जाने के लिए लाचार बेबश हो गये हैं। जाति आमदनी निवास की क्या हालत है, आपने तो एक समय सीमा तय की है। क्या लोक सेवा गारण्टी अधिनियम का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पालन किया जा रहा है ? अभी माननीय अजय चन्द्राकर जी बोल रहे थे कि अगर सबसे ज्यादा इस अधिनियम का दुरूपयोग हो रहा है तो राजस्व विभाग में हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। राजस्व विभाग से ही मुआवजा तय किया जाना है। अधिग्रहीत की गई जमीन 8, 10 साल हो गये।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जी। माननीय सभापति महोदय, 8, 10 साल हो गये, आज किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। मेरे जिले से चरचर ट्रांसमिशन लाईन गुजर रही है। टॉवर लग रहा है सरकार ने नया नियम बनाया कि शतप्रतिशत मुआवजा के बाद टॉवर का निर्माण कार्य चालू होगी, लेकिन आज 4 साल हो गये, टॉवर का निर्माण कार्य चालू हो गया, टॉवर लग भी गया, तार भी खिंच गई, लाईन भी प्रभावित हो गये, 2 साल हो गया। लेकिन आज किसान मुआवजा से वंचित है। राजस्व विभाग अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी को नहीं निभाने के कारण आज किसान परेशान हैं।

माननीय सभापति महोदय, डिजिटल हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं। जब हमारा रिकॉर्ड ही ऑन लाईन नहीं हुआ है तो डिजिटल हस्ताक्षर पर हम कहां जाएंगे ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा में उप तहसील भोथिया है, आपकी ही सरकार में वर्ष 2002 में उसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन एक भी पद स्वीकृत नहीं है, न बिल्डिंग बनी है और आज उप तहसील पूरी तरह से बंद है केवल आपके रिकॉर्ड में भोथिया उप तहसील है वहां एक दिन भी लिंक कोर्ट नहीं लगता है और भोथिया की बात बता रहा हूँ। न वहां पर लिंक कोर्ट लगता है, न आपके कोई नायब तहसीलदार बैठते हैं। जैजेपुर तहसील जो बड़ा तहसील है, वह 103 गांवों का तहसील है तहसीलदार का एक पद स्वीकृत है। अतिरिक्त तहसीलदार का एक पद, नायब तहसीलदार के 04 पद, लेकिन इसकी विरूद्ध आप एक नये नायब तहसीलदार को बैठा कर, उनको तहसीलदार का प्रभार दिये हैं और उनको जो काम करना चाहिए, वह काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ईंटा पकड़ रहे हैं, कहीं रेती पकड़ रहे हैं कहीं बेजा कब्जा के नाम पर दहशत फैला रहे हैं और जो काम उनको करना चाहिए, किसानों को नक्शा, खसरा देना चाहिए, अपने न्यायालय पर बैठकर न्यायालय का प्रकरण निपटाना चाहिए। लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था सुधारना चाहिए, उससे भटकर, केवल अवैध वसूली में भूले हैं। एक सप्ताह में कलेक्टर साहब 4 बार अपना नया आदेश देकर उप नायब तहसीलदार को पदस्थ किये हैं। मेरा निवेदन है कि आप किसानों की रक्षा कीजिए। किसान के प्रति संवेदनशील सरकार बोल रहे हैं। ये लूट मची है, साहब फिर लूट असंसदीय भाषा है ऐसा बोलेंगे, ये जो भ्रष्टाचार मचा है, ये असंसदीय भाषा नहीं है। भ्रष्टाचार थोड़ी है तो ये भ्रष्टाचार मचा है उसको आप कृपया करके समाप्त करें।

सभापति महोदय :- क्या अब समाप्त हो गया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जी। माननीय सभापति महोदय, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम का शतप्रतिशत अपने विभाग में पालन करवायें। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करते हुए, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :
4:03 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी के विभाग की मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं मंत्री जी के बारे में अच्छे से जानता हूँ। जब ये एम.एल.ए. नहीं थे, हम भी नहीं थे तब से इनसे हमारी मुलाकात है। अपने विभाग, अपने काम के लिए बहुत समर्पित होकर, काम कर रहे हैं। यहां भी मुझे उम्मीद है कि वह समर्पित होकर ही राजस्व विभाग के ढर्रे को ठीक करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केशव प्रसाद चन्द्रा जी ने ठीक कहा कि जो पटवारी वगैरह हैं वे आजकल रेत पकड़ने का काम ज्यादा करते हैं। ट्रेक्टर वाला रेत, कोई बड़ा हाईवा का रेत नहीं, अब ये बताईये कि गांव में न कोई खदान चिन्हित होता, सरकारी छोटा-छोटा काम होता है, ट्रेक्टर से कोई लाता है तो पटवारी, क्यों पकड़े? तहसीलदार, पटवारी की विशेष रूचि सिर्फ रेत पकड़ने में है। जरा, उनको समझाईये कि भईया राजस्व प्रकरण इतना लम्बा चौड़ा पहाड़ सरीखे बैठा है, आप पहले उसको ठीक करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपसे निवेदन ये है कि मरकाम साहब कहां चले गये? वे बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने इतना वापस कर दिया, उतना वापस कर दिया। आपके ही शहर में 40 साल पहले से फर्टीलाईजर कारखाने के लिए जमीन आरक्षित है । स्वाभाविक रूप से मैं जानता तो नहीं हूँ पर समझता हूँ कि उसमें कुछ न कुछ किसानों की जमीन गई होगी तो आप दिल्ली की सरकार से बात करिये। हम लोग सब चाहते हैं हमारी प्राथमिकता है कि वहां पर फर्टीलाईजर का कारखाना खुले। अगर वह नहीं खुल रहा हो तो कोई और कारखाना जो वहां के हित के लिए या प्रदेश के लिए उचित हो, वह खोल दीजिए। और वह भी नहीं है तो कृपा करके उस जमीन को गरीबों को बटवा दीजिए या नगरीय प्रशासन को दे दीजिए ताकि शहर के लिए वहां पर कुछ दूसरे संस्थान खड़े हों। पर वह साईट रिजर्व फार फर्टिलाईजर फैक्टरी का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, पिछले 40 साल से आते-जाते देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, इसके ऊपर भी जरा ध्यान दे दीजियेगा। हालांकि ये मांग रेणु जोगी जी भी अभी करेंगी, फिर भी मैं उन्हीं की मांग को अपना समर्थन देते हुए पेण्ड्रा, गौरेला और मरवाही को जिला बनाने की मांग करता हूं। वह इसलिए करता हूं कि बिलासपुर से 180 किलोमीटर दूर ये अंचल है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है,

आशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मध्यप्रदेश के बार्डर में है, वहां के लोग बीमारी से मर जाते हैं, वहां के लोगों को चिकित्सा, शिक्षा, यातायात की सुविधा नहीं है, अगर ये जिला बन जायेगा तो ये जनहित का एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं ये भी समझ सकता हूं कि उस जिले के बनने में और नही बनने के बीच में श्री अजीत जोगी, डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी और जोगी परिवार आपके आड़े आ सकता है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि अब कोई वहां पैदा हुआ है, पैदा होने के लिए कोई जगह तो चुन नहीं सकता कि मैं कहां पैदा होऊंगा। अगर वह वहां पैदा हुए हैं तो हुए हैं। अगर आपसे पटती है तो पटती है, नहीं पटती है तो नहीं पटती है, लेकिन वहां के लाखों आदिवासियों का कोई जुर्म नहीं है कि अगर अजीत जोगी नाम का कोई व्यक्ति आपके निर्णय में आड़े आ रहा हो तो उसे विनम्रतापूर्वक हटा दीजिए और वहां जिला बना दीजिए। आप जिला बनायेंगे तो आपका नाम होगा, सदन की आसंदी पर बैठे हुए हमारे अध्यक्ष जी जिनका वह कार्यक्षेत्र है, उनका भी नाम होगा, हमारा भी होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। कहने का आशय यह है कि तंग राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय बड़े दिल से इस निर्णय को स्वीकारिये। अभी या माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा के दौरान इसको घोषणा कराईये।

माननीय अध्यक्ष जी, एक आखिरी बात कह लूं। माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र में लालपुर थाना करके गांव है। उसके आसपास लगभग 60-70 गावों में अनुसूचित जाति बाहुल्य के हमारे भाई और बहन निवास करते हैं। मैं चाहता हूं कि उसको आप उप-तहसील का दर्जा दे दीजिए। लोरमी में एक तहसीलदार और उप-तहसीलदार है। उस एक उप-तहसीलदार को लालपुर थाना के नाम से चिन्हित करके वहां पर उप-तहसील का दर्जा दे दीजिए, ताकि प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो और वहां पर लोगों को न्याय मिल सके। मुझे आशा है कि आप मेरी बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, मेरे क्षेत्र के लिए और पेण्ड्रा, गौरेलावासियों के लिए सहृदयतापूर्वक यहां पर घोषणा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत ध्न्यवाद।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के विभागों से संबंधित अनुदान मांग संख्या 8, 9, 35, 58 का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री को डायवर्सन के सरलीकरण के लिए, 5 डिसमिल तक छोटी जमीनों की रजिस्ट्री से रोक हटा लेने के लिए लाभान्वितों की ओर से धन्यवाद देती हूं। इसी तरह अरपा साडा परियोजना के अंतर्गत आने वाली जमीनों की खरीदी-बिक्री में जो वर्षों से रोक लगी थी, उसे हटाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है, उसका स्वागत करती हूं। मैं अपनी विधानसभा तखतपुर में अनुविभाग घोषित करने का आग्रह करती हूं और साथ ही सकरी को तहसील घोषित किये जाने का मेरा आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन के अनुसार जो तालाबों के लिए गाईडलाईन जारी की गई है उसका उलंघन करते हुए तखतपुर विधानसभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्षेत्र के अनेक तालाबों की पटाई की जा रही है और उसे भूमि में बदला जा रहा है, कृपया उस पर रोक लगाने का आग्रह करती हूं। चूंकि माननीय मंत्री महोदय, आप आपदा प्रबंधन भी देखते हैं तो आपके विभाग के अंतर्गत आने वाली नगर सेना में अग्निशमन सेवा के लिए तखतपुर विधानसभा के लिए मैं आग्रह करती हूं कि वहां एक वाहन प्रदान करें। राजस्व मामले के निपटारे के लिए शिविर लगायें जिससे नामांतरण प्रकरण, ऋण पुस्तिका इत्यादि मिलने लगे और किसानों के अन्य राजस्व प्रकरण में उनके पास जाकर के उनका निपटारा करें जिससे उनको लाभ होगा । इसी तरह कंप्यूटर से अधिकांश काम होने लगे हैं, ई धरती योजना में कई बार सर्वर डाऊन होता है या लाईट गोल होती है तो ई धरती योजना से उन्हें जो पेपर नहीं मिल पाते हैं तो उसके लिये मैन्यूअली भी समानांतर व्यवस्था करने का आदेश दें तो ग्रामीण जो बस का खर्चा करके आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं तो उसको सुविधा हो जायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करती हूं कि रजिस्ट्री विभाग और राजस्व विभाग के बीच में पंजीयन को लेकर के अस्पष्टता है उसे स्पष्ट करा दीजिये । इसी तरह मेरे विधानसभा तखतपुर में सकरी नगर पंचायत आता है, जिसमें कॉलोनाईजर्स बहुत सारी कॉलोनी डवलप कर रहे हैं, कई कॉलोनियों का निर्माण अभी चल रहा है और कई अभी पूरी हो चुकी हैं, मैं आपके सामने यह उल्लेख करना चाहती हूं कि उसमें शासकीय भूमि और धरसा, जो छोटे-बड़े पौधों का जंगल है, नदी-नाले हैं उसको भी कब्जा करके धरती बना लिया गया है और उसका डॉयवर्सन कराकर कॉलोनाईजर्स ने बेच दिया है । ऐसी आबादी भूमि के कब्जे और विक्रय के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होने का लाभ यह भूमाफिया उठा रहे हैं । बिलासपुर में नजूल के पट्टों का नवीनीकरण वर्षों से लंबित है तो उसके नवीनीकरण की ओर भी कृपया ध्यान देंगे और आदेशित करेंगे ऐसा मेरा आग्रह है । 14 हजार कोटवारों की समस्याओं पर भी ध्यान देंगे क्योंकि वह सबसे छोटी इकाई हैं जो राजस्व के बहुत सारे प्रकरणों में मददगार होते हैं और उन्हें अभी बहुत ही कम आर्थिक लाभ हो रहा है तो उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में ध्यान देंगे तो मैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सुश्री शकुन्तला साहू (कसडोल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कसडोल विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुमा जो कि विकासखंड पलारी के अंतर्गत आता है। वहां अल्टरट्रेक कंपनी है और अल्टरट्रेक कंपनी में 40 किसानों का अभी तक भू-अधिग्रहण नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत गुमा जो अधिकृत की गयी भूमि के बीच में 40 किसानों की जमीन अभी तक फंसी हुई है, आज तक 7 साल हो गये हैं लेकिन 7 सालों में उन लोगों का अभी भू-अधिग्रहण नहीं हुआ है जिसके कारण किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उस गांव में ज्यादातर किसान लोग रहते हैं और वे खेती के माध्यम से ही किसानी करते हैं और अभी कंपनी वाले लोग चारों तरफ से बाउंड्रीवॉल चालू कर दिये हैं जिसके कारण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

40 किसानों का खेत बीच में पड़ने के कारण उन लोग 7 साल से एसडीएम कार्यालय में पेशी में जा रहे हैं उसके बावजूद भी किसानों का अभी तक खेती का भू-अधिग्रहण नहीं हुआ है तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि प्रभावित किसानों की फंसी हुई जमीन को किस प्रावधान या प्रक्रिया के तहत् खरीदी-बिक्री की जायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद ।

श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी एवं दक्षिणी भाग जो कि प्राकृतिक संपदा से भरापूरा है वहीं मध्य मैदानी भाग में धान, गेहूं, चना तथा दलहन-तिलहन के उत्पादन में देश में अहम् स्थान है । वन संपदा के साथ-साथ कोयला, लोहा सहित अन्य खनिज संसाधनों से प्रचूर राज्य की समृद्धि का आधार है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धरसींवा तहसील में जो तहसीलदार है वह 3 जगहों के प्रभार में हैं जिसके कारण तहसील में सप्ताह में एक या ज्यादातर दो दिन ही बैठ पाते हैं बाकी समय वे अन्य प्रभार वाली जगह पर बैठते हैं जिसकी वजह से क्षेत्र के कई प्रकरण लंबित पड़े हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि धरसींवा तहसील के लिए एक अलग से तहसीलदार नियुक्त किया जाए । जिससे कि क्षेत्र की समस्या का निराकरण किया जा सके । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा अंतर्गत कई ऐसे पटवारी हल्के हैं, जिसमें एक ही पटवारी को 3 या 4 हल्कों का प्रभार दे दिया गया है। जिसकी वजह से न तो वे बटांकन कर पाते, न ही सीमांकन कर पाते और न ही नक्शा खसरा दे पाते, जिसकी वजह से किसानों को समय पर बीज या कृषि ऋण लेने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है । आपसे आग्रह है कि पटवारी की नियुक्ति की जाए, जिससे क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके । मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध प्लाटिंग करके कृषि भूमि को बेचा जा रहा है जिससे कि न केवल लोग गुमराह हो रहे हैं, बल्कि हमारी कृषि भूमि भी कम होती जा रही है । इसलिए आपसे आग्रह करती हूं कि कोई ऐसा नियम लाएं जिससे कि अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाया जा सके और कृषि भूमि को बचाया जा सकेस । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से उद्योग स्थापित हैं लेकिन फिर भी हमारी सरकार द्वारा समय-समय पर प्रचलित उद्योग नीतियों को बढ़ावा देने के लिए नये उद्योगों की स्थापना होनी है इसके लिए आपसे आग्रह करती हूं कि उनको नियम बनाकर दिया जाए, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनी हुई प्रदूषण की स्थिति न बढ़े, बल्कि नियंत्रित हो सके । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीया रेणु जोगी जी । आप देवव्रत के समय का इस्तेमाल करिये ।

श्री देवव्रत सिंह :- केवल पांच मिनट लूंगा सर ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, समय के मामले में थोड़ा उदारता बरतिये आप । ऐसा निवेदन है आपसे ।

श्री देवव्रत सिंह :- राजस्व विभाग में थोड़ा समय की आवश्यकता है, थोड़ा बढ़ाइए अध्यक्ष महोदय ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- आप और मैं, राजस्व विभाग से ही जुड़े हैं तो समय दीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो समझता हूं आप कब जुड़ीं थीं ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- मतलब ।

अध्यक्ष महोदय :- पतिदेव थे ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- जी जी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या और प्रमुख राष्ट्रीय तीर्थ स्थल अमरकंटक की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । चूंकि वहां तीन जिलों का संगम है, डिंडौरी, बिलासपुर और अनूपपुर । सीमा का अभी तक निर्धारण नहीं हुआ । जब राज्य बना था तो उस समय माननीय श्रीनिवास तिवारी जी मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष थे । संभवत: वे चाहते थे कि नर्मदा उद्‌गम का स्थल मध्यप्रदेश में ही रहे और उस कारण अभी तक सोनमुड़ा, जलेश्वर और नर्मदा कुंड किस प्रदेश में है इसका निर्धारण ठीक से नहीं हो पाया । इसलिए वहां पुजारियों में आए दिन झगड़े होते हैं । दो पुजारियों की मृत्यु भी हो चुकी है । जलेश्वर धाम जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, जहां से जोहिला नदी और अरपा नदी की प्रमुख शाखा आमानाला भी निकलता है । नर्मदा कुंड में बहुत सफेद संगमरमर और बहुत साफसफाई और सुंदर है, लेकिन जलेश्वर धाम यदि दर्शन करने जाते हैं तो यही डर लगता है कि कब फिसलकर गिर जाएंगे, हड्डी-पसली टूट जाएगी और वह बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा है । उसका जीर्णोद्‌धार भी नहीं हुआ है । पिछली सरकार ने राशि भी दी थी लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है । पुजारी भी एक झोपड़ीनुमा शेड में रहता है तो कृपया इस ओर विशेष ध्यान दीजिएगा । एक प्राधिकरण बना दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । अभी मैडम जोगी जो कह रही हैं । उसको आप लिखिए भी और अपने अधिकारियों को इशारा कर दीजिए कि जो सके तो आप उसका उत्तर दीजिए ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- धन्यवाद् । वहां एक प्राधिकरण बना दिया गया है। इसमें तीनों जिले के कलेक्टर, माननीय सदस्य हैं । लेकिन उसमें एक भी मीटिंग में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता और न ही मीटिंग हुई है । नाममात्र का वह प्राधिकरण बना है । दूसरी बात मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र हमारे प्रदेश में संचालित हो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रहा है। आज मेरा प्रश्न आया था, जिसमें 32 कर्मचारी नियुक्त हैं पर कोई कार्य धरातल पर उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है और अमरकंटक सबसे अच्छा क्षेत्र है क्यों पूर्व में भी मैं बता चुकी हूं कि एस.ई.सी.एल. मध्यप्रदेश की सीमा बहुत मजबूत वायर फेंसिंग करके प्लांटेशन कर चुका है आज से 5-7 साल पहले। पर छत्तीसगढ़ की सीमा में जहां पाइन और ठंडा प्रदेश होने के कारण अन्य-अन्य राज्य अनुसंधान उनके हिसाब से सिल्वरोक आदि पौधे लगा सकते हैं जैसे शिमला में लगे हैं, जिससे टूरिस्ट भी आकर्षित हों और मसालेदार पौधे खासकर तेज पान वहां अच्छे से हो सकता है। तो उन प्रयोगों को वहां करें क्योंकि एक भी नया प्लांटेशन विगत 13 साल से वहां नहीं हुआ है। इसी प्रकार एक विसंगति सदन में लाना चाहूंगी। गौरेल्ला विकासखंड में गांधीपुर एक गांव है जो अभी भी राजस्व ग्राम नहीं है। कलेक्टर सोनमणी वोरा जी जब थे तो उन्होंने राशन आंगनबाड़ी आदि की सुविधाएं उस ग्राम पंचायत जो ललादी ग्राम आश्रित ग्राम है उसे दी। पर आज भी यदि वे अपने खेत की फसल बेचना चाहते हैं तो वे उनको धान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते। न ही फसल बीमा का उनको कोई लाभ मिल पाता है। इसी तरह मेरे क्षेत्र में, मैं विशेष आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि केंदा जो कोटा विकासखंड के बिल्कुल अंतिम छोर पर स्थित है और वहां से 15-15 मील की दूरी पर अन्य गांव स्थित हैं, उसे उपतहसील बना दिया जाए तो उस क्षेत्र के जो आदिवासी अंचल हैं, वहां के लोगों के लिए एक सुविधा होगी। वह मलेरिया ग्रस्त इलाका है, एंडेमिक एरिया है और अंत में यही कहना चाहूंगी कि कुछ ग्राम पंचायत मेरा आदर्श ग्राम है, सल्का नवागांव, सारबहरा और सदवानी, इनमें 5-5 हजार की आबादी है। यदि वह छोटा हो जाए किसी वजह से तो उनकी सुविधाएं उनको देने में उचित रहेगा और वे उसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय :- रंजना डीपेन्द्र साहू।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी। एक मिनट सर। एक खुड़िया सिंचाई ग्राम है। शायद पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही सिंचाई ग्राम है। उसको न्यू विलेज बनाने के लिए राजस्व ग्राम बनाने के लिए बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। कृपा करके उस पर विचार कर लीजिएगा। लोरमी तहसील के ग्राम खुड़िया जो कि सिंचाई ग्राम है, उसे राजस्व ग्राम में बदलने, बनाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय :- रंजना डीपेन्द्र साहू। आप 3 मिनट में जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग वहां का राजस्व विभाग होता है और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी राजस्व विभाग में हो रही हैं, वहां पर व्यवस्थागत जो प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं और इस बोझ से दबे हुए अधिकारियों के माध्यम से जो जनहित के कार्यों को सुचारू रूप से हो नहीं पा रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा यही निवेदन था कि पूर्व में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी की सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

थी और उन्होंने गांव में नक्शा, खसरा को कम्प्यूटरीकृत करके जनहित के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया तो माननीय महोदय जी मैं यह कहना चाह रही थी कि पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में इसी प्रकार की स्थितियां हैं तो मेरा निवेदन यही था कि सभी ग्रामों को चिन्हांकित करके ऐसे जो ग्राम हैं जैसे मेरे धमतरी विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम है डाही और उसका आश्रित ग्राम था अंगारा 3 साल पहले दोनों ग्राम अलग-अलग ग्राम पंचायतें बनें और उसके बाद अभी तक उस गांव को राजस्व का दर्जा भी प्राप्त हो गया, लेकिन कहीं भी उनके रिकार्ड ऑनलाइन नहीं हैं और इसी प्रकार केवल एक विधान सभा ही नहीं वहां के जिले और समस्त प्रदेश में इस प्रकार की समस्याएं हैं तो वहां पर लोगों को बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय महोदय जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पूर्व यह घोषणा की कि जमीन के छोटे टुकड़ों की भी रजिस्ट्री होगी और चूंकि इस प्रकार की उनकी घोषणाएं थीं तो मुझे नहीं लगता कि इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि जिस प्रकार जिन जगहों पर रजिस्ट्री होती है, जिन कार्यालयों में लोग रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, वहां पर केवल पुरूष ही नहीं, महिलाएं भी जाती हैं और उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माननीय महोदय जी, मेरा यह मानना है कि यदि हमें इन उद्देश्यों को पूरा करना है तो राजस्व विभाग के माध्यम से जहां रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री कार्यालय को अलग से विभाग का दर्जा दे दिया जाए। ताकि रजिस्ट्री कराने में लोगों को आसानी हो। वहां स्टाफ को मू लभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मांग छोटी जरूर है, लेकिन इस पर अमल किया जाए तो जनहित के मुद्दे में यह बहुत बड़ा विषय होगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रंजन डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय मेरे क्षेत्र का था, इसलिए आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब पंडित रविशंकर जलाशय की शुरूआत करनी थी उस समय हमारे विधान सभा क्षेत्र से लगभग 52-53 गांवों को विस्थापित किया गया था। इनमें से कुछ गांव जोगीडीह, बागोडार, लीलर और अरौद, इन गांवों में लगभग 900 एकड़ जमीन है। ये न तो वन विभाग में आ रहा है और न ही एरीगेशन विभाग में आ रहा है और न ही इस गांव को राजस्व का दर्जा प्राप्त हो रहा है। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इन गांवों का सर्वे कराकर चूंकि यह गांव न तो फारेस्ट, न ही एरीगेशन और न ही राजस्व ग्राम में है। तो ये गांव राजस्व में शामिल हो सकते हैं। इसलिए एक बार इनका सर्वे कराकर इनकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विषय और था। चूंकि मैं ये विषय जनहित के मुद्दों पर रखना चाह रही थी। इसलिए आपसे थोड़ा समय चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा नहीं, एक मिनट।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रंजन डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, जी बिलकुल। माननीय महोदय जी, हम एक तरफ देखते हैं कि राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, अनविभागीय अधिकारी हैं, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार हैं, जब उन्हें जनहित के कार्यों को संपादित करना होता है। जब लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। उनको हमेशा यह उत्तर मिलता है, प्रचलित उत्तर मिलता है कि साहब नहीं हैं, मैडम नहीं हैं, वे अन्य कार्यों में या अन्य कार्यक्रमों में गई हैं। तो लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माननीय महोदय जी, मैं यहां यह मांग करना चाहती हूं कि उनके लिए एक दिन और समय सुनिश्चित कर दी जाये ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जनहित में ये मुद्दे विषय रखे हैं। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री देवव्रत जी, तीन मिनट।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि विषय थोड़ा व्यापक है। इसलिए मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप ही अपनी घड़ी देख लो।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की चर्चा हो रही है। राजस्व विभाग में पुनर्वास की चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा क्योंकि अभी तो बहुत से निर्णय राजस्व विभाग में होने हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो जो परिस्थितियां उस समय थी, और लगभग 18 वर्षो के बाद जो स्थितियां बनी हैं, मैं समझता हूँ कि भू-राजस्व संहिता में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में लड़नी पड़ती है, उसमें जल और जंगल की लडाई तो अब लगभग नक्सलाईट लोगों के हाथों में चली गई हैं, जहां उनका न्याय चलता है। लेकिन जो जमीन बची है, अगर हम भू-राजस्व संहिता में परिवर्तन नहीं करेंगे तो यह विभाग केवल प्रशासन का नहीं है, यह विभाग न्याय का भी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि Justice delyed is justice denied. स्थितियां यह है कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार भू राजस्व संहिता में प्रावधान है, उसमें तो छोटे और गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। यदि निर्णय हो भी जाता है, यदि व्यक्ति उसके विरूद्ध में अपीलेट कोर्ट में चला भी जाता है तो तत्काल स्टे मिल जाता है। गरीब के पक्ष में निर्णय होता है और अपील न्यायालय में स्टे होकर जस का तस की स्थिति होती है। उसको न तो कब्जा मिलता न ही उसकी स्थिति बनती है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहली बार एक दबंग मंत्री बने हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा क्योंकि हम लोगों ने पहले भी आपकी कार्यशैली देखी है। व्यापक रूप से या तो कोई एक आयोग बने या कोई चर्चा हो। छत्तीसगढ़ में भू-राजस्व संहिता में बहुत सारी चीजों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में परिवर्तन करने की जरूरत है। लैण्ड रेवेन्यु कोर्ट में आवश्यक बदलाव की जरूरत है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सीमांकन की जो समय सीमा है, आदमी जमीन खरीद लेता है, उसके पास जमीन को नाप कराने के लिए कागज है। नाप कराने के लिए सीमांकन की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जिस दिन सीमांकन होता है, उस दिन अधिकारी कहता है कि मैं टी0एल0 की मीटिंग में राजनांदगांव जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ। तो उसका सीमांकन नहीं हो पाता है। वह अपने जमीन का अधिकार-पत्र, ऋण पुस्तिका लेकर घूमता रहता है। भू-राजस्व संहिता में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि जिस दिन आवेदन करे उसके 15 दिन के अंदर नाप होना चाहिए, सीमांकन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन तहसीलदार के यहां पेशी होती है, तहसीलदार की पेशी के दिन वकील अपना पैसा ले लेता है । जैसे ही प्रकरण पहुंचता है, वैसे ही तहसीलदार साहब उठकर चले जाते हैं कि रेस्ट हाऊस में कलेक्टर साहब आये हैं, मंत्री जी आये हैं, वहां पर कलेक्ट्रेड में मीटिंग है । तहसीलदार तीन महीने में पेशी देते हैं, तीन महीने के बाद पेशी होती है और उस दिन पता लगता है कि तहसीलदार साहब ने पेशी आगे बढ़ा दी । पेशी आगे बढ़ाने पर भी नियम बनना चाहिए कि तहसीलदार किसी राजस्व प्रकरण में कितने दिन तक पेशी बढ़ा सकता है और कितनी सीमा तक के बढ़ा सकता है ? जो सीआरपीसी है और हमारे जो सिविल न्यायालय है, उसमें जज के सामने एक क्लीयरकट गाईड लाईन है कि आज अगर पेशी है तो अगली पेशी कितने दिन के अंदर ही दे सकता है और किस पेशी की सुनवाई कब आगे बढ़ेगी, लेकिन भू राजस्व संहिता में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ की जनता को परेशानी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भू राजस्व संहिता के अंदर में बहुत सारे प्रावधान हैं, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है । मध्यप्रदेश में बात चल जाती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में त्वरित न्याय की बात है तो उसको हमको परिवर्तित करना पड़ेगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था-मालिक मकबूजा का । इसमें हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े नेताओं के नाम आये, कई मंत्रियों को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उस मालिक मकबूजा का क्या हुआ ? आज भी लगभग वैसी स्थिति बस्तर में है। अगर आदमी अपने एक सागौन के झाड़ को काटने की परमिशन मांगता है तो कलेक्टर और कमिश्नर से स्वीकृत होने में उसको 8 महीने, साल भर का समय लग जाता है और एक उद्योगपति टाटा या एस्सार आ जाये तो एक हजार झाड़ वह एक महीने में काट लेता है, कोई सुनवाई नहीं होती । आखिर ये मालिक मकबूजा अपने राजस्व की जमीन में अपने खेत के झाड़ को काटने के लिए क्या नियम है? आदिवासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है । आज यदि कोई किसान अपनी बेटी या किसी की शादी के लिए अगर अपना झाड़ काटना चाहता है तो वह नहीं काट सकता । आज फलदार वृक्ष को काटने के संबंध में क्या नियम है ? आज एक आम झाड़ काट लो, पटवारी को पैसे दे दो, कोई

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

बोलने वाला नहीं है और अगर पटवारी को बुरा लग गया, पैसे नहीं मिले तो वह केस बना देगा । आम के झाड़ को काटने में परमिशन नहीं मिलती । आज तो ये स्थिति है कि बबूल का झाड़ नहीं काट सकते, इस संबंध में शासन को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन-कौन से झाड़ को काटने की परमिशन है और कौन-कौन से झाड़ को काटने की परमिशन नहीं है । बबूल के झाड़ में केस बनाकर ट्रेक्टर को जप्त कर लिया जाता है । मैं चाहूंगा कि ये जो झाड़ काटने की प्रक्रिया है, उसके संबंध में राज्य सरकार सरलीकरण करके कम से कम कुछ नियम को बताए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की काम करने की अपनी सीमाएं हैं । हम चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, लेकिन चाहे आपका विधान सभा क्षेत्र हो, कोरबा जिले की बात या राजनांदगांव जिले की बात करूं, यदि कोई आदिवासी अपनी जमीन बेचना चाहता है तो कलेक्टर के यहां एड़ियां घिस जाती हैं, परन्तु उसको जमीन बेचने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई पैसे वाला आदमी आ जायेगा तो आप पता कर लीजिए, दिखवा लीजिए कि पूरे प्रदेश में कितने प्रकरण में कलेक्टरों ने अनुमति प्रदान की ? अगर खरीदने वाला पैसे वाला होगा, बड़ा आदमी होगा तो एक महीने में परमिशन मिल जाती है, अन्यथा नहीं मिलती । इस पर कोई स्पष्ट नियम, कलेक्टर के लिए भी कोई बाइंडिंग नियम होनी चाहिए कि राजस्व विभाग में आदिवासी अपनी जमीन बेचना चाहता है तो कैसे बेचे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि माननीय मंत्री जी बहुत दबंग मंत्री हैं । मैं एक अच्छा सुझाव और निवेदन करना चाहूंगा । ये इत्तेफाक भी है कि माननीय मंत्री जी के पास राजस्व विभाग भी है और पंजीयन भी उनकी देखरेख में है । नई दिल्ली में दिल्ली राज्य में, गोआ में और पुणे में पुणे का जो नगर निगम है, वहां एक नई चीज चालू हुई है कि जैसे ही व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है, पंजीयन कराता है तो उसके अंदर कम्प्यूटर की एक व्यवस्था है कि रजिस्ट्री के 8 घंटे के अंदर में उसका नामांतरण हो जाता है और नामांतरण होने के बाद रिकार्ड अप-डेट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ तहसीलों में, आप अपनी विधान सभा में, हम लोगों की विधान सभा में इस पायलेट प्रोजेक्ट को लागू करे कि आदमी रजिस्ट्री कराए और आठ घंटे के अंदर में उसका नामांतरण हो जाये तो उससे बड़ा कार्य आज के समय में नहीं हो सकता । नामांकरण के लिए लोग तीन, चार, पांच महीने घूमते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपनी विधान सभा की बात करना चाहूंगा कि जिला बनाने की बात आती है तो जब 1952 में देश आजाद हुआ तो जो आज का वर्तमान छत्तीसगढ़ है, उसमें 28 तहसीलें थीं । उसमें खैरागढ़ तहसील थी, खैरागढ़, पेंड्रा और सारंगढ़ को छोड़कर सभी तहसीलों को जिला मुख्यालय बना दिया गया है । 1972 में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 14 एसडीएम बैठा करते थे, 14 जगह एसडीएम की पोस्ट थी, उसमें भी एक खैरागढ़ था, लेकिन आज भी जिला नहीं बना । आपका आशीर्वाद मिलेगा, अगर राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा तो निश्चित रूप से हो जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पिछली सरकार से गंडई में तहसील खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक कार्यालय प्रारंभ नहीं हुआ है । साल्हेवारा में जगह है, जो कि छत्तीसगढ़ के विकास में जो दो तहसीलों की जो दूरी है, उसमें साल्हेवारा जो प्रॉपर जगह है, वहां से तहसील मुख्यालय 70 किलोमीटर है । साल्हेवारा में उप तहसील की मांग कई वर्षों से आ रही है । मुझे लगता है कि 70 किलोमीटर में कोई तहसील मुख्यालय नहीं होता । यदि आपकी घोषणा हो जायेगी कि साल्हेवारा को उपतहसील बनाया जाये, मैं आपका आभारी रहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने खुद तीन मिनट मांगा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने तीनों के लिए तीन घंटे का समय निर्धारित किया था । एक, दो घण्टे में निपट गया, इसमें अभी दो घण्टे पूरे नहीं हुये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक और निपटाना है ना, आज तो ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने एक महीने पूरे किये हैं । इनका जो विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में प्रमुख बिन्दु था कि हमने पांच डिसमिल तक के रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान की । माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास राजस्व विभाग के सचिव के तीन अलग-अलग पत्र है । एक पत्र में उन्होंने अनुमति दी है, पहले उन्होंने अनुमति को समाप्त किया है और तीसरे पत्र में उन्होंने एक कंडिशन जोड़ दी है कि धारा 70 और 98 का पालन करते हुये रजिस्ट्री करें । मैं माननीय मंत्री जी से जब भी उत्तर दें तो जानना चाहूंगा कि भू-राजस्व संहिता की धारा 97 और 98 के तहत पांच डिसमिल में रजिस्ट्री के संबंध में क्या दिशा-निर्देश देती है, इसको मुझे अवगत करायेंगे ? क्योंकि यह आपका नियम विपरीत आदेश निकला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जो अपने गांव में विवाद की जड़ में है, सबसे ज्यादा विवाद होते हैं तो राजस्व के विभाग के चलते विवाद होते हैं । कहीं सीमांकन का विवाद है, कहीं नांमातरण का विवाद है, कहीं फौती उठाने का विवाद है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि 12 हजार प्रकरण खाली सीमांकन के लंबित है । मैं समझता हूँ कि सीमांकन आपके लोक सेवा गारंटी में है । आप इसको चेक करवाईये कि 12 हजार प्रकरण क्यों लंबित है ? यदि लंबित है तो जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उसके खिलाफ आप कार्यवाही की व्यवस्था करेंगे ? माननीय सभापति जी, एक विषय बार-बार माननीय कवासी जी बैठे हैं, माननीय मोहन मरकाम जी हैं, सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि हमने लोहाण्डीगुड़ा के जमीन को किसानों को वापस करा दी माननीयअध्यक्ष जी, वस्तुस्थिति यह है कि किसानों के कब्जे में ही जमीन थी । जमीन को शासन ने अधिग्रहित किया था, ज्यादातर किसानों को जमीन का भुगतान हो गया था, जमीन किसानों के कब्जे में थी, जो जमीन कब्जे में थी, उसको आपने विधिवत वापस किया । चलिये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अच्छी बात है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ । आपसेयह पूछनाचाहता हूँ कि राजस्व विभाग में यह भी नियम है कि...।

श्री दीपक बैज :- शिवरतन भईया, वही चीज तो हम लोग पांच साल से आपसे मांगते रहे, यह चीज तो आप लोग नहीं कर पाये । उसको हम लोग कर रहे हैं, उसमें धन्यवाद नहीं दे रहे हो । उसमें कमियां आप निकाल रहे हो । पूरे भूमि की स्वामित्व सरकार की थी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय दीपक जी, वह जमीन किसानों के कब्जे में ही थी । किसानों के कब्जे से जमीन नहीं ली गई । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लोहाण्डीगुड़ा की जमीन आपने वापस की है, ऐसे प्रकरण की सूची प्रदेश में 50 से अधिक दे सकता हूँ। जो जमीन उद्योगपतियों ने खरीदी है, राजस्व विभाग में यह नियम है कि इस विषय को लेकर डायवर्सन कराया जाता है । पांच प्रकरण की मैं सूची दे सकता हूँ, जो उद्योगपतियों ने खरीदी है । राजस्व विभाग में यह नियम है कि इसविषय को लेकर डायवर्सन कराया जाता है । पांच वर्षों मेंअगर फैक्टरी स्थापित नहींकी जाती हैतो उसकाडायवर्सन स्वमनेव समाप्त हो जायेगा । जमीन पूर्व के मालिकों को वापस कर दी जायेगी । ऐसे प्रकरणों में आप कुछ करेंगे क्या । तिल्दा के बेमता की घटना है । परसों जब आपका प्रश्न था, पिछली बार वर्ष 2001 में जो 289 हेक्टेअर जमीन बस्तर की अधिग्रहित की गई थी, उस संबंध में भी मैंने प्रश्न किया था । ऐसे प्रकरणों पर आप क्या कार्यवाही करेंगे, यह बताने की व्यवस्था करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें जो दो हेक्टेर से कम के किसान है, लघु किसानों को 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष मिलना है । उसके लिए पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग का नोडल बनाया गया है । आज के ही समाचार पत्रों में समाचार छपा है कि सबसे पुअर स्थिति अगर किसी प्रदेश की है तो छत्तीसगढ़ की है । छत्तीसढ़ में कुल 83 पोर्टल हुये हैं । आपने अपने प्रतिवेदन में किसानों की जो संख्या दी है, वह संख्या दी है, 46 लाख 53 हजार 495 और मैं समझता हूँ कि 46 लाख 53 हजार 495 किसान है । लघु किसानों की संख्या 25 लाख से ऊपर होगी । 25 लाख किसानों को अगर नरेन्द्र मोदी की सरकार 6 हजार देना चाहती है, आप उसकी फार्मेलिटी पूरी क्यों नहीं करवाना चाह रहे हो ? आप इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं ? आपने कर्जा माफ करने में किसानों को धोखा दिया है । आपने खाली अल्पकालीन ऋण माफ किया है, दीर्घकालीन और मध्यकालीन को छोड़ दिया। ये सरकार तो लघु किसानों को प्रतिवर्ष छः हजार रूपये देना चाहती है और आप केवल इसलिए लेट कर रहे हैं ताकि आचार संहिता लग जाए और किसानों को इसका लाभ न मिले। इसमें आप राजनीति न करें यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- आपके पास पांच साल का समय था। अब चला चली की बेला में दे रहे हैं, यदि पांच साल दिये रहते तो उसका लाभ मिले रहता। अगली बार आयेंगे या नहीं आयेंगे इसकी क्या गारंटी है। कौन सी गारंटी है कि आप दोबारा आयेंगे?

श्री दीपक बैज :- शिवरतन भैय्या, कुछ भी सामान दे दो अभी कुछ नहीं होने वाला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 के चुनाव के पहले स्व. नंद कुमार पटेल जी का भाटापारा आगमन हुआ था। उन्होंने अपने भाषण में भाटापारा को जिला बनाने की बात की और अभी जनघोषणा पत्र बनाने के लिए माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब का दौरा हुआ, माननीय भूपेश बघेल जी का दौरा हुआ और इन्होंने वहां कार्यकर्ताओं के बीच जनसभा में घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनी तो भाटापारा को जिला बनाया जायेगा। अब तो आप तीन चौथाई बहुमत के साथ सरकार में हैं, आपने जो घोषणा की उसे पूरा करने में क्या दिक्कत है? आप भाटापारा को जिला बनाने की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री मोहन मरकाम :- इंतजार कीजिए साहब, आपकी सरकार नहीं की तो हमारी सरकार करेगी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- चुनाव के समय जितना बोले हैं ये वहां एक जीवनकाल में रहेंगे तो भी वह पूरा नहीं होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो घोषणा इन्होंने की उस घोषणा को पूरा करें। भाटापारा को कब जिला बनायेंगे इसे माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताने की कृपा करेंगे? आपके नेता ने मनेन्द्रगढ़ को भी जिला बनाने की घोषणा की है। आप मनेन्द्रगढ़ को कब जिला बनायेंगे, आप पेंड्रा को कब जिला बनायेंगे यह आप बतायेंगे और नहीं बना सकते तो उसे भी आप स्पष्ट करेंगे? अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- मैं माननीय मंत्री जी के मांग प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हौं। हमन जतका भी सदस्य हैं सबो राजस्व विभाग के बारे में बताईन हें कि ये आम आदमी से जुड़े हुए विषय हे। मैं अपन विषय ला अपन क्षेत्र में ही रखना चाहत हौं। जांजगीर जिला में सबसे ज्यादा पावर प्लांट लगे हे तो वह चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में लगे हे। आर.के., एथेना, डी.बी. जैसे बहुत से पावर प्लांट हें जेनमन चालू भी हो गे हे। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं माननीय मंत्री जी ला सदन में निवेदन करना चाहत हौं कि पावर प्लांट मन चालू करे बर जेन पाईप लाईन ला लेगे हे और ओ समय त अधिकारीमन गीन और गरीब किसान आदमी मन ला बहला फुसला कर कि अभी हम लोगों को बना लेने दो, चार दिन में हम मुआवजा दे देंगे, आप लोग चिन्ता मत करो। त गरीब आदमी, भोला भाला आदमी मन बहुत सीधा होथे। ओमन बड़े-बड़े अधिकारी के बात में तुरंत आ जाथे। आज मैं अध्यक्ष महोदय के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माध्यम से ये सदन ला बताना चाहत हौं कि अभी तक ओमन ला फूटी कौड़ी नही मिले हे और पावर प्लांट ला पानी जात हे। ओमन के खेत ह पूरा उबड़-खाबड़ हो गे हे। जब पानी फूट जाथे तो जे समय मा पानी मिलना चाहिए वो समय पानी नई मिलय और जे समय पानी के जरूरत नहीं हे ओ समय पानी हा बोहाके पूरा धान ह सड़ जात हे। मैं निवेदन करूहूं कि आप अईसे किसान मन ला मुआवजा देबर निर्देशित करहू। दूसरा एक पोता गांव हे, वहां पर हमर सरकार ह बोलत हे नरवा, गुरूआ, घुरूआ, बारी, भांठा भुर्रा ला हमन सजा के रखबो बढ़िया से किसान मन के उपयोग कराये बर, गरूआ बछरू चराए बर। लेकिन ऐखर पहिली जेन सरकार रहिस ओह राखड़ ला लाके 25 एकड़ में डंप कर देहव। उहां जाथन त धुर्रा माटी उड़ियावत हे। अधिकारी जाकर पूछत हे कि ऐला कौन पटाए हे त सरपंच कथे मैं नहीं पटाये हों, तहसीलदार कहत हे मैं नहीं पाटे हों, त ओला कौनो भूत आके पाट दीस का? ऐखर सूक्ष्म जांच कराये जाए और अगर ओला उहां के सरपंच, सचिव या तहसीलदार अगर ओमा दोषी हे तो ओमन के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो ताकि दूसरा कोनो अईसा करे के हिम्मत नहीं कर सके। तीसरा बात कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय के आशिर्वाद हे कि मैं ओकर तहसील के रहने वाला हों। मालखरौदा तहसील, जैजेपुर तहसील, हसौद तहसील तीनों के एक एस.डी.एम हे जेन सक्ती में बैठथे। मैं अध्यक्ष महोदय जी ल निवेदन करिहौं कि हमन किसान मन ला पेशी रेंगे बर बहुत दूर जाये ला लागथे। और हमन के इहां पावर प्लांट लगे हे त और परेशानी हे। मैं निवेदन करिहौं कि एक ठन एस.डी.एम. आफिस हमर मालखरौदा में कर देव। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करिहौं काबर की चार ठन तहसील हमन एके ठन जुड़े हे, एक ठन उहीं ल कर दे जी। आपसे निवेदन करिहौं। कोटवार मन के समस्या ला बोलना चाहत हौं काबर कि मैं कोटवारमन के तीर बहुत बैईठथौं। ओमन के दू प्रकार के जमीन होथे। एक होथे मालगुजारी जमीन और एकठन होथे सेवाभूमि जमीन । कईठन जिला में ओमन ला मालगुजारी जमीन ला छोड़कर के ओमन ला वेतन मिलथे। गरीब आदमी हरे वोमन हा बहुत मेहनत मजदरी कतर रथे। मैं निवेदन करिहो को वोमन ला भी सेवा भूमि ला छोड़ करके जांजगीर जिला दिया जाये ताकि वो गरीब आदमी मन, आप मन ला तो धन्यवाद देबे करही मंत्री जी ला, हम मा ला भी 90 सदस्य हा धन्यवाद के पात्र पा जबो। मांग परियोजना मोर क्षेत्र में नहर आय हे आज तक ओखर मुआवजा नई मिले हे, अऊ अईसने नहर हरे वोमा पानी नई आवय। जब बरसात के समय होथे खेत में पानी माड़े रथे तेला उल्टा वो हा झिक देथे, कोन हा खजवा मा पानी नई आवय। अऊ मुआवजा भी नई मिले। कई झन किसान मन मोला निवेदन करिस हे कि मुआवजा दे देही नहीं ते येला पाटबो कहात रिहिस हे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करिहो कि वो जो नहर हे ओखर भी अतिशीघ्र मुआवजा दे दिया जाये। अंत में कलमा, साराडीह, मिरौनी, बसंतपुर, शिवनारायण में जो बैराज बने हे, आज 9 साल हो गे दर दर के भटकथे। अऊ भी जाथन ता जल संसाधन विभाग कथे राजस्व के मामला हरे, राजस्व विभाग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कथे ये ओखर मामला हरे। गरीब किसान झोला ला बोहे बोहे कहां किंजरही। येकर पहली सरकार जतका करे हे, लेकिन मोला भरोसा हे आदरणीय हमर दबंग मंत्री जी ऊपर माननीय अध्यख ऊपर ये अभी दो महिना होईस हमर म के सरकार ह, अऊ बहुत तेजी से आगे बढ़त हे, येला आप बहुत जल्दी मोला दिला देहू मोला विश्वास हे आप मोला बोले के मौका दे हो येकर लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खैरागढ़ तहसील में कोरबा के बड़े उद्योगपति लैंको पावर सोलर पावर वालों ने खैरागढ़ तहसील में 300 एकड़ जमीन सोलर पावर के नाम से ले ली, उनको अधिग्रहण कर दिया, किसानों को नौकरी की बात कही आज तक नहीं मिली। सोलर पावर का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, थर्मल पावर चालू हो गया तो उनकी जमीने वापस होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरबा का कौन सा पावर।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लैंको मतलब विदेश की कंपनी है। उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। लोगों और किसानों को वहां पर जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए, या जमीन वापस हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिये स्वलपाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है। सुविधानुसार स्वलपाहार ग्रहण करें। आज के कार्यसूची में पद क्रमांक चार का कार्य पूर्ण होते तक सभा के समय में वद्धि की जाये। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी के मांग पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राजस्व विभाग महत्वपूर्ण विभाग है और हमारी गांव की जो सारी व्यवस्था है एक पुलिस प्रशासन और दूसरा राजस्व विभाग पर आधारित है। गांव में आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे मामले हैं, जो विवाद का जड़ होता है वह जमीन के मामले को ले करके होता है। उसमें मुख्य रूप से जो सीमांकन है, आज ये तय नहीं है कि उसका जो सीमांकन करेंगे तो जमीन किसकी है। वे कहां से उसका नाप शुरू करेंगे। कई मामले देखने में ऐसे आये हैं कि किसी की जमीन को आगे बता देंगे और आगे वाले जमीन को पीछे बता देंगे। ये जो गोरख धंधा चल रहा है इसको समाप्त करना पड़ेगा। इसको समाप्त करने के लिए उसका नाप कहां से शुरू करें, तो पहले जो चांदामुनारा की व्यवस्था रही है। आज इनके कोई मापदंड नहीं है कि कहां से नाप शुरू करना है। इसके कारण में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। मेरा मंत्री जी से सबसे पहले आग्रह ये है कि जो गांव में चांदामुनारा बना हुआ है, जो शहर में बना हुआ है। उस चांदामुनारा को हर साल उसके मरम्मत और पुताई का काम जहां से हम शुरू कर सकें। उसको व्यवस्थित करने का काम करें। दूसरी बात जो राजस्व विभाग में मामले आते हैं जमीन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसी का मालिक उसका कोई और है नाम किसी दूसरे का परिवर्तित हो गया। अब किसान को मालूम कब हो रहा है जब वह बेचने के लिए, या नकल के लिए या लोन लेने के लिये जा रहे हैं तो उनको पता लगता है कि मेरे नाम की ये जमीन ही नहीं है। दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया गया है। जब वे जा करके राजस्व अधिकारी से बात करते हैं साहब ये मेरी जमीन है मैंने इस जमीन को बेचा नहीं है, ये इसके नाम में कैसे परिवर्तन आ गया ? तब उसको अधिकारी के द्वारा जवाब दिया जाता है कि ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अब कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसको कोर्ट में जाकर डिसाईड करेंगे तो एक बिना कोई सेल डीड के उस गरीब आदमी के जमीन को दूसरे के नाम पर कर दिया और जमीन को दूसरे के नाम में करने के बाद ये सुनिश्चित नहीं है कि उसकी जवाबदाही किसके ऊपर सुनिश्चित हो? जब उन्होंने नाम में किया तो उसके पास कोई न कोई दस्तावेज होना चाहिए, जिसके कारण में उन्होंने नाम में किया। ऐसी स्थिति में उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके नाम से फिर उसको वापस किया जाए और इसलिए माननीय मंत्री जी उसको सुनिश्चित करें। जो जमीन कोई बिना सेल डिड के दूसरे के नाम पर गया है उसको उसके नाम पर वापस लायें। उस आदमी को कोर्ट का चक्कर न लगाना पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में हम लोग बहुत सारे देंखेंगे कि आज जो स्थिति बन रही है गांव में अभी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा आबादी पट्टा वितरण किया गया। वास्तविक में 50, 100 साल उनके 4-5 पूर्वज से उसका जमीन में कब्जा है। प्रचलित कब्जा के आधार पर उनको आबादी का पट्टा दिया गया। इसमें शहर में भी दिया गया है और गांव में भी दिया गया है। लेकिन उनको प्रचलित आबादी के पट्टे दिये गये और उसमें कुछ शेष बाकी है। लेकिन जो नये लोग बसे हुए हैं वह भी आज से नहीं बसे हुए हैं लगभग 40, 50 सालों से 2-2, 3-3 पीढी से बसे हुए हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसको लेकर सुनिश्चित किया जाए कि उनका भी सर्वे करवा दें और सर्वे कराने के बाद में जिनको अधिकार पत्र दिया जाना है, वह शहरी और ग्रामीण एरिया में उसको अधिकार पत्र मिल सके। ताकि आज उनके मन में जो अनिश्चय की स्थिति है कि कल कोई आकर हमको बेदखल कर देंगे या उनको भवन को बनाने में आगे लोन लेने में जो दिक्कत आ रही है ये सुनिश्चित करेंगे तो उनकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी और उनके हक के बारे में ऊहापोह की जो स्थिति है, वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए समझ लीजिए कि जो काम अधूरा है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको आप सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपदा राहत की बात है। मंत्री जी के पास में विभाग है। अभी आपने उसमें 4, 6, लाख की जो सीमा बढ़ाई है तो जो सूखा प्रभावित हैं, उसके बाद में जो फ्लड के कारण में है। उसके कारण में भूकम्प और बाकी जो चीजें हैं। लेकिन आगजनी की घटना है। अब उस दिन एक मामला आया था कि शार्ट सर्किट हुआ, उसके कारण बिलासपुर के सिम्स में बहुत सारे बच्चे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रभावित हुए हैं। लेकिन उस परिवार को केवल इसलिए मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि आपदा के अंतर्गत में नहीं है। मेरा ये आग्रह है कि जो अग्नि में जल गये और अग्नि काण्ड हुआ तो चाहे वह शार्ट सर्किट के कारण हुआ हो, उसे कोई लगाया हो, अपने आप हुआ हो, इसको भी उसमें सुनिश्चित करने का प्रयास करें, जिससे ऐसे प्रभावित लोग हैं उनको इसका लाभ मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ ही साथ में जो 4 लाख, 6 लाख है। लेकिन आप देखे होंगे कि आये दिन पेपर उठाकर देखेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर दुर्घटना नहीं हुई है और बहुत सारे अज्ञात वाहन में दुर्घटना करके, वाहन चली जाती है वह वही पड़ा रहता है और उसके बाद में उसकी जो क्षतिपूर्ति राशि या कम्पनसेशन की बात करें तो मात्र उनको 25 हजार रूपये दिया जाता है, वह कोर्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि अज्ञान वाहक में है। इसलिए मैं उसमें आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे आपने बाकी राशियों में वृद्धि की है इस राशि में भी वृद्धि करनी चाहिए कि 25 हजार की राशि के बजाए, उस राशि को और बढ़ाने की आवश्यकता है और बाकी जो आपदा की राशि दी जाती है, उसी में इसको जोड़कर, उस राशि को बढ़ायेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि आज भी हमारे पास में ऐसे कोई मानदण्ड और व्यवस्था नहीं है कि हम दुर्घटनाओं को रोक सकें। पर डे की जो घटना हो रही है, इसलिए माननीय मंत्री जी उनके लिए इसमें चिंता करेंगे। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखे होंगे कि हमारे यहां लैण्ड एक्वायर करते हैं। चाहे उद्योग के लिए हो, नहर, सड़क के लिए हो या शासन को आवश्यक कार्य है, उसके लिए लैण्ड एक्वायर करते हैं। लेकिन लैण्ड एक्वायर करने के बाद में उसमें धारा 4, 6, 9 का प्रकाशन और उसके बाद में उनको मुआवजा की राशि तय करनी है। अभी इतने सारे प्रकरण लंबित हैं और उनके कारण जो जमीन एक्वायर किये हैं, आज उस जमीन की वेल्यू बढ़ गई है, उसके शासकीय दर के निर्धारण में भी उसका रेट बढ़ गया है, लेकिन जो उसको मुआवजा मिलेगा, पिछले बार जो भू-अर्जन किया गया है, उस समय की दर में उनको मुआवजा दिया जाता है। या तो उसी समय तत्कालिक रूप से कोई वयवस्था हो कि उनको उनकी जमीन का भुगतान हो जाये। लेकिन यदि आज उसको भुगतान करते हैं तो भुगतान करने के बाद में जो जमीन की राशि मिल रही है, वह राशि से वह दूसरी जमीन भी लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले जो आज लंबित हैं, ऐसे मामलों का निराकरण तत्काल होना चाहिए। इसको ले करके खास करके किसानों में काफी रोष और आक्रोश व्याप्त है। जो किसान की जमीन गई है, आने वाले समय के लिए उसकी जो व्यवस्था हो सके, उस व्यवस्था को ले करके वह उसमें प्रताड़ित होते हैं। इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए या सरलीकरण किया जाना चाहिए और सरलीकरण के माध्यम से हम उसको कैसे रोक सकते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण की बात है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अतिक्रमण करते-करते आज गावों में स्थिति यह हो गई है कि आप भवन तो पास करवा लेंगे, आपके स्वीकृत हो जायेंगे, लेकिन भवन स्वीकृत होने के बाद में आपके पास में गांव में इतनी भी जमीन नहीं है कि वह भवन का निर्माण करा सकें। लेकिन आज तक कोई ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है कि उसकी जवाबदेही हम किसको दें, हम उसको सुनिश्चित कैसे करें। अभी अतिक्रमण रूका नहीं है, लगातार अतिक्रमण जारी है और यदि अतिक्रमण की यही रफ्तार रही, चाहे शहरों में हो या गावों में हो, तो आपकी जो योजनायें हैं उन योजनाओं के लिए भी आपके पास में जमीन नहीं है। उसके कारण में आप देखें होंगे कि बजट में तो राशि का प्रावधान कर दिया, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन होना चाहिए, वह क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और यह केवल अतिक्रमण के कारण है। मुझे लगता है कि यदि इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो अतिक्रमण हो गया, ठीक है, आप बेदखली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन नये सिरे से हम उसको नियंत्रित कर सकें, ये जवाबदेही चाहे आप पटवारी को देंगे या इसके लिए किसी को अथारिटी बनायेंगे कि अब बेजा कब्जा गांव में न हो और उसको सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए आप चिंता करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डायवर्सन में अभी कुछ संशोधन कर रहे हैं। डायवर्सन करते हैं तो एक तो उसमें मकान बनाने के लिए है और दूसरा व्यावसायिक दृष्टिकोण से है। माननीय मंत्री जी, जो आवास बनाये हैं, उनको हर साल डायवर्सन के पैसे पटाने पड़ते हैं। उसमें बहुत राशि नहीं है, लेकिन डायवर्सन की जो आवासीय शुल्क है, उनको आप उससे मुक्त कर सकते हैं। उस पर एक बार विचार करना चाहिए। जो व्यावसायिक परिसर है या व्यावसायिक कार्य के लिए जो डायवर्सन की स्थिति है, उसको आप रखे रहें, लेकिन जो आवासीय हैं जिसमें लोग मकान बना करके रह रहे हैं, इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। इसके ऊपर हमको विचार करने की आवश्यकता है। यह जो छोटे प्लाट की बात है, अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्री पहले भी हो रही थी, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि 5 डिसमिल के नीचे की जमीन में आप जो रजिस्ट्री करा रहे हैं तो रजिस्ट्री तो करा पा रहे हैं, लेकिन बटांकन नहीं कर पा रहे हैं। आज भी आपके पास में ऐसी कोई स्केल की व्यवस्था नहीं है कि उसका बटांकन कर सकें और यही आने वाले समय में विवाद की जड़ बनेगा, जिसके कारण लोगों में पुन: थाना, कोर्ट, कचहरी का मामला इसी जमीन में होगा। क्योंकि आप उसको निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि उसका बटांकन कैसे करेंगे? कृपया इसको सुनिश्चित करें कि इसका बटांकन कैसे करेंगे, उसकी क्या स्थिति बनेगी, आज की तारीख में आपके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब उनको जाने दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गिरदावली का जो बोल रहा था। पहले किसान, पटवारी, अधिकारी खेत में जाते थे, वहां पर जा करके सुनिश्चित करते थे कि ये जमीन किसकी है, इसमें धान, अलसी बोई गई है या कोई फसल उसमें है या पड़ती है। उसी समय ये तय हो जाता था कि ये जमीन किसकी है, लेकिन आजकल गिरदावली बंद हो गई है। मुझे लगता है कि आने समय में इसको हमको लागू करने की आवश्यकता है। यदि ये गिरदावली करेंगे तो बहुत सारे जो जमीन के प्रकरण, मामले आते हैं, ये मामले भी समाप्त हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व प्रकरण की बात अजय चन्द्राकर जी के द्वारा बताई गई कि 1 लाख 47 हजार से ज्यादा मामले हैं। उसमें सीमांकन का भी है, नामांतरण का मामला है और इसके साथ ही साथ में राजस्व मंडल का मामला है । आप राजस्व मंडल की स्थिति देखेंगे तो आज की स्थिति में 9 हजार 592 प्रकरण में जो डिसाईड हुआ है 692, ये 8900 प्रकरण लंबित हैं मतलब यह राजस्व मंडल में एक बहुत गंभीर मामला है । मुझे लगता है कि उसमें चिंता करने की आवयश्यकता है कि लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके । यह जो क्रॉप कटिंग होता है नजरी आनावारी और उसके बाद में फसल आने के बाद में, प्रधानमंत्री फसल बीमा उसके बाद में आप देखेंगे कि जब सूखा घोषित करते हैं तो सूखा घोषित करने के बाद में उनको जो क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है । आरबीसी में जो संशोधन किये गये हैं, आजकल उसमें 6 हजार से लेकर 14-15 हजार तक सिंचित और असिंचित में लेकिन उस समय नजरी आनावारी के समय में जो उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके साथ ही साथ में क्रॉप कटिंग की मुझे लगता है कि उसके कारण हमारे बहुत से किसान और गांव वंचित हो जाते हैं कि उस समय जो सही भेजा जाना चाहिए और गांव वालों को लाभ मिले । केवल छोटे अधिकारियों के कारण, जो हमारे अधिकारियों की उपेक्षा के कारण या उनके बर्ताव के कारण गांव के लोग वंचित होते हैं तो ऐसे तमाम् मामलों को दिखवाने की आवश्यकता है और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे उनको लाभ मिल सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, दो-दो सदस्यों ने आपको बड़ा दबंग मंत्री कहा है तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी दबंगता के साथ आप मिनट में अपना भाषण समाप्त करें । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है कि आपने समय-सीमा में बांध दिया । इतने लोगों का प्रश्न है, यदि मंत्री जी दबंगता से भी उत्तर देंगे तो भी नहीं दे पायेंगे तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा । (हंसी)

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला शासन भू-अभिलेख संधारण राजस्व सर्वेक्षण पुन: सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य मुद्रण लेखन सामग्री तथा पुनर्वास से संबंधित कार्य संपादित...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दीर्घा में केवल एक सचिव साहब भर हैं । संचालक, आयुक्त जितने ऊपर से नीचे जो प्रतिवेदन में पद क्रम दिखे हैं न, विभागीय संरचना, विभागीय संरचना में केवल एक ही पूरे सिंगल आदमी मौजूद हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अनुदान संख्या - 08, 09, 35, 58 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के व्यय हेतु निम्नानुसार बजट की मांग की गयी है -

वर्ष 2019-20 मांग संख्या-08, भू राजस्व एवं जिला प्रशासन, 09 अरब 93 करोड़ 50 लाख 81 हजार, मांग संख्या-09 शासकीय प्रेस 22 करोड़ 12 लाख 70 हजार, मांग संख्या-35 पुनर्वास 2 करोड़ 35 लाख 84 हजार, मांग संख्या-58 राहत कार्य 6 अरब 36 करोड़ 20 लाख 49 हजार इस प्रकार कुल 16 अरब 54 करोड़ 19 लाख 84 हजार के मांग का प्रस्ताव वर्ष 2019-20 के लिये सदन से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि का प्रबंधन एवं भू राजस्व निर्धारण का कार्य प्राचीन काल से संचालित होता रहा है । राजस्व विभाग जहां एक ओर भूमि सबंधित अभिलेखों का संधारण करता है वहीं शासन की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन होने से आम आदमी तक पहुंचाने का राजस्व विभाग के माध्यम से काम किया जाता है । राज्य के प्रत्येक नागरिक को चाहे उसके पास भूमि हो या न हो, राजस्व विभाग से अवश्य वास्ता पड़ता है इसलिये आम जनता की आवश्कताओं को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से विभागीय प्रक्रियाओं- नियमों एवं विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियमों में लगातार उन्नयन करने के साथ नवीन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जिससे एक सुव्यवस्थित राजस्व प्रशासन प्रदेश की जनता को उपलब्ध करायी जा सके इसके लिये हमने वर्ष 2019-20 के बजट में कई महतवपूर्ण कार्य हाथ में लिये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा । आज इस अनुदान मांगों पर सभी जो सम्माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये उसमें श्री अजय चंद्राकर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्री केशव चंद्रा जी, श्री धर्मजीत जी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, सुश्री शकुंतला साहू, श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा , डॉ. रेणु अजीत जोगी जी, श्रीमती रंजना साहू जी, श्री देवव्रत सिंह जी, श्री शिवरतन शर्मा जी, रामकुमार यादव जी, मैं सभी को जो अच्छे सुझाव आए उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के बढ़ते कदम । हमने अपने कार्यों को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने और जनसामान्य की भू-अभिलेखों तक आसान पहुंच बनाने तथा भू-अभिलेखों के संबंध में समझ विकसित करने के लिए, स्वयं के आधुनिकीकरण करने के लिए सार्थक प्रयास किये हैं । जिनमें मानव संसाधनों के उन्नयन से लेकर भू-अभिलेखों के संधारण हेतु आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग हेतु विभिन्न क्रियाकलाप किये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, बस्तर में जो वृहद इस्पात संयत्र के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी उसको एकीकृत इस्पात संयंत्र में से टाटा इस्पात लिमिटेड जमशेदपुर के साथ एमओयू निष्पादन किया गया था । जिला बस्तर की तहसील लोहंडीगुड़ा एवं तोकापाल में टाटा इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य शासन द्वारा किसानों की निजी भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिसमें 10 ग्रामों के 1760 खातेदारों के 1764 हेक्टेयर से अधिक भूमि शामिल थी । वृहद इस्पात संयत्र की स्थापना हेतु अर्जित भूमि पर 10 वर्ष तक उपयोग आवंटित प्रयोजन हेतु नहीं करने पर योजना वापस लिए जाने के फलस्वरूप राज्य शासन के निर्णय अनुसार अर्जित की गई निजी भूमि को मूल भूमि स्वामी, उनके विधिक वारिसान को वापस लौटाया गया है, जिससे बस्तर के प्रभावित लगभग 1760 परिवारों में आशा की नई उम्मीद जागृत हुई है । यह कार्य हमारी कांग्रेस की भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है (मेजो की थपथपाहट) । जो इस देश का इस तरह का पहला काम है ।

अध्यक्ष महोदय, छोटे आकार के भूखंडों के पंजीयन एवं नामान्तरण पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था । उसे समाप्त किया गया है । जब से ये प्रतिबंध समाप्त हुआ है। हजारों रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और छोटे छोटे भूखंड, जिन पर रोक लगाए जाने के कारण मध्यम ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने इस विषय पर प्रश्न रखा है । तीन पत्रों का जवाब है, जो पांच डिसमिल से कम रजिस्ट्री का, जो आप बोल रहे हैं । आप उसको स्पष्ट करें कि भू-राजस्व संहिता क्या बोलती है 1970 और 98 । और आपके विभाग के सचिव ने अलग-अलग पत्र जारी क्यों किये हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- करेंगे, करेंगे । उसका भी जवाब देंगे । एक-एक चीज का जवाब देंगे । भूखंडधारी मध्यम तथा कमजोर तबके लोगों को उनके छोटे आकार के भूखंड की खरीदी-बिक्री को लेकर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था । जब से ये छूट दी गई है, जब से यह प्रतिबंध समाप्त किया गया है । हजारों रजिस्ट्रियां हो रही हैं और लोगों को काफी राहत महसूस हुई है (मेजो की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, जिला कबीरधाम में ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी केवल उपलब्धि बता रहे हैं । भू-राजस्व संहिता के किस नियम में है यह स्पष्ट करें ना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- बताएंगे, आपको एक एक चीज का जवाब देंगे । मैं बोल तो रहा हूं कि पहले मैंने जो चीजें तैयार की हैं उनको बता दूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी लिखित उत्तर पढ़ रहे हैं, बाद में आपका उत्तर देंगे।

श्री कवासी लखमा :- पहले आपका थोड़े ही है । पहले अजय जी ने कहा है इसलिए उनका उत्तर देंगे फिर आपका देंगे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जिला कबीरधाम में बाक्साइड लीज क्षेत्र एवं आसपास के ग्रामों में जमीन खरीदी बिक्री पर रोक हटाने के संबंध में जो अभी रोक हटाई गई है । कलेक्टर कबीरधाम द्वारा, कबीरधाम जिले की तहसील बोड़ला, पडरिया के 82 ग्रामों में निजी स्वामित्व की भूमि की खरीद बिक्री के पंजीयन पर रोक लगाई गई थी। जो आपकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लगाई थी । जिसके कारण भूमि स्वामियों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था । राज्य शासन द्वारा दिनांक 16.01.2019 को कलेक्टर कबीरधाम को खरीद बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने हेतु निर्देश दिया गया है । भू-अर्जन प्रकरणों में प्रतिकर का निर्धारण हेतु विधेयक, वर्तमान में प्रदेश के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रकरणों में निजी भूमि स्वामियों के उनके भूस्वामी हक की भूमि अर्जित किए जाने पर उन्हें बाजार मूल्य का दुगुना मुआवजा के रूप में प्राप्त होता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में अर्जित किये जाने वाले भू अर्जन प्रकरण में प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि 4 गुना प्रदान किये जाने हेतु विधेयक बजट में पुर:स्थापित किया जा रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो-जो उनको घोषणा करनी है, बोलनी है उसको बोल दें बाकी हम सब सहमति दे दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वही तो बोल रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- इतना तो किये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :-हां, बोल दीजिये। बाकी सब मान लिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जब लिखित...।

श्री कवासी लखमा :-प्रतिबंध तुम लोग लगाये थे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :-छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 23, 2017) को नस्तीबद्ध किया जाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 (2) के प्रथम परंतुक के पशचात् निम्नानुसार संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 23, 2017) परिपूर्ति विधेयक को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने तथा सब आदिवासी समाज छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक 2017 को नस्तीबद्ध किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) नवीन तहसीलों का पुनर्गठन के अंतर्गत प्रशासनिक कसावट एवं आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में नवीन तहसीलों का उप-तहसीलों का निर्माण होना है, जिसमें 6 नवीन तहसीलों जैसे जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लवन भटगांव कोरिया जिले के चिरमिरी, कबीरधाम जिले के रेंगाखार क्ला एवं कुंडा का गठन प्रक्रियाधीन है जो जल्द ही इनका गठन कर लिया जायेगा। इसके साथ-साथ कोरबा जिले के ग्राम दर्री, जांजगीर-चांपा जिले के बाड़ाद्वार, दुर्ग जिले के बोरी में नवीन तहसील का गठन किया जाएगा। साथ में आपका हर्दीबाजार उपतहसील को तहसील का दर्जा दिया जायेगा। इसके साथ लोरमी जिला मुंगेली के अंतर्गत ग्राम लालपुर थाना उप तहसील...।

श्री धर्मजीत सिंह :-मंत्री जी, हमारे भी तहसील को इसी में जोड़ दो ना।

अध्यक्ष महोदय :- लालपुर तक पहुंच चुका है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आ रहा है। आ रहा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- लोरमी जिला मुंगेली के अंतर्गत ग्राम लालपुर थाना को उप तहसील का दर्जा भी दिया जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- देखिए साहब..।

श्री अजय चन्द्राकर :-बखारा तहसील का बोल दीजिए न।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा में जो उप तहसील खुला है, उसको तो खुलवा दीजिए। खोलवा रहे हैं। जो घोषित हैं उसे पद स्वीकृत करवाकर चालू करवा दीजिए। बैठवा दीजिए किसी नये तहसीलदार को।

अध्यक्ष महोदय :- आप समय दीजिए, समय दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं अलग से लिखा हूं। जिस-जिस ने जो मांगें रखी हैं, मैं सब अभी बताउंगा। दो मिनट टाइम दीजिए। इसी प्रकार तीन राजस्व अनुभाग क्रमश: राजनांदगांव जिले के मानपुर, गरियाबंद जिले के राजिम, बेमेतरा जिले के बेरला के गठन की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है, इसको जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

श्री अमरजीत भगत :- यह होता है बजट भाषण। आप लोगों को बिना मांगे सब मिल रहा है।

श्री मोहन मरकाम :- हमारे मंत्री कितने दिलेर हैं। सब विपक्ष वाले को ज्यादा दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए हमारे मंत्री जी को।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- पिछले समय हम लोग थे आपके साथ। मांग-मांग कर थक गये परंतु कुछ नहीं मिलता था। आपको तो मिल तो रहा है आपको धन्यवाद देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चलिए।

श्री दीपक बैज :- मांग-मांग कर थक गये उधर मिलता नहीं था। अब कम से कम भैया मिल तो रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- तुमको पूरी सत्ता दे दिये और उसके बाद और क्या चाहिए ? इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- भैया, मंत्री जी को ही तो धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा वे समझ रहे हैं न कि कहां जरूरत है ?

श्री दीपक बैज :- शिवरतन भैया, आप थोड़ी न दिये हो, जनता दी है।

अध्यक्ष महोदय :-चलिए, चलिए और सुनिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- कई से तो मांग करो तो भी नहीं देते और वह समझ रहे हैं कि क्या जरूरत कहां है। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- सुन लीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय जिन-जिन सदस्यों ने जो जो भी मांगे रखी हैं, उन पर बिल्कुल गंभीरता से विचार होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- बखारा तहसील की प्रक्रिया हो चुकी है। राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है बखारा तहसील का।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अगर राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है तो उसको भी चालू किया जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- भाटापारा को जिला बनाया जाएगा। ये भी तो बोलो आप।

अध्यक्ष महोदय :- वह नहीं बोल सकते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- भाटापारा को जिला बनाया जाएगा। ये भी तो बोलो।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं, जिला का तो अभी बात करेंगे। वहां बस्तर में दादी 6 जिले के प्रभारी हैं। हर विधान सभा में एक जिला है।

श्री कवासी लखमा :- ऐसा मत करिए भई।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- डॉ. रेणु जोगी ने भी कुछ मांगे रखी हैं, उन पर भी गंभीरता से विचार किया जायेगा । साथ में सीमा का जो विवाद है, उसके निराकरण की कार्यवाही की जाएगी और मंदिरों के जीर्णोद्धार का जो कार्य है, वह धर्मस्व विभाग का है। मैं निश्चित तौर पर आपकी तरफ से धर्मस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें जो भी व्यवस्था है, मैं उनसे ठीक करने का निवेदन करूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो लिंक कोर्ट की बात कही। अभी हाल ही में जमीन वापिसी के समय राहुल गांधी जी जगदलपुर-बस्तर आये थे, तो मैं उस समय वहां एक दिन और रूका था। मैं दंतेवाड़ा भी गया था, जगदलपुर में वहां हमारे सभी सम्माननीय विधायक जी से चर्चा की थी। वहां दंतेवाड़ा और जगदलपुर के ग्रामीणों से भी बात की थी। वहां उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कहा। मैंने दंतेवाड़ा के कलेक्टर और जगदलपुर के कलेकटर को भी वहां की समस्या को हल करने के निर्देश दिए। इसके साथ-साथ हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय लखमा जी, दीपक बैज जी, लखेश्वर बघेल जी, इन सभी लोगों ने भी लिंक कोर्ट के बारे में मांग रखी थी। आज आपने भी मांग रखी है। तो निश्चित तौर पर सप्ताह में एक दिन, वैसे जगदलपुर काफी दूर है, थोड़ी दिक्कत तो जायेगी, लेकिन सप्ताह में एक दिन लिंक कोर्ट जगदलपुर में लगाया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष जी, एक मिनट। मंत्री जी, ई-धरती योजना में आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कहीं नेट चलता नहीं है। एक-एक सप्ताह, दो-दो सप्ताह तक किसान लोग परेशान रहते हैं। उसके लिए मेनुअल की भी व्यवस्था हो, ताकि उनको फायदा मिले।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- राजस्व विभाग में बहुत सी घोषणाएं भी हुई हैं और बहुत सी घोषणाएं पूरी भी हो चुकी है। बहुत से सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। मैं इस बात का वादा करता हूँ कि जो 15 साल में जितना सुधार इस विभाग में नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा सुधार इस 5 साल के कार्यकाल में हम लोग करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाईंट है।

अध्यक्ष महोदय :- पाईंट ?

श्री संतराम नेताम :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव जिले में बंदोबस्त नहीं हुआ है। बंदोबस्त नहीं होने से, नक्शा नहीं होने से वहां बहुत से किसान लोग आपस में न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। लड़ाई हो रही है, थाना-कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। कृपया कोण्डागांव में बंदोबस्त करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या बंदोबस्त करवाना है, आप यह बताओ न भैय्या। वह मंत्री तो बैठे हैं। बंदोबस्त के मंत्री बैठे हैं।

श्री कवासी लखमा :- उसकी अलग बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या बंदोबस्त मांग रहा है, क्या बंदोबस्त कर रहे हैं, सबके लिए करिये। आप बंदोबस्त की घोषणा करो।

श्री अमरजीत भगत :- लखमा जी, आज चन्द्राकर जी का जरूर बंदोबस्त करना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने बंदोबस्त की मांग की है। तो आबकारी मंत्री को बंदोबस्त की घोषणा करनी चाहिए।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- बंदोबस्त लखमा जी करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनको कैसे नहीं मालूम। श्री कवासी लखमा, आबकारी एवं बंदोबस्त मंत्री। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- बंदोबस्त का कार्यक्रम लखमा जी करेंगे, नेताम जी, आपने वहां जो समस्या बताई है, निश्चित तौर पर उसमें सुधार किया जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि आप उसमें सुधारो। कवासी लखमा जी, खाली रात्रिकालीन आबकारी के बंदोबस्त के प्रभारी, बाकी के प्रभारी पड़ोसी।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- चलिये मंत्री जी, आप पूरा करिये। आपको जल्दी पूरा करना है।

श्री केशव चन्द्रा :- वह रात्रिकालीन ही तो महत्वपूर्ण है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बाकी के पड़ोसी।

श्री कवासी लखमा :- असली काम तो वही है।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- जो 2 लाख 35 हजार राजस्व प्रकरणों के बारे में जानकारी दी गई है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, चन्द्राकर जी तो अपना बंदोबस्त तो खुद ही कर लेते थे। कहां-कहां इनका बंदोबस्त है, मुझे सब मालूम है।

श्री केशव चन्द्रा :- खग जाने खग की भाषा। अब महाराज, महाराज के भाषा ला जानही।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें नेताम जी ने जो कहा। कोण्डागांव से कलेक्टर का प्रस्ताव लेकर सर्वेक्षण की कार्रवाई कराई जायेगी। इसमें जल्दी करवायेंगे। इसके साथ-साथ आपने जो 02 लाख 35 हजार प्रकरणों के लंबित होने की बात कही है, इसमें निश्चित तौर पर हम भी चिंतित हैं कि इतने ज्यादा लंबित प्रकरण क्यों हुए ? इसमें अगली पिछली सरकार ध्यान दी होती तो निश्चित तौर पर इतने ज्यादा प्रकरण लंबित नहीं होते। इसमें हम लोग जल्दी-जल्दी कोशिश करेंगे कि ये जो लंबित प्रकरण हैं, इनको आने वाले समय में कम किया जा सके।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सेकेण्ड में खत्म कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, मेरे यहां भी पिछले समय सरकार ने बंदोबस्तीकरण की घोषणा की थी। उसमें एक भेज्जा गांव है, किलेपाल है, धरमा उरके रोड ऊपर कुछ पारा है और करेकोटका, वहां पर अभी तक बंदोबस्त हुआ ही नहीं है । इधर का नक्शा उधर हो रहा है, बहुत सी दिक्कतें हैं, पिछली सरकार ने भी घोषणा की थी, पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, उसको जल्दी करवा देंगे तो काम हो जायेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आपकी मांग को भी जल्दी करवा देंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- दीपक बैज जी, इनकी घोषणा को वे क्यों पूरा करेंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- इनकी तो ऐसी बहुत सी घोषणाएं हैं, जो पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम तो पूरा करेंगे न । सरकार हमारी है तो जो अधूरे काम हैं, उनको हम निश्चित तौर पर करेंगे । बहुत से काम ऐसे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, उधर से भी सदस्यों ने मांग की थी कि ऐसी बहुत सारी भूमि है, जो राजस्व में भी इंद्राज नहीं है और वन में भी इंद्राज नहीं है । वैसे हमारे क्षेत्र में भी अंबिकापुर तहसील के दमालीगांव में, बड़े दमाली में उसी प्रकार की दिक्कत है तो क्या ऐसे गांव को भी आप करेंगे कि जहां राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं है ? मेरे ख्याल से ऐसी जमीन को नारंगी बोलते हैं, उसका भी रिकार्ड करवाकर उसका बटांकन हो सके, आपस में बंटवारा कर सकें, उसके लिए व्यवस्था करेंगे या निर्देश देंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- नारंगी किसी और को बोलते हैं, आप चैक कर लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वह आरेंज फारेस्ट होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह दादी वाला आरेंज नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं वही बोल रहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, उसको नारंगी बोलें कि आरंगी बोलें, क्या बोले ?

अध्यक्ष महोदय :- नारंगी बोला ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी केशव चंद्रा जी ने जो मांग रखी, भोथिया के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि वहां उप तहसील चालू नहीं है । अभी 52 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति का आदेश जारी हो रहा है तो उसमें आपको एक नायब तहसीलदार देंगे, ताकि वहां का काम सुचारू रूप से चल सके ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- धन्यवाद । वहां उपतहसील तो है, लेकिन पद स्वीकृत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- 52 पद दे रहे हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, पद स्वीकृत करेंगे । तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बहुत से पद रिक्त हैं, धीरे-धीरे उसकी पूर्ति की जा रही है । आपको एक नायब तहसीलदार वहां देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय धर्मजीत सिंह ने कोरबा के खाद्य कारखाने के बारे में कही । ये बात सही है कि इंदिरा जी ने इसका शिलान्यास किया था, उस कारखाना की नींव रखने के बाद उसमें काफी काम भी हुए और बाद में जब देश में ऐसा परिवर्तन का दौर चला तो अलग-अलग पार्टी की कई सरकारें

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आईं, लेकिन समय-समय पर हम लोग भी ये मांग करते रहे और वह मांग पूरी नहीं हुई, वह कारखाना शुरू नहीं हो पाया। उसके बाद अभी जब लगभग साढ़े चार साल पहले जब केन्द्र में मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उसमें हमारे जो स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने दो-तीन बार औपचारिकता पूरी की, राज्यमंत्री को ले आये, फोटो खीचवाये, नाश्ता-खाना सब चला, लेकिन उसमें एक नया पैसा, एक परसेंट भी कोई काम आगे नहीं बढ़ा । अभी तीन दिन पहले शुक्रवार की बात है कि प्रश्न काल के बाद 22 तारीख को मैं स्वयं केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री डी.बी. सदानंद गौड़ा जी को लेकर कोरबा गया था, जो सीपेट का उद्घाटन था और वहां सांसद महोदय ने खाद्य कारखाना की मांग को नहीं रखा तो मैंने अपनी बातों में उस मांग को रखा और याद दिलाया कि आपको मांग रखनी चाहिए थी, पहले दो-दो राज्यमंत्री आये, फोटो खींचवाकर चले गए, उसमें कोई काम नहीं हुआ तो आपको अपनी मांग रखनी चाहिए थी । मैंने सदानंद गौड़ा जी से निवेदन किया कि आप इसकी घोषणा कर दें क्योंकि डेढ़-दो महीने के बाद सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, यह कोई तय नहीं है । कम से कम पांच साल में कोरबा की जनता को लुभावना वायदा किया गया था, उसको पूरा कर दें, लेकिन उन्होंने उस ओर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया । बस फारमेल्टी की प्रक्रिया चल रही है और वह प्रक्रिया चल रही है, जब अगली सरकार आयेगी तो उसको देखेगी तो वह मामला खतम हो गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां भी मांग आई कि कृषि भूमि में अवैध प्लाटिंग की जो बात है तो अभी पांच डिसमिल से कम की रजिस्ट्री का जो प्रावधान किया, उस समय कलेक्टरों को स्ट्रीक्ट आदेश दिए गए हैं । मेरे पास धमतरी की शिकायत आई थी । मैंने कलेक्टर को टेलीफोन से और लिखित में आदेश जारी किया और वहां पर अवैध प्लाटिंग को रूकवाया। जहां-जहां भी अवैध प्लाटिंग की जानकारी किसी भी माननीय सदस्य को है तो वे बता दें, निश्चित तौर पर हम अवैध प्लाटिंग को रूकवाएंगे, अवैध प्लाटिंग नहीं होने देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहली बार जवाब दे रहे हैं ।

श्री दीपक बैज :- पन्द्रह साल बाद पहली बार जवाब देंगे ना ?

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष जी, जबरदस्त उत्तर दे रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, जो भी शंका या प्रश्न उठाये हैं, यह पहले मंत्री है जो बिन्दुवार एक-एक प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं । हम उनका स्वागत करते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले मंत्री है अध्यक्ष महोदय । इसलिए मैंने कहा कि हम सब मान लिये । सब का उत्तर आ गया ।

श्री दीपक बैज :- तो अजय भईया, सर्वसम्मति से पास कर लें ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आ गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हमारी नई विधायक सुश्री शकुन्तला साहू जी ने 40 किसानों की जमीन में बारे में कहा कि जो खेत कब्जे में चले गये हैं । उसके अधिग्रहण की बात आपने जो कही है, निश्चित रूप से वह प्लाण्ट उस 40 किसानों की जमीन को अधिग्रहण करेगा और अधिग्रहण नहीं करेगा तो जो भी प्लाण्ट है, उस पर हम लोग कोई न कोई कड़ी कार्यवाही करेंगे और उसको बाध्य करेंगे ताकि उसका अधिग्रहण करे । आदरणीय देवव्रत सिंह जी ने भी भू-राजस्व संहिता में जो संशोधन की बात कही है, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि जो भी राजस्व के नियम कानून है, उसमें आवश्यकता के अनुसार हम लोग संशोधन की बात करेंगे । मैं माननीय सभी सदस्यों से यह भी चाहूंगा क्योंकि यह मंत्रालय मेरे लिये भी नया है, क्योंकि पहली बार मंत्री बनने का अवसर मिला है । बहुत से सदस्य इसमें नये चुनकर आये हैं । बहुत से पुराने है, बहुत से हम लोग से ज्यादा अनुभवी है । जो भी राजस्व के मामले में सुझाव है, यदि वह मुझे देंगे तो सभी के सुझाव पर विचार करेंगे। जो जनता के हित में हो, जनता के लिए हितकारी हो, उस सुझाव पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा । मुआवजा के बारे में रामकुमार यादव जी ने कहा कि मुआवजा के जो भी आपके प्रकरण है, उसका निराकरण जल्द करायेंगे । आपका माण्ड का भी है, आपके जहां-जहां भी मुआवजे के प्रकरण है । कोटा विकासखंड में जो तहसील की बात माननीय रेणु जोगी जी ने की है, उसका मैं परीक्षण करा लूंगा कि क्या स्थिति है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी, मैं ट्रांसमिशन लाईन के बारे में बोला था, चार-चार साल काम हुये हो गये हैं । सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि शत-प्रतिशत मुआवजा के बाद उनको काम शुरू करना है । अदानी वाला काम करके चला गया, हम लोग भटक रहे हैं । कलेक्टर के पास जा रहे हैं तो वह तो बोल रहे हैं कि वह तो चला गया । अभी भी काम चल रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसे हाथी भटक रहे हैं, वैसे यह भी भ्टक रहे हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं मुआवजे के प्रकरण का जानकारी दे रहा हूँ । जो पाईप लाईन आपकी पारादीप आई है, उसमें 24 किसानों की जमीन पर बिना अनुमति के, बिना मुआवजा के, पाईप लाईन का काम चल रहा है, यह मेरे विधान सभा में था । मैंने उसको एक साल और दो महीना रूकवाया और उसको आठ गुना मुआवजा मैंने भुगतान कराया । जब यह काम हुआ, उस समय रोक देते तो निश्चित तौर पर मुआवजा और जब पेमेंट हो गया होता, उसके बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले । आप निश्चिंत रहिये ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी रोकने गये थे तो हमारे कई किसानों को अंदर कर दिये । पुलिस के डण्डे का इस्तेमाल हुआ । आप कलेक्टर को निर्देश करें, शास्न का स्पष्ट निर्देश है कि मुआवजा दिये बिना काम शुरू नहीं कर सकते । अभी भी काम चल रहा है, मैं सचिव महोदय को भी पत्र दिया हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि मुआवजा के जो भी प्रकरण है..।

श्री धर्मजीत सिंह :- सरकार चाहे इनकी रही हो या आपकी । सरकारी काम में बाधा, दफा लगाओ अंदर करो । उससे किसान क्या करेगा ? मेरे को ऐसा लगता है कि अदानी को छत्तीसगढ में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है ।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये, आपको पन्द्रह की जगह पच्चीस मिनट हो गये ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय मंत्रीजी से मैं बोलना चाहती हूं कि अभी आपने भईया जी को कहा कि काम रूकवा दे, मैं काम रूकवाने के लिए पामगढ गई थी । काम रोका नहीं गया, बल्कि पुलिस और राजस्व अधिकारी द्वारा धमकाया जा रहा है और काम को चालू नहीं किया गया है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बिना परमिशन के गलत ढंग से बिना मुआवजा के जबरदस्ती काम करता है, इस प्रकार की कोई भी शिकायत मेरे पास आयेगी, मैं उसमें तत्काल कार्यवाही करूंगा । मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चिट्ठी समझ में नहीं आई, ऐसा उनका कहना है। इनका कहना है कि खर्रा चिट्ठी एक दोबारा लिखना है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी को जाकर अवगत करा दें, खर्रा चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, पोता में जो 25 एकड़ जमीन में अवैध राखड़ डंप किए हैं उसके बारे में बता देंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने सबको बता दिया न जो मुआवजा का था और बाकी सब। मैं सभी माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि बजट 2019-20 को सभी लोग सर्वसम्मति से पास करें। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 9, 8, 35 एवं 58 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिये-बाईस करोड़, बारह लाख, साठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 8 भू राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये-नौ सौ तिरानबे करोड़, पैंतीस लाख, पचपन हजार रूपये,

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिये-दो करोड़, पैंतीस लाख, चौरासी हजार रूपये तथा,

मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिये- छः सौ छत्तीस करोड़, बीस लाख, उन्चास हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के तीसरे हप्ते का पहला दिन है। जितने दिन का नोटीफिकेशन हुआ है काफी दिन है। सरकारी काम की सूचना केवल चार-पांच विधेयकों भर की 15-15 मिनट की है। आज दो विभाग हो गये, इसे कल से ले लें भले ही थोड़ा बैठना पड़े। या फिर प्रस्तुत भर करवा दीजिए। अभी हमारे पास समय बहुत है।

अध्यक्ष महोदय :- बस, एक घंटे में खत्म हो जायेगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,निवेदन है कि रोज-रोज 7-8 बजे रात तक चलायेंगे तो। अब एकाध दिन का ठीक है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अभी बहुत समय है इसलिए इसे कल के लिए रख दिया जाए।

वाणिज्यिक कर मंत्री (आबकारी) श्री कवासी लखमा :- आज ही होना चाहिए।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, आज ही करना ठीक है।

श्री नारायण चंदेल :- आज प्रस्तुत करवा दीजिए, कल चर्चा हो जायेगी।

(3) मांग संख्या 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मांग संख्या 44 उच्च शिक्षा

मांग संख्या 46 विज्ञान और टेक्नालॉजी

मांग संख्या 43 खेल और युवक कल्याण

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या -	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये - तीन सौ अन्ठानबे करोड़, इक्कीस लाख, तीस हजार रूपये,
मांग संख्या़ -	44	उच्च शिक्षा के लिए- सात सौ इकतालीस करोड़, बयालीस लाख, अस्सी हजार रूपये,
मांग संख्या -	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिये - बाईस करोड़, दस लाख रूपये तथा,
मांग संख्या -	43	खेल और युवक कल्याण के लिये -तिरपन करोड़, अड़तीस लाख, पचास हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

1.	श्री अजय चन्द्राकर	1
2.	श्री नारायण चंदेल	1
3.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	3
4.	श्री धर्मजीत सिंह	2
5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	3
6.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1
7.	श्री पुन्नूलाल मोहले	2

मांग संख्या 44

उच्च शिक्षा

1.	श्री धरमलाल कौशिक	3
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3.	श्री शिवरतन शर्मा	1
4.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	4
5.	श्री धर्मजीत सिंह	3
6.	श्री देवव्रत सिंह	1
7.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
8.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	8
9.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा	1
10.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	3

मांग संख्या 46

विज्ञान और टेक्नालॉजी

1.	श्री अजय चन्द्राकर	1

मांग संख्या 43

खेल और युवक कल्याण

1.	श्री धरमलाल कौशिक	10
2.	श्री अजय चन्द्राकर	2
3.	श्री शिवरतन शर्मा	1
4.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	5
5.	श्री नारायण चंदेल	1
6.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा	1
7.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री अजय चंद्राकर । आप जितना संक्षिप्त में देंगे, उतना जल्दी समाप्त हो जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। आपसे आग्रह था कि जो हमने कार्य मंत्रणा में की थी उसका उल्लेख जरूरी नहीं है पर जितने सरकारी बिजनेश हैं, जितने ये काम बकाया है। तीसरे हफ्ते के पहले दिन है आप इसको कल के लिये ले लीजिये। हम तो बैठने के लिये तैयार हैं, कहीं असहयोग की बात नहीं है। अंत में आप आदेश देंगे तो ....।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये शुरू हो जाइये । (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, दोनों मांगों पर तीन तीन घंटे का समय था, आपने दो दो घंटे में समाप्त कर दिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसको तीन घंटे में करिये मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपने तो दो दो घंटे में निपटा दिये।

अध्यक्ष महोदय :- दो दो घंटे में, इसको तो एक घंटे में निपटाना चाहता था।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री उमेश पटेल जी ऊर्जावान मंत्री हैं, नये मंत्री हैं। इनमें तो उच्च शिक्षा से संबंधित है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें जल्दी जल्दी बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय :- पूरी ऊर्जा के साथ माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। खेलकूद भी उनके साथ हैं तो खेलते कूदते जवाब देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है। 15 साल की बहुत आलोचना होती है। बहुत बात होती है, जब भी हम बात करें तो उदाहरण लग जाता है कि 15 साल में ये हुआ। आज के दौर में...।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, इन्हीं लोग हम लोग को सिखाये हैं।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल आप ही लोग राज किये बोले। आप ही लोग सिखाये हो, कैसे भूले।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, श्री अजय चंद्राकर जी आप ही लोग तो पिछले सात साल सात साल बोलते थे।

समय :
05:37 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जनसंख्या लगभग सवा सौ करोड़, एक सौ 25 करोड़ है। आज यदि वह जनसंख्या प्रशिक्षित मानव संसाधन में तब्दील हो जाती है तो शायद अगली शताब्दी में हमारा देश सबसे संपन्न देश बन सकता है। आज जो देश विकसित हैं वे मानव संसाधन कुशल मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं वे कहीं कही स्थानांतरित हो रहे हैं। हिन्दुस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो अपने मानव संसाधन को एक वाईब्रेट फोर्स में तब्दील करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों में जब यहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बहुलता है और शिक्षा का प्रसार अभी दशक भर में उनके पास पहुंचा है। तब छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है कि हम उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, या साईंस टेक्नोलाजी, या खेल जैसे व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रमों को कितनी सिद्दत से उन तक पहुंचा सकते हैं। जब ये सरकार बनी, मुझे कुछ दिन इस विभाग में काम करने का अवसर मिला था। राज्य बनते ही जब मैंने अधिकारियों से पूछा कि छत्तीसगढ़ का जी.ई.आर कितना है, आप भी इस विभाग में काम कर चुके हैं। आप मानेंगे नहीं, उनको मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ का जी.ई.आर कितना है। जब निकाला गया तो 50 साल की उपलब्धि यहां से शुरू होती है जो ढाई से तीन प्रतिशत था। 50 साल की योगदान थी कि छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला में तब्दील रहे, छत्तीसगढ़ हाथ उठाने वाला प्रदेश बने और छत्तीसगढ़ ये कहलाये कि कांग्रेस की सरकार यदि भोपाल में बनती है। छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के कारण बनती है और ये व्यक्ति पूजा का क्षेत्र बना रहे। मैंने कहा कि यहां के एक मानव संसाधन को वाईबेट फोर्स में तब्दील करने की कार्यवाही कब से शुरू हुई। माननीय सभापति आप आसंदी में बैठ गये हैं, मैं कैसे करूं। अब थोड़ी देर इधर देख के बोल देता हूं। इनका शक्ल का योगदान 50 साल में ये रहा कि 2002-2003 में जब आये तो माननीय श्री उमेश पटेल जी पहला निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आया, जो आपकी देन थी। 100 से ऊपर निजी विश्वविद्यालय खुले। कुलपति बेचारे लूना में चलते थे। कुलपति फलाना विश्वविद्यालय लिखा रहता था। फीस कितना लेंगे ? कोई कोर्स यूजीसी से एनआईसीटी और दूसरी नियामक संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है या नहीं है ? ये भगवान जानता था और वह शिक्षा के व्यापारी व्यापारी जानते थे । जब इन परिस्थितियों को सोचा गया कि छत्तीसगढ़ में जी.ई.आर. 3 प्रतिशत है तब कदम क्या उठे और छत्तीसगढ़ के सामने चुनौतियां क्या थीं ? आज यदि साढ़े 18 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में हैं, 12 साल, 14 साल में वर्ष 2003 के बाद तो ये सबसे तेज प्रगति हिन्दुस्तान की है या मेरे जैसा आदमी या आप भी वहां बैठे हैं तो आपको इस बात में मदद होगी कि यदि चीन 44, 45, 48 प्रतिशत तक जाता है यदि यूएसए 83, 85 प्रतिशत तक जाता है तो आप भी ये सपना देखें, उस तरह के नीति और कार्यक्रम बनायें कि छत्तीसगढ़ भी सबसे विकसित प्रदेश होगा और हम इस दशक में 50 प्रतिशत से ऊपर ले जाने की एक मजबूत नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि उसका अभाव, उस इच्छाशक्ति का अभाव, उस गुणवत्ता के लायक आपका बजट मुझे नहीं दिखता। यह बढ़ा जरूर है मैं आपकी काबिलियत की प्रशंसा कर देता हूँ बाकी सब तो घटे हैं। पर दूसरा विभाग आपका घटा है सिर्फ उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ। अब जो संस्थाएं हैं शिक्षण संस्थाएं। वह किसी राज्य का फेस है। जो उन्नत राज्य हैं जो मैं योगदान बोल रहा था। दो यूनिवर्सिटी आप गिनिये, कितनी यूनिवर्सिटी हो गई ? ये छत्तीसगढ़ का लेजिसलेटिव इतिहास है, आपके पुराने साथी जानते होंगे कि एक दिन में तीन यूनिवर्सिटी आज तक किसी भी लेजिसलेटिव हाऊस में लेजिसलेट नहीं हुई, छत्तीसगढ़ को छोड़कर। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, पंडित सुन्दरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी और कुशाभाऊ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ठाकरे जन संचार यूनिवर्सिटी, संस्थाएं कितनी बनी आईआईएम, एन.आई.टी., आई.आई.टी., ट्रीपल आई.टी., सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आपका एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, अनेक संस्थाएं मैं आऊंगा, व्यापम, ये व्यावसायिक शिक्षा मण्डल, एकेडमिक शिक्षा परिषद्, अपने कार्यकाल में बनायी।

मानननीय सभापति महोदय, अब आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि मैं जब माननीय अर्जुन सिंह जी को कनवोकेशन में आमंत्रित करने गया, आप हमारे साथ खैरागढ़ चलिए। उनको बताया कि छत्तीसगढ़ नये जिले बनने के पहले 5 जिले ऐसे हैं साहब, जिसमें तकनीकी शिक्षा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चेयर में नहीं है ये बहुत ऊपर बैठे हैं, उसमें दंतेवाड़ा, कांकेर, चिरमिरी, जांजगीर शामिल था। मैं आपको श्रेय दे देता हूँ जो 50 सालों की आलोचना की। एक सेकण्ड में उन्होंने वह स्वीकृत की। मैं छत्तीसगढ़ में पांचों जिलों में, सभी जिलों को तकनीकी शिक्षा से युक्त बनाऊंगा। सभी उन तत्कालीन जिलों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय हम खोलेंगे। उन्होंने खोल दिया। अब उसके बाद उस सबसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के लिए ये बहस हो जाएगी कि उसके ऑफ सोर्स कैम्पस भी है, ऑफ कैम्पस भी हैं। वह किस एक्ट में है मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके अधुनातन रूप, प्राचीन स्वरूप को बनाये रखने के लिए हमने 10 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट उनको जमा किया। वह 10 करोड़ रूपये एज इट इज उसी समय स्वीकृत किये। मैंने उस समय दो सब्जेक्ट की घोषणा कि आपको बता देता हूँ। जब संस्थाओं के निर्माण और जब मैं कला और संस्कृति की बात कर रहा हूँ तो हमने थियेटर खोला, जब हमने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में थियेटर खोला तो एनएसडी भी उस समय थियेटर में डिग्री नहीं देती थी। थियेटर की डिग्री देने वाली मात्र एक यूनिवर्सिटी थी तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय थी। दुर्भाग्य है कि एक सहायक प्राध्यापक का पद है, वह आज तक नहीं भरा गया। एनएसडी के लिए 3-4 छात्र हैं । राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए वहां से सलेक्ट हो गये। मैंने एनीमेशन का एक सब्जेक्ट खोला था। आज रोजगार के लिए जितने थियेटर चल रहे हैं, जितने सीरियल आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, खैरागढ़ के कितने बच्चे गये? रोजगार के कौन से क्षेत्र हैं? इस नई दिशा में सोचने, लगने, देखने का काम बंद, क्योंकि आप नवाचार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को यदि आगे ले जाना है तो शिक्षा में नवाचार को स्वीकार करने की जरूरत है वह इच्छाशक्ति नहीं दिखती है। आपने जिन चीजों को अपनाया है। आपने स्टार्ट कैसे लिया? आप दुर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब का एकेडमिक रिकॉर्ड देखिए, पेपर में छपता है कि उसको हटाया गया, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और धारा-52 लगाई जायेंगे, ये आपका दृष्टिकोण दिखता है। छत्तीसगढ़ का आदमी है, छत्तीसगढ़ एकेडमिक कैरियर में अपने पैरों में खड़ा नहीं होगा, यदि ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे तो छत्तीसगढ़ में कौन लोग काम को करेंगे? ये आपने शुरूआत की। माननीय मंत्री जी मैं आपको छत्तीसगढ़ में भविष्य की संभावनाओं के तौर पर देखता हूं, इस बात को नोट कर लीजिए। आपको अवसर मिला है कि आप कुछ कर सकते हैं। आपको एक बात

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बता देता हूं।

श्री दीपक बैज :- अजय भैया, क्या आपको शक है कि वह नहीं कर पायेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने सोचा की कोई महतवपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, इसलिए बैठ गया था। हमारे माननीय शैलेष पांडे जी बैठे हैं, मैंने उनको कहा था कि आपका उल्लेख करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक निरस्त कर दिया, छत्तीसगढ़ ने नया बनाया। डेढ़ लाख से ऊपर बच्चों के भविष्य का सवाल था। आज भी हमारा निजी विश्वविद्यालय विधेयक छत्तीसगढ़ से निकल कर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बना, वह पूरे देश में गया। छत्तीसगढ़ का ही अधिनियम है, जो पूरे देश में गया। लेकिन आज आपको यह देखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ में कितने निजी विश्वविद्यालयों की जरूरत है और परंपरागत जो आपके विश्वविद्यालय हैं, उसके कोर्स के बाहर खोल रहे हैं या उसी कोर्स को वह ज्यादा पैसे में पढ़ा रहे हैं? यह चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि लोकव्यापीकरण या जी.ई.आर. जो आप बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इस बात को देखना जरूरी है। जब मैंने संस्थाओं की बात की कि ये संस्थायें एक प्रगतिशील राज्य के लिए, उन्नत राज्य के लिए, एक चिंतनशील राज्य के लिए चेहरा होती हैं। हिन्दी ग्रंथ अकादमी, आपने इस्तीफा ले लिया। हिन्दी ग्रंथ अकादमी छत्तीसगढ़ की पहली अकादमी थी, उसके बाद लोक कला अकादमी, 2013-14 के आसपास बनी, जो भी सन में बनी हो। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संस्कृति, इतिहास, ग्रंथ अकादमी ने कितने लोगों को प्रकाशित किया, कभी उसमें बहस करेंगे। छायावाद छत्तीसगढ़ से निकला, पहला उपान्यास स्वामास्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह जी छत्तीसगढ़ से निकलें और वह आप ही के जिले रायगढ़ के थे, उसके प्रकाशन आप करने जा रहे हैं। सैकड़ों ऐसी चीजें बता दूं, जिधर ग्रंथ अकादमी शोध की ओर नहीं जा रही है, आप विशेषज्ञ नहीं ला रहे हैं, आपने विशेषज्ञ का इस्तीफा करवा दिया। आप उसको एक पोलिटिकल पोस्ट बनवा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते, उसको लायेंगे। छत्तीसगढ़ के समृद्ध इतिहास, संस्कृति, समृद्ध साहित्यिक गतिविधियां देश के सामने आयें। इतिहास, साहित्य जिस दिन से था, उस दिन से छत्तीसगढ़ का एक समृद्ध योगदान था, रहेगा, लेकिन वह प्रयत्न आपको करना पड़ेगा कि वह रहेगा या नहीं रहेगा। आप इन संस्थाओं को राजनीति के उपकरण बना देंगे, जैसा झलक रहा है कि एक बहुत अच्छे मेडीशियन को आपने इस्तीफा करवाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बता देना चाहता हूं कि जो शिक्षा के क्षेत्रीय असंतुलन थे, यदि आपके आंकड़े मेरे से बेहतर हैं कि आदिवासी क्षेत्र में कितने कालेज खोले गये, इनको बता दीजियेगा कि 50 सालों में कितने कालेज उन आदिवासी क्षेत्रों में खोले गये। कालेज और शिक्षा का नाम क्या था, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, ये चारे जिले ही छत्तीसगढ़ थे। उमेश जी, ये चार जिले ही छत्तीसगढ़ नहीं थे, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, देवभोग भी छत्तीसगढ़ था, सुदूर सीतापुर, सामरी, बलरामपुर भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ थे। ये काम नहीं किया गया। जब इन क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के बाद हम शिक्षा क्वालिटी में आये। मुझे इस बात को जरूर बताना कि सभी यूनिवर्सिटी के विद्या परिषद या कोर्स को अपग्रेड करने वाली या नये कोर्स बनाने वाली संस्थाओं के जो सिलेबस हैं, वह अखिल भारतीय परीक्षाओं के लायक हैं या नहीं हैं ? कितने पुराने हैं, कितने नये हैं और क्या काम करती हैं, कितनी बैठके हुई हैं ? छत्तीसगढ़ में यही काम नहीं हो रहा है। आज के पेपर में एक छोटा सा समाचार है, आपको बताता हूं, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन जब सोचते हैं तो किधर जाता है। हरियाणा ने कहा कि मैं दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान लाऊंगा। सबसे अच्छी टेक्नालॉजी ब्राजील में है। एक सांड में यहां हंसी उड़ाई जाती है जो हरियाणा से आता है, पर वह हरियाणा ब्राजील से सांड लाना चाहता है। क्यों ? क्योंकि उस तकनीकी को अपनाना चाहता है। शिक्षा में जो नवाचार है, उसमें संकीर्णता का स्थान नहीं है। आप खोलिये और छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं का सम्मान कीजिये । अब जो मुख्य रूप से बालिका शिक्षा का अनुपात इन 15 सालों में कितना बढ़ा ? 100 के मुकाबले लगभग 120 लड़कियॉ 1.2, यह छत्तीसगढ़ की जितनी वृद्धि बालिका शिक्षा में, उच्च शिक्षा में हुई वह किसी प्रदेश में इतनी उपलब्धि इस अवसर पर नहीं हुई । अब Rusa पर जो क्वालिटी है, नेक मूल्यांकन है, यूजीसी के लिये प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपके आधे कॉलेज को यूजीसी का प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता, नेक मूल्यांकन के लिये आज भी तैयारी करनी नहीं आती । कहां, किस तरह से, यदि वे सीधे प्रोजेक्ट भेज देंगे तो आपके विभाग को जानकारी नहीं रहेगी कि साहब कितने प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ से यूजीसी में जमा हुए हैं तो यह जो ऐसी चीजें हैं । खासतौर से हम उस दौर में जा रहे हैं जब कॉलेजों की मूलभूत सुविधा, कॉलेजों के विस्तार, कॉलेजों में नयी फैकल्टी अब आपने श्रेय लिया कि हम 1184 वगैरह जो भी संख्या है, बजट में उसको हम भर रहे हैं । जितने 278 या 252 जितने कॉलेज होंगे हमने प्रश्न में बार-बार पूछा । अब आप मुझे तकनीकी शिक्षा में यही जानकारी देंगे कि साहब आपके पास तकनीकी शिक्षा में कितने रिक्त पद हैं ? जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसमें कितने पद रिक्त हैं और आई.टी.आई. में कितने पद रिक्त हैं ? जब इनको देखेंगे तो यह भी बताईयेगा कि इसके भर्ती नियम कब बने और इसके पहले वह भर्ती नियम क्यों नहीं बने थे ? जो मध्यप्रदेश में था उसको हमने स्वीकार कर लिया और 3-4 सालों तक ऐसे ही लगे रहे कि रिक्त है, रिक्त है । यह छत्तीसगढ़ की शिक्षा का इतिहास पर आप इस गुणवत्ता के लिये जो कोशिश करने जा रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम क्योंकि आपके बजट से दिखता नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण संस्था है । राज्य मूल्यांकन प्रत्यर्पण परिषद को जिसके लिये आपने बजट को शून्य कर दिया । बाहरी गुणवत्ता और अंदर की गुणवत्ता इसके मूल्यांकन में सामंजस्य अब आप इसमें सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, शिक्षा दृष्टिकोण का विषय है कि किसी की दृष्टि में अकबर महान हो सकते हैं तो किसी की दृष्टि में महाराणा प्रताप जी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महान हो सकते हैं तो अब आपको यदि वह मूल्यांकन की पद्धति पसंद है या नहीं है तो यह आप जानें । अब उच्च शिक्षा में जो मुख्य बातें हैं कि एनसीसी, सभी उच्च शिक्षा के संस्थानों में चाहे तकनीकी हो या रोजगार प्रशिक्षण हो, आप मेंडेटरी करिये । एनसीसी को आपको जितने पैसे देने हैं, आप सभी महाविद्यालयों में अनिवार्य कीजिये, सभी टेक्निकल कॉलेज में कीजिये, सभी पॉलिटेक्निक में कीजिये, सभी आईटीआई में कीजिये । दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप समय में लोगों को छात्रवृत्ति दीजिये, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आपके तकनीकी शिक्षा में बोल देता हूं कि तकनीकी शिक्षा में जो सीटों में वृद्धि पिछले दशक में दर्ज की गयी पूरे छत्तीसगढ़ में वह आंकड़े आपको बता देंगे वह तेजी का प्रतिशत आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में सबमें था । महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह अध्ययन करवाईये कि छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राईवेट कॉलेज में प्लेसमेंट के लिये कितनी कंपनियां आती हैं? प्लेसमेंट कितना प्रतिशत होता है ? प्लेसमेंट क्यों नहीं होता ? बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या जो बाकी संस्थान हैं उसमें पलेसमेंट के प्रतिशत छत्तीसगढ़ के बाहर कितने हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं तो आप यह देखेंगे, आप यह जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के बच्चे कमजोर कहां पर हैं तो एक ही बात निकलेगी कि छत्तीसगढ़ के बच्चे अंग्रेजी बोलने में कमजोर हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे कांफीडेंट नहीं हैं कि वे जो बोलना चाहते हैं, वे जो समझते हैं, वे जानते नहीं हैं । आपने इतने दिनों में वह सिस्टम विकसित नहीं किया कि उसको कैसे ठीक किया जाये और उसका सतत् मूल्यांकन और निगरानी कैसे की जाये ? जो सबसे बड़ा गेप है चाहे वह तकनीकी शिक्षा में हो, चाहे आईटीआई में हो, छत्तीसगढ़ में आईटीआई में कितने ट्रेड हैं यह मुझे बताईयेगा और चीन में आईटीआई में कितने ट्रेड हैं यह मुझे बताईयेगा या कोई भी विकसित राष्ट्र है उसके प्रशिक्षण में कितने ट्रेड हैं यह आप मुझे बतायेंगे, मैं इस बात को सुनूंगा और आप आगे क्या सोचते हैं ? एक-एक, दो-दो ट्रेड की आईटीआई है, उसके प्रयोगशाला हैं, उसकी फैकल्टी है, उसके मशीन हैं । यदि रायगढ़ आपका डिस्ट्रिक है उसमें किस तरह के ट्रेड की जरूरत है ? नगरनार यदि जगदलपुर में खुल रहा है तो उसमें कौन से ट्रेड की जरूरत है, सरगुजा में यदि खदान ज्यादा हैं या दंतेवाड़ा में माइनिंग ज्यादा होती है, बीजापुर में माइनिंग होती है तो वहां किस तरह के ट्रेड की जरूरत है । मैदानी क्षेत्र में किस तरह के ट्रेड की जरूरत है । क्या कभी हमने उस दिशा में अध्ययन करवाया, उस दिशा में जानने समझने की कोशिश की, कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ? मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता था कि छत्तीसगढ़ के तकनीकी विश्वविद्यालय । तकनीकी संस्थान जो भी हों । वे डिग्री देने के संस्थान न बनें । उन यूनिवर्सिटीज़ को आप 100 प्रतिशत रेसीडेंशियल बनाइए । जनरल कॉलेजों से हटकर, यूटीडी में आप जितने सब्जेक्ट खोल सकते हैं, वह खोलिए । दूसरी महतवपूर्ण बात, आपकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं, उनमें जो रिक्त पद हैं । उसका जो सेटअप है । यहां पीएचडी के जो तौर तरीके हैं । उसमें यूजीसी के जो मार्गदर्शन हैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि पीएचडी कैसे हो ? आप ऑनर्स सब्जेक्ट खोल सकते हैं क्या, उसका दौर आ चुका है क्या, कि छत्तीसगढ़ में ऑनर्स कोर्स शुरू होना चाहिए ? ऑनर्स कोर्स और जनरल कोर्स के क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं ? अब जब छत्तीसगढ़ गुणवत्ता की ओर बढ़ रहा है तो आज उस पर सोचने की जरूरत है, वह समय आ चुका है । मैं शिक्षा विभाग में आलोचना नहीं करना चाहता था । लेकिन आलोचना करूंगा जरूर, यह बात भी उतनी ही जरूरी है । मैं रोजगार एवं प्रशिक्षण में एक बात कहूंगा । हमने कौशल उन्नयन का कानून बनाया । देश का पहला राज्य हम बने । कलेक्टर 90 दिनों में उसे देगा । आप प्रतिवेदन पढ़िये, केवल चार बच्चों के नाम का उल्लेख है कि एक को गार्ड की नौकरी मिली, एक को इसकी और एक को उसकी । समझ रहे हैं ना । उसमें यह भी देखना है कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं । पंचायत ग्रामीण विकास में दीनदयाल चल रहा होगा, प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन चल रहा होगा, राज्य का कौशल उन्नयन है, दूसरे विभाग का कौशल उन्नयन है । आप कौशल उन्नयन में संख्या बता रहे हैं लेकिन उसके प्लेसमेंट कितने दिनों में होना है, कितने दिनों तक मिनिमम काम करेंगे, उसके बारे में आपके पास निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है । उस कानून में हिंदुस्तान में नाम गया कि छत्तीसगढ़ ने वह देखने की कोशिश की । छत्तीसगढ़ ने वह देखने और समझने की कोशिश की ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, पिछली बार आपने 4 लाख से अधिक लोगों को कौशल उन्नयन के नाम से ट्रेनिंग दी, कितने लोगों को प्लेसमेंट दिया । उसके लिए आपने 6000 करोड़ का अलग से बजट किया था । 200 करोड़ मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन में था । उसके बाद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया । बजट में तो आप लोगों ने भारी भरकम राशि की व्यवस्था की लेकिन 15 सालों में आप लोगों ने कुछ नहीं किया ।

श्री विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, आपकी परमीशन से कुछ बोलना चाहूंगा । जो कौशल विकास योजना के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे थे । ये पिछली सरकार की देन थी । हमारे यहां यूजवली जो छत्तीसगढ़ की या पूरे देश की अगर बात करें तो बढ़ई हो या जो भी कर्मकार होते हैं, या अकुशल होते हैं, वे अपने आप में ट्रेंड होते हैं । उनको बहुत ज्यादा सर्टीफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है । लेकिन इस योजना को लाकर और बहुत सारे केन्द्र बनाकर संघ के लोगों को राजनीतिक लोगों को जो प्रश्रय दिया गया है यह बहुत पीड़ा वाली बात है ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, पहला राज्य, पहला राज्य ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा साहब, डिलिट करवा दीजिए, पहला राज्य नहीं है ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, और कितना समय लेंगे ? 23 मिनट हो गए।

श्री अजय चन्द्राकर :- थोड़ा समय और लूंगा साहब । इसीलिए मैंने कल के लिए कहा था । माननीय सभापति महोदय, इसके शब्द में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हमको गर्व करना सिखाया ही नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गया । आपको गर्व करना सिखाया ही नहीं गया । आपको तो हाथ उठाये रखने के लायक बनाए रखने का षडयंत्र है । 50 सालों तक इसीलिए शिक्षा का असंतुलन बनाए रखा गया कि बस्तर और सरगुजा एक अजयाबघर की तरह रहे । हम चाहते हैं कि आत्मगौरव से आप जागें और अपना अधिकार पहचानें और वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है । नक्सली अगर भाग सकते हैं तो शिक्षा से ही भाग सकते हैं । आप लीजिए श्रेय, सबका श्रेय लीजिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ करिये । अध्यक्ष महोदय, मैंने आलोचना करूंगा कहा, मैं आलोचना ऐसे ही कर रहा हूं, मुझे इस विभाग में आलोचना नहीं करना है । 10 लाख बेरोजगारों को आप 2500 रूपए देंगे साहब । आप यह मान लीजिए कि यह चुनावी था । सत्ता में आने का एक हथकंडा था, यह मान लीजिए । या फिर जब जवाब देंगे तो बता दीजिएगा कि इतने लोगों के लिए तीन हजार करोड़ रूपए चाहिए । यदि 3 हजार करोड़ 5 साल के लिए है तो बोल दीजिएगा, हम 5वें साल में देंगे तो भी हम आपसे संतुष्ट हैं। उसके बाद आपने जो फीस नियामक आयोग के गठन की घोषणा की है। फीस नियामक आयोग है लेकिन आप और क्या सोचते हैं आप जरूर बताएंगे चूंकि माननीय का इशारा हो गया है अब मैं खेल विभाग में थोड़ी सी बात करता हूं। खेल विभाग में हमारे जो बच्चे हैं, उसमें वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पाते ? आपने दो एकेडेमी बनाई है। हॉकी की, तीरंदाजी की रायपुर में चलकर कर मेरे साथ देखना चाहेंगे आप। क्या करते हैं ? चलिए, हम गोपीचंद पुलेला की एकेडमी हैदराबाद देखने को चलते हैं। एकेडमी क्या होती है? एक एक्सपोजर मिलेगा। फिर वे कहेंगे कि श्रेय ले लेंगे। तो एकेडमी खोलना है, कागज में लिखना है इसलिए एकेडमी मत बने एक। खेल परिसर तो आपने बिलासपुर में बनाया है चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। क्या आपको खेल परिसर में खेल के बारे में दृष्टिकोण है ? क्या आप परिसंपत्तियों को जो निर्माण कर रहे हैं मैंने कई बार इस बात को अपनी सरकार में भी कहा। आपने एस्ट्रो टर्फ रायपुर में बना दिया। जशपुर में एस्ट्रो टर्फ बनने वाला है। क्रिकेट स्टेडियम बन गये हैं। इंडोर स्टेडियम बन गये हैं। जितनी परिसंपत्ति है क्या आपके पास उसके रख-रखाव के लिए भी विशेषज्ञ है क्या ? कि एस्ट्रो टर्फ में प्रतिदिन कितने लीटर पानी डालना चाहिए? कितने दिन में साफ-सफाई होती है? कितने दिन में क्या होता है, अगर यह मालूम है तो आप बता देना मुझको। दूसरी बात कोई ओपन टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ में नहीं है। आप वह लड़का मड़ई, लड़का खेल, पारंपरिक खेल, गिल्ली डंडा, भौरा दुनियाभर की बात करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी राजिम मेला में मड़ई चल रहा है। आप छत्तीसगढ़ ओपन टूर्नामेंट में इस जिले की टीम ने बॉलीबॉल जीता। छत्तीसगढ़ में कोई लीग नहीं है। चलिए, मैं बोलता हूं 27 जिले हैं। 27 जिले में आप कबड्डी लीग शुरू कीजिए न। खोखो लीग शुरू कीजिए न। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल को अगर आपको बढ़ावा देना है तो। आपके खेलों के उन्नयन के लिए कितनी कंपनियों ने सी.एस.आर. में लिया। पिछले सरकार ने गोद दिया था। जैसे मैं फूटबाल यूनियन में हूं। एन.टी.पी.सी. से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पूछिए कितना पैसा दिया है। अभी भिलाई में सूब्रोतो का आयोजन था। अब नौकरी देना है। कोई स्पष्ट नीति नहीं है। जब आप नवाचार की बात करते हैं। प्रोत्साहन की बात करते हैं तो केरल या हरियाणा किस-किस टूर्नामेंट में किस तरह का इनाम देती है। जब उसके प्रशिक्षण की अवधि है। आपने प्रतिवेदन में लिखा है कि साहब हम प्रशिक्षण देते हैं, जूता देते हैं, मोजा देते हैं। सवाल जूता-मोजा का नहीं है। उसको कितनी मेहनत लगती है? उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए ? मुझे यह बताइए कि वह डाइट आप देते हैं क्या ? नौकरी देने का कोई नियम बनाया है क्या, यह बताइए।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, कृपया समाप्त कीजिए। बहुत समय ले लिया। आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :-एक सेकण्ड बस। एक सेकण्ड साहब। दूसरी बात अभी ओलंपिक खेल हुए या जो बड़े टूर्नामेंट हैं। 4-5 बड़े टूर्नामेंट हैं। उसमें से ओलंपिक एक है, विम्बल्डन भी उसमें से एक है। फीफा भी उनमें से एक है। हमारा आई.पी.एल. भी उनमें से एक है। जो बेसबॉल अमेरिकन लीग होती है, वह भी उनमें से एक है। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में सही मैनेज करते हैं तो इनसे भी राजस्व की प्राप्ति होती है, खेल के आयोजन से भी। उन टूर्नामेंट में वह देश कमाता है। अभी जापान ओलंपिक में होने वाला है। कितने पैसे का राजस्व किन-किन क्षेत्रों से प्राप्त होगा? यह आपको जानकारी मिल जायेगी। आप राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए बजट काट दिये। छत्तीसगढ़ जब तक इस तरह के लायक अपनी अधोसंरचना, उसके रख-रखाव, उसके देखरेख, उसकी ट्रेनिंग, परंपरागत खेलों का संरक्षण, उसके लिए योजना और उसके लिए एक्सपोजर इसकी स्पष्ट नहीं बनाएगा और उस पर बजट प्रावधान नहीं करेगा तब तक वो चार बस। अब आखिरी एक विभाग बच गया, उसमें एक लाइन बोलता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके पास साइंस एण्ड टेक्नालॉजी है। मैंने बहुत सारी संस्थाओं का उल्लेख किया जो छत्तीसगढ़ ने बनाया। रिजनल साइंस सेंटर हमने बनाया। इसी विधान सभा रोड में है। हमने घोषणा की थी, यह तय किया था कि सड्डू में इतनी एकड़ जमीन चाहिए, जिसको हम भविष्य में साइंस सेंटर बनाएंगे। कलकत्ता की तरह बल्कि कलकत्ता से आगे जाकर हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा साइंस सेंटर यदि होगा तो छत्तीसगढ़ में होगा। हमने सपने देखे साहब। कोई कारण से पूरा नहीं कर पाये। रिजनल तक पहुंच गये। आपके पास अवसर है कि वह साइंस सेंटर बनाइए। बहुत सारी आप ओलंपिएड में करते हैं। वैज्ञानिकों को देते हैं, नवाचार करते हैं साइंस एण्ड टेक्नालॉजी में। मैं अपनी अल्प जानकारी में यह जानता हूं कि शायद पेटेण्ट इन्हीं के पास है । आपने छत्तीसगढ़ में पेटेन्ट के लिए कितने आवेदन किए हैं ? छत्तीसगढ़ में क्या-क्या चीज है, पेटेन्ट को तलाशने के लिए क्या कोशिश की ? एक छोटी सी बात जो लेटेस्ट पेटेन्ट की हुई है, वह बता देता हूँ। माननीय महोदय जी बैठे हैं। कड़कनाथ, छत्तीसगढ़ से झाबुआ शिफ्ट हो गया, जो आखिरी पेटेन्ट हुआ है, उसमें वह है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ को यह ख्याति मिलेगी कि इतने शोध हो रहे हैं, इतनी चीजें हैं, जिसको हमारे पुरखों ने ध्यान नहीं दिया। चाहे वह हमारे चावल हो, इतने सारे हमारे प्लाजमा एकत्र हैं, चाहे बासमती के लिए हिन्दुस्तान, अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा हो चाहे कोई भी कारण हो। नगरी का दुबराज हो, जो आपके पेटेन्ट हैं, उस पेटेन्ट के लिए कोई नीति, कोई निर्देश तलाशने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की पुरा सम्पत्ति कौन-कौन सी हो सकती है, जिसको हम पेटेन्ट के लायक तैयार करें ? मैं सोचता हूँ कि मैंने आपकी सिर्फ एक विषय में आलोचना की। आप छत्तीसगढ़ के नवजवानों की, छत्तीसगढ़ की जवानी को अवसर देने के लिए, उसके केरियर के लिए, उसके कैरियर काउंसिंग के लिए, बजट के लिए, संसाधन के लिए, पढ़ने के लिए राजनीति से मुक्त करके करे। छत्तीसगढ़ का एक-एक यूनिवर्सिटी अध्ययन का केन्द्र बने। सब होते हुए भी बी0एच0यू0 की तरह लगे। हिन्दुस्तान में यदि किसी का अच्छा कैम्पस होगा तो आप बी0एच0यू0 का कैम्पस घूमने जाये, बी0एच0यू0 के कैम्पस को देखिये। छत्तीसगढ़ की आई0आई0टी0, बम्बई के आई0आई0टी0 से ज्यादा प्रतिष्ठित है। यहां का आई0आई0एम0 किसी भी अहमदाबाद आई0आई0एम0 से ज्यादा प्रतिष्ठित है, यह सपना देखिये। छत्तीसगढ़ के लोगों को अवसर मिले। पारम्परिक शिक्षा में, आप पारम्परिक ज्ञान के लिए कोर्स बनाईये। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमने छत्तीसगढ़ में राइस मिल के लिए मिल ड्रायवर और ब्रायलर अटेण्डेंट के लिए कोर्स बनाने के लिए खड़गपुर से एग्रीमेंट किया था। हमारे पास वह क्षमता नहीं थी। परन्तु छत्तीसगढ़ में जिन चीजों के लिए अवसर है, आप वह करिये। हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन राजनीतिक सोरेबाजी मत करें कि हम तीन हजार देंगे।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, मेहरबानी करके समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं समाप्त ही तो कर रहा हूँ, साहब। आप ये करेंगे, यह अपेक्षा के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- आपने अच्छा बोला। माननीय सभापति महोदय, पिछले 15 वर्षों में, अब यह मत कहियेगा कि मैं कोई बुराई कर रहा हूँ। पिछले 15 वर्षों में हमारे सामने यह चुनौती है कि हमारे राज्य में 23 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं क्योंकि आप इस प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। हमारे प्रदेश में 8 विश्वविद्यालय हैं, जो कि गवर्नमेंट के हैं, 13 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के हैं, 252 गवर्नमेंट कालेजेज हैं, 13 प्रायवेट एडिट कालेज हैं, 226 प्रायवेट कालेजेज हैं। ये जो सारे शिक्षा के संस्थान हैं, ये कुल मिलाकर 2,26, 373 और प्रायवेट जोड़े तो इससे डबल इतने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पास पढ़ाने के लिए तो साधन हैं। लेकिन हमने 15 सालों में यह दिशा तय नहीं की है कि जिन बच्चों को पढा रहे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हैं, छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनको सही दिशा दे पाये, उनके लिए रोजगार मुहैय्या करा पाये। उसका कारण यह था कि हमारी शिक्षा की नीति, बस कालेज खोलो, पढ़ाओ, यह सब चलता था। लेकिन सभापति महोदय, हमारी उद्योग नीति, शिक्षा नीति से जुड़ी हुई नहीं थी। इस कारण से हम कभी बाजार की मांग का आंकलन नहीं कर पाये। हमारे लिए यह समस्या पिछले 15वर्षों में रही है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि तेलंगाना राज्य का 47 प्रतिशत जी0ई0आर0 है और सबसे कम बिहार का है। हमारे प्रदेश में अभी 18 प्रतिशत तक पहुंचा है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो हमारा जी0ई0आर0 25 से ज्यादा प्रतिशत तक पहुंच चुका है और सन् 2020 तक 30 प्रतिशत लक्ष्य है। हमारे देश की भी स्थिति ऐसी हे। अभी माननीय चन्द्राकर जी ने कहा, उन्होंने कई देशों का उल्लेख किया। आज हमारे सामने चुनौती है, आज हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको इतने युवा उच्च शिक्षा मंत्री मिले हैं, जो 23 लाख बेरोजगार हैं और छत्तीसगढ़ में 5-7 लाख बच्चें जो पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए एक आशा की किरण बनकर आये हैं, ये बहुत बड़ी बात है । (मेजों की थपथपाहट) मैं भी सपना देखता हूं कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी हमारे प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं, वह बहुत अच्छी बात है । आज उनको इतना अच्छा बजट मिला है, मैं उनकी बजट की मांगों का समर्थन करने के लिए अपने विचार प्रकट कर रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने जो सबसे पहली बात लिखी है, वह मुझे बहुत अच्छी लगी है । उच्च शिक्षा में पारम्परिक पाठ्यक्रमों के साथ रोजगार मूलक शिक्षा का समावेश करना उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यह बहुत ही स्वागतेय है क्योंकि आज हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं । मैं माननीय मनमोहन सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा, जब उन्होंने इनिसिटिव लिया था, लेकिन पहले थोड़ा सा उच्च शिक्षा के बारे में बोलना चाहता हूं कि आज क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, आज हाईटेक एजुकेशन की बात हो रही है । हमारी सरकार ने कालेजों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई है । बायो मैट्रिक डिवाईज से टीचर्स का, सभी स्टाफ का जो मैनेजमेंट हो रहा है, ये गुणवत्ता के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है । आज इस प्रदेश में यह कल्पना की जा रही है कि ऑन लाईन लेक्चर्स हो रहे हैं, कालेजों में ई-क्लास रूम का निर्माण किया गया है, ये हमारे राज्य की सफलता है । हमको इसमें और भी आगे बढ़ना है । हम जहां पिछले 15 वर्षों में बहुत सफल नहीं हो पाये हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यह अपेक्षा करता हूं कि जो व्वाईस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम है, उसका पूरे प्रदेश में पूरा-पूरा पालन किया जाये और जो सेमेस्टर सिस्टम है, वह सेमेस्टर सिस्टम लगभग सभी महाविद्यालयों, सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जा सकेगा, जो कि हमारे लिए एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चुनौती भी है । क्योंकि हमारे पास इतने टीचर्स नहीं हैं, हमारे पास टाईम नहीं है, हमारे सामने बहुत सारी समस्या है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें सफल जरूर होगी ।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा कोर्स परम्परागत कोर्सेस के अलावा भी आया है- वोकेशनल कोर्सेस । बी वोक और एम वोक के कोर्सेस, जो कि बहुत अच्छी बात है । चूंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो कि संगठित क्षेत्र में पढ़ते हैं, लेकिन वे इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, लेकिन वोकेशनल, कुछ टेक्नीकल, कुछ ऐसा जॉब ओरीएंटल पढ़ना चाहते हैं तो बी वोक का कोर्स बहुत जरूरी है । गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नैक का जो एक्रीडिटेशन किया जाये, उसमें हमारे प्रदेश में दो विश्वविद्यालय हैं, ए ग्रेड से 58 कालेजेस हैं, दो प्राईवेट यूनिवर्सिटी हैं और 23 प्रावईवेट कालेजेस हैं । इतने कालेजेस और यूनिवर्सिटी ने नैक का प्रत्यायन कराया हुआ है, ये हमारे लिए उपलब्धि है और हमारे लिए बाकी कालेजेस में भी कराना एक चुनौती है क्योंकि हमारे सामने कालेजेस में ऐसा स्टाफ नहीं है, जो इस बात को समझ सके और ये बहुत ही कठिन होता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमने अगले पांच सालों में लगभग लगभग 80 प्रतिशत तक हमें इन आंकड़ों को पहुंचाना है और हम इसको पहुंचाएंगे, इसके लिए हम कालेज स्तर में समितियां बनाएंगे और हम माननीय शिक्षा मंत्री से ये अपेक्षा करते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे 80 प्रतिशत प्राईवेट और सरकारी कालेज जो है, वह नैक द्वारा एक्रीडिडेटेड हो जाएंगे । हमारे सपोर्ट सिस्टम के बिना तो छात्र नहीं रह पाता है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । विषय बहुत जरूरी है । सपोर्ट सिस्टम भी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोन की सुविधा प्रदान की गई है, प्लेसमेंट ट्रेनिंग की भी सुविधा प्रदान की गई है । आज प्लेसमेंट ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है । आज हम कालेज और विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट ट्रेनिंग का एक सेल बनाया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को वहां प्रशिक्षण दिया जाता है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों के लिए उनको योग्य बनाया जाता है, ताकि वे बाजार में जाएं तो उनको तत्काल अब्जार्व किया जा सके और वोकेशनल के प्रोग्राम और स्कील डेव्लपलमेंट के प्रोग्राम के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कौशल विकास का एक पाठ्यक्रम शुरू किया था, उसमें उन्होंने देखा था कि हमारे देश में ग्रास इनरालमेंट नहीं बढ़ रहा था क्योंकि बच्चे पढ़ने नहीं आते थे । आज छत्तीसगढ़ में 100 में से केवल 18 बच्चे उच्च शिक्षित हो रहे हैं । ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हमारे प्रदेश की जो जनसंख्या है, उसमें हम ऐसा क्या करें, जिससे दोनों हाथों को रोजगार मिल सके । इसलिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने योजना लागू की थी और उन्होंने स्टार स्कीम से कौशल विकास का वहां पर गठन किया था, वह पूरे देश में 50 करोड़ लोगों को कौशल विकास से उन्होंने ट्रेंड करने के लिए लक्ष्य रखा था । यह लक्ष्य उन्होंने ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- पाण्डेय जी, एक-एक बात जानता हूँ ना, जो बोलोगे, सच बोलोगे । इधर उधर शिक्षा में राजनीतिक भाषण मत देना । नहीं तो मुझे राजनीतिक भाषण देना पड़ेगा ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- मैं आपसे बहुत डरता हूँ । मैं सही बोलूंगा । मेंरा भाषण रिकार्ड है । माननीय सभापति महोदय, मनमोहन सिंह जी की जो कल्पना थी, उन्होंने इस देश के सभी लोगों के लिए जो सपना देखा था कि स्कूल कम है, कालेजेस कम है, यूनिवर्सिटीज कम है, हम रातों रात देश में 1500 विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते हैं । हम इतना बड़ा बदलाव हॉयर एजुकेशन में नहीं ला सकते हैं । इसलिए उन्होंने यह काम किया कि हम ऐसा काम करते हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों में हुनर आ सके और लोग भूखे न मरे, बेरोजगार न रहे । उन्होंने वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा । बाद में इसे राज्य सरकारों ने एक्सेप्ट किया, छत्तीसगढ़ में भी आया, छत्तीसगढ़ में आया तो बहुत बाद में जाकर एक नया दिशा दिया गया, उसको फिर वोकेशनल ट्रेनिंगसेंटर के माध्यम से कौशल विकास के काम किये गये । आज लगभग 2500 व्ही.टी.पीस हैं । इन 2500 व्ही.टी.पीस के माध्यम से लगभग 2,50,000 लोगों को रोजगार दिया गया है । यह बहुत ही खुशी की बात है । मैं इसके लिए माननीयमंत्री जी को बधाई देता हूँ । मैं आपका थोड़ा सा समय और चाहता हूँ कि बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के कोई भी काम नहीं हो सकता है । जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) है, इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों को 20-20 करोड़ रूपयें दिये गये हैं और 59 कालेजेस को 2-2 करोड़ रूपया दिया गया है। यह राशि कालेजेस के लिए बहुत जरूरी है । इससे उनका एकेडमिक स्तर सुधरेगा । इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और हम इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पायेंगे । यह बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि हमारा विभाग जो है, आने वाले पांच सालों में प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में रूसा का पैसा पहुंचेगा । यह लक्ष्य हम लोग रखेंगे ताकि प्रदेश के सभी कालेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके । महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा हो गयी है । हर जिले में यूजीसी के लिए 2 (एफ) और 12 (बी) में कालेजेस का और यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत कंपलसरी है । इससे उनको बहुत सारी ग्रान्ट नई दिल्ली से मिल सकती है । इससे बच्चों के लिए बहुत ही सुविधा मिलेगी । भवन, कक्षा और लैब के लिए माननीय मंत्री जी ने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है । यह बहुत अच्छी बात है । मैं आपका दो मिनट और लेना चाहूंगा । जो साईन्स एवं टेक्नालॉजी में शोध की परियोजनायें हैं, यह छोटे-छोटे प्रोजेक्ट जो हैं, यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी हैं, जिसमें हमारा उच्च शिक्षा का विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है । मेडिकल साईंस, इंजिनियरिंग, बायो साईंस, सोशल साईन्स में जो प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए बनाये गये हैं, यह बहुत अच्छी बात है । मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त और भी सेमिनार, वर्कशाप, प्रकाशन, विज्ञान का जो लोकव्यापीकरण किया जा रहा है, इन सभी विषयों में साईन्स एवं टेक्नॉलाजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसकी बेहद जरूरत है । माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

चाहता हूँ कि जब यूज़ीसी आती है या नेक आती है, कॉलेज में आती है या यूनिवर्सिटी में आती है, माननीय मंत्री जी वह यह पूछती है कि आपके कॉलेज में, आपके डिपार्टमेंट में, ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं, जो कि आपके ग्रांटेड हैं, उसके कारण उसको नंबर मिलता है । यहीं पर हमारा छत्तीसगढ़ जो है, सबसे पीछे है । हम लोग दिल्ली से प्रोजेक्ट नहीं ला पाते हैं । हमारे पास इस तरह के बहुत कम प्रोजेक्ट हैं, बहुत कम टीचर्स हैं, बहुत कम कालेजेस हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं । यहां हमको आगे बढ़ना है ताकि हमारे प्रदेश में प्रोजेक्टस जो हैं, ज्यादा से ज्यादा आ सके । माननीय सभापति महोदय, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है । माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बाता खत्म कर देता हूँ । थोड़ा क्षेत्र की बात करता हूँ,वह भी जरूरी है । माननीय सभापति महोदय, हमारे शहर में बिलासा ऑटोनॉमस गर्ल्स कालेज है । बहुत प्राचीन कालेज है। बहुत अच्छा कालेज है, लेकिन उसमें कई समस्यायें हैं, वहां भी फण्ड की कमी है । जो हमारे शहर के गौरव हैं, जो हमारे प्रदेश के गौरव हैं, उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी है, मैं एक मांग पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आडिटोरियम, इंडोर गेम्स स्पोर्टस काम्पलेक्स के लिए उनको सहयोग चाहिये, उनको ई-क्लॉस रूम के लिए सहयोग चाहिये, सेंट्रल रिसर्च लैब के लिए सहयोग चाहिये, फुली आटोमैटिक सेंट्रल लायब्रेरी के लिए सहयोग चाहिये, एक ही लड़कियों का कालेज है, महिलाओं का कॉलेज है, उसमें भी इतनी सारी कमियां है, अगर हम उसको बहुत ही हाईटेक बनाना चाहते हैं, आज शिक्षा के साथ-साथ टेक्नॉलाजी का भी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ और दूसरा निवेदन छोटा सा है कि सी.एम.डी. कालेज एक एडेड कालेज है। एक समय था जब सी.एम.डी. कालेज में 80 नियमित प्राध्यापक और 51 कर्मचारी नियुक्त थे और इन सभी के लिए एड दिया जाता था, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में ये संख्या घटकर 20 रह गई है और कर्मचारियों की संख्या 12 रह गई है। अब बताईये कि वह कालेज कैसे चलायेगा? वह पैसा बांट ही नहीं पायेगा तो टीचर बच्चों को पढ़ायेंगे नहीं। सी.एम.डी. कालेज एक ऐसा कालेज है जिसका प्रदेश में बहुत नाम है। यह एक बड़े कालेज की स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी से करबद्ध ये मांग करना चाहता हूं कि इस पर जरूर अपनी कृपा दृष्टि दिखायें। यदि आप और बोलने की अनुमति देंगे तो मैं और भी बोल सकता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह - धुआंधार बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, तकनीकी शिक्षा पर भी जरूर कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में जो हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं उन सभी बच्चियों को उनकी फीस में छूट दी जाती है और एम.टेक. करने वाली बच्चियों के लिए भी छूट का प्रस्ताव किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि बच्चियों की शिक्षा बेहद जरूरी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय, आपने प्रयोगशाला के लिए 78 लाख रूपये और कर्मशाला भवन के लिए 01 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने समाप्त करने के लिए कह दिया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं बिल्कुल समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबेरे का अखबार देखा मैराथन की दौड़ में माननीय मंत्री जी की फोटा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक युवा को उच्च शिक्षा और खेल मंत्री बनाया गया है। पहले खेल मंत्री थे वह भी बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन वह बेचारे मैराथन दौड़ नहीं दौड़ पा रहे थे। ये दौड़े, पूरा छत्तीसगढ़ दौड़ाईये, पूरा छत्तीसगढ़ दौड़ेगा। आप पूरी हिम्मत से काम करिये। उच्च शिक्षा विभाग में बहुत सी समस्यायें हैं। मुझे तकलीफ है मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाउंगा, पर कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं कि आप ये जरूर बतायेंगे कि छात्रसंघ का चुनाव होगा या नहीं होगा? होगा तो कैसा होगा? दूसरा बिलासपुर में एसट्रोटर्फ लग गया या नहीं लग गया? लग गया तो वह शुरू हो गया, उसकी देखरेख का क्या इंतजाम है? तीसरी बात लोरमी का कालेज श्री अर्जुन सिंह जी ने खोला था। वहां 1100 छात्र हैं। मैं अभी उस कालेज में गया था। पहले आर्ट्स और कामर्स कालेज था अब वह साईंस कालेज भी हो गया है। तीन शिफ्ट में लोरमी जैसे प्रमुख जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता होगा और वह बच्चे क्या शिक्षा पाते होंगे? किस माहौल में वह पढ़ते होंगे? वहां की बच्चियों ने मांग की कि उनके लैब के लिए भी जगह नहीं है, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे मिला भी था। आपसे विनम्र आग्रह किया था कि आप कृपा करके लोरमी में चाहे जिस मद से भी हो ऊपर का एक फर्स्ट फ्लोर 10 कमरे का बनवा दीजिए ताकि हमारे वहां के लोग जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति की बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वह वही बाहुल्य क्षेत्र है तो उसे आप जरूर प्राथमिकता में ख्याल करेंगे। मैं कल एक गांव के दौरे में गया था। कालेज की आदिवासी बच्चियों ने मांग की कि वे दूर-दूर से वहां पढ़ने आती हैं लेकिन वहां रहने का कोई इंतजाम नहीं है। हालॉकि वह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो नहीं है लेकिन आप चाहें तो एक रिक्वायरमेंट अपनी तरफ से ट्राईबल डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं कि वहां पर कालेज की छात्राओं के रहने के लिए 50 सीटर हॉस्टल खुलवाने की कृपा करें। लोरमी में सिर्फ एक ही कॉलेज था, जब मैं पिछली बार विधायक था तो कोतरी में एक कॉलेज भाजपा की सरकार से बोला था उन्होंने उसको खोला। बिल्डिंग सहित वह कॉलेज कार्यरत है। लेकिन हमारा ट्रायवल एरिया छूट जाता है, बहुत दूर दूर में है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहां के कई विधायकों को जो विधानसभा है उसके दो गुने क्षेत्र में हमारा क्षेत्र है। मैं चाहता हूं कि ढिंढोरी बाजार में एक कॉलेज अगर आप खोल सकेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। गरीब बच्चों को और खास करके बच्चियों को वहां शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी। इन बच्चियों को अगर हम पढ़ने लिखने का अवसर देंगे,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संस्थान देंगे तो वे निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ पायेंगे। एक समय में जब ट्रायवल डिपाटमेंट में नियम बना था कि 12 वीं पास बच्चों को नौकरी देंगे, तो एक भी 12 वीं पास बच्चे नहीं मिलते थे। लेकिन अब जब पढ़ने का अवसर मिला है तो आजकल 12 वीं पास लोगों की तादाद बढ़ गई है कि नौकरियां कम पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप जरूर ख्याल करेंगे और अवसर जरूर प्रदान करिये। छत्तीसगढ़ के गांवों में रहने वाले बच्चे और बच्चियों को, क्योंकि बिना अवसर के उनके पास प्रतिभा भी है तो वे कुछ नहीं कर पायेंगे। आप युवा है, भविष्य में लंबे समय तक राजनीति करने वाले लोग हैं। एक बेहतर बेहतरीन और मजबूत राजनेता के पुत्र हैं। आपको राजनीति विरासत में मिली है। आप गांव की तकलीफ को, हमारे बहनों, बेटियों की तकलीफ को समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी साल कर दीजिये, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं मांग कर रहा हूं इसलिए खोलो, बाकी की बात मत करो। आप इस साल नहीं अगले साल खोल दीजिये । आपको जब आपका संसाधन अनुमति दे तब खोलिये, लेकिन जरूर खोलियेगा। क्योंकि खाना उस क्षेत्र में जाना चाहिए, जहां लोग भूख से तड़प रहे हों, पानी उस क्षेत्र में जाना चाहिए जहां लोग प्यास से मर रहे हों, उस जगह में देने से क्या फायदा जहां बहुत सी होटलें हैं, जहां बहुत खाना मिल रहा है, जहां बहुत पानी मिल रहा है। हमारे दूरस्थ अंचल के गरीब बच्चे, शिक्षा लेना चाहते हैं, पर उन बच्चियों को रिस्क ले करके ज्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता। इसलिए आप अपने विकास, ज्ञान की गंगा उनके घर तक पहुंचाने की पुण्य का काम करिये। एक लोरमी में बेहतरीन स्टेडियम बनाने के लिये भी आप जरूर विचार करियेगा। मैं बहुत आश्वस्त हूं। मैंने आपको बताया कि मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे आपके पिता की भी याद आती है, वे हमारे मित्र थे। आपने उनकी विरासत को संभाला है। मैं समझता हूं कि उनके समान ही सहृदयता, व्यवहार कुशलता, गतिशिलता और लगनशिलता से काम करके, अपना भी नाम रोशन करेंगे और छत्तीसगढ़ में आपको दिये गये विभाग का भी नाम रोशन करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 47, मांग संख्या 44, मांग संख्या 46 और मांग संख्या 43 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ बातें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रखना चाहता हूं। उच्च शिक्षा गुणवत्ता के लिए एक शैक्षणिक वातावरण कैसे बने, क्योंकि यही शैक्षणिक वातावरण जो बनेगा निश्चित तौर पर ये हमारे अच्छे मानव संसाधन का निर्माण होगा। ये जो मानव संसाधन का निर्माण होगा यही हमारी विरासत है और यही हमारी धरोहर है। क्योंकि इसके निर्माण होने से जो आने वाली चुनौतियां है लगभग उसमें हमारे युवा वर्ग बेहतर ढंग से खड़े होंगे। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी अपनी बातें रख चुके हैं। मैं छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देना चाहता हूं। पता नहीं, जो कुछ पद भरने वाली बातचीत आती है तो ये देखा गया है कि कोई पद इतने दिनों से प्रमोशन हो ही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं रहे हैं। पता नहीं, उस पर किस राहु केतु लोगों की नजर है? समझ में नहीं आता और इसके कारण आप जो चाहते हैं कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता का निर्माण हो, वह बिना प्रमोशन्स के कैसे संभव होगा? आपने सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की, प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों करीब हजार-1200 की संख्या में कमी है। लेकिन जब प्रमोशन की बात करके प्राध्यापक निर्माण करने जाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास प्राध्यापक तो कार्यरत हैं लेकिन उनका प्रमोशन ही नहीं है, ये प्रमोटिंग पोस्ट है। इनके बिना प्रमोशन किये, इनको प्राध्यापक बिना प्रमोट किये, हमारी गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता। माननीय मंत्री जी, आप इस पर ध्यान देंगे और निश्चित तौर पर इससे गुणात्मक विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज है कि क्षेत्र का असंतुलन की ओर ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखकर, हम लोग निर्णय लेते हैं। माननीय मंत्री जी, आप कुछ क्षेत्रों की मांग, सर्वे के अनुसार एक बार जब निर्णय करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें उच्च महाविद्याल खोलने की जरूरत पड़ेगी। तब क्षेत्रीय संतुलन बना रहेगा और क्षेत्रीय संतुलन बनने से हमारे युवाओं को उसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी मस्तूरी विकासखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे हायर सेकेण्डरी स्कूल बन गये हैं और ग्राम लोहर्सी में वह मापदण्डों के अनुरूप बहुत पात्रता रखते हैं और वहां पर वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया, पूरी प्रक्रिया की गई कि वहां ग्राम लोहर्सी में कॉलेज खुलना चाहिए, वहां से कॉलेज दूर भी पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क्षेत्रीय संतुलन को बनाये रखने के लिए उन क्षेत्रों में, हम लोहर्सी में भी कॉलेज खोलें और एस.टी., एस.सी. के हमारे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्र हैं और सघन आबादी वाला क्षेत्र है माननीय मंत्री जी, वहां भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये क्षेत्रीय संतुलन के लिए कोई ऐसी कार्ययोजना नहीं बनी है जैसा चल रहा है वैसा ही अब तक शिक्षा का काम चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा है कुछ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमें रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम पाठ्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर ये जो पाठ्यक्रम है, ये तैयार होंगे, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं, माननीय मंत्री जी आप व्यक्तिगत रूचि लेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप व्यक्तिगत तौर पर इसमें काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका सीधा-सीधा असर उन लोगों, युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। यहां कैम्पस सलेक्शन आएं। जो कैम्पस सलेक्शन की प्रणाली है उसको अच्छे से मजबूती से लागू करिये। अगर आप कैम्पस सलेक्शन को नहीं करेंगे तो हम उसको रोजगार नहीं दे पायेंगे और विभाग ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है। निश्चित

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तौर पर आप इस पर कैम्पस सलेक्शन करने के लिए आप बेहतर ढंग से कार्ययोजना बनाईये और यह सफल होगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, बदलते परिदृश्य के अनुसार जो हमारे पाठ्यक्रम तय होने चाहिए, हमको उसका समावेश भी करना है। कुछ बातें बता रहा हूँ कि हर लड़का, आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का एक फैशन सा हो गया है। लोग बड़ी रूचि लेकर पढ़ाते हैं। जब वह इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आता है तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम के कॉलेज नहीं है और वहां उसको बड़े धर्म संकट का सामना करना पड़ता है, उसको बड़ी परेशानी होती है कि एक प्योर इंग्लिश मीडियम के कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। कई निजी क्षेत्रों में इसी का फायदा उठाकर, बहुत ज्यादा फीस के साथ कॉलेज का निर्माण होता है और वह निजी क्षेत्र वाले पूर्णत: अपने इंग्लिश मीडियम के कॉलेज का निर्माण करते हैं। कृपया इस ओर भी आप ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, अभी हम, आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए, इस बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार कोई बेहतर पाठ्यक्रम है जो उनके लिए लाभदायक हो, जो बेहतर ढंग से कार्ययोजना बनी हो, जो उनके शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए लाभदायक हो। माननीय मंत्री जी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बजट का उपयोग करते हैं, आपका विभाग अनुसूचित जाति उपयोजना के बजट का उपयोग करता है, लेकिन अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़े, आपका विभाग बजट का उपयोग इस हेतु न करके किसी दूसरी ओर उपयोग कर रहा है, आप उसको रोकिये। मेरा उसमें कहना है कि इन छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का निर्माण करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति उप योजना के पैसे का उपयोग सीधे-सीधे तौर पर हॉस्टल निर्माण में करेंगे तो निश्चित तौर आज जो आपके अनुसूचित जाति, जनजाति के आंकड़ें दिख रहे हैं, यह बहुत बढ़ेगे। मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि इस योजना के पैसे का उपयोग बेहतर ढंग से करियेगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि बदलते परिदृश्य वाली जो बातचीत आई है, इस परिदृय में कम्पयूटर और इंग्लिश लैब की बहुत जरूरत है। आपने कुछ जगह तो खोले हैं, कुछ महाविद्यालयों में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन इसको व्यापक करियेगा, क्योकि कम्पयूटर आज की जरूरत है। अगर कोई कालेज का विद्यार्थी कम्पयूटर आपरेट नहीं कर पायेगा तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा और वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पायेगा। यह इंग्लिश लैब की विभाग में बहुत अच्छी अवधारणा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, इसलिए इंग्लिश लैब को बेहतर ढंग से ज्यादा से ज्यादा महाविद्यालयों में करने का प्रयास करें। इसके बगैर नहीं हो सकता।

सभापति महोदय :- बांधी जी, कृपया समाप्त करें, आपकी सारी बातें आ गई हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी मूल्यांकन करने का है, आप कालेजों का मूल्यांकन करेंगे, नेक का मूल्यांकन होगा, आपका जैसा भी मूल्यांकन होगा, इसमें आप विभागीय तौर पर भरोसा मत करना, आप अपनी पर्सनल थाट्स डेवलप करना, एक खुद का विचार डेवलप करना और पर्सनल इंट्रेस्ट से जब मूल्यांकन की बात करेंगे तो कालेजों में वास्तव में अच्छा बदलाव आयेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आयेंगे। माननीय मंत्री जी अगर आप पर्सनल इंट्रेस्ट नहीं लेंगे तो नहीं हो सकता।

सभापति महोदय :- बांधी जी, कृपया समाप्त करें, काफी समय हो गया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी एक और छोटी सी बात है। कालेजों की अधोसंरचना निर्माण को लेकर किसी चीज में जरूरत है तो उसके लिए रूसा पे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत हम कालेजों को 2 करोड़ रुपये देने का बजट में प्रावधान करते हैं। लेकिन इस बजट की कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कालेज के विद्यार्थियों के लिए साइकिल स्टैण्ड की जरूरत पड़ती है, बहुत जगह सायकिल स्टैण्ड नहीं हैं, यह छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसको बढ़ाने से कालेज के विद्यार्थियों के हित में होगा और इससे उनका विश्वास भी बढ़ेगा।

सभापति महोदय :- बांधी जी, समय का ध्यान दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, केन्टीन की भी बात है।

सभापति महोदय :- चलिये, बहुत साधारण बात है, आपकी सब बातें आ गई हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उस पर बेहतर ढंग से हमारी एक वैज्ञानिक नजर होती है। यह बहुत बड़ा अच्छा विभाग है। यह हमको ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बढ़िया काम आ सकता है। इसलिए इसकी योजना और इसके कार्यक्रम पर साइंस एण्ड टेक्नालॉजी विभाग ने बेहतर ढंग से काम किया है। लेकिन ये आपके विभाग का निगलेक्टेड पार्ट है, इसको निगलेक्टेड पार्ट के रूप में मत करियेगा, इसको बेहतर ढंग से करियेगा।

सभापति महोदय :- चलिये कृपया समाप्त करें। समय का ध्यान रखिये न। काफी समय हो गया है। श्रीमती रश्मि आशिष सिंह जी। बस हो गया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, जैसे इस डिपार्टमेंट ने 2-3 काम किये । आज पूरे छत्तीसगढ़ को उसका लाभ मिल रहा है । आपने देखा कि जितनी पड़ती भूमि है, आप देख लीजिये पूरी पड़ती भूमि का कैसा उपयोग होगा, उसका आपने यह तय किया कि उस भूमि में पानी है या नहीं है, यह आंकड़े आपने डिपार्टमेंट में दिया । यह बहुत बड़ा काम है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चलिये, आप लिखकर दे दीजियेगा । आप अपने सुझाव लिखकर दे दीजियेगा । समय-सीमा का भी ध्यान रखिये ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा है । आपने टेक्नालॉजी विलेज भी बनाया है । वहां बना तो दिया, बन गया । उसका भरपूर उपयोग करियेगा । टेक्नालॉजी विलेज, गांव के अनुरूप, लोगों के अनुरूप एक बहुत बढ़िया सा कांसेप्ट है उसमें एक भी पैसा नहीं, एक भी नजरिया नहीं, कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूं । सबसे पहले मैं नेक की चर्चा करना चाहती हूं कि जिस नेक के मूल्यांकन में हमारे प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों को ए ग्रेड और 6 महाविद्यालयों को ए ग्रेड मिला है तो यह मेरा सौभाग्य है कि बिलासपुर के 4 महाविद्यालय उसमें सम्मिलित हैं उन सभी महाविद्यालयों में जो मेरे साथी श्री शैलेश पाण्डेय जी ने जो मांग रखी तो मैं सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि गर्ल्स कॉलेज जहां से मैं पढ़कर निकली हूं, वहां पर जो उनका भवन और परिसंपत्तियां हैं उसमें दूसरे विभागों की जो निगाह है उसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि गर्ल्स कॉलेज की परिसंपत्ति का उपयोग गर्ल्स कॉलेज के लिये ही हो । मैं अपने तखतपुर विधानसभा के लिये मांग करना चाहती हूं कि तखतपुर में एक जेएमपी कॉलेज है, चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होती है तो उनके कटऑफ मार्क्स बहुत ऊपर जाते हैं तो बच्चों को बाहर पढ़ने के लिये चूंकि लड़कियों को माता-पिता शहर से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं जिसके कारण तखतपुर विधानसभा की बारहवीं पास करने के बाद कई लड़कियों की शिक्षा मजबूरीवश छूट जाती है तो मेरा आग्रह है कि मैं तखतपुर विधानसभा में एक गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की मांग करती हूं । इसी तरह बिलासपुर में जो शासकीय कॉलेज हैं उनमें भी कट ऑफ मार्क्स बहुत हॉयर जाता है, बिलासपुर से ही लगा हुआ मेरे विधानसभा का सकरी नगर पंचायत है जहां एक भवन वन चेतना केंद्र के नाम से पिछली सरकार के द्वारा बनाया गया था उस वन चेतना केंद्र का कोई उपयोग मुझे नजर नहीं आता है तो मेरा आग्रह है कि यदि उसका बदलाव किया जा सके, उच्च शिक्षा में उस भवन को दे दिया जाये तो मैं सकरी में एक कॉलेज की मांग करती हूं क्योंकि गनियारी और सकरी दोनों गांव की आबादी मिलाकर 35 हजार के लगभग होती है तो उस कॉलेज का बहुत ज्यादा उपयोग होगा । इसी तरह जेएमपी कॉलेज में जो विषय पढ़ाये जा रहे हैं उसके लिये भवन में विस्तार की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर मेरी विधानसभा आपकी ऋणी रहेगी । मेरे विधानसभा में आईटीआई पहले से खुला हुआ है, 33 पुराने आईटीआई में नये ट्रेड आरंभ करने की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

घोषणा की गयी है तो मेरा आग्रह है कि तखतपुर में भी आईटीआई के नये ट्रेड दिये जायें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी ।

माननीय सभापति महोदय, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में प्लेसमेंट की सुविधा के लिये में आग्रह करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट का रेशियो बहुत ज्यादा कम है तो प्लेसमेंट की एजेंसियों को आकर्षित करने के लिये जनवरी माह से ही प्लेसमेंट वाले आने लगते हैं तो प्लेसमेंट एजेंसियों की ओर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बच्चों को लाभ होगा और उन्हें रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे क्योंकि हमारे यहां शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है लेकिन बच्चों को उसके लायक रोजगार नहीं मिल पाता है । मेरी शासन से मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा शासकीय महाविद्यालय खोले जायें क्योंकि शासकीय महाविद्यालयों में कम फीस में बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं और प्राईवेट में एक-एक कमरों में शिक्षण संस्थान चलाने वालों के झांसे में बच्चों को आना पड़ता है क्योंकि कटऑफ मॉर्क्स 70 परसेंट, 80 परसेंट इस प्रकार साईंस में जाता है तो बच्चे कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर ठगे जाते हैं, उनके माता-पिता सोचते हैं कि 3 वर्ष की बहुत लंबी-चौड़ी फीस देंगे तो शायद उनके बच्चों को अच्छा रोजगार मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसे शिक्षा का व्यापार करने वाली संस्थाओं पर नियंत्रण के लिये जरूरी है कि कॉलेज ज्यादा संख्या में खोले जायें । हमारे छत्तीसगढ़ की विरासत खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय है, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे बच्चों ने वहां से डिग्री ली है तो मेरे कहने का आशय है कि वहां के गुणवत्ता सुधार के लिये प्रयास हो और उस शिक्षण संस्थान की ओर हम ध्यान दें तो निश्चित तौर पर वह देश के इतिहास में छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज करायेगी । सहायक प्राध्यपकों के पदों के लिये अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, मेरे तखतपुर विधानसभा सहित पूरे छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी है । इसलिए मेरा आग्रह है कि प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का ख्याल रखा जाए, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया के अटकने का डर न रहे । छत्तीसगढ़ के बच्चों को शीघ्र ही अच्छे प्राध्यापक मिलें । पारदर्शिता से एक बार में ही परिणाम आएगा और एक बार में ही नियुक्ति होगी, ऐसा मेरा आग्रह है । खेल के विषय में चर्चा करना चाहती हूं । मैं बिलासपुर से आती हूं वहां बहुत दिनों से एक खेल परिसर बना हुआ है । बहतराई में एक इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार है । जिसमें कई वर्षों से काम चल रहा है लेकिन वह हैंड ओवर नहीं हो पा रहा है । वहां एस्ट्रोटर्फ लग गया है । वहां इंडोर स्टेडियम के काम के लिए बजट की कमी है जिसके कारण इंडोर स्टेडियम पूरा नहीं हो पा रहा है । जीएसटी लगने के कारण उसकी लागत लगभग 10 करोड़ बढ़ गई है । उस लागत के लिए प्रावधान कर देंगे क्योंकि बिलासपुर में पहले सारे टूर्नामेंट पुलिस ग्राउंड में हुआ करते थे । चूंकि मैं उसी पुलिस ग्राउंड में हॉकी खेलकर बड़ी हुई हूं तो मेरा आग्रह है कि पुलिस ग्राउंड में खेलकूद बंद हो जाने से खिलाड़ी बहुत सारे खेलों से वंचित हो रहे हैं । उस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एस्ट्रोटर्फ के लिए और इसके अलावा बिलासपुर शहर के लिए एक अच्छे खेल मैदान की शहर के अंदर आवश्यकता है । कृपया मंत्री जी उस ओर बजट देंगे तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी । वह जो इंडोर स्टेडियम बना है उसके रख रखाव के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है । अधिकारियों से चर्चा के दौरान मुझे बताया गया है कि लगभग 3 लाख रूपया बिजली बिल उस स्टेडियम का आएगा । जिसके लिए बजट का कोई उल्लेख नहीं है । मेरा आग्रह है कि वह खेल परिसर हैंड ओवर होने के पहले इस बारे में व्यवस्था कर दी जाए तो मैं आपकी आभारी रहूंगी ।

समय :

4:46 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अंत में मै, पेटेंट के बारे में चर्चा करना चाहूंगी । मैं हमेशा से समाचार पत्रों में पढ़ती आई हूं कि छत्तीसगढ़ में धान की बहुत सारी वेरायटी है जो कि दुर्लभ है । यदि हम उनका पेटेंट करा लेते हैं और उन चावल की प्रजातियों को हम संरक्षित कर लेते हैं तो सदा भारत के इतिहास में छत्तीसगढ़ का नाम रहेगा । कई चावल इस प्रजाति के हैं जो शुगर-फ्री हैं । डायबेटिक लोग भी उस चावल को खा सकते हैं । कृपया शासन उन चावलों की प्रजाति को संरक्षित करने की ओर ध्यान दे तो पूरी मानव जाति का कल्याण होगा । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- केशव प्रसाद और इंदू बंजारे दोनों में से चर्चा कर लें कि कौन बोलेगा । हरेक बात पर बोलना जरूरी नहीं है । इंदू बंजारे तुम बोलो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- इंदू बंजारे जी बोल लेती हैं मैं अपने क्षेत्र की बात दो मिनट में बोल लूंगा ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 की उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में बहुत ही कम महाविद्यालय हैं । जिसके कारण हमारे छात्र, छात्राओं को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के द्वारा ही डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक जो भी बनना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के माध्यम से ही बन सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, खासकर हमारी जो बेटियां हैं उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । क्योंकि हमारे देश में बेटियों के साथ आए दिन जो दुर्व्यवहार, अत्याचार होता है उन घटनाओं को देखकर उनके माता-पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पढ़ाने के लिए बाहर भेज नहीं सकते । इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में केरा, सलखन, मिसदा और नगर पंचायत में रहौद, मुलमुला, ससहा, भिलौनी में महाविद्यालय खोलने की कृपा करें । हो सके तो आज ही एकाध गांव में महाविद्यालय की घोषणा कर देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती । क्योंकि हमारे क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है और आए दिन हमारी बेटियों के साथ जो घटनाएं होती हैं उससे बच्चों के पेरेंट्स कठिनाइयों का सामना करते हैं और बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पामगढ़ क्षेत्र में डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय है, जिसमें पीजी कोर्स की मांग करती हूं । नगर पंचायत खरौद में लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय है इसमें भी पीजी कोर्स की मांग करती हूं । चूंकि वह महाविद्यालय 16 एकड़ जमीन में बना हुआ है इसलिए उसके आहाता निर्माण की मांग भी करती हूं । साथ ही गिरौदपुरी धाम में संत गुरू घासीदास महाविद्यालय की मांग करती हूं और सिरपुर में तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम पर शासकीय महाविद्यालय की मांग करती हूं । जांजगीर-चांपा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर शासकीय महाविद्यालय की मांग करती हूं और खेल के संबंध में बोलना चाहूंगी कि हमारे अधिकांश बच्चे खेल में ज्यादा रूचि रखते तो माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि राष्ट्रीय खेलों को भी आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :-बहुत-बहुत धन्यवाद। चन्द्रदेव राय। चन्द्रदेव प्रसाद राय। आपका नाम आपकी पार्टी ने नहीं भेजा है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय (बिलाईगढ़) :- अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय :- आप अंतिम वक्ता के रूप में बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे पुरौनी में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपके संगठन की ओर से अंतिम वक्ता के रूप में ये बोलेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी है कि जिसको जितना बोलना है बोले 3 घंटा। अब तो आप कटौती न करें।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की अनुदान मांगों की चर्चा पर भाग संख्या 47, भाग संख्या 44, भाग संख्या 46 और भाग संख्या 43 के अनुदान मांगों पर समर्थन पर खड़ा हुआ हूं। उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग...।

अध्यक्ष महोदय :- बेटा, अपने क्षेत्र के बारे में मांग लो, ज्यादा अच्छा है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- क्षेत्र में आउंगा पहले भूमिका पर अपनी बात रख रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :-नहीं, भूमिका ज्यादा जरूरी नहीं है।

एक माननीय सदस्य :- दो नाम दिया था सभापति महोदय इनका भा और...।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, इसके पहले मेरा नाम था।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बताना चाहिए न।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- आज पहली बार आपने मुझे आमंत्रित किया है। इसके पहले यहीं से मेरा नाम या तो काट दिये जाते थे या तो कट जाता था।

अध्यक्ष महोदय :- यहां से कटता था।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- तो मैं हर विषय पर चाहे वह स्कूल शिक्षा पर, पंचायत पर या वन पर हर क्षेत्र में मैंने अपना नाम दिया पर आज आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस प्रदेश के लगभग 20 लाख युवा पढ़े-लिखे लोग आज बेरोजगार हैं। पिछली सरकार की नीतियों ने उनको बेरोजगार बनाकर रखा। रोजगार के लिए उनको कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि इस दिशा में भी आगे बढ़े। उनको रोजगार मिले। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि पिछले समय में कॉलेजों में तो निर्माण हुआ। उत्तर-पुस्तिका, परीक्षा ऐसे बहुत सारी चीजों पर भराशाई हुई, लिपापोती हुई, परीक्षाएं आयोजित हुईं और उसी दिन पेपर लीक हो गई। इससे हमारे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनके भविष्य पर यह रोड़ा अटकती रही। यह भी चिंतन का विषय है। मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि इस प्रकार की स्थिति दुबारा निर्मित न हो उच्च शिक्षा पर। कई ऐसी पी.एस.सी. और व्यापमं की भर्तियों पर इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई हैं जिससे पढ़ने वाले जो मेधावी बच्चे होते हैं, वे बार-बार डिस्टर्ब होते हैं। इन पहलुओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। भर्ती की जो प्रक्रिया है सहायक प्राध्यापक वर्ग इस पर भी पारदर्शितापूर्वक शीघ्र भर्ती हो ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चे जो पढ़ते हैं कॉलेज में। जो छोटे-छोटे कॉलेज हैं प्रदेश में वे अपना भविष्य तय कर सकें क्योंकि इन सहायक प्राध्यापक के अभाव में आज भी उचित शिक्षा उनको नहीं मिल पा रहा है। आज भी प्रयोगशालाओं में लेब के लिए पर पर्याप्त सामग्री नहीं है। उसमें हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे आज प्रयोगशाला के अभाव में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में ऐसे कुर्सियां स्थापित कर दी गई, जो छोटे बच्चे के बैठने के स्तर के हैं और वहां बड़े बच्चे हैं जो उसमें बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो विसंगतियां हैं, जो ये अनियमितताएं निर्मित हो रही हैं। इस प्रकार की स्थिति न हो और हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छे वातावरण में, अच्छे परिवेश में पढ़े, अच्छी कुर्सियों में बैठें वहां अच्छी व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। ये व्यवस्थाएं निर्मित होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कौशल विकास के संबंध में कहना चाहूंगा..।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- केशव प्रसाद चन्द्रा जी।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :-पूर्ववर्ती सरकार ने कौशल विकास। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट संरक्षण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- तुम तो कहीं-कहीं जा रहे हो यार। मैं बोल रहा हूं कि क्षेत्र की बात करो तो।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- मैं उसी विषय में आ रहा हूं। चलिए, मैं अब दो मिनट में क्षेत्र की बात करूंगा। हमारे सरसींवा एक ग्राम पंचायत है, जहां उस क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने ब्लॉक बनाने का दर्जा दिया था और वह किसी कारणवश घोषणा नहीं हुई है। वहां मंत्री महोदय के द्वारा कॉलेज की घोषणा कर दी विकास यात्रा के दौरान। वहां लगभग 1 लाख से ऊपर की आबादी क्षेत्र है। अनुसूचित जाति क्षेत्र है। परंतु आज तक कॉलेज नहीं खुल पाया। माननीय मंत्री जी से निवेदन चाहूंगा कि वहां पर कॉलेज का आज इसी हाउस के अंदर घोषणा कर दे तो वहां के लोगों को यह सुविधा मिल सकेगा। माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन चाहूंगा कि मेरे विधान सभा में टुण्ड्रा नगर पंचायत है। जहां 10 हजार से अधिक की आबादी है। पूरे 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई कालेज नहीं है। यदि इन दो स्थानों पर कालेज की स्वीकृति कर दें, यहां से घोषणा कर दें तो बहुत कृपा होगी। खेल और कौशल विकास पर बहुत सारे मुद्दें हैं। परन्तु समय के अभाव में टाईम भी ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री रेखचंद जैन (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उमेश पटेल जी उच्च शिक्षा एवं युवक कल्याण मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ। बस्तर क्षेत्र, मेरे जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनको आपके सामने, सदन में रख रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर में साईंस एण्ड कामर्स कालेज की स्थापना की जावे। बस्तर विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी। यह आदिवासी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को ध्यान में रखकर की गई थी। लेकिन ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन क्या ? पहले इसके लिए धन्यवाद दो रेखचंद जी।

श्री अमरजीत भगत :- आप बोलते हो या डांटते हो, समझ में नहीं आता? जरा प्रेम से बोला करो न।

श्री रेखचंद जैन :- बड़े भाई हैं, डांट सकते हैं। बस्तर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा परीक्षा शुल्क में दोगुनी वृद्धि कर दी गई है। जिससे वहां के छात्र-छात्राओं में काफी ज्यादा निराशा है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के लिए बस्तर की टीम जाने के लिए तैयार थी। लेकिन वहां के अधिकारियों के द्वारा पैसा न होने के हवाला देकर उनको नहीं भेजा गया। जिससे बस्तर क्षेत्र के छात्र-छात्राओं में काफी निराशा हुई। गवर्नमेंट पी0जी0 कालेज में बी0एस0सी0

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बायोटेक्नालॉजी और पी0जी0डी0सी0ए0 का पाठ्यक्रम चालू किया गया था। लेकिन बच्चें ज्यादा संख्या में हैं। कालेज प्रबंधन के द्वारा, जनभागीदारी द्वारा पैसा वहन नहीं किया जा सक रहा है। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके लिए जो स्टाफ की जरूरत है, इनकी नियुक्तियां हो। जिससे बस्तर के छात्र-छात्राओं को इसका फायदा मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में खेल के मामले को लेकर कहना चाहूंगा कि हमारे बस्तर में अच्छे उर्जावान खिलाड़ी हैं। लेकिन उचित प्रशिक्षण के अभाव में, उचित डाइट नहीं मिलने के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बस्तर में खेल अकादमी की स्थापना होनी चाहिए। जिससे वहां के उनको अच्छा प्रशिक्षण मिले, उनको अच्छा डाइट मिलने से बस्तर के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव चन्द्रा, जल्दी से समाप्त करिये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जनभागीदारी समिति को मजबूत बनाईये। जनभागीदारी समिति का उद्देश्य केवल जनभागीदारी शुल्क लेना मत हो। बल्कि कालेज की कैसी व्यवस्था हो, वहां बच्चें कैसे बेहतर शिक्षा ले सके, इस पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनभागीदारी समिति के पदेन सदस्य विधायक भी होते हैं। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 4 कालेज हैं। विगत 5 सालों से एक भी बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया है। उन लोग अपने ढंग से चला रहे हैं। आप नई समिति का गठन करेंगे। ये मालखरौदा, हसौद और बिर्रा, इन तीनों कालेजों के एक ही प्रभारी हैं। बच्चों से पांच सौ रूपये से लेकर सात हजार रूपये तक जनभागीदारी शुल्क के नाम से अवैध वसूली की जा रही है। केवल नियमित विद्यार्थी से नहीं, बल्कि स्वध्यायी से भी पांच सौ रूपये से लेकर सात हजार रूपये तक प्रायवेट परीक्षा देने वाले से ली जा रही है। इस पर नियंत्रण करें। जैजेपुर, हसौद, मालखरौदा कालेज में स्नातकोत्तर कालेज तो खुला है, लेकिन एक या दो विषय पर है। वहां और विषयों की वृद्धि करें। इसी प्रकार बिर्रा में इसी सत्र से कालेज प्रारंभ हुआ, पिछले बजट में सम्मिलित किया गया था। वहां भवन नहीं है। आपसे निवेदन है कि वहां भवन बनवा दें। जैजेपुर आई0टी0आई0 में भवन भी बन गया है, छात्रावास भी बन गया है। लेकिन केवल ट्रेड का ही प्रशिक्षण हो रहा है। तो वहां ट्रेड बढ़ाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, कल के पेपर में एक समाचार है। एक कुमकी हाथी लाये हैं, वह भी प्रशिक्षित हो गया है। हमारे जंगली हाथियों को पढ़ायेंगे, कहकर लाये हैं। तो सरकार ने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हाथियों के पढ़ने की व्यवस्था कर दी है। आदमी तो आदमी है। अब कुमकी हाथी प्रशिक्षित हो गए हैं, राज्य के हाथी को पढ़ायेंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- चन्द्राकर जी, 15 सालों में आप ऐसी व्यवस्था बना रहे थे कि कोई पढ़ ही मत पाये तो उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हसौद में भी आईटीआई का भवन बन गया है, लेकिन केवल एक ट्रेड संचालित है । इन दोनों आईटीआई के जाने से ऐसा लगता है कि आईटीआई खुला है या नहीं है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चंद्रा जी जो हैं, राष्ट्रीय दल के निर्वाचित विधायक हैं और बेचारे हसौद, हसौद, हसौद कर रहे हैं, उनको थोड़ा राष्ट्रीय परिदृश्य में बोलने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनको अपने क्षेत्र तक प्रतिबंधित कर दिया है इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी, मैं केवल क्षेत्र की बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उनको बता रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, बम्हनीडीह में आईटीआई खुला है, लेकिन भवन नहीं है । वहां के लिए आपसे निवेदन है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक हाथी उत्तरप्रदेश में घूम रहा है, उसे आप प्रतिबंधित नहीं कर पा रहे हो । अब ये हाथी भी निकल जायेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए वे जहां हैं, बैठे रहने दो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बम्हनीडीह में भी आईटीआई का भवन दे दें और माननीय अध्यक्ष महोदय, बम्हनीडीह आपका भी पुराना क्षेत्र रहा है। बम्हनीडीह विकासखण्ड मुख्यालय है, वहां कोई कॉलेज नहीं है, आने वाले बजट में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वहां कॉलेज स्वीकृत कर देंगे, ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चों को वहां सुविधा मिल सके ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आने वाले समय में मत बोलिए साहब, पांच साल के अंदर बोलिए । जो इनका जन घोषणा-पत्र तैयार हुआ है, वह पांच साल के लिए है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मोदी जी 2022 तक का विजन बना रहे हैं तो इन लोग भी 15 साल का विजन बना रहे हैं तो इसलिए मैंने आने वाला समय कहा।

श्री अमरजीत भगत :- केशव जी, आपको धन्यवाद कि आपने कम से कम 15 साल के लिए एक शुभकामना दिया है, बाकी आप बगल वाले को भी समझाइए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अमरजीत भैया, सपना देखने का अधिकार सबको है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 15 साल नहीं, 20 साल हो जाए, लेकिन इधर आओगे तब तो, सवाल इसका है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी कालेजों में प्राध्यापक की भी कमी है, मैं उनके लिए भी अनुरोध कर रहा हूं कि प्राध्यापक की व्यवस्था करवा दें, ताकि गांव के अंचलों में भी बेहतर शिक्षा मिल सके और केवल कालेज की बिल्डिंग हैं, बाकी तमाम सुविधा नहीं है । न वहां बाउंड्रीवाल है, न वहां खेल का मैदान है, न साईकिल स्टैण्ड है, न वहां कैंटीन की व्यवस्था है, न वहां लायब्रेरी है तो उनको सम्पूर्ण शिक्षा मिल सके, एक बेहतर शिक्षा उस कैम्पस में मिल सके, इसके लिए माननीय मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि आप उनका विस्तार करवाने की कृपा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- लक्ष्मी ध्रुव जी, आपका बहुत कम समय है । आपको पांच मिनट देता हूं, आप प्रोफेसर रही हैं न ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद । मैं सबसे पहले संरचनात्मक ढांचे की बात करूंगी । राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत रूसा, नेक और यूजीसी के विषय में कहना चाहती हूं । रूसा जो कि फंड देती है और नेक महाविद्यालय की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करती है और यूजीसी उच्च शिक्षण के लिए नियम निर्माण और तमाम रिसर्च के लिए ग्रांट देती है । मैं ये कहना चाहती हूं कि इनका महत्व है, लेकिन जब शासन नये महाविद्यालय की स्थापना करती है क्योंकि इन तीनों के लिए महाविद्यालय में पूर्ण सुविधा की जरूरत होती है, तभी वे काम करके दिखाएंगे, तभी तीनों का मतलब हैं, तब वे सब चीज देंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जब छत्तीसगढ़ शासन कोई नये महाविद्यालय की स्थापना करती है तो पहले पूर्ण सुविधा दे और कोई भी महाविद्यालय का ह्दय वहां के प्राध्यापक होते हैं, लेकिन हमारे यहां प्राध्यापक की भर्ती तरह-तरह की हुई है। तदर्थ में भी हुई है, पीएससी के द्वारा भी हुई है और अतिथि व्याख्याता भी हैं, लेकिन तदर्थ व्याख्याता जो हैं, वे पीएससी नहीं दिए हैं और वे आज प्रोफेसर बन गए हैं और जो पीएससी पास करके 29-30 सालों से सेवा कर रहे हैं, उनको अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं मिला है तो उनमें हताशा और निराशा है और एक प्रोफेसर का ड्यूटी आवर्स कैसी होनी चाहिए तो उनसे दो बार साईन लिया जाता है और बीच-बीच में औचक निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या है, उसको समझते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए क्योंकि वे रिसर्च का बहुत सारा काम करना पड़ता हैं यहां पर थोड़ा सा उदार रवैया अपनाना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक परीक्षा प्रणाली का सवाल है तो एक ऑटोनामस परीक्षा होती है और एक विश्वविद्यालय की परीक्षा होती है। अब ऑटोनामस परीक्षा प्रणाली में साल में दो बार परीक्षा लेनी पड़ती है और जो व्यवहारिक स्थिति मैं देखती हूं तो परीक्षा के 15 दिन पहले कालेज आना बंद कर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देते हैं और 15 दिन बाद तक बच्चे नहीं आते हैं । इसमें जो रिजल्ट है, अच्छा तो रहता है, लेकिन जो क्वालिटी होना चाहिये, वह नहीं है । विश्वविद्यालय के द्वारा ही परीक्षा लिया जाना चाहिये, भले ही दो बार किया जाये । इससे हमको आऊटसोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी । यह जो परीक्षा प्रणाली में बच्चे हैं, संदर्भ किताब नहीं पढ़ते हैं, बल्कि गाईड के द्वारा अजय माला जैसे चीज को पढ़कर परीक्षा देते हैं, अटेंडेस के प्रति भी सतर्क नहीं रहते हैं । आजकल उनके दिमाग को बहलाने के लिए बहुत सारे साधन है, जैसे कि मोबाईल लेकर बाहर घूमते रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह कहना चाहती हूं कि हर बच्चे का अटेंडेंस 100 प्रतिशत होना चाहिये । अटेडेंस 100 प्रतिशत के साथ-साथ मोबाईल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिये । दूसरी बात जो है, लड़कियां जो गांव से पढ़कर आती है, उनको छात्रावास में जगह नहीं मिलती, वहां पर जगह बहुत कम है । छात्रावास की सुविधा ज्यादा उपल्ब्ध होना चाहिये । दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2015 में हुई है, लेकिन अभी तक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है । इसलिए कार्य करने में दिक्कत है । उसी तरह से आई.आई.टी. की भी स्थापना की गई है, अभी तक उसका भी काम बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है । जो जनभागीदारी है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि गरीब बच्चों से फीस नहीं लिया जाये, उसका प्रबंधन महाविद्यालय को स्वयं करना चाहिये । पंचमुखी कार्यक्रम, मैं तारीफ करना चाहूंगी कि क्योंकि मैं इसमें काम की थी, पंचमुखी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है । उससे कॉलेज का रखरखाव जो है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में लागू किया जाना चाहिये । ताकि महाविद्यालय में कॉलेज अपडेट हो जाता है । यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है । तकनीकी विश्वविद्यालय कीबात कहना चाहूंगी कि रिशेसन के कारण इसका बहुत ही बुरा हाल है । उसमें व्यापम पी.ई.टी. का आयोजन करती है, पी.पी.टी. का आयोजन करती है, जिससे हमारे लेट होने के कारण वहां के जो बच्चे हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, जब रिसेशन है, कॉलेज खाली है, ऐसी स्थिति में पी.ई.टी. और पी.पी.टी. नहीं होना चाहिये । परशेंट बेस पर एडमिशन कर देना चाहिये। इससे हमारा एडमिशन सही समय पर हो जायेगा । कई कालेज की स्थिति ऐसी है कि इतने सारे फण्ड लगाने के बावजूद एडमिशन न होने से बहुत ज्यादा दिक्कत की स्थिति में है । तो इसके लिए अनुदान में सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये, ताकि वह संस्थान बंद न हो। मेंरे जो नगरी क्षेत्र की बात है, सिहावा विधान सभा क्षेत्र की बात है..।

अध्यक्ष महोदय :- आपने उच्च स्तर की बात की है, नगरी, सिहावा का अलग से लिखकर दे दीजिएगा ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही महाविद्यालय है । लेकिन एक महाविद्यालय होने के कारण वहां पर एक कम्प्यूटर लैब होना चाहिये। बहुत सारे संसाधनों का अभाव है, नैक नहीं आ पा रही है । उन संसाधनों को शासन पूर्ण करेगी तो नैक की टीम आयेगी और यूजीसी की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

टीम ग्रान्ट देगी और रूसा भी अपना काम करेगी । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । हमारे नगरी, सिहावा क्षेत्र के मानव संसाधन बहुत सेवा कार्य में संलग्न दिखाई देता है । सेवा भावना बहुत है । एक नर्सिंग कॉलेज और एक सैन्य प्रशिक्षण और खेलकूद के लिए विद्यालय का होना बहुत जरूरी है । हमारे जो आई.टी.आई. है, उसको अपग्रेड करना चाहिये, क्योंकि पुराने ब्रान्च हैं, नये ब्रान्च उसमें यदि हो जाते हैं, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मैं बस यही कहना चाहती हूँ । अध्यक्ष महोदय, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री लालजीत सिंह राठिया ।

श्री लालजीतसिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अपने क्षेत्र के विषय में मांग रखना चाहूंगा । मेरे यहां दो महाविद्यालय हैं, घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ । वहां पर पी.जी.कोर्स नहीं होने के कारण ग्रामीण अंचल के बच्चों को शिक्षा में बहुत परेशानी हो रही है । पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि संकायवार आर्टस, साईंस और कामर्स, तीनों संकाय के कोर्स प्रारंभ करें । बहुत ही ट्रायवल एरिया है, ट्रायवल एरिया होने के कारण गर्ल्स हॉस्टल, ब्वायस हॉस्टल, के लिए पर्याप्त जगह है । एक हमारा विकासखण्ड बनने वाला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- लालजीत सिंह जी, एक डांसिंग कोर्स की भी क्लास शुरू करवाओ और उसका आप निवेदन कर लो न।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय, आपके चलते उस दिन मेरा समय कट गया था, आप मत टोकिए। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, वीडियो में आप बहुत अच्छा डांस करते दिख रहे थे, आप क्लास ज्वाईन कर लोगे तो और अच्छा आयेगा इसलिए आप क्लास खुलवा लो।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनकी पीडा अब तो समझ लो। उस दिन उनका नंबर कट गया था, आज तो बोलने दो।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- देखिए, हमारे आदिवासी संस्कृति में हम लोग कर्मा, गौरा, ददरिया सब नाचते हैं। पूस महीना, माघ महीना में हम लोगों का सीजन रहता है। आप आईयेगा आपको भी डांस करायेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। मेरे यहां धर्मजयगढ़ में एक क्रीड़ा परिसर है वहां पूरे जिले के बच्चे आते हैं और वहां बाहर से भी बच्चे आते हैं। वहां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और मैराथन की तरह वहां सभी लोग अभ्यास करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप क्या चाह रहे हो उसे जल्दी बोलो। पंद्रह अगस्त, छब्बीस जनवरी को छोड़ो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक काम करो, अजय भाई को भी डांस पार्टी में आमंत्रित कर लो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- भैय्या, मैं ह तोर हाथ-पांव जोड़त हौं।

श्री अमरजीत भगत :- दुरिहा ले करबे त थोड़ी बनिही, नजदीक आके करबे तब तो।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- क्रीड़ा परिसर में चारों ओर जाली लगवाने की आवश्यकता है। एक हमारे जिले की मांग थी कि वहां के.आई.टी. कालेज है वहां के जिले के सभी पदाधिकारियों से मैंने चर्चा किया, वहां फीस बहुत ज्यादा होती है इसलिए शासन की ओर से उनको कुछ सहायता दी जाए, वहां बाहर के भी बच्चे, कोरबा जिले के बच्चे पढ़े हुए हैं, सभी लोग आते हैं, इंजीनियरिंग कालेज है, उसमें थोड़ी छूट दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- उत्तरी गणपत जांगड़े जी पहली बार बोलना चाहती हैं। दो मिनट समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो सचेतक हैं, आपने नाम दिया नहीं है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- नाम दे रहे थे तो नहीं जोड़े हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं इसीलिए आपसे आग्रह किया था कि इस विभाग में मांग होती है इसलिए मैंने कहा था कि फुर्सत से लोग बोलें इसीलिए कल के लिए आग्रह किया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब एक बार शुरू तो हो गया है सबको बोलवा दीजिए। सबकी इच्छा है, सबका क्षेत्र है, चलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आज तीनों विषय पर सब बोलें यह तो जरूरी नहीं हैं न।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोसीर में महाविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत लंबे समय से मांग है जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। जल्द से जल्द महाविद्यालय की स्थापना करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए शर्मा मैडम आप भी बोलें और जो लिखकर लाये हैं उसमें से वही पढ़ें जो आपके क्षेत्र का हो।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री के बजट प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र रायपुर राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत होने के साथ-साथ ग्रामीण होने के बावजूद आज तक कन्या महाविद्यालय का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि अगर हमें बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक कन्या महाविद्यालय खोलने का अथवा स्वीकृति देने का कष्ट करें। मेरे विधानसभा के अंतर्गत टेकारी में एक बहुत ही बड़ा शासकीय प्रांगण खाली है जिसमें आसपास के ग्रामीणों की बहुत दिनों से मांग है कि यहां पर खेलकूद के लिए स्टेडियम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि ग्राम टेकारी में ग्रामवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम की स्वीकृति देने का कष्ट करें। मेरा विधानसभा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण क्षेत्रवासियों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र खरोरा एवं धरसींवा में व्यायाम शाला स्वीकृति देने की कष्ट करें। इसमें क्षेत्रवासी व्यायाम करके स्वस्थ रह सकेंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र मे अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर स्थापित किये जायें जिससे मेरे विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासी कौशल योजना का पूर्ण रूप से लाभ ले सकें क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक रूप से परिपूर्ण है, जिससे उसका पूरा लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगी। पेण्ड्रा नगर पंचायत में एक कॉलेज है, जहां ढाई हजार से लेकर तीन हजार तक छात्र छात्राएं हैं। वहां पोस्ट ग्रेजवेशन की भी क्लासेस चल रही है। विगत वर्ष वहां की महिला प्राचार्य की कुछ लापरवाही और यूनिवर्सिटी की वजह से एम.एस.सी की जियोलाजी और कैमेस्ट्री की एक भी छात्र का दाखिला नहीं हुआ। प्रति 15 साल से वहां 50 बच्चे इन दोनों विषयों में पढ़ रहे थे, उसकी पुनरावृत्ति इस वर्ष न हो। पेण्ड्रा में भी शासकीय कॉलेज है, पर वहां की संख्या मात्र 600 है बिल्डिंग श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जी के कार्यकाल में इतनी बड़ी बनी है कि ऊपर का पूरा फ्लोर खाली रहता है। यदि पोस्ट ग्रेजवेशन कोर्स वहां भी शुरू कर दें ताकि ये जो विसंगतियां जो संख्या की है ढाई तीन हजार एक में और छः सौ में एक की तो वो दूर हो जायेगी। इन कॉलेजेस में, चूंकि ट्राइवल क्षेत्र में स्थित हैं, यदि पचास पचास कन्या सीटर और छात्रों के लिए आदिवासी हास्टल खोल दिया जाये तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सब कॉलेज बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेई यूनिवर्सिटी से संबंधित है। पिछले वर्ष दुर्भाग्य का कारण है कि हम सब उनका सम्मान तो करते हैं, पर वहां कालेजेस का रिजल्ट इतना खराब था कि अगर आप आंकलन करेंगे कि यूनिवर्सिटी में भी एक क्लास में एक ही बच्चा पास हुआ। स्टैंडर्ड का सुधारने की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। नामकरण हमारी पिछली सरकार ने अटल बिहारी वाजपेई जी के नाम पर किया तो मैं उसका स्वागत तो करती हूं पर उनकी नाम के अनुरूप उनकी गुणवत्ता भी रहे। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा विभिन्न कॉलेजेस में मोबाईल बांटे गये थे और अभी भी करीब दो हजार मोबाईल पेण्ड्रा गौरेला के ही कॉलेजेस में बिना बटे रखे हैं, शासन चूंकि अब योजना को बंद कर दी है तो उसे पास वापस मंगवा लें ताकि उसका जो भी यूस करना हो। मैं खेलकूद के बारे में ही अंतिम बात कहना चाहती हूं कि शिवतरई में आपने मिनी स्टेडियम के लिये राशि स्वीकृत की है, पर वहां 100 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वहां के लोग तीरंदाजी, कबड्डी क्रिकेट, दौड़ आदि खेलों में जीत चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टैक बनना जरूरी है। मैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए एक ही स्टेडियम की मांग करती हूं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अगर बनवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं उसके लिये अनुगृहित रहूंगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री यू.डी. मिंज (कुनकुरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आप दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्री यू.डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारी सरकार उच्च शिक्षा गुणवत्ता पर कटिबद्ध है और उसी की शुरूआत करते हुए हमारी सरकार ने जो सहायक प्राध्यापकों के 1347 पद है, उसकी प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है। हमारी सरकार ने हमारे जिले के दो विकासखण्ड दुलदुला और मनोरा में आई.टी.आई. की स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और 33 आई.टी.आई., पुराने आई.टी.आई. में नये ट्रेड खोले जा रहे हैं मैं उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जशपुर जिले में कौशल विकास को लेकर 98 एन.जी.ओस. का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 20 एन.जी.ओस. को काम दिये गये थे। जिसमें से 12 एन.जी.ओ. सिर्फ दो लोगों के थे। जिनको काम मिला, उनके कौशल विकास में किसका क्या लाभ हुआ? ये एक जांच का विषय है उसमें कितने प्लेसमेंट किये गये? जबकि कौशल विकास में शतप्रतिशत प्लेसमेंट किया जाना चाहिए। वह भी एक जांच का विषय है। जिसको प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जशपुर जिले को लेकर और मेरे विधान सभा को लेकर, कॉलेज, महाविद्यालय को लेकर कुछ प्रमुख मांगे हैं। जैसे फरसाबहार एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, जिसमें लगभग 1200 बच्चे हायर सेकेण्डरी पास करके निकलते हैं। वहां महाविद्यालय नहीं है। अगर वहां माननीय मंत्री जी, एक महाविद्यालय स्वीकृत कर दें तो क्षेत्र को बहुत फायदा होता। जशपुर के महाविद्यालय में भी 08 प्रोफेसर के स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 06 पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी 16 पद खाली हैं और स्पोर्ट ऑफिसर का पद रिक्त पड़ा हुआ है। उसे भी जल्दी भरते तो वहां के बच्चों को फायदा होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुनकुरी के महाविद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त है, उसमें रेग्युलर प्राचार्य का पद देते तो उन लोगों को फायदा होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जशपुर जिले बहुत अग्रणी रहा है। वहां से लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी निकलते रहे हैं। वहां जब वर्ष 2003 तक हमारी सरकार थी तब एस्ट्रोटर्फ लगाये जाने का प्रावधान किया गया था। पर आज तक जशपुर में एस्ट्रोटर्फ नहीं लगा है और अभी वह प्रक्रिया चालू हुई है। मालूम नहीं, वह कब लगेगा? मैं कुनकुरी के लिए भी एक एस्ट्रोटर्फ की मांग करता हूँ क्योंकि वहां भी हॉकी की प्रतिभाएं बहुत ज्यादा हैं। लगातार कोई भी

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

टूर्नामेंट्स होते हैं कम से कम 50 से 100 टीमें हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं और अगर वहां एस्ट्रोटर्फ लगता है तो उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माहौल खेलने के लिए मिलेगा। अभी ...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री यू.डी. मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैं एक छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ। अभी वहां से दो बच्चियां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलने के लिए जा रही हैं, उससे वहां जो एक खेल का माहौल है, वह समझ में आता है। जशपुर जिला एक बहुत खूबसूरत जिला है। जहां नदी नाले पहाड़ वगैरह सारे हैं तो वहां एडवेंचर स्पोर्ट्स को अगर प्रमोट करते तो वहां पर्यटन की दृष्टि से बहुत फायदा होता। वहां आराम से बहुत अच्छा माहौल है। हैंगलाईडिंग, पैरासेलिंग, पैराड्रापिंग और रॉक क्लाइमिंग को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं इसमें वन विभाग और पर्यटन विभाग का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। इससे वहां के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया,उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री नारायण चंदेल, पड़ोसी का ख्याल रखते हुए जल्दी समाप्त करें।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके क्षेत्र की जो समस्या है, उसके बारे में बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हमारा जांजगीर-चांपा जिला, हमारे जिला मुख्यालय का जो कॉलेज है, वह बहुत पुराना कॉलेज है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। विभाग महत्वपूर्ण है या जांजगीर-चांपा जिला महत्वपूर्ण है, आप ये थोड़ा सा क्लियर करें?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों महत्वपूर्ण है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका कारण क्या है ? उन्होंने आपसे समय लिया है कि आपके क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने इसके लिए कोई प्रेशर नहीं डाला है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दिन भर माननीय बृजमोहन जी सोये हैं और अभी जगे हैं। इनके जगने का टाईम हो रहा है और बाकी लोगों के सोने का टाईम हो रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे एक सामान्य चर्चा में भले अभी हंसी मजाक में ये बोल रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो भी वहां अध्यक्ष रहें, उनको हर डिपार्टमेंट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में अपना एक चिट नीचे भिजवा दें ताकि उनकी बात भी यहां से हम लोग कह सकें। आपकी बात हम लोग यहां से कह सकें, बाकी तो आप वहां से कह ही सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं कि कौन-कौन मेरी बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले का अग्रणी महाविद्यालय ठाकुर छेदीलाल शासकीय महाविद्यालय जांजगीर है। वह बहुत पुराना कालेज है, वहां अभी 2200 से ऊपर दर्ज संख्या है, लेकिन उसकी बिल्डिंग 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग है और बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण हो गई है, 800 की क्षमता की बिल्डिंग है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां नवीन बिल्डिंग, नया कालेज भवन स्वीकृत करने का कष्ट करें। जांजगीर महाविद्यालय में खेल का मैदान नहीं है, एक सुसज्जित खेल का मैदान या खेल परिसर जिला मुख्यालय में स्वीकृत करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हाकी की नर्सरी है, जिस तरीके से राजनांदगांव और जशपुर में हाकी होती है।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे आप कौन सा खेल खेलते हैं? कबड्डी, फुटबाल जैसे खेल खेलते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- राजनीति का खेल। बैठ न थोड़ा, चुप रह ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो खेल आप नहीं खेलते, वह भी खेलते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह शूटिंग करते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, हाकी की नर्सरी है, एकाध बार आप जा करके देखें या किसी को भेज करके दिखवा लें, 10, 12, 15 साल के बच्चे भी प्रतिदिन वहां सुबह और शाम हाकी के मैदान में जाते हैं। लेकिन कोई अच्छा ग्राउण्ड नहीं है, अगर एस्ट्रोटर्फ हो जाये तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजनांदगांव और जशपुर से कम नहीं है, इसलिए उसका अध्ययन करवा लें। माननीय अध्यक्ष जी, शासकीय महाविद्यालय चांपा, जांजगीर व नवागढ़ में प्राध्यापकों की कमी है। चांपा नगर में कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है, बड़ी जगह है। नवागढ़ हमारा विकासखंड मुख्यालय है और थोड़ा सुदूर क्षेत्र पड़ता है, जिला मुख्यालय से दुरस्थ है। वहां पर एक आई.टी.आई. हो जाये, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां एक आई.टी.आई. प्रांरभ करने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां लॉ कालेज भी है और एल.एल.एम. भी है और पूर्व सरकार ने खोला है। एल.एल.एम. जब माननीय हेमचंद यादव जी शिक्षा मंत्री थे, उनकी देन है, आई.टी.आई. और टसर कालेज अजय चन्द्राकर जी की देन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, इन्होंने पॉलीटेक्निक भी दिया था, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। इसलिए आपसे निवेदन है इतनी सारी चीजें हो जातीं तो बेहतर होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़िया। धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय महोदय, इन्होंने आपसे समय लिया कि मैं आपके क्षेत्र की बात करूंगा। इन्होंने सक्ती के बारे में एक लाईन नहीं कहा। आपके द्वारा प्रताड़ित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- इनने एक बात, एक लाईन भी नहीं बोली। चलिये, माननीय मंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उमेश पटेल जी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हम उनमें उनके पिता नंदकुमार पटेल जी की छवि देखते हैं। वह हमारे मित्र भी रहे, हमने उनको मंत्री के रूप में भी देखा, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी देखा, प्रतिपक्ष के साथी के रूप में भी देखा है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि ये उनकी छवि को बरकरार रखेंगे और अपने कामों के माध्यम से अपना एक स्थान बनायेंगे। हमारी सबकी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोहा के माध्यम से ओकरे लिए धन्यवाद देय बर बोलना चाहत हौं। ओकरे लगे हुए क्षेत्र हे, ओकरे हमन धन्यवाद देत हौं। महोदय जी :-

जैसने-जैसने घर कुरिया, जैसने-जैसने फईका,

अउ जैसने-जैसने दाई ददा, तैसने-तैसने लईका।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी दोनों के लिए के लिए हे। जिस प्रकार से स्वर्गीय शहीद नंदकुमार पटेल जी के पूरा देश में नाम हे, आज जीते जागते इहां पर जोगनी कस बरत हे। पूरा देश, प्रदेश ला, मोला विश्वास हे जैसने पिता जी के नाम रहिस हे, ओला अउ आगे बढ़ाई। बस अतकी कहय बर खड़े रहेन। मोर एक विषय हे, आपे मन के क्षेत्र से लगे हन महू हन। छोटे में रहिन तो कहावत हे, छोटे के संग रह गये तो कटाय दोनों कान, बड़े के संग रह गये तो खाय बीड़ा पान। ए मंत्री जी के तीर मा मोर क्षेत्र हवय, तो मोर क्षेत्र में कालेज नई हय, नगर पंचायत अड़भार में जहां अष्टभुजी माँ है, मैं निवेदन करिहौं कि आप जो हे जहां अष्भुजी माँ के दरबार हे, वहां पर कालेज के लिए प्रार्थना करत हन। अतका कह कर अपनी बात समाप्त करत हौं, आप समय दिये ओकर बर धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ओकरे संग रेंगे करना भैया, तें हा आने मन संग काबर रेंगत हस ? ओकर संग रेंग ता कछु मिलिही ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री अजय चंद्राकर जी, आदरणीय शैलेश पाण्डेय जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, आदरणीया श्रीमती रश्मि सिंह जी, श्रीमती इंदु बंजारे जी, आदरणीय श्री चंद्रदेवप्रसाद राय जी, आदरणीय रेखचंद जैन जी, आदरणीय श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी, आदरणीया डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय लालजीत सिंह राठिया जी, आदणीय उत्तरी जांगड़े जी, आदरणीया अनिता योगेंद्र शर्मा जी, आदरणीया डॉ. रेणु

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अजीत जोगी जी, आदरणीय यू.डी. मिंज जी, आदरणीय श्री नारायण चंदेल जी इन सभी ने इस बजट भाषण में भाग लिया इसके लिये आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी की बात को काफी ध्यान से सुन रहा था और काफी चीजें कही गयी हैं । सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूंगा कि अलग-अलग विभाग के हिसाब से जो बजट आवंटन हुआ है तकनीकी शिक्षा में लगभग 398.21 करोड़, उच्च शिक्षा में लगभग 741 करोड़, विज्ञान एवं तकनीकी में लगभग 22.10 करोड़ और खेल एवं युवक कल्याण में लगभग 51 करोड़ के आसपास की राशि का प्रावधान या मांग रखी गयी है । आदरणीय अजय चंद्राकर जी, तकनीकी शिक्षा में जो बजट आवंटन हुआ है, यह पिछले साल के बजट से लगभग 1.6 परसेंट बढ़ा है । उच्च शिक्षा में भी इसी तरह से लगभग 10 परसेंट की बढ़ौत्तरी हुई है । विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में लगभग 1.15 परसेंट की कमी हुई है और खेल एवं युवक कल्याण में लगभग 16 करोड़ की कटौती हुई है तो ओवरऑल इन विभागों में पिछले साल से बढ़ौत्तरी हुई है । आप सभी ने कहा खासकर आदरणीय अजय चंद्राकर जी और आदरणीय बांधी जी ने कि संतुलन बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, किस जगह पर कॉलेज हो, कहां खुले यह हमें देखने की जरूरत है, सर्वे होना चाहिए और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें कॉलेज कहीं पर भी नहीं खोलना चाहिए और मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन पिछली सरकार ने इस बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा और कहीं पर भी कॉलेज को खोला । 12 किलोमीटर दूर में एक कॉलेज, 10 किलोमीटर दूर में एक कॉलेज इसीलिये इस विभाग ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में डिमांड के आधार पर कॉलेज खोला जायेगा, जहां जिस विभाग का डिमांड होगा उस जगह पर कॉलेज होगा और ऐसे ही कहीं पर भी कॉलेज नहीं खोला जायेगा तो आप जो संतुलन की बात कर रहे थे तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि यदि डिमांड के आधार पर हम इस पर काम करना शुरू करेंगे तो संतुलन भी बनेगा, सभी क्षेत्रों को मौका भी मिलेगा और हमारा जो डिस्ट्रिब्यूशन है वह सभी जगह आयेगा । आप सबने, खासतौर पर श्री अजय चंद्राकर जी ने कहा कि नवाचार पर आप सबको काम करना चाहिए तो मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा । नया काम करने के लिये यह जरूरी नहीं है कि हमें वित्त की जरूरत है या पैसे की जरूरत है, हम छोटी-छोटी चीजों से नये काम कर सकते हैं । अभी हमने हमारे सारे कॉलेजों में हांलाकि उसको एक पॉयलेट प्रोजेक्ट की तरह एक कॉलेज में उसको शुरू कर रहे हैं लेकिन हर कॉलेज में हेल्प डेस्क स्टूडेंट को फोकस रखते हुए हेल्प डेस्क बनाने का हमने निर्देश जारी किया है क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने स्वयं इस बात को रियलाईज किया कि जब स्टूडेंट को प्राब्लम आती है तो वह अपने विभाग के अध्यक्ष या एचओडी के पास या प्रिंसिपल के रूम में जाने से घबराता है और 6-6, 7-7, 8-8 घंटे तक उसकी बहुत छोटी-छोटी क्वेरी भी सॉल्व नहीं होती है तो इसलिये हम लोगों ने यह नया काम शुरू किया है, बिना कोई नये स्टाफ के, बिना कोई नये बजट के कॉलेज में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पॉयलेट प्रोजेक्ट की तरह हम लोग शुरू कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में सभी कॉलेजों में यह हेल्प डेस्क बनेगा, मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ डिटेल बताता हूं । संस्था के एक अधिकारी को हेल्प डेस्क प्रभारी नियुक्त किया जाएगा, जो हेल्प डेस्क का संचालन करेगा । हेल्प डेस्क संस्था के प्रवेश द्वार, कॉरीडोर या छात्रों के लिए सुगम स्थान पर इसकी स्थापना की जाएगी । हेल्प डेस्क द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न क्वेरी या समस्याओं का निराकरण किया जाएगा । रजिस्टर में प्रकरण दर्ज किया जाएगा । हेल्प डेस्क प्रभारी अधिकारी प्रकरण के निराकरण हेतु तुरंत कार्यवाही करेंगे । संस्था के प्राचार्य या विभागाध्यक्ष कम से कम प्रतिमाह हेल्प डेस्क की कार्यवाही का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे । ये हेल्प डेस्क प्रतिदिन रिसेस के समय एक घंटा लगाया जाएगा । यह हम लोगों ने नया काम शुरू किया है ।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने सिलेबस के बारे में कहा, सिलेबस कई सालों से चला आ रहा है । दिन प्रतिदिन नई टेक्नालॉजी आ रही हैं, यदि उन्हें पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा जाता है तो हमारा स्टूडेंट कहीं न कहीं, जब उसे अखिल भारतीय स्तर पर उसे कॉम्पीटीशन करना होगा तो पीछे रहेगा । मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेज, यू.जी. केवल के कॉलेज, सभी जगह पाठ्यक्रम को अपडेट करने के लिए काम प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी पाठ्यक्रम अपडेट होगा । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी ने इस बात को जाहिर किया, आदरणीय शैलेश पांडे जी कह रहे थे, बांधी जी भी कह रहे थे कि हमें गुणवत्ता पर काम करना पड़ेगा । बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूं । गुणवत्ता सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं । हमारी सरकार ने दो चीजों के बारे में सोचा है, जो हम करने जा रहे हैं । सबसे पहले क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है । जहां-जहां कमी है, चाहे सहायक प्राध्यापक हो, प्राध्यापक हो, क्रीड़ा अधिकारी हो या ग्रंथपाल हो, इन सभी पदों पर हम भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं । एक जगह का विज्ञापन हमने निकाल दिया है और आने वाले समय में इन रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नैक, एमबीए, एनसीबीटी जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है जिस पर हमारा काम चल रहा है । कई कॉलेज इसमें आ चुके हैं और साथ ही साथ राज्य उच्च शिक्षा परिषद का भी गठन हमने किया है । इस शिक्षा परिषद का काम हमें एडवाइस करने का रहेगा कि हम किस तरह से गुणवत्ता सुधार सकते हैं, उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हमको गुणवत्ता में सुधार करना है, यह परिषद हमको बताएगा । हमने इसका गठन किया है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुणावत्ता को सुधारने के लिए हमने एक काम और किया है, हालांकि यह चल रहा था । स्टाफ, जो प्राध्यापक हैं, सहायक प्राध्यापक हैं या प्राचार्य हैं इनकी ट्रेनिंग का काम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हम शुरू कर हैं । यह कार्य चल रहा था लेकिन जो ट्रेनिंग हो रही थी उससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे । हमने इनके ट्रेनिंग के सिलेबस को अपडेट किया है । जब कोई व्यक्ति प्राध्यापक से प्राचार्य के लिए प्रमोट होता है तो उसे सिर्फ टेक्नीकल, पढ़ाई लिखाई के काम के अलावा, मैनेजमेंट का काम भी करना पड़ता है, उसे साइन करना पड़ता है, चेक निकालना पड़ता है, पैसा निकलवाना पड़ता है । उसमें उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इसीलिए हम लोगों ने ट्रेनिंग का नया सिस्टम चालू किया है । हालांकि यह पहले से चल रहा था लेकिन इसमें हमने सिलेबस को अपडेट किया है । पहले 6 दिन के लिए होता था, इसको 3 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया है और सभी लोगों को धीरे-धीरे प्रशिक्षित करते हुए, सभी शिक्षकों और प्राचार्यों को भेजा जाएगा ताकि इसमें गुणवत्ता में सुधार आ सके । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार पर बहुत सारी बात हुई । आदरणीय बांधी जी भी बोल रहे थे, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी भी बोल रहे थे, शैलेश पांडे जी ने भी कहा, जब तक इसको रोजगार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो उच्च शिक्षा का उपयोग नहीं है । मैं बिल्कुल सहमत हूं । प्लेसमेंट सेल हर जगह है। कई जगह नहीं हैं। हमने निर्देश जारी किया है कि हर जगह हर कॉलेज में अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट सेल बने और जहां बने हैं, उसको रिएक्टिवेट करने का काम हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज हमारे कई ऐसे लोग हैं जो आज हमारे यहां से पढ़कर अच्छी जगहों पर प्लेस्ड हैं। इन प्लेसमेंट सेल के जरिये उन सब लोगों का हम लोग डेटाबेस तैयार कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में ये लोग हमारे लिए ब्रैंड एम्बेस्डर की तरह काम कर सकते हैं। ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, इनके जरिये हम उनसे जुड़ेंगे और उनको बतायेंगे कि ये जो आपके यहां काम कर रहा है इस तरह के स्टूडेंट हमारे यहां और हैं आप कैंपस के जरिए आइए और ऐसे और स्टूडेंट को लेकर जाइए। यह काम भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। विजन खेल में कई सारी बातें आती हैं। खेल का बजट कम हो गया। चन्द्राकर जी कह रहे थे कि खेल का बजट कम कर दिया। खेल में कोई विजन नहीं है। क्या करने जा रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार थी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। पिछली सरकार का जो फोकस था खेल विभाग पर वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट में था। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे। मैं इस बात पर आपको भी कहना चाहूंगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया लेकिन किसी भी नेशनल लेवल के खेल में आप जाकर देखिए। छत्तीसगढ़ का रैंक 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर, 40 नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया लेकिन हमारा फोकस अपने खिलाडियों पर नहीं रहा। इस सरकार का फोकस खिलाड़ियों पर है और इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमने 5 संभागों के लिए प्रत्येक संभाग में 11 प्रशिक्षक के लिए टोटल 55 प्रशिक्षक के लिए आपसे बजट की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायाम शाला स्थापित करने के लिए 75 लाख की मांग की है। आदरणीय धर्मजीत सिंह जी बहुत ही आदरणीय कह रहे थे कि खेल एकेडमी और बिलासपुर को लेकर काफी चिंतित थे तो रायपुर खेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अकादमी की योजना के लिए जहां बोर्डिंग भी हो। डेशकॉलर में एकेडमी का उतना मतलब नहीं होता आदरणीय धर्मजीत सिंह जी। इसलिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि वहां बोर्डिंग की भी सुविधा हो और जो अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि उनके डाइट का ध्यान नहीं रखा। बिल्कुल सही बात है। हमने डाइट का ध्यान नहीं रखा। उनके प्रॉपर डाइट की व्यवस्था करने का काम यह सरकार करने वाली है और उसके लिए हमने 4 करोड़ 8 लाख 76 हजार आपसे मांग की है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल-कूद में माननीय मंत्री जी जरा कुछ ऐसे भी निर्णय हो जाएं कि जो 100 मीटर स्प्रींट मारता हो, इतने सेकण्ड में मार देता हो तो हम उसको ऐसा ही नाम देंगे। 200, 400 मैराथन पर हो। हाई जम्प का जो नेशनल इंडीकेटर हैं, उस इंडीकेटर के अनुसार अगर कोई हमारे प्रदेश का कोई ओपन स्पोट्समैन सामने आता है तो हम उन्हें भी कुछ स्कॉलरशीप से या कुछ प्रोत्साहन से देने का इसमें से कुछ फैसला करें। इसी तरीके से अगर कहीं स्किल्ड है। बहुत से ऐसे क्षेत्रों में खेल-कूद के लिए कोई क्षेत्र ऐसा रहता है कि कबड्डी में खेलता है। सलेक्ट करें कि कौन ऐसा बेहतर स्पोर्ट्समैन है जो कबड्डी खेलता है। क्रिकेट में कौन है? ऐसा एकेडमी बनाकर करेंगे तो गांव के जो खेल-कूद के प्रति आप चिंता कर रहे हैं तभी केलीबर सामने आयेगा। तभी क्वालिटी आयेगा। फिर उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़े। हमारा पहला फोकस क्वालिटी चयन पर है। हमारे पास किस क्वालिटी का लेवल है?

श्री उमेश पटेल :- मैं आपसे यही तो कह रहा था कि हमारे यहां पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमारा फोकस खिलाड़ियों पर गया है और हम उसी को बदलना चाह रहे हैं। हमारा फोकस खिलाड़ियों पर होना चाहिए और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो कोचेस की जरूरत है, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अकादमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे रायपुर हो। बिलासपुर के लिए भी हमने इसी के लिए 2 करोड़ 3 लाख 78 हजार के बजट की मांग आप लोगों के सामने रखी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश के 27 जिलों में रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र तथा 14 मॉडल कैरियर सेन्टर भी बनाये हैं। लेकिन वर्ष 2018-19 में कुल 345 रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैम्प की व्यवस्था की थी। जिसमें लगभग 7,704 युवाओं को रोजगार मिला है। प्रदेश में प्रथम बार दिनांक 06.02.2019 को दिव्यांगजनों के प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया था, जिसमें 34 आवेदकों का चयन किया गया है। यह काम भी पहली बार हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इंजीनयरिंग स्टूडेंट के लिए 10.02.2019 को प्लेसमेंट कैम्प लगाया गया था, जिसमें 1,898 आवेदकों ने भाग लिया था। इसमें 4 आवेदकों को चयन किया गया है। हमने मेडिकल के क्षेत्र में भी प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन दिनांक 22.02.2019 को किया गया था। जिसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

157 आवेदकों का चयन हुआ है। इसी तरह से पॉलीटेक्निक के क्षेत्र में भी प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया था, जिसमें 45 आवेदकों का चयन किया गया है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि जहां ट्रेड नहीं है, उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 33 आई0आई0टीज0 के लिए अतिरिक्त ट्रेड का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 8 आई0टी0आईज0 में नये ट्रेड, जो शायद हिन्दुस्तान में पहली ये ट्रेड आ रहे हैं। इसमें से एक स्मार्ट एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, स्मार्ट सिटी टेक्नीशियन, स्मार्ट टेस्टिंग टेक्नीशियन जैसे आधुनिक ट्रेड हम लोग पहली बार ला रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपके छततीसगढ़ में आई0टी0आई0 में टोटल कितने ट्रेड हैं ? आप जो नये ट्रेड लाये हो, उसके लिए बधाई ले लो। आपने अच्छी शुरूआत की है। अभी टोटल ट्रेड कितने हैं ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग आई0टी0आईज0 में विद्युतकर ट्रेडर और फीडर का ट्रेड खोलने जा रहे हैं। हम लोगों ने जिसके लिए 15 करोड़ 80 लाख रूपये का इस बजट में प्रावधान रखा है। जिसमें से कम से कम 2 हजार अतिरिक्त युवाओं को प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में आदरणीय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि जी0ई0आर0 3 प्रतिशत था, जब हमारा राज्य बना था। अभी लगभग 18 प्रतिशत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें हम लोगों को काम करने की जरूरत है। यह जितना बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग प्रायवेट एक्जाम देने वालो की संख्या को जोड़ देंगे, तो छत्तीसगढ़ में यह लगभग-लगभग 23 से 24 प्रतिशत तक आयेगा। तो यह ऐसा नहीं है कि 18 प्रतिशत जो दिख रहा है, वह 18 प्रतिशत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने गवर्नमेंट का कहा था।

श्री उमेश पटेल :- जी, बिलकुल है। 18 प्रतिशत के आसपास गवर्नमेंट का है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में यह और बढ़े और नेशनल लेवल से आगे बढ़ सकें, यह हमारी कोशिश रहेगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उमेश जी, आप जी0ई0आर0 को बढ़ाने के लिए रायपुर में 5 हजार छात्रों का छात्रावास बनना है। पिछले 2-3 साल से प्रोसेस में है। रायपुर और बिलासपुर में इन बच्चों का छात्रावास बनता है तो गांव के बच्चे शहरो में, क्योंकि अब राजधानी में आकर, बिलासपुर में आकर, भिलाई-दुर्ग में आकर पढ़ना चाहते हैं। तो अगर गांव के बच्चों के लिए रहने का महाविद्यालय बन जाये और छात्रावास बन जाये तो हम जी0ई0आर0 को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये सेग्शन है। परन्तु निर्माण शुरू नहीं हुआ है। उन छात्रावासों का निर्माण शुरू हो जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बृजमोहन जी ने कहा....।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हॉस्टल के लिए उपयोजना का भी एससी, एसटी सब योजना के लिए आपके पास बजट है । हॉस्टल बनाने के लिए बढ़िया सा निर्णय करिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात रखी, उसको मैं दिखवा लूंगा कि उसका स्टेटस क्या है और अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो उसमें जल्दी से काम शुरू हो जायेगा ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा विभाग में शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या कुल 8 है और निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की संख्या 13 है । हम लोगों ने जो घोषणा-पत्र जारी किया था, उसमें सभी जिलों में कन्या महाविद्यालय खोलने की बात कही थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने घोषणा-पत्र में लिख दिया होगा, वह अलग बात है । मैं घोषणा-पत्र का उदाहरण देता हूं, पर आज के जमाने में ये जेंडर डिफरेंस नहीं होता । को-एजुकेशन का जमाना है । उसकी जगह में आप उस पैसे को दूसरी जगह में लगाईए, भले ही आपने घोषणा-पत्र में लिखा हो, कालेज स्तर में आजकल दुनिया में कहीं महिला कॉलेज नहीं खोलते ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 18 जिलों में कन्या महाविद्यालय स्थापित हुआ है और चार जगह बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कोण्डागांव में मॉडल कालेज बनने जा रहे हैं तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आने वाले समय में कन्या महाविद्यालय बनाने का काम किया जायेगा और इस साल हम लोगों ने बालोद में कन्या महाविद्यालय के लिए लगभग 100 लाख रूपये की मांग विधान सभा में रखी है । इसी तरह से आपने कहा, जेंडर प्रायरिटी पर आपने बात रखी थी। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के गठन के समय में ये लगभग .7 परसेंट था और अब ये बढ़कर 1.46 हो गया है । इसमें दोनों तरह की बातें हैं । इसको हम लोग अपनी उपलब्धि की तरह जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है, मैं इस पर कोई प्रश्नवाचन चिह्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 1.46 हुआ है, एक मेल स्टूडेंट के सामने 1.46 गर्ल्स स्टूडेंट का अगर ऐसा अनुपात है तो हमारे यहां के जो मेल स्टूडेंट हैं, वे छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ने जा रहे हैं । इसका मतलब ये भी है तो इसको लेकर हमें अपना पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेल स्टूडेंट इसलिए बाहर जा रहा है, जो मैंने बात कही कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपके जो तकनीकी संस्थान् हैं, आपके रोजगार प्रशिक्षण की जो संस्थाएं हैं, उसमें रोजगारमूलक या जिन क्षेत्रों में जरूरत है, उनकी फैकल्टी नहीं है, न किसी तरह का ट्रेड नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा था कि इसको हम लोग जरूर अपनी उपलब्धि की तरह बता सकते हैं, लेकिन ये जो गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है, वह उपलब्धि है, लेकिन अगर मेल स्टूडेंट की संख्या घट रही है तो इसके ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है और जब छत्तीसगढ़ बना था तो कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 79 हजार के आसपास थी, जो अब बढ़कर शासकीय कॉलेज में 2 लाख, 26 हजार, 373 हो चुकी है । महाविद्यालयों की संख्या लगभग 252 है और इनकी चिन्ता का यह विषय है और छात्र-छात्राओ की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए हम लोगों ने सहायक पद के रिक्त पदों के विरूद्ध 1384 पदों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी हो चुका है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपने शासकीय महाविद्यालय की संख्या बतायी । आज जो क्रेज है, उसमें सब अपने बच्चों को इंग्लिस मीडियम की शिक्षा दिला रहे हैं । प्रदेश में इंग्लिस मीडियम के कॉलेज होने चाहिए । इसके चलते लोग बाहर जा रहे हैं । पिछली सरकार में एक नीतिगत निर्णय हुआ था कि हर जिले में एक इंग्लिस मीडियम का कॉलेज शुरू करेंगे । शायद शुरू नहीं हो पाया, उस पर थोड़ा ध्यान दें ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग उस पर भी विचार करेंगे । प्राध्यापक के 595 पद रिक्त हैं और बहुत लंबे समय से खाली हैं । ये निर्णय लिया गया है कि इसमें भी काम चल रहा है और इसमें भी बहुत जल्दी पद हम लोग निकालेंगे । क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल, रजिस्ट्रार के भी बहुत से पद खाली हैं । उन पदों को भी भरने का काम सरकार करने वाली है । इसी तरह से बहुत से प्रमोशन के पद भी रिक्त हैं । चाहे वह रजिस्ट्रार हो, यूजी प्रिंसिपल हो, पी.जी.प्रिंसिपल हो, इवन प्रोफेसर हो । अध्यक्ष महोदय, अभी हमने उसके लिए आदेश जरूर निकाला था । लेकिन विभाग के द्वारा सभी जगह डी.पी.सी. किया जायेगा और जहां-जहां प्रमोशन के लायक लोग होंगे, वहां-वहां उनको भरा जायेगा । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना भी है, वह है नैक का संचालन । इसमें आज ग्रेड ए में हमारे दो विश्वविद्यालय हैं । एक इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, दूसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं ए ग्रेड के 6 महाविद्यालय हैं तथा शासकीय विज्ञान कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग है, इसी तरह से शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर, ई राघवेन्द्रराव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर, शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा, महाविद्यालय बिलासपुर, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर, सी.एम.डी. महाविद्यालय बिलासपुर, अब तकप्रदेश में लगभग 89 महाविद्यालय और 4 विश्वविद्यालयों को नैक से मूल्यांकन किया जा चुका है । यह उनके ग्रेडिंग सिस्टम में आ चुके हैं । अभी बहुत से कॉलेज नहीं आये हैं । अब उन पर भी काम है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा जो कॉलेज है, बीबी प्लस है । उसको यूजीसी से पैसा मिलना है । वह पैसा डायरेक्ट्रेट में खाता में इधर चल दिया है, उधर चल दिया है, बहुत दिन से घुम रहा है । आप दिखवा लेना । कुरूद का है ।

श्री उमेश पटेल :- जी, बिल्कुल । 89 और 4 विश्वविद्यालय में नेक का मूल्यांकन हो चुके हैं, बहुत सारे अभी बचे हैं । जिस पर टारगेटेड काम करने की जरूरत है । विभाग को यही निर्देश दिये गये हैं । इन महाविद्यालयों को नैक को पूरा करने की जो-जो आवश्यकतायें हैं, उन आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने का काम यह सरकार करने वाली है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से स्नातकोत्तर स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों में रोस्टर प्रणाली लागू करने का काम हम लोग करने वाले हैं । राज्य में उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया है । महिला शिक्षा को बढ़ावा देने केलिए 21 महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं । शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर तक छात्राओं को शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने 32 नये कॉलेज खोले थे । उन सभी महाविद्यालय को यूजीसी की धारा 2 एफ और 12 बी के अंतर्गत पंजीयन के लिए सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव प्रेषण किया गया है । वर्ष 2019-2020 में प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय पाठयक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायक प्राध्यापक 45 लैब शाला तकनीशियन 19 और प्रयोगशाला परिचारक 16 कुल 80 पदों का प्रावधान किया गया है । इसके लिए 500 लाखका प्रावधान किया गया है । इसकी मांग मैं आपके सामने रखता हूँ । वर्ष 2019-2020 में शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय पाठयक्रम आरंभ करने के लिए प्राध्यापक 45, प्रयोगशाला तकनीशियन 17, प्रयोगशाला परिचारक 18 इस तरह से 80 पदो का प्रावधान है, इसके लिए 500 लाख का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2019-2020 में कन्या महाविद्यालय बालोद के भवन निर्माण हेतु 2 लाख रूपये के बजट का प्रावधान है । वर्ष 2019-2020 में शासकीय महाविद्यालय खरसिया, में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 40 लाख बजट का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2019-2020 में शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय में डोम सेट निर्माण के लिए 80 लाखके बजट का प्रावधान है, वर्ष 2019-2020 में उच्च शिक्षा संचालनालय के आई.टी.प्रकोष्ठ हेतु कम्प्यूटर सामग्री एवं फर्नीचर के लिए 7 लाख का प्रावधान है । विभाग में आधुनिक नवीन तकनीकी का प्रयोग भी किया जा रहा है । सभी महाविद्यालयों को संवाद हेतु ग्रुप ई मेल से जोड़ा जा रहा है। समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को 10.30 से 5.30 तक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए अनिवार्यता की गई है । बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं । सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयो को स्वयं का व्यावसायिक बनाने के लिए निर्देश भी दिये गये हैं, जिसे उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट से जोड़ा जायेगा। बी.पी.एल. बुक योजना के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अंतर्गत बी.पी.एल. छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक महाविद्यालय द्वारा क्रय कर नि:शुल्क प्रदान किये जाने के लिए बजट में 50 लाख रूपये का प्रावधान है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप बुक बैंक से जो पुस्तकें देते हैं, ठीक परीक्षा के समय पुस्तकें वापस ले लेते हैं। तो उसे एक्जाम के बाद वापस लें यह बात सुनिश्चित हो जाए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये सुनिश्चित किया जायेगा कि अगले समय परीक्षा होने के बाद उनसे पुस्तकें ली जाएं। शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक एवं मुफ्त स्टेशनरी प्रदान किए जाने हेतु 193 लाख रूपये के बजट का प्रावधान है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत 07 राजकीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अधोसंरचना विकास हेतु प्रतिवर्ष 20 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। 59 महाविद्यालयों के अधोसंरचना विकास हेतु प्रति महाविद्यालय 2-2 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। पांच नये मॉडल कालेज हेतु 12-12 करोड़ रूपये की स्वीकृति की गई है। रूसा-2 के अंतर्गत 7 नवीन मॉडल कालेज प्रारंभ करने का भी काम किया जा रहा है। पिछले बार जो बजट था उससे इस बजट में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं सभी से यही मांग करूंगा कि उच्च शिक्षा में जो बजट प्रावधान किया गया है उसे आप लोग सर्वसम्मति से पास करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बताया और हम लोगों ने चर्चा में भी यह बात कही कि छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट कम है। यदि आप घोषणा कर सकते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बच्चे शिक्षा ऋण लेते हैं उसमें 3 प्रतिशत की ब्याज दर है और अधिकांश बच्चे उस ऋण को पटा नहीं पा रहे हैं। या तो उसे 1 प्रतिशत कर दीजिए या उसे 0 प्रतिशत कर दीजिए। अधिकांश बच्चे इसलिए उसे नहीं पटा पा रहे हैं क्योंकि उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो उसे एक तो दिखवाईये कि कितने ऋण हैं। यदि आप अभी बोलेंगे या आज हो, कल हो, परसों हों उससे बहुत राहत मिल जायेगी। दूसरी बात दो चीजें मैं शिक्षा से हटकर बोल रहा हूं क्योंकि शायद आप समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जो खेल स्पर्धा को आप अनुदान देते हैं उसकी कोई ट्रांसपैरेंट पालिसी नहीं है कि किस लेवल को आप कितना अनुदान देंगे। जैसे मैंने आपको कहा, उदाहरण के लिए मैंने कहां के लिए कहा ता किस लेवल के आयोजन के लिए आप कितना पैसा देंगे या किसी से जो गोद लेने वाले हैं उनसे दिलवायेंगे वह ट्रांसपैरेंट नहीं है। तो उसके कारण भी जो आपकी खेल प्रतिभाएं हैं वह उभर नहीं रही हैं। तीसरी बात-मैंने आपको एक एकेडमी के लिए बजट के समय पत्र लिखा था, उसको देख लीजिएगा।

श्री उमेश पटेल :- आपने जो कहा कि जो लोन है उसका हम लोग परीक्षण करा लेंगे और उसमें क्या हो सकता है उसको देख लेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तकनीकी विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था नया रायपुर (आई.आई.आई.टी.) प्रदेश में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग और कम्प्यूटर साईंस एंड इंजीनियरिंग की लगभग 60-60 सीटें स्नातक पाठ्यक्रम में संचालित हैं। हम इस साल बी.टेक. के पाठ्यक्रमों में एक नया सब्जेक्ट जोड़ने का काम करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रारंभ करने का काम इसमें शुरू करने वाले हैं। जिससे सीट लगभग 120 से 180 हो जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग तो विधानसभा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी को देखते हैं। अकबर जी बाजू वाले का पढ़ते हैं। (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ पावर हब है और इस पॉवर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को खोलने के बारे में आप विचार करियेगा ताकि बहुत सारे पॉवर इंजीनियर बनेंगे तो उनके लिए छत्तीसगढ़ में अपार्चुनिटी बहुत अच्छी है। इस सब्जेक्ट के विषय में भी देख लेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्टिफिसियल इंटिलिजेंस एक, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं इसलिए कह सकता हूं। आर्टिफिसियल इंटिलिजेंस एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत स्कोप आने वाला है। इसलिए इस प्राठ्यक्रम को प्रमुखता से रखा गया है। आने वाले समय में जिस तरह से टेक्नोलाजी बढ़ रही है, जो रोबोट टेक्नोलाजी है जिसमें आर्टिफिसियल इंटिलिजेंस एक महत्वपूर्ण विभाग है उस पर सबसे ज्यादा संभावना बनेगी। इसलिए इसमें बढ़ोत्तरी की गई है। इसमें 120 सीट से बढ़कर 180 हो जायेगी। आगामी समय के लिए बीस बीस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए जो पहले से सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार द्वारा संस्था के अधोसंरचना विकास एवं स्थापना अनुदान प्रदान किये जाने हेतु 2019-20 में 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसे आप लोग सर्व सम्मति से पारित करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पालीटिकल कॉलेज में एक सब्जेक्ट ....।

अध्यक्ष महोदय :- आपका भाषण समाप्त हो गया कि और बचा है। आप अपना भाषण करिये। आप छठवी बार उनको आपत्ति जता रहे हैं। उनका लय टूट रहा है। बालक एक अच्छा भाषण पहली बार दे रहा है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तरफ एक झन बोलथे त समझ में आथे, वोला सबो जगह बोलनेच हवे। तय काबर बीच मा बोलथस।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय आ रहा था तो मैं भी उस विषय पर उनके लिये ही बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के हित में ही आता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना हम लोगों की चल रही है। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग ग्रेजवेट के प्लेसमेंट को बढ़ाया जाना है। इसके लिये हम लोगों ने 5 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान रखा है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना जो चल रही है। प्राय: यह देखा गया है कि आर्थिक कारणों से छात्र उच्च शिक्षा हेतु संसाधन नहीं जुटा पाते। अत: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये निर्धन परिवार के विद्यार्थियों द्वारा बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार में दृष्टिगत रखते हुए, 2 लाख तक की वार्षिक परिवार की आय में आने वाले विद्यार्थियों को 4 लाख तक की ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि में ब्याज भार में छूट प्रदान की जाती है। इसके लिये 2019-20 में 4 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है जो 2018-19 की तुलना में 1 करोड़ अधिक है। सीपैट हमारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका काम वाकई में बहुत अच्छा है। इसका प्लेसमेंट लगभग 75 प्रतिशत में है और कई इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलाजी रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य में एक काम बी.ई प्लास्टिक इंजीनियरिंग का कोर्स 60 सीटों के साथ संचालित हो रही है। संस्था में नियमित डिप्लोमा तथा पोस्ट ग्रेजवेट डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है। संस्था में वर्तमान में 861 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह संस्थान राज्य में स्थित उद्योग को तकनीकी सेवा मुक्ता टूल रूप प्रोसेंसिंग टेस्टिंग क्षेत्र में प्रदान की जाती है। 2019-20 में सीपैट के एकाडमिक भवन निर्माण कार्य हेतु 250 लाख रूपये बजट का प्रावधान है। शासकीय पालीटेक्निक हेतु बजट प्रावधान इसमें शासकीय पालीटेक्निक संस्थान नारायणपुर, कोरबा, कांकेर, रामानुजगंज, खैरागढ़, भांटापारा, रायपुर, तखतपुर, रायगढ़, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार तथा कन्या पालीटेक्निक रायपुर एवं बिलासपुर के विद्यार्थियों की सुविधा एवं अध्ययन हेतु फर्नीचर प्रयोगशाला मशीन उपकरण तथा पुस्तकों के क्रय हेतु 10.19 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। हमारी शासकीय पालीटेक्निक संस्थाएं 32 हैं जिसमें स्वयं के भवन लगभग 16 हैं। 2019-19 में हमने बिलासपुर, कांकेर, कबीरधाम में नई भवन में संचालित हो गई है। ये अभी चले जा चुके हैं। नारायणपुर, जशपुर में नवीन भवन संस्था की सिफ्टिंग कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एक जगह जो बालोद है, उसका निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। लगभग 32 जो हमारे कॉलेज हैं, उसमें काम चल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष तक हम लोगों का प्रयास है कि अगले साल सभी जगह अपने खुद की बिल्डिंग हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.बी.ए. एक्रेडेसी, जो आप ग्रेडिंग के विषय में बोल रहे थे। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर को 15 से 17 फरवरी, 2019 को कॉलेज का निरीक्षण किया जा चुका है। एम.बी.ए. के द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर का 22 से 24 फरवरी, 2019 को कॉलेज का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निरीक्षण किया गया और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर को एम.बी.ए. के द्वारा 22 से 24 मार्च, 2019 को कॉलेज का निरीक्षण किया गया है और हमारी कोशिश यही है कि आने वाले समय में इन सब को एम.बी.ए. का एग्रीगेशन मिल जाए और उससे हमारी जो एक गुणवत्ता है, उसमें सुधार आ सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.टी.आई. सभी लोगों की यह मांग रहती है। हमने 19 आई.टी.आई. के लिए अतिरिक्त ट्रेड प्रारंभ किया है। इसमें 1371 सीटों की वृद्धि होगी। संचालित ट्रेडों में 184 यूनिट का नेशनल कौंसिल फॉर विहिकल ट्रेनिंग एन.सी.वी.टी. से संबद्धता है और उसमें लगभग 4 हजार, 87 परीक्षार्थी लाभांवित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज अंतर्गत हमने 7 कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. साईन किया है। जिसमें मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड, जो दुर्ग, भिलाई, माना, रायपुर, बिलासपुर में काम करेगा। हुंडई मोटर्स जो माना में काम करेगा। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड भिलाई, होण्डा मोटर्स साईकिल स्कूटर इण्डस्ट्री भिलाई, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड रायपुर, भिलाई, इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भिलाई, सिम्पलेक्स कॉस्टिंग प्राईवेट लिमिटेड भिलाई, ये सब जगह से हमने एम.ओ.यू. साईन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आई.टी.आई. में हमारे पास एल.डब्ल्यू.ई. एरिया में एक भारत सरकार की योजना है सरेण्ड कम रिहेबलेटेशन स्किम फॉर एल.डब्ल्यू.ई., इसमें आई.टी.आई. प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शैक्षणिक आर्हता में छूट रखी गई है। एक वर्षीय प्री आई.टी.आई. फाउंडेशन कोर्स भी इसमें रखा गया है। इसमें फाउंडेशन कोर्स के उपरांत आई.टी.आई. में नियमित शिक्षण भी कराया जाता है और इसमें 6 हजार प्रति माह स्टाईफन की व्यवस्था पूरे 36 माह के लिए किया जाता है और आपको बताऊंगा कि गरियाबंद में 08, दंतेवाड़ा में 02, बीजापुर में 02 और कुल 12 युवा फाउंडेशन कोर्स से लाभांवित हो चुके हैं। ये वह लड़कें हैं जिन्होंने सरेण्डर किया था जो पहले किसी कारणवश नक्सलियों के साथ मिल चुके थे। 04 आई.टी.आई., जो विकासखण्ड जिसमें 04 जगह आई.टी.आई. नहीं है, उनमें से 03 जगह नवीन आई.टी.आई. खोलने के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है तो हमारे इस प्रावधान के बाद 146 विकासखण्ड में 145 में हमारे पास आई.टी.आई.रहेंगे और आने वाले समय में हमारी कोशिश ये है कि हर विकासखण्ड में एक आई.टी.आई.कम से कम होना चाहिए, जिसके लिए हम आगे बढ़ चुके हैं इस बार मनोरा, दुलदुला जिला बिलासपुर और बतौली जिला सरगुजा में इसका प्रावधान रखा गया है। सिर्फ एक जगह छूटा हुआ है जिसके लिए हम लोगों ने 1.50 करोड़ का प्रावधान रखा है। आप सबसे निवेदन है इसी तरह से छात्रावास के लिए लगभग 50 लाख का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे 1650 परीक्षार्थी लाभांवित होंगे। दो महिला आई.टी.आई. कोनी बिलासपुर और भिलाई के बाउण्ड्री वॉल के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्माण का काम हम लोगों ने इस बजट में रखा है क्योंकि ये ऐसे इलाके में है जहां बाउण्ड्री वॉल की अति आवश्यकता है। ये महिला आई.टी.आई.है तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए, आई.टी.आई. में बाउण्ड्री वॉल बनवाने का काम हम लोगों ने किया है। इसी तरह से रामकृष्ण मिशन आई.टी.आई.में प्रशिक्षण सुविधा संचालित है, अशासकीय संस्था रामकृष्ण नारायणपुर द्वारा ये काम किया गया है, ये राज्य सरकार द्वारा शतप्रतिशत अनुदान वाली संस्था है। संबंधित पाठ्यक्रम हेतु मशीन उपकरण के लिए लगभग 98.68 लाख रूपये का प्रावधान है और आपको बताना चाहूंगा कि इससे लगभग 400 आदिवासी युवा लाभांवित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्थाओं में आधुनिक मशीन और उपकरण की पूर्ति के लिए हम लोगों ने 938.35 लाख का प्रावधान किया है। इसी तरह से 03 नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण के लिए 150 लाख का प्रावधान किया है। 3 आई.टी.आई. में 50 सीटर छात्रावास निर्माण करने के लिए 115 लाख का प्रावधान किया गया है। एक बहुत अच्छी योजना स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेथिंग फार इंडस्ट्री वेल्यू इनहेसमेन्ट) का क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं। इसमें प्रति आई.टी.आई. को अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये का अनुदान केन्द्र सरकार से मिलने जा रहा है। 17 शासकीय एवं 8 निजी आई.टी.आई. इसमें चिन्हांकित हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 10 करोड़ का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कौशल विकास भी एक भाग है और कौशल विकास जो योजना है इसमें अभी तक प्रशिक्षित युवाओं की संख्या 4,42,815 है जिसमे से 1 लाख 4 हजार 702 रोजगार तथा 1,29,585 स्वरोजगार करने जा रहे हैं। इसमें अतिरिक्त प्रावधान के लिए हम लोगों ने 2019-20 के लिए 135 करोड़ का प्रावधान रखा है। सीपेट कोरबा का उद्घाटन अभी 3 दिन पहले हुआ। इसमें भी रायपुर की तरह स्किल डेपलवमेन्ट का काम सीपेट करने वाला है। इसमें लगभग 18 एकड़ की भूमि उपलब्ध कराई गई है और भवन निर्माण के लिए 42.3 करोड़ का काम किया गया है। दिनांक 22 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन हो चुका है। 73 युवाओं को प्लास्टिक कोर्स से संबंधित दो कोर्सेस में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। लाईवलीहुड कालेज सभी जिले में 24 में से 23 में भवन निर्माण का काम खत्म हो चुका है, मुंगेली में निर्माणाधीन है। तीन जगह कोरबा, कांकेर जिसमें कांकेर में बी.आर.जी.एफ. मद से बन रहा है और कोरबा में डी.एम.एफ. के साथ ये काम किया जा चुका है, जिला दुर्ग में आई.सी.आई.सी. फाउण्डेशन के साथ एम.ओ.यू. के माध्यम से बी.एस.पी. के भवन में लाईवलीहुड कालेज संचालित किया जा रहा है। इसी तरह से इनके छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नई योजना संकल्प (स्किल एक्वीजिशन एण्ड नालेज अवेयरनेस फार लाईवलीहुड प्रमोशन) चालू हो रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन, निरीक्षण, बाजार अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का मजबूतीकरण, कौशल विकास योजनाओं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की गुणवत्ता में सुधार तथा बाजार मांग के अनुरूप करना, महिला एवं अन्य वंचित वर्ग के परीक्षार्थियों को कौशल प्रशिक्षण की पहुंच में वृद्धि करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। केन्द्रांश का 8.05 करोड़ हमें प्राप्त हो चुका है, इसके राज्यांश की लगभग 5.37 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा है। आप सबसे निवेदन है कि इस पर आप सब लोग सहमति दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से युवा क्षमता विकास योजना है, जिसमें परीक्षा में जो बैठने आते हैं, उनके फार्म भरने के लिए छूट रखी गई है। इस बार एक नया काम किया गया है, यहां सैन्य भर्ती रैली निकाली गई है, ये बहुत अच्छी बात है कि जिसमें तीनो फोर्सेस एयर फोर्स, आर्मी, नेवी ने यहां काम किया, इसके लिए 2019-20 के लिए 84 लाख रुपये के बजट का प्रावधान है और हमारे छत्तीसगढ़ से लगभग 135 आवेदकों का इसमें चयन हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साइंस एण्ड टेक्नालॉजी में सभी विभागों से जो काम आता है, उसको बहुत बखूबी से साइंस एण्ड टेक्नालॉजी विभाग निभा रहा है। हालांकि इसका स्वयं का बजट बहुत कम होता है। खासकर जो ड्राट एरिया है जहां पर सेटलाईट से देखकर हम ये बता सकते हैं कि कहां पानी की उपलब्धता है, कहां नहीं है। ये अलग-अलग योजनाओं पर काम चल रहा है। इस साल साइंस सेन्टर केटेगरी-टू की स्थापना के लिए लगभग 1170 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 200 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। तो आप सबसे निवेदन है कि इसमें भी आप लोग सहमति दें । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेल और युवक कल्याण के लिये बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में हमने खेल प्रशिक्षण के लिये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि की है । खिलाड़ियों के प्रशिक्षण योजना शीर्ष के अंतर्गत रूपये 1 करोड़ 85 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है । सत्ताईसवें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत 2 नये उद्देश्य शीर्ष प्रारंभ किये गये हैं जिसमें खेल उपकरण एवं सामग्री प्रदान करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख तथा प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिये रूपये 7 करोड़ इस प्रकार लगभग 14 करोड़ 50 लाख का नवीन मद प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है । ग्रामीण अंचलों में खेल अभ्यास एवं प्रतियोगिता जो आदरणीय बांधी जी कह रहे थे उसके लिये हमने इसमें 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है । महिलाओं के लिये प्रतियोगिता रखने के लिये लगभग 100 लाख रूपये बजट का प्रावधान रखा गया है । खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिये लगभग 70 लाख का प्रावधान रखा गया है । खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक जीतने वाले व्यक्तिगत खेलों के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिये 2 लाख रूपये, रजत पदक के लिये डेढ़ लाख रूपये और कांस्य पदक वालों को 1 लाख रूपये का पुरस्कार हमारी सरकार देने वाली है । इसी प्रकार टीम गेम्स और प्रत्येक खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 1 लाख, रजत पदक जीतने पर 75 हजार तथा कांस्य पदक जीतने पर 50 हजार का नगद पुरस्कार देने का प्रावधान हमने रखा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, खेल संघ एवं खेल संस्थाओं को आर्थिक सहायता के लिये लगभग 2 सौ लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है । युवक कल्याण गतिविधियों को आयोजित करने के लिये 2 करोड़ 20 लाख रूपये का बजट प्रावधान है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, खेल विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की योजना है, उस योजना के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेलते हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाती है परंतु पिछले 2 सालों से यह काम रूका हुआ है इसको आप प्रॉयरिटी में देख लें कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उनको नौकरी नहीं मिल रही है वे बेरोजगारी के कारण अपने खेल का प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना को सभी विभागों में और मुझे लगता है कि आपको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए जिससे हमारे यहां के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको नौकरी मिलेगी और वे छत्तीसगढ़ के लिये खेलेंगे तो हमारा नाम होगा । 2 साल से उसमें कोई भर्ती नहीं हुई है, आप उसको जरा देख लेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, मैंने अपने भाषण में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कहा था । थियेटर में एक पोस्ट में भर्ती नहीं हुई है, जो थियेटर हमने शुरू किया था, मैंने बताया था कि डिग्री देने वाली हमारी पहली यूनिवर्सिटी थी और एनिमेशन को आज तक शुरू ही नहीं किया गया है तो एनिमेशन आजकल रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है । जो नवाचार की हमने बात की, आप एनिमेशन फेकल्टी शुरू कीजिये और अपने किसी नेता में पिक्चर बनवा लीजिये, आपको भारी माईलेज मिलेगा, पीछे से सामने आ जायेंगे तो उसको जरूर शुरू करवाईये ।

श्री उमेश पटेल :- जी, बिल्कुल उसको परीक्षण करवा लेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, अब आप परीक्षण वाली लाईन मत बोलिये । आप दमदारी वाली लाईन बोलिये कि उसको शुरू करवायेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय बृजमोहन जी बोलेंगे तो आपको बोलना जरूरी हे, दोनों में काम्पीटिशन है कि सामने कौन आयेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- हमारी ओर से सामने बृजमोहन जी ही रहेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो बोल रहे थे, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का आवेदन 31 जनवरी तक प्राप्त हुआ है और यह कई जगह बोला गया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जरूर इसमें सफलता मिलेगी । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जितने भी बजट का प्रावधान रखा गया है । सबसे निवेदन है कि वे सर्वसम्मति से इसे पास करें । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आप इसके बाद पढ़कर कल हाऊस 11 बजे तक के लिये स्थगित कर देंगे तो कल हम लोग मुख्यमंत्री जी को वॉकओवर दे देते हैं, (हंसी) अब क्या जाकर पढ़ेंगे-लिखेंगे इसलिये उसकी घोषणा कर दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह हे कि मांग संख्या - 47, 44, 46 एवं 43 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

मांग संख्या - 47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये - तीन सौ अन्ठानबे करोड़, इक्कीस लाख, तीस हजार रूपये,
मांग संख्या - 44	उच्च शिक्षा के लिये - सात सौ इकतालीस करोड़, बयालीस लाख, अस्सी हजार रूपये,
मांग संख्या - 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिये - बाईस करोड़, दस लाख रूपये तथा
मांग संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण के लिये - तिरपन करोड़, अड़तीस लाख, पचास हजार रूपये तक की राशि दी जाए ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजो की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(8 बजकर 26 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी (फाल्गुन 7, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)

25 फरवरी, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं